छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा दशम् सत्र

गुरुवार, दिनांक 04 मार्च, 2021

(फाल्गुन 13, शक सम्वत् 1942)

[अंक 09]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

गुरूवार, दिनांक 04 मार्च, 2021

(फाल्गुन-13, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ।

प्रश्न संख्या : 01 XX XX

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक प्रश्न है, अतारांकित में परिवर्तित हो गया है । आप अनुमति दें तो...।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपको कैसे अनुमति मिलेगी ? यानी आप यहां आते ही पहले मिनट में कह रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का मेरा भी प्रश्न है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसमें प्रश्न कर लूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप एक चिड़िया बैठवा लेते, श्री बृजमोहन जी से कह देते तो आपको अधिकृत कर देते ।

श्री अजय चंद्राकर :- अधिकृत नहीं, मैं तो अनुमति ले रहा हूं । अधिकृत वे होते हैं, मैं नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- श्री बृजमोहन जी आ गए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब वह तो पार हो गया है न । (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पार हो गया । दूसरे राउंड में 25 के बाद इनका नंबर आएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल नियम का पालन होगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न निकल चुका, हमने दूसरा नाम बुला लिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां पार हुआ ? दूसरा नहीं बुलाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- बुला लिया, वे खड़े हैं । (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इनका नंबर 25 के बाद आयेगा, उसके पहले तो आ ही नहीं सकता है । व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- कइसे उत्तर दे मा डर लागत हे का ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उत्तर दे मा नइ डरत हन, हमन तैयारी करके आए हन ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उत्तर दे मा तें हा भागत काबर हस ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ओ हा दिन में भी सोही, रात में भी सोही । के घंटा सोए रइही ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप प्रश्न करिए न ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । आपने दूसरा नाम पुकार लिया ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी का नाम ले लिया, आप प्रश्न करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका आ जायेगा, जल्दी बुलायेंगे ।

मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में धान की कस्टम मिलिंग

2. (*क्र. 1536) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कितनी राईस मिल हैं? (ख) सत्र 2019-20 व 2020-21 में कितने राइस मिलों ने कस्टम मिलिंग के लिए पंजीयन कराया? (ग) उक्त समयावधि में उक्त मिलों द्वारा कस्टम मिलिंग का कितना चावल जमा किया गया और फ्री सेल में कितना चावल दिया गया?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2020-21 में मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कस्टम मिलिंग हेतु 18 राईस मिल पंजीकृत हैं. (ख) कस्टम मिलिंग हेतु खरीफ वर्ष 2019-20 में 17 राईस मिल तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में 18 राईस मिलों ने पंजीयन कराया है. (ग) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत राईस मिलों द्वारा खरीफ वर्ष 2019-20 में दिनांक 17-02-2021 तक 79,495 टन तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में 23,458 टन चांवल कस्टम मिलिंग का जमा कराया गया. राईस मिलों द्वारा फ्री सेल के रूप में खरीफ वर्ष 2019-20 में 14,063 टन तथा वर्ष 2020-21 में 12,013 टन चावल का विक्रय किया गया है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के जो राईस मिलर्स हैं तो कितने लोगों ने पंजीयन कराया तो उसका उत्तर 18 आ गया । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पंजीयन की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 में कितने लोगों ने पंजीयन कराया तो वर्ष 2019-20 में 17 लोगों ने और वर्ष 2020-21 में 18 लोगों ने पंजीयन कराया । माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं कि पंजीयन कराने की प्रक्रिया क्या है । राईस मिलरों का पंजीयन खाद्य विभाग के अधिकारियों जैसे खाद्य निरीक्षक, सहायक खाद्य निरीक्षक के द्वारा मिल का भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जाता है उसमें राईस मिलरों के पंजीयन के लिये प्रमुख रूप से जो दस्तावेज लगते हैं वह उद्योग विभाग का उद्यम आकांक्षा नंबर है, बिजली का बिल, मण्डी लाईसेंस, टीन एवं पेन नंबर, बैंक का पास बुक, पार्टनरशिप प्रमाण-पत्र तो इस प्रकार से पंजीयन के लिये आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया में पंजीयन करते वक्त ही मिलरों के द्वारा फूड इंस्पेक्टर मीटर रीडिंग नोट करते हैं ताकि जब हम कस्टम मीलिंग प्रारंभ करें तो अंत तक, जब कस्टम मीलिंग समाप्त हो जाये तब तक कितना बिजली के बिल का उपयोग किया उसके कस्टम मीलिंग से जोड़ा जाता है और जोड़कर विभाग द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि कितना इन्होंने वास्तव में किया, ऐसा तो नहीं है कि रिसाईकिलिंग किया जा रहा है । अपने क्षेत्र में बहुत सारे पी.डी.एस. के चावल की हेराफेरी हो रही है और इसीलिए हम इन राईस मिलरों से पंजीयन के वक्त उनकी मीटर रीडिंग कितनी ली और कस्टम मीलिंग होने के पश्चात् कितना बिलिंग था ?

अध्यक्ष महोदय :- इसमें बीलिंग का तो आपने कोई प्रश्न डाला ही नहीं है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया के अंतर्गत है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रक्रिया में है इसलिए पूछ रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न राईस मिल के पंजीकृत मिलर्स के बारे में था और मैंने उसका बता दिया और मिलर्स के द्वारा पंजीयन की क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है उसको बता दिया और आप बिजली बिल के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो बिजली बिल का रीडिंग भी लिया जाता है । सबका बिजली बिल का रीडिंग लिया गया है और इसमें आप जो कह रहे हैं वह आप अपना अनुमान बता रहे हैं, वह सही है । सब लोगों की रीडिंग ली जाती है और उसका सत्यापन किया जाता है । आप कहें तो मैं पढ़ देता हूं कि कब-कब, किसकी-किसकी रीडिंग ली गई है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, यही से कितनी बिजली का उपयोग किया गया और कितनी कस्टम मिलिंग हुई, यही अंतर उसकी व्यवस्था को बनाएगा । अगर नहीं है तो कहीं न कहीं गोलमाल है। आप इस बिजली बिल को अच्छे से दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवा लेंगे । अच्छे से दिखवा लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- मैंने बताया कि सभी की रीडिंग ली जाती है और अगर आप कहें तो मैं एक-एक का पढ़ भी देता हूं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हां तो मुझे दे दीजिएगा और दिखवा लीजिएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- पढ़िए मत, यह प्रश्नकाल है ।

श्री अमरजीत भगत :- हम दिखवा लेंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- दे दीजिए और दिखवा लीजिए ।

<u>मौदहापारा से गुरूद्वारा जाने वाले मार्ग पर नहरपारा के समीप स्थित बाटल नेक मार्ग का चौड़ीकरण</u>

3. (*क्र. 7) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है, कि मौदहापारा से गुरूद्वारा जाने वाले मार्ग पर नहरपारा के समीप स्थित मार्ग बाटल नेक हो गया है? यदि हां, तो क्या इसे चौड़ा करने हेतु सर्वे उपरांत यहां बने भवनों को मुआवजा देकर हटाने का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग में लंबित है? (ख) यदि हां, तो विभाग द्वारा कब तक तथा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : जी हां. व्यवस्थापन अथवा मुआवजा हेतु विभागीय बजट/निकाय के बजट में प्रावधान नहीं रहता है. नगर पालिका निगम रायपुर के द्वारा भूखण्ड/भवन स्वामियों को चर्चा हेतु आहूतकर भूखण्ड के बदले एफ.ए.आर. दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया था. भूखण्ड/भवन स्वामियों के द्वारा इस हेतु सहमति पत्र नहीं दिया गया. इस मार्ग के अलावा मुख्य मार्ग सुगम यातायात हेतु उपलब्ध है. वर्तमान में भवनों का मुआवजा देकर हटाने का प्रस्ताव विचारण में नहीं लिया गया है. (ख) भू-स्वामियों द्वारा भूखण्ड की अथवा मुआवजा की मांग किये जाने के कारण मार्ग चौड़ीकरण हेतु प्रस्ताव विचारण में नहीं लिया जा सका है.

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहरपारा रोड है, जो स्टेशन रोड को जोड़ती है और लाखों लोगों का आना-जाना उस रोड से होता है, लाखों लोग ट्रेन से उतरकर उस रोड से आते-जाते हैं । वह नहरपारा रोड करीब-करीब बन चुकी है, छोटे से 2 मकान पड़ते हैं अगर इसमें मुआवजा दे देंगे, तो शहर के अधिकांश लोगों को सहुलियत हो जाएगी, आवागमन में दिक्कत नहीं होगी । वहां रोज ट्रैफिक जाम होता है, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री जी इसका मुआवजा देकर इसका निराकरण करवाएं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, इस सड़क के लिए 308 लाख की स्वीकृति हुई थी और निविदा राशि 253 लाख की । यह रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था । 623 मीटर लम्बाई

थी और 460 मीटर बन चुकी है, 63.60 मीटर यह जो बता रहे हैं, जहां सडक संकरी हुई है । वहां पर प्रायवेट लोगों का मकान है, अब ढाई करोड़ रूपए की सड़क बनाना है उसमें साढ़े 10 करोड़ रूपए उनके मुआवजा दिया जाना है । हम एफ.ए.आर. दे देंगे और उन लोगों को सहमत करा लेंगे । हम बनाने को तैयार हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अध्यक्ष महोदय, साढ़े 10 करोड़ मुआवजे जैसी कोई बात नहीं है और 5-7-10 करोड़ ज्यादा भी हो तो शहर की जनता को अगर राहत मिलती है, सहुलियत मिलती है तो 4-5 करोड़ रूपया ज्यादा देने में भी फर्क नही पड़ता है । रेल्वे स्टेशन से लाखों लोग आते-जाते हैं, अभी वे एक ही रोड से आते जाते हैं, जनता को एक रोड और मिल जाएगी तो वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी और रोज के होने वाले ट्रैफिक जाम से हम सबको निजात मिल जाएगी । अगर 2-4-5 करोड़ से ज्यादा की बात नहीं होगी । जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैा साढ़े 10 करोड़, ऐसी 10 करोड़, 15 करोड़ की कोई बात नहीं है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- एक बार मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अधिकारियों को वहां भेज दें, बात कर लें । अधिकारी भेजकर, बात करके, अगर उन मकान वालों से बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वे मान जाएंगे और जो भी मुआवजा मंत्री जी देंगे तो करीब-करीब बात हो जाएगी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़, 64 लाख, 83 हजार, 964 रूपए का मुआवजा बना है । प्रभावित भूखंड में 9 लोग हैं । जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं कि वहां पहुंचने के लिए एक ही सड़क है, ऐसी बात नहीं है । वहां पहुंचने के लिए बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं । एक्सप्रेस-वे बना है, सर्कुलर रोड बना है, मेन रोड से भी जा सकते हैं, बृजमोहन जी के घर के तरफ से भी जा सकते हैं । आने-जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आधे से ज्यादा शहर का ट्रैफिक जेल रोड से स्टेशन जाता है और उसी रोड से वापसी होती है । अगर एक रोड साइड से और निकल जाएगी तो जनता को बहुत सहुलियत मिलेगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर नगर निगम से सरकार को इतना टैक्स और बाकी चीजें मिलती हैं तो वह रेल्वे स्टेशन के नजदीक ट्रैफिक का सबसे ज्यादा प्राब्लम है । इस सड़क को बनाने के लिए यहद 9 करोड़ भी मुआवजा है तो सरकार मुआवजा देकर उस रोड को क्यों नहीं बनवाती ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थापन का मामला है । हमारे विभाग में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है और माननीय सदस्य कह रहे हैं तो हमारे अधिकारी उनसे एक बार और चर्चा कर लेंगे । हमारे अधिकारीगण जाएंगे और जिन 9 लोगों का मकान वहां पर पड़ता है, उन लोगों से एक

बार और चर्चा कर लें, उनको एफ.आई.आर. हम देने को तैयार हैं । आप दोनों भाई मिलकर चर्चा करके उसका निपटारा करिये ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे, आप एफ.आई.आर. करोगे तो वे कैसे आपको जमीन देंगे । एफ.आई.आर. देने को तैयार हैं, बोलत हैं (हंसी) ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एफ.ए.आर. बोला हूं । अध्यक्ष महोदय, आज इनका प्रश्न गड़बड़ा गया है तो परेशान हैं ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- मंत्री जी ने एफ.ए.आर. कहा है, आप जबरदस्ती एफ.आई.आर. करवा रहे हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला है । मंत्री जी का यह कहना कि मुआवजा का प्रावधान नहीं है, यह उचित नहीं है । पूर्व में भी रायपुर शहर में सरकार ने व्यवस्था करके, मुआवजा देकर सड़कें बनाई है । यह रेल्वे स्टेशन के नजदीक की सड़क है इसलिए मंत्री जी इसमें मुआवजे की व्यवस्था करके उस सड़क का बनवा दें तो रेल्वे स्टेशन के आसपास जितने भी बाईपास सड़कें होगी, लोगों को उतनी सुविधा मिलेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि आप बृजमोहन अग्रवाल जी और कुलदीप जुनेजा जी ये दोनों मिलकर के उन प्रभावित लोगों से चर्चा कीजिए। उन्हें बहलाइए, बैठाइए, उसके बाद अधिकारी लोग मिलेंगे। सड़क बन जाये तो हमें भी खुशी होगी।

शिरवरतन शर्मा :- मार्गदर्शक मंडल के सदस्य।

अध्यक्ष महोदय :- मार्गदर्शक मंडल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, हम तो कर लेंगे। जब तक मुआवजे की व्यवस्था शासन नहीं करेगा, तब तक वह सड़क नहीं बनेगी, इसलिए मंत्री जी को इस बात का आश्वासन देना चाहिए कि हम मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। जो कम से कम पैसे में हो सके, उसके लिए बातचीत करने में आप लोग भी सहयोग करें तो हम लोग भी सहयोग करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल करेंगे। रंजना जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें आपकी व्यवस्था में इनकी तरफ से मैं यह कह रहा हूं- जब जेब में होगा नगदुल्ला तो कुद पड़ेगा अब्दुल्ला। नगदुल्ले का प्रावधान ही नहीं है तो अब्दुल्ला कहां तक कुदेगा ? तो आप नगदुल्ला का इंतजाम करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, रंजना डीपेन्द्र साहू।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

धमतरी जिले के पुलिस विभाग को जमीन की रजिस्ट्री संबंधी प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

4. (*क्र. 1342) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या धमतरी जिले में विगत 05 वर्ष में पुलिस विभाग को जमीन की हाफ रजिस्ट्री के नाम पर फुल रजिस्ट्री करने की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो शिकायतकर्ता का नाम, संबंधित थाने का नाम शिकायत जिनके विरूद्ध की गई है? दिनांकवार जानकारी प्रदान करें? उक्त शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जी हां. जानकारी †[1] संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न था कि विगत 5 वर्षों में ऐसी कितनी शिकायतें पुलिस विभाग को प्राप्त हुईं, जिसमें हाफ रजिस्ट्री के नाम से फुल रजिस्ट्री की गई है। माननीय मंत्री जी का जो उत्तर आया है, उसमें धमतरी जिले में केवल 3 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, जबकि इसके अलावा वर्ष 18/09/2019 में एक आमदी का निवासी प्रेमलाल साहू जिसके साथ भी यही बड़ी घटना हुई थी। इसके साथ-साथ खेमूराम साहू, हंचलपुर, जिसके साथ-साथ कमल सिन्हा, धौराभाठा, ऐसे अनेक लोग हैं, जिनकी शिकायतें की गई थीं, लेकिन माननीय मंत्री जी, इसमें वह उल्लेख नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास शिकायतों की 15 से 20 ऐसी कॉपियां हैं और इनकी कॉपियों के साथ-साथ मेरे पास ऐसे पावती है जो माननीय विभागीय मंत्री जी को इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत की गई थी। संबंधित थाने में भी शिकायत की थी और एस.पी. कार्यालय में भी शिकायत की गई थी। इसकी पावती भी मेरे पास है, लेकिन यहां पर कहीं भी उन लोगों का जिक्र नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी मेरा प्रश्न यह है कि क्योंकि इसमें उन लोगों का जिक्र नहीं है, जिन्होंने संबंधित थाने में भी शिकायत की थी, जबकि मैंने विगत 5 वर्षों में इसकी जानकारी मांगी थी। दूसरा प्रश्न यह है कि आपने मुझे जो जानकारी दी है, उसमें दो लोग ऐसे व्यक्ति हैं, जिनको यह सलाह दी गई कि आप न्यायालय जाइए और एक व्यक्ति ऐसा है, जिन्होंने अपना केस वापस ले लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये प्रताड़ना के शिकार हैं। जब ये पुलिस के पास जाते हैं कि हमें इनका सहयोग चाहिए, वहां से इन्हें भगा दिया जाता है कि आपको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। न्यायालय की शरण लीजिए

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए।

[1] † परिशिष्ट "दो"

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- और तो और एक व्यक्ति मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। ये पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है। (शेम-शेम की आवाज) लोगों को सहयोग नहीं दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, भाषण का उत्तर दीजिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप क्या प्रश्न पूछना चाहती है ? आप पूछें तो मैं जवाब दूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उनका प्रश्न सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो समस्या बतायी है, उनका निराकरण आप कैसे करेंगे और आपने पूरा जवाब क्यों नहीं दिया ?

अध्यक्ष महोदय :- आप यदि चाहते हैं कि उनको बुलाकर अलग से सुन लें तो वह भी कर सकते हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वे दे देंगे। मैं जांच करवा दूंगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यह केवल धमतरी जिले की बात नहीं है। पूरे प्रदेश में यह गिरोह चल रहा है। मैं यहां पर समाचार पत्रों की बहुत सारी कॉपियां लेकर आयी हूं।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है न।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जहां पर एक ही व्यक्ति ने 9 लोगों को अलग-अलग ढंग से ठगा। तो इस प्रकार एक ही घटना नहीं, पूरे प्रदेश में यह घटना चल रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि इन घटनाओं की पूरी जानकारी आप पुलिस विभाग से निकलवाइए और जो पीड़ित पक्ष हैं, उन लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। यह मेरी सदन से मांग है। माननीय मंत्री जी से मांग है और जो आरोपी है, उस आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आरोपी खुला घूम रहा है और पूरे प्रदेश की भोली-भाली जनता को वह नुकसान पहुंचा जा रहा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास थाने में जो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार मैंने जानकारी दी है। उसके अतिरिक्त थाने में नहीं है। पर जैसे आदरणीया विधायक जी कह रही हैं, बहुत से लोगों का तो वे मुझे सूची दे दें। मैं जांच करा लूंगा। जांच कराकर उन्हें जानकारी दे दूंगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे प्रकरण को निकाला जाए और आरोपी पर कार्रवाई की जाए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आप दे दीजिए, मैं जांच करा दूंगा न।

अध्यक्ष महोदय :- विक्रम मंडावी।

<u>जिला बीजापुर में श्रमिकों का पंजीयन</u>

5. (*क्र. 608) श्री विक्रम मण्डावी : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बीजापुर जिले में दिनांक 31-12-2020 की स्थिति तक कितने श्रमिकों का पंजीयन किया

गया है? (ख) कुल कितने श्रमिकों के आवेदन लंबित हैं? विकासखण्डवार जानकारी दें? (ग) पंजीकृत श्रमिकों हेतु कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? (घ) उक्त योजनाओं का लाभ कितने श्रमिकों को दिया गया? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) बीजापुर जिले में दिनांक 31-12-2020 की स्थिति तक छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा 7808 निर्माण श्रमिक, छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा 8492 असंगठित कर्मकार तथा छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा संगठित श्रमिकों का पंजीयन निरंक है. (ख) प्रश्नांकित अवधि में बीजापुर जिले में पंजीयन हेतु लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है. (ग) पंजीकृत श्रमिकों हेतु छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं की मंडलवार जानकारी ††[2] संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (घ) प्रश्नांकित अवधि तक बीजापुर जिले में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा लाभांवित श्रमिकों की मंडलवार, योजनावार तथा विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न संशोधित प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" अनुसार है.

श्री विक्रम मंडावी :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया हुआ था। माननीय मंत्री जी का उत्तर आ चुका है। मैं संतुष्ट हूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस भी शासकीय योजनाओं के माध्यम से आपने जवाब दिया है, वह जिले में व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार नहीं हो रहा है, जिससे श्रमिकों को जो लाभ मिलना है, वह नहीं मिल पा रहा है। जो श्रमिक बाहर जा रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि थोड़ा व्यापक तौर पर बीजापुर आदिवासी बाहुल्य जिला है, वहां प्रचार थोड़ा ज्यादा हो ताकि वहां के श्रमिकों को लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम जी।

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

6. (∗क्र. 1444) श्री अरूण वोरा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 31 जनवरी, 2021 तक समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई है? जिलेवार जानकारी दें? (ख) प्रदेश में इसी अवधि में कुल कितने किसानों ने धान खरीदी हेतु पंजीयन कराया है? कितने पंजीकृत किसानों की धान खरीदी नहीं की गई है? (ग) 31 जनवरी, 2021 की स्थिति में प्रदेश के किसानों ने कुल कितने रकबा में धान की खेती की है? इसमें कितना रकबा सिंचित व असिंचित दर्ज किया गया है?

[2] † परिशिष्ट "तीन"

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी, 2021 तक समर्थन मूल्य पर 92 लाख टन धान की खरीदी की गई है. जिलेवार जानकारी ‡[3] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए 21,52,986 किसानों ने पंजीयन कराया. इनमें से 20,53,489 किसानों द्वारा धान का विक्रय किया गया तथा 99,497 किसानों द्वारा धान का विक्रय नहीं किया गया. (ग) खरीफ वर्ष 2020-21 में प्रश्नांकित अवधि तक 40,39,476 हेक्टेयर रकबे में धान की खेती की गई है. इसमें से 13,91,684 हेक्टेयर सिंचित रकबा तथा 26,47,792 हेक्टेयर रकबा असिंचित है.

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था, माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है । मेरा पूरक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन में कितने लाख हेक्टेयर में धान की खेती होती है और कितना उत्पादन होता है ?

श्री शैलेश पांडे :- माननीय मंत्री जी, अंग्रेजी में जवाब दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितने रकबे में खेती होती है और कितना पंजीयन होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं पिछली बार भी कहना चाहता था । आपकी गति थोड़ी तेज करो । आपका उत्तर देना धीमी गति का समाचार हो जाता है । अभी रंजना ने जिस तरह से प्रश्न पूछा न, उसी स्टाईल में जरा फास्ट उत्तर दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, वाल्यूम धीरे-धीरे बढ़ता है और जब बढ़ता है तो सामने वाले परेशान हो जाते हैं इसलिए हम वाल्यूम को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपका वाल्यूम प्रश्नकाल में डाऊन रहता है, बाकी समय में ज्यादा रहता है । (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अंग्रेजी में उत्तर सुनना चाहते हैं तो मैं अंग्रेजी में बता देता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप तो अंग्रेजी में स्पेशलिस्ट हो, कल आपने अंग्रेजी में भाषण दे ही दिया है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में 40,39,476 हेक्टेयर रकबे में धान की खेती की गई थी । अगर सिंचिंत, असिंचित पूछेंगे तो मैं वह भी बता दूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, यह तो आपने उत्तर में बता दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में कितने लाख हेक्टेयर में धान का उत्पादन होता है और कितना होता है ?

---

‡[3] परिशिष्ट “चार”

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, My younger friend wants to answer. चूंकि कितने रकबे में खेती होती है, मैं उसी को बता रहा हूं कि 40,39,476 हेक्टेयर में खेती हुई है ।

श्री मोहन मरकाम :- वह तो आपने बेचने का बताया ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, यह बेचने वाला नहीं है, कुल कितने रकबे में खेती होती है, वह मैं बता रहा हूं । अगर खेती वाला पूछेंगे तो वह अलग बताऊंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- अंतिम प्रश्न । 99,497 किसानों ने धान नहीं बेचा । धान नहीं बेचने का क्या कारण है, उनका टोकन कटा था क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, यह आपने अच्छा प्रश्न पूछा है । 2020-21 में कुल 21,52,986 किसानों ने पंजीयन कराया। 27,92,876 हेक्टेयर रकबे में खेती हुई, 20,53,489 किसानों द्वारा धान बेचा गया और बेचे गए धान का रकबा 24,86,690 हेक्टेयर है । इस प्रकार से 95.38 प्रतिशत किसानों ने धान बेचा है । जो किसान धान नहीं बेच पाये, उनकी संख्या 99,497 है । इसके पीछे यह कारण रहता है कि बहुत से किसानों की जमीन कम रहती है, जो उत्पादन होता है, उसे वे अपने उपयोग के लिए रखते हैं, कई किसान बीज के लिए रखते हैं, कई किसान उच्च क्वालिटी के धान की पैदावार करते हैं, जो बाजार रेट है, उस रेट में वे नहीं बेचना चाहते हैं । यह तो ऐच्छिक रहता है, किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता है । जिस किसान ने पंजीयन कराया, धान बेचने आया, हमने उसका धान खरीदा । शेष किसानों के ऊपर कोई दबाव नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे कितने किसान हैं, जिनका टोकन कटा और जिनका धान नहीं लिया गया, मोहन मरकाम जी का यह प्रश्न था, मेरा भी यही प्रश्न है कि ऐसे कितने लोग हैं, जिनका टोकन कटा और उनका धान नहीं लिया गया या उन्होंने धान नहीं बेचा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप जबरदस्ती का रकबा पढ़ रहे हैं । उन्होंने कहा कि कितने किसानों को टोकन मिला था, जो धान नहीं बेच पाये । बस इतना ही प्रश्न तो मरकाम जी ने पूछा है तो आपने आधा पन्ने का क्या-क्या पढ़ दिया ? यहां तो समझ में ही नहीं आ रहा है । आप इतना ही बताईए, जितना मोहन मरकाम जी ने पूछा । मोहन मरकाम जी वही प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हम लोग यहां से पूछ रहे थे । वहां वे अपने भाषण में आपकी पैरवी कर रहे थे । अभी उनकी अंतरात्मा जागी है, वे जानना चाहते हैं कि कितने किसान को टोकन मिला और उसमें से कितने लोग धान नहीं बेच पाए? इस इतना बता दीजिए ।

श्री अजय चनद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहन मरकाम जी का उल्लेख आया इसलिए मैं बोल रहा हूं । सारे मंत्रालय के लोग उनको इतना सारा कागज दे दिए हैं कि उनको सम्हालने के लिए वे टेंशन में हैं । उनके टेंशन को रिलीज़ किया जाये ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में अभी तक सर्वाधिक किसानों ने पंजीयन कराया, अभी तक सर्वाधिक किसानों ने धान बेचा और सर्वाधिक मात्रा में रिकार्ड 92 लाख मेट्रिक टन धान हम लोगों ने खरीदा है । जिनको भी टोकन दिया गया, उन सभी का धान खरीदा गया, कोई शेष नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप यह प्रश्न पूरी जिम्मेदारी से बोल रहे हैं ना। जितने लोगों को टोकन दिया गया, सबने धान बेचा है। ये जानकारी है, आप गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- बृजमोहन भैया, आप बहुत सीनियर हैं। आपका उत्तर हमने पिछले 15 साल से सुना है। आप किस प्रकार का उत्तर देते थे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। जितने लोगों को टोकन दिया गया, सभी लोगों का धान खरीदा गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जिनका टोकन मिला था, उन सभी का धान खरीदी लिया गया। हम ऐसी सूची प्रस्तुत कर देंगे जिनका टोकन कटा है और धान नहीं खरीदा गया, उनके धान खरीदने की व्यवस्था करेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- पंडित जी, आगे है ना। शिवरतन भैया आपका प्रश्न है ना।

अध्यक्ष महोय :- चलिये, आप उसे कर दीजिएगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी का तो बोल रहा हूं। आपके पास टोकन है, आप लिस्ट दे दीजिए। हम कहां मना कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप उनका धान खरीदेंगे क्या बता दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- वह बाद में बात करेंगे। आप उस लिस्ट को यहां पटल पर रख दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह लिस्ट हम कल लाकर दे देंगे, कल रख देंगे। कल प्रस्तुत कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- कर दीजिएगा। मैं उसमें कल व्यवस्था दूंगा।

<u>जिला कोण्डागांव में धान की कस्टम मिलिंग</u>

7. (*क्र. 977) श्री सन्तराम नेताम : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोण्डागांव में खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में समर्थन मूल्य पर कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई? विकासखण्डवार ब्यौरा दें? (ख) क्या कंडिका "क" के धान की कस्टम मिलिंग करायी गयी? यदि हां, तो कस्टम मिलिंग के लिए प्रदायित धान के विरूद्ध कितना चांवल राईस मिलर्स द्वारा जमा कराया गया? कितना जमा कराया जाना था? (घ) क्या यह सही है, कि कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के

तहत राईस मिलरों से चांवल जमा किया जाना शेष है? यदि हां, तो किन-किन राईस मिलरों से कितनी-कितनी मात्रा में?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) कोण्डागांव जिले में समर्थन मूल्य पर खरीफ वर्ष 2019-20 में 1,14,677 टन तथा वर्ष 2020-21 में 1,43,463 टन धान की खरीदी की गई. विकासखण्डवार जानकारी †[4] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) खरीफ वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलरों को प्रदाय किये गये धान 94,938 टन के विरूद्ध अनुपातिक चावल 63,808 टन राईस मिलरों द्वारा जमा कराया गया है. खरीफ वर्ष 2020-21 में दिनांक 18-01-2021 तक कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किये गये धान 20,256 टन के विरूद्ध अनुपातिक चावल 13,574 टन चावल में से 10,595 टन चावल जमा कराया गया है. (ग) खरीफ वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग उपरांत राईस मिलरों द्वारा शतप्रतिशत चावल जमा कराया गया है. खरीफ वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग की कार्यवाही प्रचलित है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। खरीफ वर्ष 2019-20 में कुल 1,14,677 टन धान खरीदी की गयी और 94,938 टन धान का कस्टम मिलिंग के लिये मिलरों को भेजा गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो शेष 19739 टन धान का किस कारण से उठाव और मिलिंग नहीं हुई ? दूसरा, अभी पुराना धान है और वर्ष 2020-21 का 20,256 टन धान का मिलिंग कराया गया। मैं जानना चाहता हूं कि पुराना धान का उठाव क्यों नहीं हुआ और वह क्यों मिलिंग नहीं कराया गया ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न मूल रूप से कोण्डागांव जिला में वर्ष 2019-20 और 2020-21 में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी, मात्रा और विकासखंड की जानकारी थी, वह दिया गया है। दूसरा, उन्होंने कस्टम मिलिंग के बारे में जानना चाहा था। वर्ष 2019-20 में कस्टम मिलिंग के लिये राईस मिलरों को प्रदाय किये गये 94,938 टन के विरूद्ध जो आनुपातिक चावल है, 63,608 टन राईस मिलरों द्वारा जमा किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रदाय किये गये धान 20,256 टन के विरूद्ध आनुपातिक चावल 13,574 टन चावल जमा किया गया। 10,595 टन चावल आनुपातिक जमा कराया गया। वर्ष 2019-20 की कस्टम मिलिंग के उपरांत राईस मिलरों के द्वारा शत-प्रतिशत चावल जमा कराया गया। इसलिए इसके संदर्भ में ऐसा कुछ है नहीं, जिसका चावल जमा नहीं कराया गया। शत-प्रतिशत चावल जमा हुआ है।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में आपका सब उत्तर आ गया है। मैं आपको यह पूछ रहा हूं कि आपने 1,14,677 टन खरीदा। आपने 94,938 टन धन बेच दिया। अभी आपके पास

[4] † परिशिष्ट "पांच"

शेष 9,739 टन धान वहां पर पड़ा है, उसका मिलिंग क्यों नहीं कराया गया और उठाव क्यों नहीं हुआ ? आप अभी इस वर्ष की धान की मिलिंग करवा रहे हो, उसका क्या कारण है, मैं यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो केन्द्रीय पुल में चावल जमा होना था, वह उसना जमा होना था। जो नियत तिथि 31 जनवरी तक की थी उसमें प्रदेश की जो मिलिंग क्षमता है, वह उतना नहीं है और हमको जो अनुमति मिली वह लेट से मिली। इस वजह से उसना जमा नहीं हो पाया। उसको हम कन्वर्ट करके हम अरवा में कर रहे हैं। उसकी कस्टम मिलिंग का काम प्रारंभ हो गया है।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि आप उसकी मिलिंग क्यों नहीं कराये, इस साल की धान का क्यों करा रहे हो ? यह तो सरकार और अधिकारियों के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है, वहां रख रखाव के कारण धान खराब हो रहा है, सरकार को क्षति और नुकसान हो रहा है। इसके जिम्मेदार कौन अधिकारी हैं, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि जो वर्ष 2019-20 का शेष धान कस्टम मिलिंग के लिये है, वह उसना का था और उसना का मिलिंग क्षमता नहीं होने के कारण, हमको देर से अनुमति मिलने के कारण वह धान शेष रहा गया है, उसको अभी हम अरवा में कन्वर्ट करके स्टेट पुल के लिये मिलिंग की कार्रवाई चल रही है।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, मेरे को स्पष्ट उत्तर चाहिए कि आखिर जो शेष धान है, वह क्यों उठाव नहीं हुआ, क्यों मिलिंग नहीं हुई और अभी इस वर्ष का आपने किस कारण से पहले मिलिंग कराया ? 20,256 टन धान का फिर मिलिंग कराया। पहले वाले धान का क्यों नहीं कराया गया और अभी वाले धान का मिलिंग क्यों कराया ? सरकार को जो नुकसान हो रहा है, जो क्षति हो रही है, मैं उसके प्रति चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि आखिर यह धान क्यों बर्बाद हो रहा है ? सरकार इसका पहले उठाव या मिलिंग क्यों नहीं करा रही है, मैं यह जानना चाह रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- पिछले साल का धान सड़ गया होगा, इसलिए नहीं करा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शेष धान है, उसका भी कस्टम मिलिंग का काम प्रारंभ है। वह सेन्ट्रल पुल का था और उसना चावल जमा करना था । चूंकि छत्तीसगढ़ में उसना की मिलिंग की क्षमता कम है और हमको सेन्ट्रल से अनुमति देर से मिली थी। अब हमने उसको स्टेट पुल में कनवर्ट कर दिया है और उसकी मिलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और वह चल रहा है1

नेता पतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और उनकी चिंता यह है कि आपने नये धान को कस्टम मिलिंग के लिए दिया है। जो पुराना धान बचा हुआ है, वह खराब हो रहा है। वह केवल इनकी क्षति नहीं है, राष्ट्रीय क्षति है। यह राष्ट्रीय क्षति है इसलिए उसको बचाने के लिए कस्टम मिलिंग होनी चाहिए। पिछली बार प्रश्न में मंत्री जी का जवाब

आया था कि हमको देर से अनुमति मिली थी तब हमने कहा था कि आप उसको पटल पर रख दीजिये, आप उसकी तारीख बता दीजिये कि आपको केन्द्र से कस्टम मिलिंग का आदेश कब प्राप्त हुआ ? तो मंत्री जी आज भी उसको पटल पर रख सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं गया था और देखकर आया हूं। ये जिस धान को लने के लिए बोले हैं, पूरे प्रदेश में कोई भी मिल वाले उस धान को नहीं उठा रहे हैं। जिस धान की बात कर रहे हैं तो उस धान में चावल ही नहीं है। वह धान तो पूरा राख हो गया है, इसलिए उससे कोई चावल नहीं आना है। पिछली बार बात हुई थी तो मंत्री जी ने कहा था कि मैं हिसाब करके बताऊंगा। अभी वर्ष 2020-21 का मिलिंग शुरू हो गया है और वर्ष 2019 की धान का चावल आया नहीं है। तो मंत्री जी स्पष्ट जवाब दें, एक तो तारीख बता दें कि कस्टम मिलिंग के लिए उनको कब आदेश मिला, आदेश की तारीख बतायें ? दूसरा, कितनी क्षति हुई है, ये क्यों बचना चाहते हैं और क्यों धोखा दे रहे हैं, इस बात को स्पष्ट करें ? फिर उसके बाद एक प्रश्न और करूंगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय नेता जी, आपने कहा हिसाब, तो किस चीज का हिसाब ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2019-20 का भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो लक्ष्य मिला था, वह 28 लाख मीट्रिक टन का मिला था और पहला आदेश 19 दिसम्बर को मिला था। जबकि सामान्यत: हमको सितम्बर-अक्टूबर में आदेश मिल जाना चाहिए। एक तो विलंब से आदेश मिला। दूसरी बात, भारतीय खाद्य निगम द्वारा हमको पूरा उसना चावल का टारगेट दिया गया था। जबकि हमारे यहां उसना धान की मिलिंग क्षमता कम है। खरीफ वर्ष 2019-20 में 24 लाख मीट्रिक टन का शुरू में 19 दिसम्बर को मिला था। हमने 24 मीट्रिक टन चावल जमा कर दिया। इसके बाद 4 लाख 10 हजार मीट्रिक टन का आदेश जून में दिया गया है। उस समय बारिश शुरू हो गई थी, उस समय 4 लाख 10 हजार मीट्रिक टन का आदेश मिला। इसमें एक तो प्रदेश में उसना धान के मिलिंग की क्षमता कम है। दूसरा, हमको जो अनुमति मिला, वह देर से मिला। जो आदेश सितम्बर-अक्टूबर में मिलना था, वह दिसम्बर में मिला। मैं इसमें मानता हूं कि 4 बार तारीख बढ़ाया गया था। लेकिन यहां उसना धान की मिलिंग क्षमता कम होने और अंतिम आदेश जून मिला। तो नेता प्रतिपक्ष जी आप समझ सकते हैं कि अगर समय के बाद आदेश मिलेगा तो कैसे होगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पहले आदेश का तारीख कौन सा बताया ?

श्री अमरजीत भगत :-19 दिसम्बर।

श्री सौरभ सिंह :- 2019

श्री अमरजीत भगत :- हां, यह 2019 का है।

श्री धरमलाल कौशिक :- 2019 में मिला न।

श्री अमरजीत भगत :- हां।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको उसका चावल कब तक जमा करना था ?

श्री अमरजीत भगत :- हमको इसका चावल करना था..।

श्री अजय चन्द्राकर :- जब मर्जी आये तब।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं-नहीं, ऐसे कैसे होगा। ..।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, हम लोग बता दें क्या ? 30 सितम्बर, 2020।

श्री अमरजीत भगत :- 30 सितम्बर तक जमा करना था।

श्री धरम लाल कौशिक :- 30 सितंबर, 2020 को इनको 28 लाख मीट्रिक टन जमा करना था और जिस प्रकार मंत्री जी बता रहे हैं वह 9.5 महीने में जमा नहीं कर पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मामला है या क्या है मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन पूरे गर्मी के समय जो कि कस्टम मिलिंग का समय है उस समय इन्होंने डी.ओ. नहीं काटा और डी.ओ. नहीं काटने के कारण बरसात आने के कारण धान सड़ गया। आज की तारीख में संतराम जी जो प्रश्न पूछे हैं वास्तव में उसमें कोई चावल नहीं है। और जिस प्रकार से मैंने उस दिन कहा था कि यह पहली सरकार है जिस सरकार ने सरकार के खजाने को चूना लगाने का काम किया है और आज भी वह बता नहीं पा रहे हैं। क्या आप माननीय सदस्य के समक्ष भौतिक सत्यापन करायेंगे क्या?

श्री अमरजीत भगत :- आप जो बोल रहे हैं, जो आदेश हमको मिला था, जो पहले आदेश हुआ था उसका समय पर चावल जमा हुआ है। आप 10 हजार मीट्रिक टन का आदेश लॉस्ट में जून में दे रहे हैं जून में कैसे होगा, उस समय बरसात शुरू हो गई थी, कोविड का पीरियड था। जबकि लॉकडाऊन लगा हुआ था और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना मुश्किल था उस समय कैसे होता।

श्री सौरभ सिंह :- लॉकडाऊन में सारी राईसमिल चल रही थी।

श्री अमरजीत भगत :- जितना समय पर आदेश मिला था उतना समय पर चावल जमा हुआ है। आपके सेंट्रल ने हमको अनुमति देने में देरी की है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसके लिए केंद्र की सरकार दोषी है क्योंकि जो अनुमति सितंबर में मिलना था उसे दिसंबर में दिया गया इसलिए इसके लिए यदि कोई दोषी है तो वह केंद्र की सरकार दोषी है।

श्री सौरभ सिंह :- सितंबर में तो आपके पास धान ही नहीं रहता, मिलिंग कैसे करेंगे। आपके पास नवंबर में धान आता। सितंबर, 2019 में तो आपके पास धान ही नहीं था। आप एक दिसंबर से तो धान खरीदी करते हैं, 19 दिन के अंदर 19 तारीख को आपके पास आदेश आ गया।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- अनुमति दे दी जाती तो यह नौबत नहीं आती।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आने की प्रत्याशा में अनुमति दी जाती है। पहले अनुमति मिलती थी। इसके पहले केंद्र की सरकार से एडवांश में अनुमति मिलती थी। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय एडवांश में अनुमति मिलती थी। इसके लिए केंद्र की सरकार दोषी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मंत्री जी अक्षम हैं क्या जो आप बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बताया, वह अक्षम नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल को प्रश्नकाल रहने दीजिए ना। नेता जी, अंतिम प्रश्न में आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार जिस प्रकार से सरकार की नीति रही है उसके कारण भारी क्षति हुई है। मंत्री जी मानने को तैयार नहीं हैं। अभी भी वर्ष 2019 के धान की कस्टम मिलिंग नहीं हो रही है, वर्ष 2020 के धान की कस्टम मिलिंग हो रही है क्योंकि मंत्री जी को मालूम है कि उसमें चावल निकलेगा नहीं। माननीय सदस्य और हम लोग चाहते हैं कि उनके समक्ष स्टेकिंग पाईंट की जांच हो जाए और जांच हो जायेगी तो ये पता लग जायेगा कि वास्तव में नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। इतना केवल मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सौरभ सिंह जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारे संतराम नेताम जी अक्षम थोड़ी हैं, उनके प्रश्न में बीच में क्यों पूछ रहे हो?

श्री सौरभ सिंह :- वह मेरे को दिये हैं। आपसे पूछकर नहीं बोल रहा हूं, उनसे पूछकर बोल रहा हूं। उन्होंने मुझे निर्देश दिया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी उन्होंने कहा कि मंत्री अक्षम हैं क्या, आपने कहा न कि मंत्री जवाब देने के लिए अक्षम हैं क्या तो हमारे सदस्य भी जवाब करने के लिए सक्षम हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- भैय्या, ठीक से लेजिस्लेशन सीखो ना।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लेजिस्लेशन मुझको मालूम है इसीलिए मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि मंत्री अक्षम है क्या, मैं तो उसी को पूछ रहा हूं और अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा हमारे सर आंखो पर। आप अध्यक्ष जी के आदेश पर न कहें।

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX][5]

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैय्या, हम अध्यक्ष जी का बहुत सम्मान करते हैं और उनको सुबह-शाम प्रणाम भी करते हैं। आप ऐसा मत बोलिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं। सम्मान हम भी आपका

[XX][5] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

कर रहे हैं। संतराम जी का प्रश्न था, अध्यक्ष जी ने अनुमति दी थी, इसलिए पूछ रहे है इसमें क्या आपत्ति है।

श्री रविंद्र चौबे :- अध्यक्ष जी, माननीय धर्मजीत भैय्या ने जो कहा सब विलोपित कराईये। हम आसंदी का पूरा सम्मान करते हैं, उन्होंने कहा कि [XX][6] यह बिल्कुल गलत बात है और गलत प्रवृत्ति है।

अध्यक्ष महोदय :- करा दिया।

श्री अजय चंद्राकर :- [XX]

श्री रविन्द्र चौबे :- यह बिल्कुल गलत है आप इसको विलोपित करायें। आप बहुत वरिष्ठ हैं, जो अधिकार आपका है वह अधिकार उनका है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप विलोपित कर दीजिए ना। आपको जो मैं कह रहा हूं, कर दीजिए लेकिन आदरणीय रविंद्र चौबे जी आपसे विनम्र आग्रह है कि आप इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, [XX] आदरणीय आप हमको बोल रहे हैं खुद बोल रहे हैं। आप विलोपित कर दीजिए। लेकिन थोड़ा पीछे तरफ से भी विलोपित करवाते रहिए।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 26.01.2021 तक मेरे आज परिवर्तित तारांकित प्रश्न के जवाब में आया है 635 करोड़ रूपये का धान आज भी संग्रहण केन्द्र में है मूल्य। मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बलौदा बाजार जिले का धान जांजगीर-चांपा जिले में मिलिंग के लिए आया था।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे उद्भुत नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, आप प्वाईंटेड प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रवास में थे इस विषय में आधे घण्टे की चर्चा स्वीकृत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्टेट पुल में अब मिलिंग शुरू करवायेंगे। उसी दिन कैबिनेट हुई कि अब केन्द्रीय पुल में नहीं। इसमें वह नियम की कॉपी-वॉपी बाद में मांगेंगे। अभी कोण्डागांव में जो धान शेष है वह मिलिंग के लायक है या नहीं है? उसकी क्वालिटी का सत्यापन करवायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। उन्होंने सुन लिया। आप बताएं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव जिले में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में फोर्टीफाईड चावल पीडीएस में देना प्रस्तावित है और शासन का निर्देश है। उसी के तहत मिलिंग में थोड़ा समय लग रहा है, शासन का जो निर्देश है उसी के तहत। इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :-आप उत्तर दे रहे हैं या प्रश्न कर रहे हैं?

[XX][6] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री मोहन मरकाम :- नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी है इसलिए मैं जानकारी देना चाह रहा था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री बन गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अब आपको अवसर नहीं मिलेगा।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो मूल प्रश्न है। मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- आप निकाल लीजिए कि आपको क्या पूछना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप अपने प्रश्न पूछने का समय गंवा दिये, उनको पूछने का अवसर मिला।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी, उसमें मेरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप बतायें। आप 4 प्रश्न पूछ चुके हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सेन्ट्रल पुल और स्टेट पुल वर्ष 2019-20 में जो 83 लाख, 94 हजार मिट्रीक टन धान की खरीदी हुई थी। उसमें 31.01 की स्थिति में सुखद उपरांत 2.26 टन मतलब, जो रिकॉर्ड में है 3.44 मीट्रिक टन है जिसका निराकरण संग्रहण केन्द्रों में शेष है तो इसका जो सेन्ट्रल पुल में उसना में जमा करना था, उसना की मिलिंग क्षमता कम होने के कारण 31 जनवरी तक चावल जमा करना था जो डेट था वह समाप्त हो गया तो हम इसको स्टेट पुल में कनवर्ट करके नागरिक आपूर्ति का चावल जमा होगा, इसकी मिलिंग की कार्यवाही चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। संतराम जी अंतिम प्रश्न कहा है तो अंतिम प्रश्न करें।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम का उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि 19739 टन वहां पर बढ़त है जो वहां रखा हुआ है उसकी स्थिति आज की डेट में, मिलिंग की स्थिति में है या नहीं ? और जिसने भी खराब किया है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या ? और भविष्य में पूरे प्रदेश में, हमारे कोण्डागांव में नहीं धान का रख-रखाव नहीं हो पा रहा है जिसके कारण सरकार को क्षति हो रही है। इसकी आने वाले समय में व्यवस्था करवायेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- देखिए। माननीय संतराम नेताम जी को पूरी तरह संतुष्ट करिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी मिलिंग कराई जा रही है। डी.ओ. कटना शुरू हो गया है और सबकी मिलिंग होगी, कहीं कोई क्षति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती ममता चन्द्राकर जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप यह सब चावल को फोर्टिफाईड चावल में भेज दीजिएगा। आप क्या फोर्टिफाईड चावल बना रहे हैं, उसमें भेज दीजिएगा ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बात को बोल रहे हैं कि वह मिलिंग के लायक नहीं है और ये सेन्ट्रल पुल, स्टेट पुल, यह मतलब नहीं है। उसमें केवल यह है कि जो धान बचा हुआ है वह धान राख हो गया है। अच्छे धान को बेच दिये हैं। अब जो बता रहे हैं वह कस्टम मिलिंग के लायक नहीं है राईस मिल वाले को आदेश दिये हैं राईस मिल वाले नहीं उठा रहे हैं। हम लोगों की केवल एक मांग है जो स्टेकिंग प्वाईंट है वह कस्टम मिलिंग के लायक धान है या नहीं है ? उसकी जांच होनी चाहिए । हम आपसे आग्रह करते हैं कि सदन की कमेटी बनाकर उसकी जांच करा दीजिए तो चावल होगा तो चावल आ जाएगा। यदि नहीं होगा तो नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- मुझे चन्द्राकर जी ने बताया है कि मेरी अनुपस्थिति में ..।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। इसमें आधे घण्टे की चर्चा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आधे घण्टे की चर्चा में जवाब देंगे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी, मूल प्रश्नकर्त्ता तो संतुष्ट होकर बैठ गये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बैठे नहीं है। कहां बैठे हैं। वह मांग किये हैं और पूरे प्रदेश की मांग किये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय नेता जी, मूल प्रश्नकर्त्ता तो संतुष्ट होकर बैठ गये। आप पूछ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, माननीय मंत्री जी, संतुष्टि का सबका अलग-अलग समय होता है। नेताम जी संतुष्ट है इसलिए कौशिक जी संतुष्ट हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इनको भी संतुष्ट करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह तो कभी संतुष्ट हो नहीं सकते।

श्री अजय चन्द्राकर :- इनको फर्क पड़ेगा तब तो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदयय, उसकी जांच हो जाये। यह राष्ट्रीय क्षति है। इसका आकलन नहीं होगा, जांच नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सावधानी कैसे बरतेंगे?

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप बैठेंगे तब तो मैं कुछ बोलूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं बैठ जाता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, मैंने इसके बारे में बहुत विस्तार से उत्तर भी दिया। आपकी चिंता को भी मैं समझता हूं। काश अगर आप सही में चिंता करते।

श्री अजय चन्द्राकर :- अमरजीत जी, दूसरों को उत्तर सही तरीके से देते हैं, आप अपना उत्तर सही तरीके से नहीं देते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- मैं नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न का जवाब दे रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब भी नेता प्रतिपक्ष जी प्रश्न पूछते हैं तो बीच में उसको व्यवधान डालते हैं। उनको जान-बूझकर परेशान करना रहता है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी ने जो चिंता जाहिर की, ठीक है। आप किसान हैं, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में सही में चिंता करते तो जब-जब किसानों के ऊपर दिक्कत आई तो आप एक बार भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखते। जो सिंतबर- अक्टूबर में अनुमति मिलनी थी, वह जाकर के दिसंबर में अनुमति मिल रही है। अंतिम टारगेट जून में बढ़ाया गया है। इस प्रकार से आप केवल दिखावा की राजनीति करेंगे, केवल घड़ियाली आंसू बहायेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप एक बार बात करते, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री मंत्री जी के साथ जिस स्थिति के बारे में बोले, रायपुर का नवापारा, सिमगा, भाटापारा, बिलासपुर, मुंगेली, मोपका है, उनके जिला में वह जहां कहीं भी ले जाना चाहें, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूं।

श्री अमरजीत भगत :- अगर किसानों के प्रति प्रेम है, एक भी चिटठी लिखी है तो आप दिखा दीजिए। नेता जी, अगर आपने एक चिट्ठी किसानों के लिए लिखी होगी तो दिखा दीजिए। केवल भाषण करना है, राजनीति करना अलग बात है। धान खरीदी की अनुमति के लिए, बारदाने के लिए हम लोग इतना परेशान रहते हैं। भारत सरकार सुनती नहीं है। अभी सेन्ट्रल पूल में चावल जमा कराने के लिए कितने प्रयासरत हैं, हमारा टारगेट बढ़ाया जाये, 60 लाख से घटाकर 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया जाता है। आप लोग एक लाईन नहीं बोलते हो। आप भी छत्तीसगढ़ के हो, आप भी किसान हो, किसानों के लिए आपका भी प्रेम है। अगर आप खेती-किसानी करते हैं, किसानों के लिए राजनीति करना चाहते हैं तो आपको एक लाईन बोलने में, एक चिट्ठी लिखने में क्या दिक्कत जाती है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- किसानों के बारे में थोड़ा सड़क में भी आकर देखो।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि आप जहां ले जाना चाहें, वह आपके साथ जायेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, प्रश्न चूंकि किसानों का है, पूरे प्रदेश से संबंधित है। अगर आप कुछ चिट्ठी इनसे लिखवाना चाहते हैं तो आप इनसे व्यक्तिगत मिलकर चिट्ठी लिखवाईये।

<u>जिला कबीरधाम में अजाक थाना में पंजीकृत प्रकरण</u>

8. (*क्र. 1056) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कबीरधाम में अजाक थाना में अ.जा.-अ. ज. जा. के कितने केस दर्ज किये गये हैं? वर्ष 2017-18

में जनवरी, 2021 तक कितने केस हुए हैं? इन केस में कितनी राशि शासन द्वारा प्रदाय की गयी है? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : प्रश्नाधीन अवधि में जिला कबीरधाम के अजाक थाना में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के तहत दर्ज प्रकरणों की संख्या निरंक है. किन्तु जिले के अन्य थानों में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों व शासन द्वारा प्रदाय की गई राशि की विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न[7] परिशिष्ट पर दर्शित है.

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है, पर इसमें सहसपुर लोहारा और पंडरिया ब्लाक में पीड़ितों को जो राशि प्रदान करनी है, उसका उल्लेख नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इसमें दोनों ब्लाक का उल्लेख क्यों नहीं हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय माननीया सदस्य ने प्रश्न किया, उस समय यहां राशि स्वीकृत नहीं हुई थी। पर आपको जानकारी दे देता हूं कि आज की तारीख में अब पूरी राशि स्वीकृत कर दी गई है।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि पीड़ितों को किन-किन प्रकरणों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय :- वैसै आपका विधानसभा क्षेत्र और इनके विधानसभा क्षेत्र में कितनी दूरी है ?

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- 100 किलोमीटर दूरी है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर राशि होती है। सामान्य तौर पर जैसे हत्या का है, पहले जब एफ.आई.आर. होती है, एम.एस.सी. होता है तो 50 प्रतिशत राशि देते हैं। फिर उसके बाद जब द्वितीय चरण में न्यायालय में पेश होता है तो 25 प्रतिशत राशि देते हैं। जब न्यायालय में फैसला हो जाता है तो फिर 25 प्रतिशत राशि देते हैं। वैसे 8 लाख 25 हजार उसकी कुल राशि बनती है। लेकिन अलग-अलग प्रकरणों में गुण-दोष के आधार पर यह कम ज्यादा होता है। बलात्कार के प्रकरण में 5 लाख तक जाता है, सामूहिक बलात्कार आदि सभी में अलग-अलग गुण-दोष के आधार होता है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्रीमती ममता चन्द्राकर :- जी हो गया।

[7] परिशिष्ट "छ"

समितियों एवं मिलर्स को शासन द्वारा भुगतान राशि

9. (*क्र. 1440) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदने हेतु सहकारी समितियों को राज्य शासन द्वारा खर्च एवं कमीशन के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? कस्टम मिलिंग करने पर राज्य शासन द्वारा मिलर्स को प्रति क्विंटल कितना भुगतान किया जाता है? (ख) क्या धान उपार्जन करने वाली समितियों को तथा मिलर्स को सन् 2019-20 तथा 2020-21 का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो यह भुगतान कब किया गया? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु सहकारी समितियों को प्रासंगिक व्यय की राशि का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रचलित कार्यवाही अनुसार होने, धान सुरक्षा एवं भण्डारण हेतु 03.00 रुपये प्रति क्विंटल, समिति का कमीशन धान कॉमन हेतु 31.25 रुपए एवं धान ग्रेड ए हेतु 32.00 रुपये प्रति क्विंटल प्रदाय करने का प्रावधान है. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु अरवा मिलिंग दर 10.00 रुपये प्रति क्विंटल एवं उसना मिलिंग के लिए 20.00 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाता है, इसके अतिरिक्त अरवा मिलिंग हेतु मिलर द्वारा 2 माह की मिलिंग क्षमता के बराबर धान की कस्टम मिलिंग कर संपूर्ण चांवल जमा करने पर 30 रुपये की क्विंटल प्रोत्साहन राशि, 2 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक एवं 6 माह की मिलिंग क्षमता तक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर 40 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि तथा 06 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर 45 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि एवं उसना मिलिंग हेतु 02 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक एवं 6 माह की मिलिंग क्षमता तक धान की कस्टम मिलिंग कर चांवल जमा करने पर 10 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि तथा 6 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर 15 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है.(ख) खरीफ वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान के लेखा मिलान उपरांत समितियों को देय राशि का भुगतान दिनांक 20-08-2020 से 15-12-2020 तक किया गया है. खरीफ वर्ष 2020-21 में समितियों को देय प्रासंगिक व्ययों की राशि का भुगतान उपार्जन केन्द्रों के अंतिम लेखा मिलान के पश्चात किया जावेगा. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मिलर्स द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान की कार्यवाही की जा रही है तथा शेष धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण होने एवं मिलर्स द्वारा प्रस्तुत देयक के परीक्षण उपरांत शेष मिलिंग राशि का भुगतान किया जावेगा. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग का देयक प्रस्तुत नहीं किया गया है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने संशोधित उत्तर दिया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रासंगिक व्यय की राशि का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रचलित कार्यवाही होने पर। 2019-20 और वर्ष 2020-21 की समिति का गठन कब हुआ, उसके कौन-कौन सदस्य थे और उन्होंने क्या प्रासंगिक दर निर्धारित की ?

अध्यक्ष महोदय :- कौन-कौन सदस्य थे, क्या इससे उद्भुत होता है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संशोधित उत्तर में उन्होंने दिया है, प्रासंगिक व्यय की राशि का निर्धारण भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति के द्वारा प्रचलित कार्यवाही होने पर ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, तब उद्भुत होता है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य स्तर पर मंत्रिमण्डीय उप समिति बनी है और उसके जो सदस्य हैं माननीय कृषि मंत्री जी हैं, माननीय मोहम्मद अकबर जी हैं, माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह जी हैं, माननीय उमेश पटेल जी हैं । इसमें बैठक हुई है और आप जो प्रासंगिक व्यय के निर्धारण की बात कर रहे हैं वह भारत सरकार स्तर पर इसका जब फाईनल होगा तब इसके आगे की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि मंत्रिमण्डल की उपसमिति गठित हुई है । पहले तो यह स्पष्ट करें कि क्या इस उप समिति का गठन भारत सरकार के निर्देश पर हुआ है, एक ? दूसरा मैंने यह पूछा कि क्या वर्ष 2019-20 और 2020-21 के प्रासंगिक व्यय का निर्धारण हो गया?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 का प्रासंगिक व्यय के लिये निर्धारण हो गया है और वर्ष 2020-21 का अभी नहीं हुआ है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक उत्तर नहीं आया कि क्या यह जो उपसमिति मंत्रिमण्डल की बनी, क्या वह भारत सरकार के निर्देश पर बनी ? आपने जो संशोधित उत्तर दिया है, उसमें आपने लिखा है कि भारत सरकार के निर्देश पर गठित राज्य स्तरीय समिति । आपने कहा कि मंत्रिमण्डल की उपसमिति बनी तो क्या यह मंत्रिमण्डल की उपसमिति भारत सरकार के निर्देश पर बनी ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी राज्य सरकारें एम.एस.पी. पर धान खरीदी करती हैं, सेंट्रल का जो पूरा गाइडलाईन रहता है उसको फॉलो करती हैं । चाहे वह खरीदी से संबंधित हो, चाहे वह भुगतान से संबंधित हो तो यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जो भी यहां कार्यवाही की गई है वह गाइडलाईन के अनुरूप किया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2019-20 के समितियों के कमीशन का, प्रासंगिक व्यय का पूरा भुगतान हो गया ? आप यह बता दें कि जो पूरा भुगतान हुआ है उसमें समितियों में जो शॉर्टेज आया है उस शॉर्टेज की वसूली आपने किस ढंग से की है ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 का भुगतान हो गया है, कमीशन की राशि वर्ष 2019-20 में 262 करोड़ 80 लाख, प्रासंगिक व्यय, लेबर चार्ज 75 करोड़ 16 लाख, सुरक्षा एवं रखरखाव में 25 करोड़ 5 लाख और जो शेष है, शून्य शॉर्टेज की समिति को प्रोत्साहन की प्रकियाधीन, यह प्रक्रियाधीन है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया कि आप जो कमीशन का और प्रासंगिक व्यय का भुगतान कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप 3 प्रश्न कर चुके हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पूरा देख लीजिये कि मेरे एक भी प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आप असंतुष्ट हैं तो बोल दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असंतुष्ट नहीं हूं । मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूं कि माननीय मंत्री जी सही उत्तर दे दें । मैंने पूछा कि क्या मंत्रिमण्डल की उपसमिति भारत सरकार के निर्देश पर गठित हुई उसका जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय :- वह नहीं आयेगा न, जिसका आयेगा वह आयेगा ।

श्री अमरजीत भगत :- मैंने बोला कि भारत सरकार...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा प्रश्न किया कि आपने समितियों का पूरा भुगतान कर दिया और यदि भुगतान कर दिया तो समितियों में जो शॉर्टेज आया था, उसकी वसूली आपने किस ढंग से की, उसका जवाब नहीं आया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपका निर्देश जारी हो कि सारी बातों का ये जवाब दें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति को जो प्रोत्साहन राशि है इसका शून्य शॉर्टेज होने पर इसका मिलान अभी जब कंपलीट होगा, उसका डेटोशीट आ जायेगा इसके बाद इसका होगा । अभी प्रक्रियाधीन है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसी विधानसभा में वर्ष 2019-20 में...।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिए न । 4 प्रश्न से ज्यादा हो रहा है, आप आजू-बाजू वालों को बोल दीजिए, आपका प्रश्न पूछ लें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न कर लेता हूं । माननीय मंत्री जी ने इसी विधानसभा में स्वीकार किया कि वर्ष 2019-20 में समिति स्तर पर 44 हजार मीट्रिक टन धान का लॉस हुआ है और मैंने आपके माध्यम से जो प्रश्न किया, उसमें यह पूछा है कि जो लॉस हुआ है इसकी वसूली आपने कमीशन से या प्रासंगिक व्यय की राशि से वसूली की, उसका उत्तर आपने नहीं दिया । अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि चूंकि आपने अपने उत्तर में प्रोत्साहन राशि देने का उल्लेख किया है तो आप किस-किस स्तर पर राईस मिलर्स को कितनी प्रोत्साहन राशि देंगे ? प्रोत्साहन राशि कितने मिलर्स को दी, 2019-20 का मिलर्स का कितना भुगतान बाकी है और मिलर्स के भुगतान के लिए विभाग ने कोई समय सीमा निर्धारित की है क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, जल्दी उत्तर दीजिए । अगला प्रश्न लक्ष्मी ध्रुव का है, महिला सदस्य हैं उनको पूछने दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, जिसका-जिसका बिल सबमिट हो रहा है, जिसका क्लीयर होता जा रहा है, उसका भुगतान कर रहे हैं । जिसका मिलान बचा है उसका प्रक्रियाधीन है । अगर स्पेसीफिक कहीं का आपका प्रश्न हो तो बता दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न किया है । कितने मिलर्स को आपने प्रोत्साहन राशि दी । मिलर्स के भुगतान के लिए कोई समय सीमा है क्या । स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं तो आप स्पष्ट उत्तर दे दीजिए ना ।

अध्यक्ष महोदय :- लक्ष्मी ध्रुव ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आ जाए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बाकी सदस्यों को मौका दिया जाए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है ।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो वे पूछ रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने जो पूछा उसका उत्तर तो दे दें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- बाकी सदस्यों को समय नहीं मिल पा रहा है, उनको मौका दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी पूछिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, आपके कहने के पश्चात् ही मैंने प्रश्न किया है । मेरे प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी दे तो दें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको जबरदस्ती थोड़े ही कर सकते हो कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो । अगर आपके प्रश्न का उत्तर उनके पास है, उससे आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, अन्यथा मत होइए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता लेकिन आसंदी तो उनको निर्देशित कर सकती है कि वे प्रश्नों का उत्तर दें । मैं जो उत्तर चाहता हूं वह देने के लिए उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता लेकिन आसंदी तो निर्देशित कर सकती है । आसंदी तो निर्देशित कर सकती है कि वे प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री अमरजीत भगत :- मैं उत्तर दे रहा हूं लेकिन आप बैठो तो । आप बैठोगे तब ना ।

अध्यक्ष महोदय :- उन पर आप आरोप लगा सकते हैं, मगर आप उन पर...। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आरोप तो लगा ही नहीं सकते । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हम अपेक्षा तो कर सकते हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन शर्मा जी, 2019-20 में जो मिलर्स को 2862 बनना है उसमें से उनको 630 करोड़ भुगतान होना है । अभी तक 2108 बिल बना है उनको 404 करोड़ का भुगतान हो गया है और जो भुगतान किए गए बिलों की संख्या 1092 मिलर्स को 385 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है और जैसे जैसे बिल आ रहा है उनका भुगतान किया जा रहा है । जैसे जैसे बिल आ रहा है, मिलान करके उनका भुगतान किया जा रहा है ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय शिवरतन शर्मा जी का बिल बचा होगा इसलिए प्रश्न कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी का प्रश्न, इस पर अंतिम है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा स्पेसीफिक प्रश्न है कि मंत्री जी एक क्विंटल चावल के पीछे कुल कितना प्रसंगिक व्यय होता है और उस पूरे प्रासंगिक व्यय का भुगतान कर दिया गया है । हमारी मिलिंग में देरी होने का कारण भी यही है कि हम भुगतान नहीं करते हैं उसके कारण मिलिंग नहीं हो पाती है । इसलिए वह एक क्विंटल के पीछे टोटल कितना प्रासंगिक व्यय होता है और उसका पूरा भुगतान हो गया है क्या और नहीं हुआ है तो कब तक कर देंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, 2019-20 और 2020-21 में प्रासंगिक व्यय 9 रूपया प्रति क्विंटल है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप गलत बता रहे हैं । प्रासंगिक व्यय में सब प्रकार के व्यय शामिल हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बाकी पूछेंगे तब बताउंगा ना । आपने प्रासंगिक व्यय के बारे में ही पूछा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रासंगिक व्यय का मतलब क्या है । टोटल व्यय, एक क्विंटल के पीछे ।

श्री अमरजीत भगत :- प्रासंगिक व्यय में लेबर चार्ज, कमीशन, समिति को जो मिलता है 31रूपया 25 पैसा मोटे धान में और 32 रूपया पतले धान में । प्रासंगिक व्यय लेबर चार्ज 9 रूपया मिलता है और सुरक्षा एवं रख रखाव में 3 रूपया, शून्य शॉर्टेज होने की स्थिति में 4 रूपया जिसे 2020-21 के लिए 5 रूपया किया गया है । इस प्रकार से समिति को जो मिलता है 47 रूपया 25 पैसा प्रति क्विंटल मोटे धान में और 48 रूपया प्रति क्विंटल पतले धान में ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं डीटेल नहीं चाहता । ये प्रासंगिक व्यय के लिए केन्द्र सरकार को लिखते हैं कि हमारा एक क्विंटल के पीछे 300 रूपया खर्च हुआ, 350 रूपया खर्च हुआ, 400 रूपया खर्च हुआ । तो प्रासंगिक व्यय एक क्विंटल के पीछे कितना खर्च हुआ, वह बता ही नहीं पा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। न प्रासंगिक का बता रहे हैं, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- प्रति क्विंटल के पीछे प्रासंगिक व्यय कितना आता है और जिन्हें आपने भुगतान कर दिया है, उसकी समय-सीमा क्या है? (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- भुगतान की समय-सीमा तय होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- कस्टम मिलिंग में भुगतान नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भुगतान की समय-सीमा तय होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्रकार :- मंत्री जी ने अभी तक एक भी उत्तर नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- भुगतान की समय-सीमा तय होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपने भुगतान की योजना नहीं बनायी। कोई भी उत्तर नहीं आया। इसलिए मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर हम लोग सदन से बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
11.55 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. लक्ष्मी ध्रुव ।

<u>सिहावा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सिहावा-बोराई मार्ग की मरम्मत</u>

10. (*क्र. 522) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिहावा से बोराई सड़क मार्ग के निर्माण के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई थी? निर्माण कार्य कब पूर्ण किया गया? (ख) क्या वर्तमान में उक्त मार्ग अत्यंत जर्जर स्थिति में है? यदि हां, तो कब तक मरम्मत कर लिया जायेगा?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) राशि रु. 5410.49 लाख. दिनांक 31-12-2017. (ख) जी नहीं. प्रश्न ही नही उठता है.

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से प्रश्न पूछा था। बोराई का सड़क मार्ग बहुत खराब था, जो वर्ष 2017 में बना था, लेकिन अभी वह सड़क बन गया है। उसमें जो परेशानियां थीं, वह ठीक हो गयी हैं। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार यादव। पूरे 4 मिनट हैं। आप हिसाब से पूछो।

<u>जिला जांजगीर चांपा में मिट्टी तेल (कैरोसिन) का आवंटन</u>

11. (*क्र. 1493) श्री रामकुमार यादव : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से अब तक मिट्टी तेल (केरोसिन) का कितना-कितना आवंटन प्राप्त हुआ? वर्षवार एवं माहवार जानकारी देवें? (ख) क्या 2018-19 की तुलना में वर्तमान में आवंटन कम हुआ है? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जानकारी †[8] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी हां, भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से पीडीएस केरोसिन का आवंटन कम प्राप्त होने के कारण जिलों का आवंटन कम हुआ है.

श्री रामकुमार यादव :- मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहथव कि हमर जांजगीर जिला में वर्ष 2018-19 में कतका कन हमन ला माटी तेल मिलत रहिसे। अउ ओ का कारण हे कि अभी माटी तेल के आबंटन कम होगे हे। मे हा माननीय मंत्री जी से जानना चाहथव।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कैरोसिन का आबंटन भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2018-19 के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है तो वर्ष

[8] † परिशिष्ट "सात"

2018-19 में 5376 किलो लीटर, वर्ष 2019-20 में 4848 किलो लीटर और वर्ष 2020-21 में 3288 किलो लीटर मिला है। लगातार कम करने के पीछे भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, उसमें उन्होंने कहा है कि जहां पर एल.पी.जी. गैस है, ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्युतीकरण किया गया है, इस कारण से उसे आधार मानकर के लगातार भारत सरकार इसमें आबंटन कम कर रही है और जब राज्य का आबंटन कम कर दे तो स्वाभाविक रूप से जिले का भी आबंटन कम हो रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहथव कि 360 से 280 लीटर, 480 से 276 लीटर, आज यह माटी तेल हा गरीब मन के मामला होथे। जंगल में रहने वाला गरीब। गांव में रहने वाला गरीब। बड़े आदमी माटी तेल के उपयोग नहीं करे। गरीब आदमी माटी तेल के उपयोग करथे। आज जैसे बड़े आदमी के हवाई जहाज के सुविधा ला कम कर दे तो हाय तौबा मच जाथे, वैसी ही माटी तेल हा हम गरीब मन के सब कुछ हे। हमन गरीब आदमी मन के झोपड़ पट्टी में माटी तेल नहीं रहे तो बड़ा सुना लगथे। काबर माटी तेल हमर सब कुछ हे। आगी बारना हे तो माटी तेल। कोनो बीत गिसे तो माटी तेल। तो माटी तेल मा कमी काबर कम होइस, अउ मे हा ए कहना चाहथव कि आप मोदी जी ला चिट्ठी लिखे हो का कि आप गरीब आदमी बर अनदेखा काबर करथव। मेहा गरीब के बेटा हो। मोदी जी ला आप चिट्ठी लिखे हो का कि माटी तेल ला बढ़ाही तेकर बर।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता की है, वह एकदम सही है और इस संबंध में लगातार जो मिट्टी तेल का आबंटन कम होने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने स्वयं माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री जी को पत्र लिखा है और बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। इसमें कैरोसिन के कोटा में वृद्धि किये जाने हेतु भारत सरकार को पत्र 26 मार्च, 2019 को, 29 जून, 2019 को एवं 21 सितंबर, 2020 को अवगत कराया गया है, परंतु भारत सरकार ने इस पर अभी तक कोई आबंटन नहीं बढ़ाया है। जैसे ही वहां से कोई कार्यवाही होगी तो हम माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहाथव कि ऐसे चिन्हांकित जिला जैसे मैं खुद ओ घर के आदमी हो तेखर बर जानथव माटी तेल हा गरीब आदमी के सब कुछ हे। तो आप जो हे अच्छा करवेव कि चिट्ठी लिखेहव अउ मेहा कहाथव कि कड़क चिट्ठी लिखव।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछो।

श्री रामकुमार यादव :- माटी तेल हा गरीब आदमी के सब कुछ हे। अउ दोबारा चिट्ठी लिखव अउ सदन ला बतावव कि यह पूरा प्रदेश जाने कि माटी तेल मा कमी काबर होइसे तेला।

श्री अमरजीत भगत :- भारत सरकार को पत्र भेजे हैं। हम पुन: भेज देंगे और हम लोग भी इसलिए चिंतित हैं कि प्रदेश का जो कैरोसिन का कोटा घट रहा है, इसे भारत सरकार बढ़ाए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, एक और प्रश्न पूछ जो रामकुमार जी।

श्री रामकुमार यादव :- मोर ओही बस कहना हे कि ए विपक्ष मन गरीब मन के अब्बड़ चिंता करथे, लेकिन आज गरीब मन के अनदेखा करथे। तो उहू मन के ओमा दस्तखत करवा लो।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी को माटी तेल बांटने के लिए साथ में लेकर जाना।

श्री सौरभ सिंह :- वैरी पूअर। वैरी पूअर।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- शून्यकाल में बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो रहने दीजिए, अभी तो कई अवसर आएंगे, पूरे बजट पर चर्चा होनी है । आप जरा दया कर दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं शून्यकाल में कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के विधायक माननीय शैलेश पांडे के साथ 4 जनवरी को घटना हुई । वह किसी दल विशेष की घटना है, यह मैं नहीं मानता । कौन क्या करता है, यह विषय नहीं है । विषय यह है कि उनके साथ जो बदसलूकी हुई, वह मैंने लिखकर प्रमाणित पेपर के साथ आपको दी है । यदि लोकतंत्र में विधायक सुरक्षित नहीं है, यदि लोकतंत्र में सरे आम विधायक से बदसलूकी होती है तो उसका क्या दबाव रहेगा, क्या इज्जत रहेगी और क्या वह अपने कार्यों का निष्पादन कर सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसके बाद मेरा एक और विशेषाधिकार है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने और मेरे साथियों ने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है, मैं चाहता हूं कि आप इसमें जरूर चर्चा करवाएं, नहीं तो यह घटना किसी भी विधायकों के साथ घटेगी, उसकी दलीय मामला या और कोई मामला है, यह करके टाल दिया जाएगा इसलिए यह जरूरी है कि विधायिका का सम्मान बहाल हो, विधायकों का सम्मान बहाल हो । यह विधान सभा विधायकों के मामले में सदा एक रहेगी ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विशेषाधिकार है, उसमें मैं बोल देता हूं । इस विधानसभा सत्र की अधिसूचना 21 जनवरी, 2021 को हुई। मुख्यमंत्री जी ने 4 फरवरी को दुर्ग में घोषणा किया कि हम चंदूलाल चन्द्राकर अस्पताल का शासकीयकरण करेंगे और राज्यपाल के अभिभाषण में भी आ गया । विधान सभा की अवमानना की ऐसी घटनाएं कि विधान सभा की अधिसूचना होने के बाद नीति विषयक घोषणाएं सदन के बाहर में हो, यह हम आपको विशेषाधिकार भंग की सूचना आपको और दे चुके हैं । यह दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी जैसे सदन के नेता सारी प्रक्रियाओं को जानने वाले लोग विधान सभा की अवमानना कर रहे हैं, इसमें भी हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है । आपसे आग्रह है कि इस पर विचार करके इस पर चर्चा जरूर करवाएं ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, सदन में विधायकों को विशेषाधिकार प्रदान किया गया है और कोई क्षेत्र का विधायक...।

अध्यक्ष महोदय :- आप उसी शब्द को उठाएंगे, जिसको चन्द्राकर जी ने कहा है या कोई दूसरा विषय उठा रहे हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने भी विशेषाधिकार की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसी विषय पर दिया है न ?

श्री शिवरतन शर्मा :- विषय वही है, पर जब विधायक अपने विधायकी के काम करने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने जाए और वहां उसके साथ झूमा-झटकी हो, उसके साथ मारपीट हो, पुलिस उस पर संज्ञान भी न ले, पुलिस उस पर कार्यवाही भी न करे तो लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा । हमने इस पर विशेषाधिकार की सूचना दी है, आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा कराईए ।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी । आपका क्या है ?

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- हमारा विशेषाधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनका, पीछे वाले का ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैंने शून्यकाल की सूचना दी है । जिला जांजगीर-चांपा में धान खरीदी के प्रभारीगण 1 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं और इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि उनकी समिति में धान का उठाव नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि अभी यहां पर मंत्री जी भी नहीं हैं । आपका ध्यानाकर्षित करने का कोई अर्थ नहीं है ।

(श्री नारायण चंदेल के खड़े होने पर)

अध्यक्ष महोदय :- अभी मंत्री जी नहीं हैं, किसका ध्यानाकर्षित करेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- मेरा दूसरा विषय है ।

अध्यक्ष महोदय :- कोई मतलब नहीं है, बाद में कर लेना । बजट पर चर्चा होगी, उसमें बात कर लेंगे ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिला सहित पूरे प्रदेश में हमारे जो बुनकर भाई हैं, उनको पिछले एक, सवा साल से बुनाई के लिए धागा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्होंने राजधानी में आंदोलन भी किया था और सरकार का ध्यान भी आकृष्ट किया है, लेकिन उनको आजतक धागा नहीं मिल रहा है, उनके सामने में जीविकोपार्जन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है, उस पर हमने ध्यानाकर्षण दिया है । आपसे आग्रह है कि उसको स्वीकार कर चर्चा कराएं ।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी, आप अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

समय :

12:05 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

(1) जिला जांजगीर-चांपा, विकासखण्ड अकलतरा अंतर्गत न्यूवोको विस्टास संयंत्र द्वारा रैन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं की जाना।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत न्यूवोको विस्टास संयंत्र संचालित है। उपरोक्त संयंत्र को 20 मेगावॉट के ताप विद्युत संयंत्र की अनुमति प्रदान की गई है जो कि निर्माणाधीन है। उपरोक्त पुराने संयंत्र की 20 हेक्टेयर जमीन में 2.5 हेक्टेयर भूमि पर निर्माणाधीन है। अनुमति की शर्तों के अनुसार 10 नग रैन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है, किन्तु पावर प्लांट के समीप आज दिनांक तक यह कार्य नहीं किया गया है। अनुमति अनुसार 39.2 हेक्टेयर (48.2 प्रतिशत) जमीन में ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित है परंतु इस पर भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। वास्तव में ग्रीन बेल्ट के स्थान पर ही इस पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। पर्यावरण स्वीकृति के अनुसार 7.3 हेक्टेयर 8.9 प्रतिशत की भूमि में सगन वृक्षारोपण स्थानीय प्रजाति का किया जाना है जो कि नहीं हुआ है। इस स्थान पर संयंत्र का माइंस है और संयंत्र का एक भाग पूर्व का सांई लीलागर संयंत्र को किराये पर दिया गया है। अनुमति अनुसार प्रतिवर्ष 2.52 करोड़ राशि पर्यावरण सी.एस.आर. पर खच्र करना है परंतु इस मद से आज दिनांक तक एक भी राशि खर्च नहीं हुई है। संयंत्र के बाहर चार स्थानों में वायु प्रदूषण के मानक सूचना बोर्ड लगाना था जो आज तक नहीं लगा है। उपरोक्त संयंत्र को विदेशी कोयला से संचालन करना है जिसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा रहती है। अत: इस संयंत्र में फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यंत्र लगाना है। परंतु इस यंत्र का ठेका तक नहीं हुआ है। इस तरह से पर्यावरण विभाग के नियमों और निर्देशों का खुला उल्लंघन और जनता के स्वास्थ्य और स्थानीय पर्यावरण से हो रहे खुले खिलवाड़ से जनता में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड अंतर्गत ग्राम-अरसमेटा, जिला-जांजगीर-चांपा में सीमेंट उद्योग मेसर्स न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड संचालित है। उपरोक्त उद्योग में केप्टिव ताप विद्युत संयंत्र क्षमता 20 मेगावॉट हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 12.02.2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं दिनांक 08.11.2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है। तदोपरांत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 19.11.2019 को उक्त ताप विद्युत संयंत्र को स्थापना सम्मति प्रदान की गई। कुल 82 हेक्टेयर भूमि में स्थापित एवं संचालित सीमेंट प्लांट परिसर के भीतर

2.5 हेक्टेयर भूमि पर उक्त ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किये गये आवेदन में 10 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था। वस्तुत: पर्यावरण स्वीकृति में रेन वाटर को 100 प्रतिशत रिचार्ज करने की व्यवस्था बाबत् शर्त दी गई है। वर्तमान में 03 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज पिट निर्मित किये गये हैं एवं 10 नग रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज पिट की व्यवस्था उक्त संयंत्र के समीप किया जाना प्रस्तावित है। अत: यह कहना सही नहीं है कि आज दिनांक तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सीमेंट प्लांट परिसर के कुल 82 हेक्टेयर भूमि में से परिसर के चारों तरफ 39.2 हेक्टेयर (47.8 प्रतिशत) भूमि में ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित था, जिसके तहत वर्तमान में 31.9 हेक्टेयर (38.9 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में उद्योग द्वारा अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया जा सकता है। उद्योग द्वारा मानसून 2021 में पॉवर प्लांट की पूर्व दिशा में उपलब्ध 3.5 एकड़ भूमि तथा दक्षिण दिशा में उपलब्ध 1.5 एकड़ भूमि में लगभग 5000 नग स्थानीय प्रजाति के वृक्षारोपण करना प्रस्तावित है। अत: यह कहना सही नहीं है कि ग्रीन बेल्ट विकास संबंधी आज दिनांत तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह भी सही नहीं है कि ग्रीन बेल्ट के स्थान पर ही इस ताव विद्युत संयंत्र का निर्माण हो रहा है। वस्तुत: पूर्व में स्क्रेप भंडारण हेतु आरक्षित भूमि में यह ताप विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है। उपलब्ध जानकारी अनुसार किसी भी उद्योग को भूमि किराये पर नहीं दी गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति में कुल रूपये 2.52 करोड़ की राशि कॉर्पोरेट इन्व्हायरोमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सी.ई.आर.) मद में व्यय करना है, जिसके तहत प्रथम चरण में आसपास के ग्रामों के स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था हेतु राशि रूपये 13,80,600.00 कार्यादेश दिनांक 05.03.2020 को जारी किया गया है तथा उद्योग में 39 नग आर.ओ. सिस्टम की प्राप्त हो गया है, जिसका लगाया जाना शेष है। सोलर सिस्टम हेतु राशि रूपये 14,00,000.00 का कार्यादेश दिनांक 16.03.2020 को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को जारी किया गया है, जिसके तहत 10 में से 04 शासकीय स्कूलों क्रमश: ग्राम-अरसमेटा, परसदा, सोनतरी, एवं अमोरा में सोलर सिस्टम की स्थापना की गई है। अत: यह कहना सही नहीं है कि इस मद में आज दिनांक तक कोई राशि खर्च नहीं हुई है। यह सही नहीं है कि उद्योग में 04 स्थानों पर वायु प्रदूषण के मानकों की जानकारी हेतु सूचना बोर्ड लगाना था। वस्तुत: परिवेशीय वायु गुणवत्ता स्तर की जानकारी हेतु एक सूचना बोर्ड उद्योग के मुख्य द्वार में स्थापित है। उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उक्त ताप विद्युत संयंत्र के संचालन हेतु ईंधन के रूप में विदेशी कोयला या इंडियन कोल या कोल वॉशरी रिजेक्टस या उपरोक्त के मिश्रण का उपयोग किये जाने की शर्त निर्दिष्ट है। ताव विद्युत संयंत्र के चिमनी उत्सर्जन में सल्फर डाई ऑक्साईड के मानक निर्धारित है, जिसका पालन करना उद्योग को आवश्यक है। चूंकि संयंत्र निर्माणाधीन है, अत: फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की व्यवस्था आवश्यकता होने पर किया जायेगा। ताप विद्युत संयंत्र द्वारा पर्यावरण

विभाग के नियमों और निर्देशों का उल्लंघन तथा जनता के स्वास्थ्य और स्थानीय पर्यावरण से खिलवाड़ करने जैसी स्थिति नहीं है। आम जनता में रोष और आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि 7.3 हैक्टेयर पर अतिरिक्त वृक्षारोपण करना था लेकिन सिर्फ 4 हैक्टेयर पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। एक और जानकारी है। पहले तो इतनी कम जगह पर वृक्षारोपण क्यों किया जा रहा है ? शेष 3 हैक्टेयर में वृक्षारोपण क्यों नहीं किया जा रहा है ? दूसरी चीज, वर्ष 2020 में उद्योग द्वारा अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है। जब इस दौरान प्लाण्ट चल रहा था तो प्लाण्टेशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने वृक्षारोपण के बारे में जानकारी चाही है। एक तो कोरोना महामारी के कारण वृक्षारोपण में कमी आई है। दूसरा यह कि सीमेन्ट प्लाण्ट परिसर में 82 हैक्टेयर भूमि में से 39.2 हैक्टेयर भूमि पर चारों तरफ ग्रीन बेल्ट प्रस्तावित था, जिसमें 38.9 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको 5 वर्ष की अनुमति मिलती है CONSENT TO OPERATE (CTO) अभी यह संयंत्र प्रारंभ नहीं हुआ है। तो अभी उसके पास बहुत समय है। नियम और शर्तों के आधार पर अनुमति दी गई है, उसका पालन करने के लिए अभी समय है। यह अभी नहीं हुआ है, वह आगे कर लिया जायेगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा वही कहना था। जब प्लाण्ट चल रहा है तो फिर कोविड का क्या ? मेरा आपसे निवेदन है कि जब प्लाण्ट चल रहा है तो प्लाण्टेशन भी होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2.52 करोड़ का C.E.R., सभी सदस्यों के लिए एक जानकारी है पहले Corporate Social Responsibility होता था। लेकिन अब एक और प्रतिवेदन Corporate environmental responsibility (C.E.R.) आता है। तो C.E.R. के तहत सिर्फ 28 करोड़ खर्च किया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि C.E.R. में भी कोई पांच साल का प्रावधान है क्या ? ? C.E.R. का पैसा क्यों खर्च नहीं किया गया है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लाण्ट तो निर्माणाधीन है। उनको जितनी भी अनुमति दी गई है उसके लिए 5 वर्ष का समय है। सन् 2019 में अंतिम संशोधन हुआ है। सारी शर्तों को पूरा कराने के बाद ही CONSENT TO OPERATE (CTO) दिया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उसने सारी शर्तों को पूरा कर लिया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, C.E.R. के तहत हर छः महीने में आपके कार्यालय और नागपुर में compliance report जमा करानी है। तो क्या C.E.R. की compliance report जमा हुई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको compliance report के बारे में जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपको जानकारी दे दी जायेगी। आप बहुत तैयारी के साथ आये हैं।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि compliance report जमा नहीं की गई है तो कार्रवाई करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- बिलकुल करेंगे। श्री प्रकाश शक्राजीत नायक।

श्री मोहम्मद अकबर :- compliance report जमा कर दी गई है।

श्री सौरभ सिंह :- compliance report जमा हो गई है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- compliance report जमा हो गई है।

समय :
12:14 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और प्रश्न। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि फ्यूल गैस डी-सल्फराइजेशन का प्लाण्ट का आदेश 6 अप्रैल,2020 को आया। केन्द्रीय उर्जा मंत्री ने कहा है कि यह सारे प्लाण्टों में लगना है। तो जो पुराने प्लाण्ट डले हैं, उन पुराने प्लाण्टों में टेण्डर होगा, टेण्डर के बाद लगेगा। जो नया निर्माणाधीन प्लाण्ट है, उसमें क्यों नहीं लगा है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, उसके लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। सभी विद्यमान सी.टी. आधारित संयंत्र 3.5 M3 इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष के भीतर अधिकतम विनिर्दिष्ट जल उपयोग से कम करेंगे। जनवरी, 2017 के पश्चात् प्रतिस्थापित किए जाने वाले संयंत्र 2.5 M3 तक के विनिर्दिष्ट जल उपभोग को पूरा करेंगे और शून्य जल दुग्रर्हण को हासिल करेंगे। क्रम संख्या 85 से संबंधित परिशिष्ट में निम्नलिखित, यह बहुत लंबा है और यह सूची है। मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उसमें पाल्यूशन कंट्रोल की यह प्रक्रिया है, उसकी पाल्यूशन कंट्रोल के लिए प्रक्रिया चलेगी, उसमें टाईम गैप भी दिया गया है। जो नया प्लांट स्थापित हो रहा है उस नये प्लांट में नई मार्गदर्शिका का क्यों पालन नहीं किया जा रहा है? ये नया प्लांट स्थापित हो रहा है और आपका जवाब आ रहा है कि आवश्यकता होगी, आवश्यकता तो आदेश है कि सारे संयंत्रों में करना ही है। जो चल रहे हैं उनमें बाद में होगा और जो नये हैं उनको तो करना ही है।

श्री मोहम्मद अकबर :- वर्ष 2024 तक का समय दिया गया है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024 तक का समय पुराने प्लांटों के लिए दिया गया है या नये प्लांटों के लिए दिया गया है?

श्री मोहम्मद अकबर :- नये प्लांट में तो 5 वर्ष की वैसे ही अनुमति दी गई है, ये प्लांट तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, ये निर्माणाधीन है और जो भी उसका पूरा पालन करना है वह निर्माण के बाद जब कन्सेंट टू ऑपरेट दिया जायेगा, प्रारंभ करेगा उसके बाद फिर चिमनी के उत्सर्जन के बारे में फिर कार्रवाई होगी।

(2) रायगढ़ जिले में कृषकों की निजी भूमि पर विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिये क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि नहीं दी जाना

श्री प्रकाश श्क्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, रायगढ़ द्वारा महानदी से आबंटित अतिरिक्त जल की आपूर्ति हेतु ग्राम कलमा के समीप स्थापित किये जा रहे स्वयं की पंप हाऊस तक 35 किलोमीटर लंबी 33 केव्ही डीसीडीएस विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु आदेशित किया गया है। आदेशित नियम एवं शर्त के कंडिका (2) व (7) में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 33 केव्ही विद्युत लाईन निर्माण रेलपोल के माध्यम से भू स्वामी एवं सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्राप्ति उपरांत ही किया जाना है, परंतु मेसर्स जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड रायगढ़ द्वारा नियम व शर्त का उल्लंघन करते हुए 33 केव्ही विद्युत लाईन निर्माण रेलपोल के स्थान पर 132 केव्ही विद्युत लाईन टॉवर/टॉवरों के माध्यम से किया जा रहा है। प्रस्तावित विद्युत लाईन के मार्ग में प्रभावित निजी भूमि पर लाईन निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा के भुगतान हेतु निर्देश जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निधारित मुआवजे के भुगतान उपरांत ही आवेदन कंपनी को निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति देती है, परंतु उक्त विद्युत पारेषण लाईन के लिए टावर क्रमांक 41 ए से 41 क ग्राम कोडातराई 41 बी से 41 बी एवं 49 कोडातराई, लोहरसिंग, जिला रायगढ़ की प्रभावित निजी भूमि कुल खसरा नंबर 63, कुल रकबा 2.401 हे. है, कृषकों की संख्या 33 है। उक्त टावर लाईन के दोनों और बाहरी तारों के बीच आच्छादित प्रभावित भूमि का कुल खसरा नंबर 63, कुल रकबा 2.401 हेक्टेयर का ही क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि का गणना प्रस्तुत किया गया है, जबकि रायगढ़ जिले के ग्राम सराईपाली, कोसमपाली, बरमुड़ा, जोरापाली, केनापाली, ननसियां, छुहीपाली, बनसियां, पटेलपाली, जोगीतराई, गोहडीडीपा, लिन्जिर, सुर्री, तेतला, नवागांव, चिखली, रैबार, सुपा, ठेंगागुडी, बुनगा, बालपुर आदि ग्रामों से उक्त टॉवर लाईन गुजरेगी। जनहित के लिये प्रसारित आदेश में 66 केव्ही या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिए क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है, जबकि अन्य कृषकों के निजी भूमि में उक्त टॉवर लाईन के गुजरने पर किसी प्रकार की मुआवजा राशि प्रावधान नहीं होने तथा

ग्रामीण कृषकों को उक्त विषय के संबंध में जानकारी न देकर उन्हें धोखे में रखकर कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण संबंधित किसानों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही है कि मे. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ को महानदी से आबंटित अतिरिक्त जल की आपूर्ति हेतु ग्राम कलमा के समीप स्थापित किये जा रहे स्वयं की पंप हाऊस तक 35 कि.मी. लंबी 33 के.व्ही. डीसीडीएस विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण छ.ग. शासन, उर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2101/एफ-15/2010/13/2/उ.वि./पा.ला.नि./2010, रायपुर दिनांक 16.11.2010 के द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रदान की गई अनुमति के आधार पर किया जा रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि उक्त आदेश की शर्त क्रमांक 2 एवं 7 के अनुसार विद्युत लाईन के निर्माण के मार्ग में आने वाले ग्रामों में सिर्फ रेलपोल के द्वारा ही विद्युतीकरण की अनुमति थी। वस्तुत: टॉवर/रेलपोल की स्थापना कर विद्युतीकरण किया जाना था, जिसे कंपनी द्वारा टॉवर/टॉवरों के माध्यम से किया जा रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि मेसर्स जिंदल एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ द्वारा नियम व शर्त का उल्लंघन करते हुए 33 के.व्ही. विद्युत लाईन निर्माण रेलपोल, टॉवर/टॉवरों के स्थान पर 132 के.व्ही. विद्युत लाईन टॉवर/टॉवरों के माध्यम से किया जा रहा है। मेसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़ के द्वारा 33 के.व्ही. की विद्युत लाईन का निर्माण किया जा रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि प्रस्तावित विद्युत लाईन के मार्ग में प्रभावित निजी भूमि पर लाईन निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा के भुगतान हेतु निर्देश जारी करने के पश्चात् एवं निर्धारित मुआवजे के भुगतान उपरांत ही आवेदक कंपनी को निर्माण कार्य प्रांरभ करने की अनुमति दी जाती है। ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 2101/एफ-15/2010/13/2/ऊ.वि./पा.ला.नि./2010, रायपुर दिनांक 16-11-2010 के प्रभावित होने वाले भूमि के भूमिस्वामियों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई थी। आवेदक कंपनी द्वारा कुल 23 ग्रामों के 212 टॉवर लोकेशन पाईंट के आधार पर 179 भूमि-स्वामियों से लिखित में सहमति/अनुमति प्राप्त की गई थी, एवं ग्राम कोड़ातराई एवं लोहारसिंह के प्रभावित निजी भूमि कुल खसरा नंबर 63 वस्तुत: कुल खसरा नंबर-33 कुल रकबा 2.401 हे. की क्षतिपूर्ति/मुआवजा राशि का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 127/बी-121/2016-17, आदेश दिनांक 29.06.2017 के द्वारा किया गया है।

वस्तुत: कुल प्रभावित किसानों की संख्या 127 ही है, जिनकी 8963 वर्गमीटर भूमि पर टॉवर का निर्माण प्रस्तावित था। इनमें से 126 किसानों की सहमति के पश्चात् कुल राशि 1,02,27,300/- (एक करोड़ दो लाख सत्ताईस हजार तीन सौ रूपए) मुआवजा/क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है। कुल 146 टावर लगाए जाने थे जिनमें से 126 कृषकों की भूमि पर सहमति पश्चात् 145 टावर लगाए जा चुके हैं।

एक व्यक्ति से सहमति प्राप्त कर 01 टावर लगाया जाना शेष है। जिससे मुआवजा/क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना शेष है।

यह कहना सही है कि 66 के.व्ही. या उससे अधिक क्षमता के विद्युत टॉवर स्थापना तथा विद्युत पारेषण हेतु टॉवर लाईन बिछाने के लिए क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है। इस प्रकरण में ऊर्जा विभाग के द्वारा 33 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन की अनुमति दी गई है जिसमें मुआवजा का आधार नहीं होने पर भी कृषकों के हित में आपसी सहमति से मुआवजे का भुगतान कर उनकी सहमति से निर्माण कार्य किया गया है। किसी भी कृषक को धाखे में रखकर कार्य नहीं कराया जा रहा है, तथा संबंधित कृषकों में किसी प्रकार का आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि सबसे सहमति प्राप्त कर ली गई है। पहली बात। मेरे हाथ में दस्तावेज है मेरे पास इनके विभाग द्वारा उत्तर आया है कि उन्होंने सहमति नहीं दी है। दूसरी बात, इसमें मेरे पास उनका लिखित बयान भी है जिन्होंने असहमति जाहिर की है। दूसरा, आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहूंगा कि किन नियमों के तहत किसान की निजी भूमि में टॉवर या टॉवर गाड़ने की अनुमति दी जाती है और जिन स्थानों, भूमि से टॉवर की लाईन गुजरेगी, उन किसानों को भी मुआवजा देने का प्रावधान होता है क्या ? और कब तक हम उन पुराने नियमों को ढोते रहेंगे। वर्ष 1882-1890 के नियम हैं जिनके अनुसार यह सब नियम बने हैं जो टॉवर गाड़ते हैं उनका मुआवजा बहुत कम मिलता है। जब टॉवर किसी के खेत में गड़ता है तो उसके आसपास की भूमि में उसको निर्माण की अनुमति नहीं होती। जब उसके खेत में ट्रेक्टर चलता है तो करण्ट लगने की संभावना होती है और जहां से लाईन गुजरती है वह भूमि भी खराब हो जाती है। जो जमीन आबादी भूमि है वहां से टॉवर लाईन गुजरती है तो उसके नीचे किसान या भूमि का स्वामी घर बना सकता है। तो मेरा केवल दो प्रश्न है कि किन शर्तों पर उक्त निर्माण की अनुमति दी गई थी, पहला उस टॉवर लाईन को कितने दिनों में पूरा करना था ? और दूसरी बात निर्धारित अवधि में ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप एक-एक करके प्रश्न करिये।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही प्रश्न था कि किन शर्तों पर टॉवर लाईन गाड़ने की अनुमति दी गई थी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत पारेषण प्रणाली स्थापित करने तथा उसके लिए टॉवर लाईन बिछाने हेतु अर्जन का प्रावधान नहीं है। टॉवर तथा लाईन की स्थापना इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 तथा इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885 के प्रावधानों के तहत की जाती है। यह वस्तुत: राईट आफ द मार्क का अधिकार है। इसमें जो पहले से प्रावधान बना हुआ है, उसके तहत यह अनुमति दी जाती है। इसमें आपने जो अनुमति के बारे में पूछा है, जिंदल पॉवर को जो अनुमति प्रदान

की गई है, यह अनुमति 2010 में दी गई है। इसमें 03 वर्ष का समय दिया गया था। आपने जमीन के लॉस की बात कही है, उसमें जैसे पेड़, फसल की क्षतिपूर्ति दी जाती है। पेड़ जब कटते हैं, फसल की हानि होती है, उसकी क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। 2016 में टॉवर लाईन तथा उससे प्रभावित भूमि तथा विद्युत लाईनों के नीचे स्थित भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 01-06-2016 तथा 26-11-2016 द्वारा निर्देश किये गये हैं और उसके तहत उसमें मुआवजा दिया जा रहा है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि इसको 03 वर्ष में पूरा किया जाना था और यह 2010 की स्वीकृति है और आज 2021 चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उसमें 03 बार समय वृद्धि हुई है। पहले 2018 में, फिर 2019 में, फिर 2020 में कहा गया कि अंतिम वर्ष है, उसके बाद भी पूरा नहीं हुआ। इनको जो अनुमति दी गई है, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि शर्त में 17 बिन्दु रखे गये है। अगर 17 बिन्दु में एक भी बिन्दु का पालन नहीं करेंगे तो वह टॉवर निर्माण रूक जायेगा और उसकी अनुमति समाप्त हो जायेगी। यहां पर सरासर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह टॉवर लाईन 2010 से चालू है और 2021 हो गया है, यह पूरा नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी जो बात कर रहे हैं कि सबसे सहमति ली गई है। मैं आपकी अनुमति से ऐसे 8-10 किसानों के नाम पढ़ना चाहूंगा। मनोज कुमार ने असहमति जाहिर की है। धनंजय चौधरी, रूपनारायण, वियजशंकर, जयराम साव, नारायण चौधरी, विजय कुमार साव चौधरी, विद्याधर नायक, अशोक लाल खुंटे, कुमार खुंटे, परमशील खुंटे, नित्यानंद नायक, शरद नायक ने असहमति जाहिर की है। यह मुझे राजस्व विभाग से मिला है। उन्होंने पंचनामा में भी दस्तखत किया है कि हम लोग असहमत हैं। हमारी फसल खड़ी हुई है, वहां हमारी खड़ी फसल को उजाड़कर बिना सहमति के टॉवर गाड़ रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? यह राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी। यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैने पहले ही बताया कि इसमें जो 127 किसान प्रभावित हुए हैं, उसमें 126 किसानों को 1 करोड़ 2 लाख 27300 रुपये का भुगतान किया गया है। अगर आपकी जानकारी के मुताबिक इसमें कोई किसान बचा है तो आप उसकी सूची दे दें, मैं उसको दिखवा लूंगा। अगर कोई भुगतान बाकी है तो वह वह निश्चित तौर पर भुगतान करा दिया जायेगा।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय मंत्री कह रहे हैं कि 127 किसान प्रभावित थे, 126 किसानों को मुआवजा दे दिया गया है। माननीय मंत्री जी का जवाब है, इसी में मैंने प्रश्न लगाया था कि इसमें कितने लोग प्रभावित हैं ? इसमें 212 किसानों की भूमि का जवाब आया है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- हॉ, मैंने आपसी सहमति का बताया। 127 किसानों में से एक किसान को छोड़कर 126 किसानों को 1 करोड़ 2 लाख 27300 रुपये का भुगतान किया गया है, और 33 किसानों को एस.डी.एम. के माध्यम से भुगतान किय गया है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 212 किसानों की भूमि प्रभावित हो रही है और 126 किसानों ने सहमति दी है और एक किसान को अभी मनाया जा रहा है, वह किसान भी अभी माना नहीं है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- वह किसान माना नहीं है तो उसमें काम नहीं किया गया है। उसमें टॉवर नही लगा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट है । माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी से बार-बार केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतने लोगों की जमीन फंसी थी, इतने लोगों को आपने मुआवजा दिया, इतने लोगों का बाकी है तो क्या आप भुगतान कराकर काम करायेंगे ? यही इनकी बात है । अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, आप उसी को घुमा-फिराकर बोल रहे हैं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया, मैं घुमा-फिराकर नहीं बोल रहा हूं । मैंने बताया कि एक किसान की जो आपसी सहमति नहीं हुई है, वहां टॉवर नहीं लगाया गया है, दूसरा जो बाकी है । आप सूची उपलब्ध करा दें, हम उसको दिखवा लेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य लगातार पढ़कर बता रहे हैं कि ये-ये व्यक्ति हैं, माननीय सदस्य तो अभी सदन में ही पढ़कर बता रहे हैं कि इन-इन लोगों की बाकी है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 12 किसानों का नाम पढ़ा है कि उन्होंने असहमति जाहिर की है और एक किसान जिसकी बात हो रही है उसने सहमति नहीं दी तो टॉवर का जो दिशा बदल दिया गया है, जो 12 किसान यदि सहमति नहीं दे रहे हैं, उनके खेत में टॉवर जबर्दस्ती गाड़ रहे हैं तो उन 12 किसानों की भूमि से टॉवर को हटा दें ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अगर 12 किसान या जितने भी आप बता रहे हैं । अगर जबर्दस्ती कोई गाड़ रहे हैं तो उसको हम दिखवा लेंगे । सीनियर अधिकारी से उसकी जानकारी ले लेंगे । उसमें 212 लोकेशन पाईंट है, उसमें 179 कृषकों की सहमति मिली हुई है ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो यह सहमति की बात कही । लेकिन मैंने जो बड़ी बात कही कि 17 बिंदुओं के शर्त में अगर एक भी बिंदु का पालन नहीं करता और शर्त निरस्त की है तो मैं दोनों चीजें कह रहा हूं कि आपको निरस्त तो पहले कर देना था, आपने निरस्त नहीं किया है तो मैं जो 12 किसानों का नाम ले रहा हूं, वे लोग वहां टॉवर चाहते नहीं हैं तो आप पूरी दिशा बदल दीजिये, जहां जिनकी सहमति हो वहां आप चले जाईए ।

समय :

12:31 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शून्यकाल की सूचनाएं ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरा जवाब नहीं आया ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं इसमें कुछ बात रखना चाह रहा हूं । आप अनुमति दे देंगे तो मैं थोड़ी सी बात रख लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- रायगढ़ जिले का पूछ रहे हैं ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब छत्तीसगढ़ में पॉवर प्लांट बहुत सारे लग रहे हैं और इन पॉवर प्लांट के लगने से चूंकि पॉवर प्लांट के लिये तार खींचना पड़ता है और खंभे गाड़ने पडते हैं और ये 1885 का हवाला देते हैं उस हवाले में किसानों का संरक्षण नहीं होता, किसानों को लाभ नहीं मिलता, वे परेशान रहते हैं । दूसरा सहमति का प्रमाण दे रहे हैं कि सहमति हुई नहीं है और दूसरी तरफ अधिकारी और कुछ पटवारी के मिल जाने के कारण सहमति का वातावरण बनाकर मर्जी से खोद देते हैं और विरोध करने जाते हैं तो पुलिस वाले लोग खड़ा कर देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए, इसमें भाषण की अनुमति नहीं है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिस्थितियों को जानकारी में रख रहा हूं ताकि जो 1885 का नियम है उसमें कोई न कोई संशोधन हो क्योंकि अब उस तार से लगने वाले खंभे लग रहे हैं, तार बिछ रहे हैं और उस तार के नीचे करंट लगता है, किसान ठीक से खेती नहीं करता, भय में रहता है, बरसात के समय में भय का वातावरण रहता है इसलिए इसमें कोई संशोधन होना चाहिए ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल अंतिम दो बात पूछना चाहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप 4 से ज्यादा प्रश्न कर चुके हैं ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बस वही प्रश्न का जवाब नहीं आया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जब तक किसान सहमति नहीं देंगे तब तक उस विद्युत टॉवर को बनाने की अनुमति आप नहीं दें इसके लिये आप वहां के अधिकारी को निर्देश देने का कष्ट करें और दूसरी चीज जो उन्होंने शर्त का पालन नहीं किया है उस पर क्या कार्यवाही करेंगे, इन दो चीजों का जवाब दे दीजिए । जो 17 बिंदुओं का शर्त है, जिन पर सहमति दिये हैं उसका पालन भी उन्होंने नहीं किया है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- देखिए, 17 बिंदु या जितने भी बिंदु हों अगर मान लो उस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उसकी एनओसी अपने आप कैंसिल हो जाती है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- वह तो हुआ नहीं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 का परमिशन है। वर्ष 2010 के बाद बार-बार उसको समय वृद्धि दी गई है और ऊर्जा विभाग के आदेश के तहत् हुआ है, राजस्व विभाग का काम केवल मुआवजे का निर्धारण करना है ।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती उत्तरी जांगड़े ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बस एक अंतिम प्रश्न है । मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि जब तक सहमति नहीं देते तब तक उस टॉवर लाईन में आपका राजस्व विभाग खंभा गाड़ने की अनुमति मत दे, मैं बस यही बोल रहा हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, उसमें एक किसान की जो सहमति नहीं हुई है । वहां टावर नहीं गड़ाया गया है । बाकी आप जिन 12 लोगों का बता रहे हैं, हम उसको दिखवा लेंगे ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूं । जो असहमत हैं मैंने उनका नाम पढ़ा है । मेरे पत्र पर यह लिस्ट मुझे राजस्व विभाग ने ही उपलब्ध करवाया है । मैं बार-बार पढ़ रहा हूं कि इन्होंने सहमति नहीं दी है । जब तक सहमति नहीं मिलती ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं इसका नियम बता चुका हूं कि टावर तथा लाईन की स्थापना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 तथा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के प्रावधानों के तहत की जाती है । यह वस्तुत: राईट ऑफ वे (मार्ग का अधिकार) है । इसमें कायदे से रोक नहीं सकते । लेकिन उसके बाद भी जिंदल ने आपसी सहमति से लोगों को मुआवजा दिया है । एक आदमी जिसने सहमति नहीं दी वहां उसने काम नहीं किया है और जिन 12 लोगों की सूची आप बता रहे हैं, मैं फिर कहता हूं कि मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- जिन 12 लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूं मैं यह सूची उपलब्ध कराउंगा और जब तक ये लोग सहमति नहीं देंगे तब तक आप कृपा करके काम रूकवा दीजिए । वहां फसल लगी हुई है किसानों को नुकसान पहुंचेगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अगर क्षति होती है तो फिर क्षतिपूर्ति दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तरी जांगड़े क्या चाहती हैं आप ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े (सारंगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वन मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि मेरे सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अभी 3 दिवस पहिले हाथी घुस गे हे ।

अध्यक्ष महोदय :- ओला कइसे पूछबे । ओला नइ पूछे सकस बइठ जा ।बाद में बताबे ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- कई दिन हो गे पूछहूं कहत हौ, लेकिन पूछे बर नइ मिलत हे ।

अध्यक्ष महोदय :- तोर विभाग के चर्चा होही तो पूछबे ना।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- आज बस पूछन दौ ना । टाइम पर होत जात हे। मैं माननीय वन मंत्री जी ले ये पूछना चाहत हौं ।

अध्यक्ष महोदय :- वन मंत्री हैं ही नहीं ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- है ना, है ना । मैं पूछेंव मैं बोलहां तो कहिए ठीक हे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलो विशेष सूचना समझ लीजिए ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- सारंगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 2 हाथी घुसे हे मियारी अउ उनका बच्चा । वो दोनों ग्राम मलदा में डोकरी मां के पूरा हत्या कर दे, कुचर-कुचर के मार दे हे । सारंगढ में भी गुढियारी में 22 साल के युवा लड़का ला भी पूरा कुचर के दू कुटा कर दे हे । मैं इही कहत हौं कि पीड़ित परिवार ला कुछ मुआवजा के मांग करत हौं ।

अध्यक्ष महोदय :- हव, बिल्कुल मिल जाही ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- आपले हाथ जोड़ के निवेदन हे ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी उसका जल्दी मुआवजा निर्धारण करेंगे । तोर इहां तो दुवे ठन घुसे हे । कोरबा मा तो 17 ठन हे ।

श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े :- अध्यक्ष महोदय जी, बहुत निवेदन हे, वो गरीब परिवार हे तो मैं मांग करत हौं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, ठीक है मिल जाही । ले बता दे भइया ।

वन मंत्री (मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो भी प्रावधान है उसको तत्काल ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, जो भी प्रावधान नहीं, उस बेचारी को बताईए कि कितने का प्रावधान है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- मुआवजा तो प्रावधान में ही है । अधिकारियों को बोलकर जो भी सहायता हो सकती है निश्चित ही कराएंगे और मुआवजा भी कराएंगे।

समय :
12:38 बजे

<u>नियम 267 क के अधीन विषय</u>

अध्यक्ष महोदय :- निम्न लिखित सदस्य की सूचना शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा -

(1) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक ।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:39 बजे

प्रतिवेदन की प्रस्तुति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन.

श्री धनेन्द्र साहू (सभापति) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021 को चर्चा के लिए आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्यपर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर विचार के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प क्र.	**सदस्य का नाम**	**समय**
(क्रमांक - 01)	श्री सत्यनारायण शर्मा	45 मिनट
(क्रमांक - 05)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
(क्रमांक - 03)	श्री देवेन्द्र यादव	15 मिनट
(क्रमांक - 02)	श्री धर्मजीत सिंह	45 मिनट
(क्रमांक - 15)	श्री आशीष कुमार छाबड़ा	15 मिनट

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

समय :

12.40 बजे

वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा

मांग संख्या 24 लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

मांग संख्या 67 लोक निर्माण कार्य-भवन

मांग संख्या 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मांग संख्या 3 पुलिस

मांग संख्या 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मांग संख्या 5 जेल

मांग संख्या 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व

मांग संख्या 37 पर्यटन

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या - 24 लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिये- दो हजार छः सौ अट्ठाईस करोड़, चवालीस लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 67 लोक निर्माण कार्य-भवन के लिये- एक हजार चार सौ चौरानबे करोड़, पन्द्रह लाख, चौंसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए- नौ सौ चालीस करोड़, पन्द्रह लाख, तीन हजार रूपये,

मांग संख्या - 3 पुलिस के लिये- पांच हजार दो सौ चार करोड़, दो लाख, बत्तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये- एक सौ दस करोड़, उनचास लाख, बयासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 5 जेल के लिये- एक सौ पंचानबे करोड़, पचासी लाख, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये- उन्नीस करोड़, तिहत्तर लाख, पचास हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 37 पर्यटन के लिये- एक सौ सोलह करोड़, पांच लाख, चालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या

लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल

1.	श्री अजय चन्द्राकर	3
2.	श्री शिवरतन शर्मा	4
3.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा	13
4.	श्री सौरभ सिंह	3
5.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	12

मांग संख्या- 67

लोक निर्माण कार्य- भवन

1.	श्री धरमलाल कौशिक	16
2.	श्री अजय चन्द्राकर	11
3.	श्री शिवरतन शर्मा	5
4.	श्री सौरभ सिंह	5
5.	श्री धर्मजीत सिंह	1
6.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	2
7.	श्री केशव प्रसाद चन्द्रा	5

मांग संख्या-3

पुलिस

1.	श्री धरमलाल कौशिक	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	2
3.	श्री शिवरतन शर्मा	12
4.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	8

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मांग संख्या-4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

1.	श्री धरमलाल कौशिक	4
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	2
4.	श्री सौरभ सिंह	3

मांग संख्या-5

जेल

1.	श्री धरमलाल कौशिक	3
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	9
4.	श्री सौरभ सिंह	1

मांग संख्या-51

धार्मिक न्यास और धर्मस्व

1.	श्री धरमलाल कौशिक	5
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री शिवरतन शर्मा	1

मांग संख्या-37

पर्यटन

1.	श्री धरमलाल कौशिक	2
2.	श्री अजय चन्द्राकर	1
3.	श्री सौरभ सिंह	2
4.	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू	2
5.	श्री धर्मजीत सिंह	1

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी श्री शिवरतन शर्मा ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ताम्रध्वज साहू द्वारा प्रस्तुत..।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, शर्मा जी। मैं आप सभी सदस्यों को बता देता हूं कि इसके लिए 3 घंटे निर्धारित हैं और नियम के अनुसार है। आपके पूरे पार्टी के सदस्यों के लिए 30 मिनट का समय है। आप कैसे बांटेंगे, आप उसे देख लीजिए, क्योंकि बाद में ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, सदन तो आपके संरक्षण में, आपके निर्देश पर चलता है, जो आपका निर्देश होगा, उसका पालन करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पूरा संरक्षण दूंगा, मगर आप ही 30 मिनट बोलेंगे तो फिर बाकी सदस्यों का क्या होगा ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम है, परम्परा है और आसंदी का संरक्षण है..

अध्यक्ष महोदय :- मेरा पूरा संरक्षण है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- आसंदी का संरक्षण है, उसी के हिसाब से सदन चलाया जाता है । हम लोगों को मालूम है कि कितना समय है, लेकिन आपका संरक्षण मिलेगा तो सदस्य बोल पाएंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संरक्षण और परम्परा, दोनों है ।

अध्यक्ष महोदय :- परम्परा भी है, मेरा संरक्षण भी है, मगर आप अपना भाषण जल्दी शुरू करें, जल्दी-जल्दी खतम करें, यह मेरा निवेदन है । एक ही आदमी 30 मिनट बोलेगा तो सिवाय आपके, और किसी को मौका नहीं मिलेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा प्रस्तुत सारी अनुदान मांगों का मैं विरोध करता हूं । मेरे विरोध करने के पीछे कारण है । माननीय मंत्री जी के पास पॉच महत्वपूर्ण विभाग गृह, जेल, लोक निर्माण, धमस्व और पर्यटन विभाग हैं । गृह और लोक निर्माण विभाग ऐसा विभाग है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का वास्ता पड़ता है, प्रत्येक व्यक्ति का काम पड़ता है । गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है । प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना, प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाकर रखकर गृह विभाग की जवाबदारी होती है, पर बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब 2018 का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में जो स्लोगन दिया गया, जो अब हाऊस की प्रापर्टी भी बन चुकी है-गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। अब यह गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ इन्होंने कैसे गढ़ा है, इस पर प्रदेश की जनता विचार कर रही है और समय-समय पर अपना रिएक्शन भी सरकार के सामने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त भी करती है । गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

वास्तव में अपराध के गढ़ के रूप में गठित हुआ है । अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय :- जहां तक मैं समझता हूं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में गृह विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग का योगदान नहीं है । जिसमें योगदान है, उसमें चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा । समय बरबाद मत करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में सब आता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है । मैं आपकी व्यवस्था से संतुष्ट हूं । मैं अपना पक्ष रख देता हूं कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ या सुराजी गांव या नरवा, घुरूवा, गरूवा, बारी इनमें राज्य सरकार ने आजतक एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, विधान सभा को अवगत नहीं करवाया कि इसका मतलब सुराजी गांव है, इसका मतलब गढबो नवा छत्तीसगढ़ है, इसका मतलब नरवा, घुरूवा, गरूवा, बारी है और इसका बजट ऐसा है । यह कभी अवगत नहीं करवाया है तो हम कैसे जाने कि इसमें किसका योगदान है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, चन्द्राकर जी, इसीलिए तो आपको बोलने का मौका दिया गया है कि खुलकर बोलो, जी भरकर बोलो, सारी बात बोलो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि सरकार यह बता दे कि गढ़वो नवागढ़ है तो हम सभी विभाग से उसको काट देंगे । इसलिए आपसे आग्रह है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, जब शर्मा जी बोल रहे हैं तो आप उनको क्यों ओव्हरटेक कर रहे हैं । उनका समय बरबाद न करें । शर्मा जी की बारी है तो आप ओव्हरटेक क्यों कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं दूसरी बात कह रहा हूं । आप भाषण दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर जो विषय इससे संबंधित नहीं है, उस विषय पर चर्चा करके आप अपना समय मत खराब करिए । अब नरवा, घुरूवा, गरूवा, बारी के बारे में क्या करेगा बेचारा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश को अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित कर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- बस उतना ही तक सीमित है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, शर्मा जी, सच-सच बोलिए । आपके शासनकाल के 15 साल में जो गड़बड़ी किये हो, उसी को ठीक कर रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यही तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है । यही तो इनका स्लोगन है । शांति का टापू छत्तीसगढ़, जहां पूरे प्रदेश में भाईचारे का वातावरण हो, उस छत्तीसगढ़ को अपराध के रूप में परिवर्तित करने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है । आज छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में कोई भी ऐसा अपराध नहीं है, जो घटित न होता हो । आप चाहे प्रिंट मीडिया को पढ़ें, सोशल मीडिया को देखें या इलेक्ट्रानिक मीडिया को देखें ।

समय :-

12:49 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपके पास जितने विभाग हैं, उसमें से कितने विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और कौन से स्तर के हैं ? कौन से स्तर के अधिकारी हैं, मैं सबको पहचानता हूं । यहीं से शुरू होती है कि विभाग में आपकी पकड़ कितनी है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, यहां सदन में प्रदर्शन की आवश्यकता है क्या?

श्री अमरजीत भगत :- जब विभागीय मंत्री बैठे हैं तो बाकी सबका क्या लेना देना है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष जी, अमरजीत जी, इनको प्रदर्शन की आवश्यकता है क्या कि हर विभाग के अधिकारी को यहां हाजिर होना जरूरी है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- उनको बोलने दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक भी अपराध ऐसा नहीं है, जो छत्तीसगढ़ में अपराध घटित न होता हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री हैं तो सब अधिकारियों को बाहर भेज दो न, सबको बाहर भेज दो । विधायिका की गरिमा बढ़ानी है या गिरानी है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रदर्शन की आवश्यकता है क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जब मंत्री जी बैठे हैं तो सबको बाहर भेज दो न । मंत्री जी, आप पर्याप्त हैं, सबको बाहर भेज दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- कोरोना कॉल के कारण एक-एक सीट छोड़कर बैठना है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत भाई, बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है, सदन की गरिमा आपकी गरिमा के अनुरूप सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। परंतु यह दुर्भाग्यजनक है कि आपके जैसे वरिष्ठ मंत्री उनके विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव उपस्थित नहीं हैं, यह दुर्भाग्यजनक है। हम आपकी गरिमा, आपका गौरव और सदन के गौरव के लिये यह कहना चाहते हैं कि उपस्थित होना चाहिए।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हमारे गृह विभाग के ए.सी.एस. सुब्रत साहू जी का अभी फोन आया था कि वे वैक्सीन लगाये हैं इसलिए कुछ देर बाद आयेंगे। ई.एन.सी. भी बैठे हैं और होम के डिप्टी सेक्रेटरी अग्रवाल जी भी बैठे हैं। डी.जी.पी. भी बैठे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- बढ़िया है, इतने में संतुष्ट हो तो अच्छा है। विभागाध्यक्ष बैठे हैं, सेक्रेटरी नहीं हैं, आप यह बता रहे हैं। चलिये, अच्छी बात है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- गृह विभाग के माननीय अग्रवाल जी बैठै हैं, बता तो रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, हम आपका जवाब नहीं चाह रहे हैं। हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि सदन की गरिमा, आपकी गरिमा, हम सबकी गरिमा इसमें है। कम से कम ब्यूरोकेशी सदन के प्रति मंत्री के प्रति सम्मान रखे। जब विधानसभा में पहली चर्चा गृह विभाग की हो रही है। आपके चार-चार विभाग हैं। कम से कम चारों विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव, उपस्थित रहना चाहिए। आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को विधानसभा के मामले में कम से कम उनको संरक्षण नहीं देना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे भी आग्रह है कि सदन की गरिमा बनी रहे, यह हम सबका कर्तव्य है। इसको आप भी निर्धारित करें, क्योंकि हम दस बार इस मामले को उठा चुके हैं परंतु उसके बाद भी सदन की गरिमा को बनाया रखना, हम सबका दायित्व है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय, अभी आपका कटौती प्रस्ताव तो रिकार्ड में आया ही नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आ गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- कटौती प्रस्ताव आ गया है। हम लोग बैठे हुए थे। उसमें दिया ही क्या है कि कटौती प्रस्ताव बोल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह बोल रहा था कि माननीय मंत्री जी हम लोग स्पष्टीकरण नहीं चाह रहे हैं, आपसे जवाब भी नहीं चाह रहे हैं। आपकी गरिमा, सदन की गरिमा है और हम लोग चाहते हैं कि मंत्री जी की गरिमा बढ़े। सारे सदस्यों का पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बातें आयेंगी। यदि सब बैठे रहेंगे तो इस बात को ध्यान में भी रखेंगे, चिंता भी करेंगे। इसके कारण आपका ध्यान आकर्षित कराया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, चलिये आप बोलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी, बेचारा मंत्री न रहे ये हम लोग चाहते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, 15 साल में जो आदत बिगाड़ दिये हैं ना हम लोग उसी को सुधार रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, दुनिया में घटित होने वाला ऐसा कोई अपराध नहीं है जो पिछले दो वर्ष के अंदर छत्तीसगढ़ में घटित न हुई हो। मैं बोल रहा था कि किसी भी मीडिया में देख लें, उसमें छत्तीसगढ़ के अपराधों का जिक्र रेगुलर रहता है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े जोरदार ढंग से कह रहे थे, अरूणाचल प्रदेश की शराब हमने पकड़ी। कितने बार्डर को क्रास करते हुए आई। आज के समाचार पत्रों का एक प्रमुख बिन्दु है। 8 करोड़ के जाली नोट पकड़ गये और उड़ीसा की पुलिस ने पकड़ने का काम किया। वह जाली नोट प्रिंट कहां होता था, वह जाली नोट छत्तीसगढ़ की नई राजधानी

में प्रिंट होता था। जहां पुलिस का मुख्यालय है, जहां मंत्रालय है, वहां ये जाली नोट प्रिंट होते हैं। दूसरा प्रमुख समाचार है, सरपंच पुत्र की सुपारी, उप सरपंच व पति समेत 11 लोग गिरफ्तार किये गये। सुपारी देने की प्रथा छत्तीसगढ़ में नहीं थी। वह छत्तीसगढ़ में भी सुपारी देने की प्रथा शुरू हो गयी। यह अपराध के गढ़ बनाने का "नवा गढ़बो छत्तीसगढ़" । आज प्रदेश की स्थिति यह हो गयी है कि जिस दिन बजट प्रस्तुत हुआ, उस दिन से सोशल मीडिया में माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ एक बड़ा श्लोगन चल रहा है। पुलिस कर्मचारियों के लिये कोई बजट नहीं है, तुम्हें नौकरी करना है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो मैं दूसरी भर्ती कर लूंगा। यह सोशल मीडिया में लगातार पुलिस विभाग के जो परिवार के सदस्य हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, वह भी आपके ही लोग पोस्ट किये हैं। उस नंबर को ध्यान से देख लीजिए, जिस नंबर से पोस्ट हुआ है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा श्लोगन चल रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको हमने ठगा नहीं। वास्तव में पूरे छत्तीसगढ़ को को ठगने का काम किया है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आपका यह स्लोगन उत्तरप्रदेश में चलता है।

श्री उमेश पटेल :- क्या है कि आप पिछले 15 साल में जो ठगाये हैं, उसी को बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरा प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वयं मंत्री जी ने विधानसभा में अलग-अलग समय में जो उत्तर दिए हैं, खाली उन उत्तरों को देख लीजिये। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019-20 में 998 हत्याएं हुई हैं और वर्ष 2020-21 में 870 हत्याएं हुई हैं। वर्ष 2019-20 में 654 हत्या के प्रयास हुए हैं और वर्ष 2020-21 में 627 हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात छत्तीसगढ़ में वर्ष वर्ष 2019-20 में 2609 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और वर्ष 2020-21 में 2330 घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2019-20 में चोरी की 7473 घटनाएं हुई हैं और वर्ष 2020-21 में 5389 घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2019-20 में डकैती की घटनाएं 57 हुई हैं और वर्ष 2020-21 76 घटनाएं हुई हैं। वर्ष 2019-20 में 441 लूटपाट की घटनाएं हुई हैं और वर्ष 2019 414 घटनाएं हुई हैं। शीलभंग की घटनाएं वर्ष 2019-20 में 1878 घटनाएं हुई हैं। छेडछाड़ की 228, गैंगरेप की 51 घटनाएं घटित हुई हैं। वर्ष 2020 में बलात्कार की 2485 घटनाएं हुई हैं, 81 बलात्कार का प्रयास, 1910 शीलभंग की घटनाएं, 251 छेड़छाड़ की घटनाएं और 61 गैंगरेप की घटनाएं घटित हुई हैं। यह खाली जनवरी तक का रिकार्ड है। वर्ष 2021 में 237 बलात्कार की घटनाएं, 165 शीलभंग की घटनाएं, 33 छेडछाड़ की घटनाएं, 10 गैंगरेप की घटनाएं घटित हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हत्या, हत्या का प्रयास, चोरी, डकैती, बलात्कार, शीलभंग, छत्तीसगढ़ के किस एरिये में नागरिक सुरक्षित हैं ? हमने विधानसभा में स्थगन के माध्यम से कानून व्यवस्था की स्थिति को उठाने का प्रयास किया था। ग्राह्यता पर चर्चा हुई और हमारा स्थगन अग्राह्य कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ में लगातार यौन उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, हमने उस मामले को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन उसे अग्राह्य कर दिया गया। परन्तु सरकार ने समय-समय पर जो उत्तर दिया है, वह हमारे स्थगन के मुद्दे को स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ की स्थिति भयावह हो चुकी है। ये सब होने के पीछे क्या कारण है ? प्रशासन में बैठे लोगों के द्वारा कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों को सरंक्षण प्रदान किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, सरंक्षण कैसे मिलता है ? उत्तरप्रदेश के हाथरस में बलात्कार घटना होती है। वहां पूरा मीडिया और देश के नेता जाते हैं और जब मीडिया के लोग छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में घटित घटना की चर्चा करते हैं तो इस सरकार का मंत्री जवाब देता है कि हाथरस की घटना बड़ी है, बलरामपुर की घटना छोटी है। बलात्कार, बलात्कार होता है चाहे वह छत्तीसगढ़, चाहे उत्तरप्रदेश में हो चाहे देश के किसी कोने में हो। बलात्कार जैसी घटना को इस प्रदेश का मंत्री छोटी और बड़ी घटना के रूप में तुलना करता है। उससे भी बड़ी दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार के किसी भी वरिष्ठ मंत्री के द्वारा, गृहमंत्री जी के द्वारा ऐसी बातों का खण्डन नहीं होता है। पी.सी.सी.चीफ मोहन मरकाम जी बैठे हैं। इनके जिले में घटना घटित होती है। बालिका के साथ बलात्कार, बलात्कार के बाद हत्या और हत्या के बाद उसे दफना दिया जाता है। पीड़ित बालिका का पिता थाने के चक्कर लगाता है कि मामला कायम हो जाये, लेकिन पुलिस रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं होती है। पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए पैसा मांगती है। जब वह पीड़ित होकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तब मामला उजागर होता है और फिर पुलिस कार्रवाई करती है।

श्री मोहन मरकाम :- वह कौन था, पता है ? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है, अपराधी, अपराधी होता है, वह किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो। जिसने जो अपराध किया है, उसके विरूद्ध उस अपराध के लिए कार्रवाई होनी चाहिए।

श्री अमरजीत भगत :- जो बोल रहे हो उसके बारे में एक बार नेता प्रतिपक्ष जी से पूछ लो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मरकाम जी बोल रहे हैं कि इस पार्टी से जुड़ा था, उस पार्टी से जुड़ा था। अभी सोशल मीडिया में कोण्डागांव की एक घटना बहुत प्रचारित हो रही है, वह किस पार्टी से जुड़ा था, किसका आदमी था, आप सदन को यह भी बता दो। बता दो कि आपका आदमी था। उसको बोलने में पीछे क्यों हट रहे हैं। अगर वह भारतीय जनता पार्टी का था तो अभी जो सोशल मीडिया में चला वह आपका खास आदमी था या नहीं था?

श्री मोहन मरकाम :- कर्नाटक का मंत्री इस्तीफा देता है वह किस पार्टी का था?

श्री अमरजीत भगत :- कटौती प्रस्ताव के विषय में ही बात करें तो ज्यादा अच्छा है। ये यहां बोलते हैं और जब कर्नाटक की बात बोलते हैं तो उसमें कुछ बोलते ही नहीं हैं। समवेत रूप से चर्चा हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- लगातार घटनाएं घट रही हैं और घटनाएं घटित होने का कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में पिछले सवा दो साल में नशे का व्यापार बढ़ा है। नशे की सामग्री लगातार प्राप्त हो रही है। उपाध्यक्ष जी, अमरजीत जी अपने विभाग में तो कोई उत्तर दे नहीं पाते तो अपनी खुजाल जब दूसरे के विभाग में चर्चा होती है तो उसमें बोलकर मिटाने का प्रयास करते हैं। पूरी सहानुभूति उधर की आपके साथ हैं, मंत्रिमंडल में आपकी क्या गति है हम सब जानते हैं। आर.जी. के सामने आप नतमस्तक हैं, पूरा प्रदेश और पूरा सदन जानता है।

श्री मोहन मरकाम :-15 साल सरकार रहने के बाद आपकी क्या गति थी वह भी जानते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- यह कटौती प्रस्ताव का विषय है क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ में नशे का व्यापार बढ़ा है। 2018 के चुनाव हो रहे थे तो इनके घोषणा पत्र में एक प्रमुख बिंदु था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराब बंदी करेंगे। शराबबंदी तो दूर एक नया आदेश निकल गया कि आप ऑनलाईन 16 क्वार्टर शराब मंगा सकते हैं और यदि ऑनलाईन ऑन 16 क्वार्टर मंगाकर घर पर रख रहे हैं तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जिस कोचिया प्रथा को समाप्त करने का प्रयास बी.जे.पी. की सरकार में हुआ उसको वैधानिक मान्यता देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अब नशे के चलते छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़े हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- ये प्रीमियम दारूभट्ठी भी खुल गयी है। वहां उचचकोटि का माल मिलता है।

श्री शिवरतन शर्मा :-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नशे का व्यापार बढ़ने का एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं। खाली जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसी का रिकार्ड जो विधानसभा के उत्तर में आया है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। 2019 में गांजा तस्करी के 552 प्रकरण बने और जो गांजे की जब्ती की मात्रा है वह 19385 किलोग्राम। वर्ष 2020 में गांजा तस्करी के 660 प्रकरण बने और जब्ती गांजा की मात्रा 26631 किलोग्राम। वर्ष 2021 में यह खाली जनवरी और फरवरी का 60 दिन का है उसमें 2235 किलोग्राम गांजा पकड़ा जा चुका है। ये तो जो पकडे गये हैं वह रिकार्ड है इससे चार गुना ज्यादा सप्लाई हो गया। गांजे की आज स्थिति यह है कि किसी भी पान दुकान में चले जाओ, आपको पुड़िया मिल जायेगी। पुलिस वाले जानते हैं कि कहां कौन किस नशे के व्यापार में लगा है और गांजे के नशे में है पर कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के किसी न किसी नेता का उसको संरक्षण प्राप्त है और संरक्षण के चलते पुलिस चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर सकती। सिर्फ गांजे का नहीं, राज्य में अवैध शराब की क्या स्थिति है। 2019 में अवैध शराब के जो प्रकरण बने हैं वह 17964 दर्ज प्रकरण हैं, वर्ष 2020 में 14731 बने हैं, वर्ष 2021 में 1639 प्रकरण बने हैं। वर्ष 2019 में नशीली दवाई के प्रकरण 94 बने हैं, वर्ष 2020 में 137 बने हैं, और वर्ष 2021 में 18 बने हैं। शराब की स्थिति क्या है? पुलिस जब पकड़ती है तो आता है कि आज हमने महाराष्ट्र की शराब जब्त की, आज हमने मध्यप्रदेश

या अरूणाचल प्रदेश की शराब जब्त की, वास्तव में 99 प्रतिशत शराब छत्तीसगढ़ में बनती है और छत्तीसगढ़ में उन प्रांतों का लेवल लगाया जाता है और उस शराब को अलग-अलग प्रांतों के नाम से यहां खपाया जाता है। अपवाद स्वरूप एक दो प्रकरण बाहर के शराब के आते होंगे पर ज्यादातर शराब छत्तीसगढ़ में ही निर्मित होते हैं। इसे पुलिस के अधिकारी भी जानते हैं, माननीय मंत्री जी भी जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि अवैध शराब के काम में सबसे बड़ी भूमिका अभी किसकी है? और फिर अवैध शराब का काम यहीं नहीं हो रहा है, सरकार शराब की दुकान में भी अवैध शराब का काम हो रहा है। एक परमिट पर तीन बार, चार बार शराब जाती है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां जितने भी अवैध शराब पकड़े जा रहे हैं। यहां सब भाजपा शासित राज्यों से ही क्यों आ रहा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है जो शराब पकड़ी जा रही है।

श्री सौरभ सिंह :- भाजपा शासित राज्य से सेटिंग नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने किसका लेवल टेस्ट किया है?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी आप बैठिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- वहां से माल आ रहा है। भाजपा शासित राज्यों से आ रहा है (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश से, हरियाणा से..।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने किसका लेवल टेस्ट किया है?

उपाध्यक्ष महोदय :- समय हो रहा है। जो समय निर्धारित किया गया है, वह आपको पता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी शुरू ही किया है। बस आधे घण्टे में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपकी पूरी पार्टी को आधे घण्टे का समय दिया गया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो डिस्टरवेंस हो रहा है, आप उसको तो जोड़ेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शराब में जो सबसे ज्यादा गड़बड़ी हो रही है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय शिवरतन जी, क्या कनेक्शन हैं जो भाजपा शासित राज्य जो है यहां शराब खपाने का काम कर रहे हैं। आप उसके बारे में भी बोलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं बता रहा हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार शराब दुकानों की स्थिति यह है दो दिन जो शराब पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया गया। उसमें अजय जी का प्रश्न था उस पर अलग-अलग चर्चा हुई है, पर इस अतिरिक्त आबकारी शुल्क के अतिरिक्त शराब दुकानों में पौवा में 15 रूपये, 20 रूपये एक्सेस रेट लिया जाता है। एक परमिट पर 3 से 4 बार शराब, शराब

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

दुकानों में पहुंचती है और वहां सारे शराब दुकानों पर [XX][9] यदि आप बोलेंगे तो सदन में नाम लेने की परम्परा नहीं है । गृहमंत्री जी उस नेता का नाम भी आपके सामने रख दूंगा और पुलिस अधिकारी जानते हैं कि शराब व्यवसाय को पूरी तरह से अवैध रूप से कौन संचालित कर रहा है। इस नशे के व्यापार के चलते केवल अपराध ही नहीं बढ़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। केवल यह दुर्घटना का केवल 11 महीनों का रिकॉर्ड है। 13 हजार111 दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें वर्ष 2020 से 2021 जनवरी तक 5 हजार, 241 लोग मरे हैं और 1751 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शराब के चलते जो स्थिति निर्मित हो रही है, वह आपके सामने रख रहा हूँ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे थे कि [XX] जो बोल रहे हैं, उसको विलुप्त कराया जाये। ये तथ्य हीन बात कर रहे हैं इनके पास न कोई प्रमाण है और न ही कोई तथ्य है। ऐसा आरोप कोई किसी के ऊपर लगा देगा? [XX] उसको विलोपित करवाईये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अमरजीत भगत जी, जो आंकड़े, तथ्य बताये जा रहे हैं उसको आप लिखिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय शर्मा जी 7 विभाग हैं आप दूसरे विभागों के बारे में बोलिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कदापि उचित नहीं है। माननीय शिवरतन जी ने जो कहा है वह बहुत आपत्तिजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय :- उसको विलोपित किया जाता है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको विलोपित करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या दिखवाना है मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है जो गलत बात बोली है जिसको दिखवाना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए। आप बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय आपके पास क्या प्रमाण है? आप मनगढंत आरोप लगाएंगे। यह उचित थोड़ी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस अभिरक्षा में जो हत्यांए हो रही हैं उसको आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। कहीं किसी पर जांच नहीं हो रही है। जेल में आत्म हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं जेल में हत्या की घटनाएं इस सरकार के पिरयड में बढ़ी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2018 का चुनाव हुआ। तो इनके जनघोषणापत्र में पुलिस के लिए बहुत जोरदार घोषणाएं थीं। पुलिस कल्याण की योजना, पुलिस कर्मचारियों को सप्ताहिक अवकाश मिलेगा, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष की स्थापना होगी। हम शासकीय अनुदान देंगे। महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध राज्य में

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी। महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जायेगा। प्रत्येक थाने में एक महिला सेल होगा और महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच की जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार बने सवा दो साल हो गये हैं। आपने पुलिस कल्याण कोष में कितना शासकीय अनुदान दे दिया, आप अपने जवाब के समय में जरा स्पष्ट कर देंगे। आपने कितने थानों में महिला सेल का निर्माण कर दिया। आप यह बता देंगे। छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस के तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं उसके लिए कितने आवास की व्यवस्था कर दी, आप यह बता देंगे। साप्ताहिक अवकाश देंगे। आपका बल लगभग 70 हजार के आसपास है। अगर आप साप्ताहिक अवकाश देंगे तो रोज आपका 10 हजार सुरक्षा बल साप्ताहिक अवकाश में छुट्टी पर रहेगा। उसकी कमी कहां से पूरी करेंगे? आप जरा यह बता दें कि कितने सप्ताह साप्ताहिक अवकाश के स्थान पर दिये हैं। घोषणा करना बहुत आसान होता है पर उसको क्रियान्वयन करने के लिए व्यवस्था करने में आप क्या सक्षम हैं? साप्ताहिक अवकाश करेंगे जो पुलिस बल की कमी होगी, उसकी व्यवस्था आप कहां से करेंगे, यह जरा स्पष्ट करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है। डॉ. रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में नक्सली घटनायें बंद हो गईं, मैं यह नहीं कहता, पर 15 साल के कार्यकाल में यह स्थिति निर्मित हुई थी कि नक्सली बैकफुट पर गये थे। सवा दो साल बाद क्या स्थिति बनी है? अब नक्सली कहने लगे हैं कि यह सरकार तो हमारी सरकार है और बैकफुट पर गये थे वह फ्रन्ट पर आ करके लगातार पुलिस वालों को भी मार रहे हैं, मुखबिरी का आरोप लगा करके गांव वालों को भी मार रहे हैं। अभी 54 पुलिस कर्मी मारे गये हैं। 61 से ज्यादा सामान्य नागरिकों की हत्या नक्सलियों ने की है। नक्सल को रोकने के लिए आपकी कार्ययोजना क्या है? आपकी पुलिस दावा करती है कि हमने फला जगह मुठभेड़ में इतने नक्सलियों को मारा। आपकी सरकार का एक मंत्री खड़े होकर बोलता है कि पुलिस मुठभेड़ की घटना फर्जी है। पुलिस वालों ने गांव वालों की हत्या की है, उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। आपकी सरकार के मंत्री का कथन अलग होता है और आपके पुलिस अधिकारियों का कथन अलग होता है। आप कैसे नक्सलवाद से निपटेंगे, इसका स्पष्ट करियेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने उत्कृष्ट थानों के लिए एक रैंकिग जारी की है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस सूची में छत्तीसगढ़ का स्थान कहीं पर नहीं है, 10 नंबर की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ जीरो है, कहीं भी छत्तीसगढ़ नहीं आता।

माननीय उपाध्यक्ष जी, गृह विभाग के साथ में माननीय मंत्री जी के पास जेल विभाग भी है। जेल विभाग की स्थिति यह है कि पिछले साल माननीय मंत्री जी ने सूरजपूर, पेन्ड्रा, बेमेतरा, गरियाबंद, बलौदाबाजार, नारायणपुर, सुकमा, बालोद उपजेलों को जिला जेल में परिवर्तित करने की घोषणा की थी। आपका दूसरा बजट आ गया। आपकी घोषणा आज तक घोषणा ही है। यह जो जिला जेल की घोषणा है,

आज भी यह खाली उप-जेल के रूप में ही चल रही है। आपके कुछ जेल तो ऐसे हैं जो ओवरलोडेड हैं। केन्द्रीय जेल जगदलपुर 1351 की बंदी आवास क्षमता है और वहां वर्तमान में 2357 बंदी हैं। जिला जेल दंतेवाड़ा में 250 बंदियों की क्षमता है और वहां बंदियों की क्षमता 661 है। उपजेल सुकमा में 110 बंदियों की क्षमता है और वहां बंदियों की क्षमता 263 है। बंदियों को आप खाद्यान्न में क्या दे रहे हैं? मैं एक जेल अधिकारी से बात करके एक बंदी को दिन भर में क्या भोजन के रूप में, नाश्ते के रूप में जो उपलब्ध कराया जाता है, उसकी एक सूची लेकर के आया हूं। यह उम्मीद करता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण अपनायेंगे। आप चावल या आटा 525 ग्राम, दाल 115 ग्राम, सब्जी 235 ग्राम, नमक 20 ग्राम, तेल 25 ग्राम, चाय पत्ती 4 ग्राम, शक्कर 20 ग्राम, मिर्च 1 ग्राम, धनिया आधा ग्राम, प्याज ढाई ग्राम, हल्दी एक ग्राम दे रहे हैं। यह पढ़ लें कि यह एक बंदी के लिये एक दिन का मेनू है । माननीय मंत्री जी, आज के समय में या पूर्व में भी क्या यह पर्याप्त है ? आप यह स्पष्ट करेंगे कि क्या एक बंदी के भोजन खुराक के लिये यह पर्याप्त है ? आपने नाश्ते के लिये तय कर दिया है कि आप केवल खिचड़ी खिलायेंगे । खिचड़ी को छोड़ और कुछ नहीं देंगे । हम मध्यप्रदेश से निकले हैं, मध्यप्रदेश से निकलने के पश्चात् मध्यप्रदेश में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं । छत्तीसगढ़ में भी कुछ सुधार करिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति इस मामले में बद् से बदतर होती जा रही है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के पास दूसरा महत्वपूर्ण विभाग पी.डब्ल्यू.डी. है । अब पी.डब्ल्यू.डी. में एक विषय बड़ा जोरदार चला कि स्काईवॉक का क्या होगा ? मुझे याद है कि सदन का पहला सत्र जिसमें हम सब लोगों ने सदस्य के रूप में शपथ ली थी, उस सत्र में ही स्काईवॉक की चर्चा हुई थी । एक कमेटी भी बन गई, सवा दो साल बाद वह स्काईवॉक कहां है, उसका क्या होगा ? आज तक सरकार निर्णय नहीं कर पायी है ? क्या आपके पास कोई कार्ययोजना है या आपने यह मान लिया है कि जो अधूरा पड़ा है उसको अधूरा पड़ा रहने दो । एक्सप्रेस हाईवे का काम डॉ. रमन सिंह जी की सरकार के पीरियड में हुआ । बरसात में कुछ स्थानों पर एक्सप्रेस हाईवे क्षतिग्रस्त हुआ ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भ्रष्टाचार की चपेट चढ़ गया। ऐसा काम कराये, इतना भ्रष्टाचार था कि जो इतने साल की जो गारंटी थी वह भी खत्म हो गई ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम सब जानते हैं कि इस विधानसभा में मंत्रियों में सबसे बडा गांधी का पूजारी कोई है तो कौन है वह डॉ. शिवकुमार डहरिया जी हैं । जिनको केवल गांधी से प्रेम है और किसी से कोई प्रेम ही नहीं है । यह सब जानते हैं कि आप गांधी जी के पुजारी हैं । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हम गांधी के पूजारी तो हैं ही । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग तो गोडसे के पूजारी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ऐसा है कि आप गुलाबी रंग के छपे हुए गांधी के पूजारी हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी आप भाषण पर आईए ।

श्री अजय चंद्राकर :- हरे रंग का ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हरे रंग का काम नहीं है, गुलाबी रंग की गांधी की फोटो अच्छी लगती है ।

श्री देवेंद्र यादव :- आप गोडसे और गांधी वाले सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, मैं बता देता हूं कि जो गोडसे का मंदिर बनवाया था और जिसने गोडसे की फांसी के दिवस को बलिदान दिवस मनाने की मांग की । वह आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गया है, माननीय कमलनाथ जी ने उसको कांग्रेस का सदस्य बना दिया है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, यह मान लिया कि गांधी ही सही है, गोडसे नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सप्रेस हाईवे । छत्तीसगढ़ की जनता की दृष्टि से चाहे उसको एयरपोर्ट जाना हो, चाहे उसको धमतरी-जगदलपुर रोड पर जाना हो, इसके लिये एक्सप्रेस हाईवे बना । अब एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद पहली बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया और जब क्षतिग्रस्त हुआ तो माननीय मंत्री जी अपने लावा-लश्कर के साथ देखने गये और समाचार-पत्रों में बड़ा जोरदार छपा कि भ्रष्टाचार में सम्मिलित किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा । चाहे वह ठेकेदार हो, वह अधिकारी हों, सबको ठीक किया जायेगा । उस घटना को दो साल हो गए ।

समय :

12:31 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों को ठीक किया ? एक्सप्रेस हाईवे का क्या हुआ ? कब चालू होगा ? क्या आप जरा बतायेंगे कि आपकी भी कोई सेटिंग हो गई इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, स्काईवॉक अनिर्णय की स्थिति में है, माननीय मंत्री जी यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि एक्सप्रेस हाईवे कब चालू होगा ? इस प्रतिवेदन में 20 बायपास सड़कों का जिक्र किया गया है और बोलते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस 20 में एक भी पूरी नहीं हुई । माननीय मंत्री जी, इस 20 में एक भी पूरी नहीं हुई है । बलौदा बायपास मार्ग प्रगति पर, भाटापारा बायपास मार्ग प्रगति पर।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय शर्मा जी, मैं आपको रोक रहा हूं । माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं । आप लोग हमेशा नियम कानून की बात करते हैं । अभी आप 33 मिनट बोल चुके हैं, अकेले । उसके बाद भी रूकने को तैयार नहीं हैं । यहां से एक भी चूक होती है तो चढ़ बैठते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप चाहेंगे तो हम लोग भाग नहीं लेते ।

अध्यक्ष महोदय :- भाग लेने की बात नहीं कर रहा हूं । मगर एक आदमी 33 मिनट बोल चुका है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- गिलोटिन पारित करवा दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले सदस्य हैं और यह बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- 33 मिनट हो गया, 35 मिनट हो गया । कुल 30 मिनट हैं और कितने बोलेंगे, बताइए ना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ग्लोटिन में पास कर लें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोग विद्वान हैं 6 घंटे बोल सकते हैं । उसमें मुझे आपत्ति नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप ही देख लें पिछले वर्ष जो बजट पारित हुआ था उसमें गृह विभाग पर कितने घंटे चर्चा हुई ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । एक-एक आदमी 6-6 घंटे बोल सकता है, इतने विद्वान हैं आप लोग, इतनी तैयारी करके आते हैं । मगर कुछ व्यवस्था को देखेंगे या नहीं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- व्यवस्था के साथ-साथ परम्पराओं का भी महत्व है और यह सदन परम्पराओं से चलता है ।

अध्यक्ष महोदय :- कभी-कभी परम्पराओं का आप लोग भी ख्याल रखा करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पिछले वर्ष गृह विभाग की मांगों पर कितनी चर्चा हुई आप लोग यह देख लें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं । आपके नेता जी कहां हैं, उनको बुलाना चाहता हूं, वे यहां हैं नहीं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी वे नहीं हैं तो मैं चीफ व्हिप के रूप में हाजिर हूं आपके सामने ।

श्री अजय चन्द्राकर :- समय के प्रति यदि सरकार का ज्यादा आग्रह है तो हम लोग चर्चा ही नहीं करते ।

अध्यक्ष महोदय :- समय के प्रति आग्रह मेरा है महोदय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- या फिर आप समय निर्धारित कर दीजिए तो हम घड़ी देखकर बोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने तो पहले ही समय निर्धारित कर दिया था । बताया था कि आधा घंटा है और आप 6 सदस्य हैं । अब 6 सदस्य भी आधा-आधा घंटा बोलेंगे तो 3 घंटा आप ही बोल लेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है मेरा ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप सुनते ही नहीं । हमारा निवेदन कभी नहीं सुनते।

श्री शिवरतन शर्मा :- पूरी बात आपकी सुन रहे हैं साहब ।

अध्यक्ष महोदय :- हमारा निवेदन नहीं सुनते, आप अपना ही निवेदन करते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिए, हम सारे लोग नहीं बोलते, आप पास कर लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- कोई बोले या नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- चलिए हो गया । हमारी तरफ से इस विभाग पर मैंने बोला, अब उसके बाद कोई नहीं बोलेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बोलिए ना । लेकिन 30 मिनट बोलेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की परम्परा रही है जो समय निर्धारित होता है उससे 3 गुना, 4 गुना ज्यादा समय मिलता है बोलने के लिए । आप घड़ी दिखाएंगे तो फिर कैसे होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- सवाल इस बात का है कि 30 मिनट है और आप 60 मिनट बोल लीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम लोग नहीं बोलेंगे साहब, आप उधर से बोलवा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप जा क्यों रहे हैं भाई ?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बाहर गए)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अपने नेता जी की बात भी नहीं मान रहे हो किसकी बात मानोगे ।

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं सभा इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री लोक निर्माण विभाग की तरफ से सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में तथा पत्रकारगण के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 2021-22 की अनुदान मांग संख्या 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37 का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश का...।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी समय का ख्याल रखिएगा ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, हमारे दल को ढाई घंटा एलॉट है ।

अध्यक्ष महोदय :- अगर आप 2 घंटे बोलना चाहते हैं तो मैं बाकी का काट देता हूं ।

श्री मोहन मरकाम :- पौन घंटा तो दीजिए । आज आपका आशीर्वाद चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जानो, आपका काम जाने ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, किसी भी प्रदेश की सड़कों को देखकर विकास का पैमाना मापा जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य उन्नति की असीम संभावनाओं वाला राज्य है । प्राकृतिक सौंदर्य, खनिज पदार्थ, वन सम्पदा से समृद्ध राज्य में प्रगति का सबसे बड़ा द्वार सड़कों के निर्माण से ही खुलेगा । अध्यक्ष जी, देश के 26 वें राज्य के रूप में गठित इस राज्य का क्षेत्रफल 1 लाख, 35 हजार, 194 वर्ग किलोमीटर है । यह 7 राज्यों से घिरा है । मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना से घिरा हुआ है इसलिए इस प्रदेश का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहां की सडकें अन्य राज्यों

अभिलेख/प्रकाशन के लिए नहीं

को जोड़ती हैं । इसलिए यहां की सड़कों को अच्छा होना चाहिए । आज कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार और आदरणीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू साहब की सूझबूझ से हमारी सरकार आने के बाद जो 20-21 में नया डामरीकरण 528 किलोमीटर, मजबूतीकरण 107 किलोमीटर, चौड़ीकरण 85 किलोमीटर, डामरीकरण, नवीनीकरण 466 किलोमीटर, कांक्रीट मार्ग निर्माण 59 किलोमीटर, पुलिया 1641 नग, वृहद पुल 25 नग पूर्ण, 148 प्रगति पर। रेलवे ओव्हर ब्रिज 4 पूर्ण, 12 प्रगति पर, मध्यम पुल 20 पूर्ण। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020-21 के बजट में जो भौतिक प्रगति है, मांग संख्या 24 सड़क, मांग संख्या पुल 432.98 करोड़ व्यय किया गया था, जिसमें 164 पूर्ण 203 प्रगति पर। 74 पूर्ण 68 प्रगति पर। मांग संख्या 42 सड़क, मांग संख्या-42 पुल 201.43 करोड़ व्यय किया गया था, जिसमें 33 पूर्ण हुए हैं। 304 प्रगति पर हैं। 13 पूर्ण। 92 प्रगति पर। मांग संख्या 64 सड़क, मांग संख्या 64 पुल। 58 करोड़ व्यय किया गया हैं, जिसमें 12 पूर्ण 35 प्रगति पर। उसी तरह मांग संख्या 64 भवन, मांग संख्या 67 भवन, 172 करोड़ व्यय किया गया, जिसमें 2 पूर्ण और 2 प्रगति पर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक सोच के साथ एक नया निर्णय लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, जो शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी भवनों, शासकीय संस्थाओं तक पहुंच मार्ग बनाने का सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह 22 जून, 2020 से प्रारंभ है। इसके अंतर्गत वर्ष में 2157 मार्ग के लिए लंबाई 370 किलोमीटर, 256 करोड़ का इसमें स्वीकृति की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार लगातार सड़कों की स्थिति बेहतर हो, उसके लिए काम कर रही है और वर्ष 2021-22 के बजट में वृहद एवं मध्यम पुलों के निर्माण केग लिए 244 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 50 पुलों का निर्माण, जिसमें 25 पुल आदिवासी क्षेत्र में तथा 7 पुल अनुसूचित जाति क्षेत्र में होंगे।

समय :

1.27 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

वर्ष 2020-21 में भी 240 करोड़ का प्रावधान था। वर्ष 2019-20 में भी 200 करोड़ का प्रावधान था। माननीय सभापति जी, जवाहर सेतु योजना, इसके लिए 14 वृहद पुलों का निर्माण, जिसमें 10 पुल आदिवासी क्षेत्रों तथा एक पुल अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्ण किये जाने हैं, इसके लिए भी 80 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2021-22 के बजट में किया गया है। वर्ष 2020-21 में भी 151 करोड़ का प्रावधान था और वर्ष 2019-20 में भी 100 करोड़ का इस मद में प्रावधान किया गया था। माननीय सभापति जी, राज्य मार्ग का निर्माण, इसके लिए 37 किलोमीटर मार्ग उन्नयन किया जाना है, जिसमें 33 किलोमीटर आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। इसमें इस बजट में 110 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020-21 में भी 130 करोड़ का प्रावधान था। वर्ष 2019-20 में भी 100 करोड़ का इस योजना में प्रावधान था।

जिला मार्ग का निर्माण, जो अंदरूनी क्षेत्रों से जिला मार्गों को जोड़ने के लिए सरकार ने वृहद कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। हमारी सरकार के बचे 3 वर्षों में मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा अंदरूनी क्षेत्रों के गांव को जोड़ सके, उसके लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 370 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 286 किलोमीटर सड़क का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 107 किलोमीटर आदिवासी क्षेत्रों में वर्ष 2020-21 में भी 270 करोड़ का प्रावधान था और वर्ष 2019-20 में भी 265 करोड़ का प्रावधान था। माननीय सभापति जी, ए.डी.बी. परियोजनाओं के माध्यम से भी 940 करोड़ का इस बजट में प्रावधान किया गया है, जिसमें ए.डी.बी. के अंतर्गत 294 किलोमीटर मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 43 किलोमीटर आदिवासी क्षेत्रों तथा 28 किलोमीटर अनुसूचित जाति क्षेत्रों में प्रस्तावित है । हमारी सरकार ने लगातार तीन बार बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें साफ झलकता है कि हमारे सरकार की सोच, सरकार की नीयत क्या है ? इस योजना में 20-21 में भी 731 करोड़ का प्रावधान था, 2019-20 में भी 610 करोड़ का प्रावधान था । केन्द्रीय सड़क योजना में 320 करोड़ का प्रावधान किया गया है । हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । नाबार्ड ऋण सहायता से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 105 किलोमीटर मार्ग का उन्नयन प्रस्तावित है, जिसमें 30 किलोमीटर आदिवासी क्षेत्रों के लिए 155 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इस योजना में 2020-21 में भी 120 करोड़ रूपए एवं 2019-20 में भी 90 करोड़ रूपए का प्रावधान था ।

माननीय सभापति जी, केन्द्रीय परिवर्तित योजना आर.आर.पी. अंतर्गत एल.डब्ल्यू.ई. जो प्रभावित जिले हैं, एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत लगभग 330 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें चार पुल का भी निर्माण किया जाना है । इसके लिए 2021-22 के बजट में 265 करोड का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 2020-21 में 330 करोड़ रूपये एवं 2019-20 में भी 140 करोड़ का प्रावधान किया गया था । हमारी सरकार सड़कों का विस्तार करके गांवों को शहरों से जोड़ने का काम कर रही है । चाहे शाला भवन हो, स्वास्थ्य का भवन हो या अन्य भवनों हो, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । स्वास्थ्य से संबंधित भवन के लिए भी इस बजट में 68 करोड़ का प्रावधान किया गया है । शिक्षा संबंधी भवनों, स्कूल भवन से लेकर अन्य भवनों के लिए 129 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 225 कार्य पूर्ण तथा 67 कार्य प्रगति होने की संभावना है ।

माननीय सभापति जी, खेल एवं युवक कल्याण संबंधी निर्माण कार्य के लिए भी इस बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 25 कार्य पूर्ण होंगे, 14 कार्य प्रगति पर होना संभावित है । हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । पी.डब्ल्यू.डी. जो महत्वपूर्ण विभाग है, उस विभाग में हमारी सरकार ने बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है, ताकि आने वाले दिनों में सड़कों के मामले में छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर है, उसमें हमारी सरकार आगे बढ़ सके । माननीय मंत्री जी के पास एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी है-गृह विभाग । सरकार बनने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी एक परिकल्पना के

साथ संकल्प लेकर आगे बढ़े थे कि छत्तीसगढ़ में शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर दो वर्षों से हमारी सरकार चल रही है । उसमें हमें लगता है कि वह उसमें सफल होती नजर आ रही है। इन दो वर्षों के लिए मैं भूपेश बघेल जी की सरकार को दिल से बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति जी, गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो छत्तीसगढ़ की 2 करोड़, 80 लाख जनता की सुरक्षा, उनकी देखभाल और उनकी जो भी बातें हैं, उन बातों को सुनना है । इस विभाग के लिए सरकार ने पर्याप्त राशि की व्यवस्था की है, 2020-21 के बजट में 4897 करोड़ का प्रावधान किया था, इस बजट में भी पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है । वरिष्ठ सदस्य शिवरतन शर्मा जी कह रहे थे कि पुलिस कर्मचारियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमारी सरकार आने के बाद बहुत दिनों से पुलिस कर्मियों की जो मांगें थीं, उन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए रिस्पांस भत्ता, जिला पुलिस बल के थानों में पदस्थ आरक्षक से लेकर प्रधान आरक्षक, निरीक्षक तक पहले हजार रूपए दिये जाते थे, उसको बढ़ाकर 12 सौ रूपए प्रतिमाह किया गया है । माननीय सभापति जी, इसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में जो सशस्त्र बल हैं, जो पदस्थ हैं, उनको सीधा-सीधा लाभ मिलेगा। आज हमें देखने को मिलता है कि हमारी सरकार की नीतियां, योजनाएं अंधरूनी क्षेत्रों में 15 सालों तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अंधरूनी क्षेत्रों में हमारे प्रशासन के लोग पुलिस जवान नहीं जा पाते थे, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, उन अंधरूनी क्षेत्रों में भी हमारे पुलिस के जवान 81 पी.डी.एस. दुकानों को संचालित करने का काम किया है और हमारे नागरिकों को चावल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पोडाली, बोदली, गोरगुंडा से लेकर अंधरूनी क्षेत्रों में जहां पर पी.डी.एस. का चावल हमारे नागरिकों को नहीं मिल पाता था, हमारे पुलिस जवानों की तत्परता से उन क्षेत्रों में भी यह व्यवस्था हो रही है। आदरणीय शिवरतन शर्मा जी, वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि अपराध का गढ़ बन गया है। हमारी सरकार आने के बाद जो अपराध हुए हैं, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। अगर अपराध हुए हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। अपराधियों को बख्शा नहीं गया है जो भी अपहरण के मामले हो या अन्य मामले हो, पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ कार्रवाई की है और अपराधी पकड़े गये हैं। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में 50 हजार, हत्या, लूट, डकैती के प्रकरण आये हैं और छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 27 हजार बहनें, बेटियां यहां से गायब हो गयी थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं जो राजनीति करते हैं, हमारी सरकार की सोच है, आज कहीं न कहीं हमारी सरकार उस पर ...।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- मोहन भाई, आपका भाषण शुरू हुआ तो पूरा विपक्ष साफ हो गया। एक भी नहीं हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- हम लोग हैं ना।

श्री अमरजीत भगत :- तुमन तो बीच वाला । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वही तो हम लोगों के साथ दिक्कत है। न आप अपना मानते हो ना ये अपना मानते हैं और लात मारना है तो आप भी मारते हो, ये भी मारते हैं और कुछ देना है तो आप भी नहीं देते हो, ये भी नहीं देते हैं।

श्री मोहन मरकाम :- चंद्रा जी, आप इस सदन के सदस्य हैं, हम अपना ही मानते हैं, गैर नहीं मानते हैं। आपको खुलकर देते हैं। माननीय सभापति जी, महिला अपराधों के रोकथाम महिलाओं को पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 4 करोड़ 86 लाख 51 हजार 250 रूपये हमारी सरकार आने के बाद उनको क्षतिपूर्ति दी गयी है। नक्सली हिंसा में शहीद जवानों के आश्रितों के परिजनों को दी जाने वाली ग्रेशियर राशि पहले 3 लाख रूपये दी जाती थी, उसको बढ़ाकर हमारी सरकार ने 20 लाख रूपये कर दी है। इस प्रकार शहीदों के आश्रित परिजनों को कुल 35 लाख रूपये एवं शहीद सहायक आरक्षक के परिजनों को 25 लाख रूपये अनुग्रह राशि स्वीकृत किये जा रहे हैं। यह हमारी सरकार की सोच है। हमारा पुलिस का जवान छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिये, देश की रक्षा के लिये अगर शहीद होता है तो सरकार उनके परिवारजनों को अनुग्रह राशि देने में कभी कोताही नहीं की है। उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनके सम्मान को हमारी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। माननीय सभापति जी, गंभीर बीमारी, प्राकृतिक आपदा के साथ संकट निधि पूरे सेवाकाल में 1 लाख रूपये दिया जाता था, हमारी सरकार आने के बाद उसको डेड़ लाख रूपये कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा सम्मान निधि में वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल, 2020 से 2 लाख रूपये कर दिया है। इन 2 वर्षों में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के जवानों, पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों के हौसला अफज़ाई के लिए लगातार योजनाएं बना रही है और उनका सम्मान भी कर रही है। हमारे जवान, पुलिस कर्मी, अधिकारी सम्मान के पात्र हैं। उनके सम्मान में कोई कमी न हो, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहती हूं कि 15 साल तक डॉ. रमन सिंह की सरकार रही है। ये लोग नक्सलवाद के नाम से राजनीति करते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल को भी देखा है। 15 साल तक बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा, इन 2 जिलों में नक्सल गतिविधियां चलती थीं। 28 जिलों में से 17 जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी थीं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूर्व मुख्यमंत्री जी के गृह जिले राजनांदगांव से लेकर रायपुर क्षेत्र में भी नक्सली गतिविधियां फैली थीं। भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में उनकी गलत नीतियों के कारण 32 ब्लाक से बढ़कर अन्य जिलों में बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नक्सली हिंसक घटनाओं के कारण प्रशासनिक व्यवस्था तथा आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित थीं।

माननीय सभापति जी, डॉ. रमन सिंह के वर्ष 2008-2013 के कार्यकाल में 2,433 नक्सली घटनाएं घटित हुई थीं। वर्ष 2013-2018 के कार्यकाल में 651नक्सली घटनाएं घटित हुई, जिसमें हमारे

176 पुलिस के जाबाज जवान शहीद हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दर्जनों फर्जी मुठभेड़ के मामले में भी सामने आये थे।

माननीय सभापति महोदय, शासन की विकास योजनाएं वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मात्र कागजों तक सीमित थी। लेकिन हमारे सरकार के मुखिया विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। शांति, सुरक्षा, विकास और विश्वास के एजेण्डे पर चल रही है, उसमें हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। माननीय सभापति जी, दिसम्बर, 2018 में छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में शासन के महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। हमारे 27 माह के शासनकाल में 3 स्मार्ट पुलिस थाना भवन, 1 पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय भवन, 5 नवीन थाना भवन, 10 चौकी भवन, 5 अनुविभागीय पुलिस थाना भवन, रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट हास्टल, पुलिस कर्मचारियों के लिए एक हजार आवास का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की सालों से मांग थी, वे परिवार के साथ नहीं रह सकते थे, उनके लिए भी एक हजार आवास गृह बनाने का निर्णय, हमारी सरकार का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है।

माननीय सभापति महोदय, शहीद जवान के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा अनुरूप प्रदेश में हमारी 27 माह के कार्यकाल में भूपेश बघेल जी की सरकार 44 शहीद जवान के परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई है। राज्य के 8 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासियों के खिलाफ मामलों की समीक्षा और प्रकरणों की वापिसी हेतु पुनर्विचार करने के लिए समिति गठित कर 1153 प्रकरणों में से 749 प्रकरणों पर अनुशंसा मिली तथा न्यायालय से 323 निराकृत प्रकरण वापिस किए गए हैं। यह हमारी सरकार की सोच है। 15 साल तक डॉ.रमन सिंह की सरकार बेगुनाह लोगों को नक्सली बनाकर अंदर कर दिए थे, उन बेगुनाह लोगों को निकालने की अगर किसी में हिम्मत है तो हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल की सरकार में है। 15 सालों तक चिटफंड कम्पनियों को प्रश्रय दिते थे, उन कम्पनियों के कार्यालयों का उद्घाटन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री, उनके नेता करते थे। करोड़ों रूपये चिटफंड कंपनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मेहनतकश जनता का डकारने वाले, उनको प्रश्रय देने वालों को हमारी सरकार ने नहीं बख्सा है। प्रदेश की चिटफंड कंपनियों ने प्रदेश के कई लोगों को लालच में फंसा लिया था तथा लाखों परिवार इसमें प्रभावित हुए थे। भाजपा शासनकाल में चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर, पदाधिकारी और एजेंटों को खुली छूट दी गई थी। हमारी सरकार ने चिटफंड कंपनी द्वारा आर्थिक लेनदेन के कार्य की आड़ में प्रदेश में 150 से अधिक चिटफंड कंपनियों को भाजपा ने संरक्षण दिया था। फिर से उन कंपनियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। रिकार्ड के अनुसार कुल 79 अनियमित वित्तीय कंपनियों में 3 अरब 43 करोड़ 2 लाख 68 हजार 305 रूपये का गबन किया गया था। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। उसमें शासन और पुलिस विभाग एक्शन लेते हुए उसमें हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी

सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 446 डायरेक्टर, 175 पदाधिकारी और 194 एजेंट गिरफ्तार किए गए एवं इन कंपनियों की संपत्ति कुर्क करके 16796 निवेशकों के खातों में अंतरित कर सरकार के वायदे पूरा करने की शुरूआत कर दी है और आने वाले समय में जो भी चिटफंड कंपनियां हैं, छत्तीसगढ़ की मेहनतकश मजदूर, आम जनता, किसानों का पैसा लूटने का काम किया है, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि चिटफंड कंपनियों से पैसा वापस लेकर उनके जमीन की नीलामी द्वारा बेचकर हमारे मेहनतकशों का पैसा वापस करेगी। हमारी सरकार अपने वायदे पर कायम है।

माननीय सभापति महोदय, भाजपा शासनकाल में सुरक्षाबलों के जवानों में आत्महत्या की घटनाएं होती थीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षाबल के 115 जवानों ने अलग-अलग कारणों से आत्महत्या की थी। 2017 में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जवानों ने आत्महत्या की थी। इन आतम्हत्याओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया डॉ. रमन सिंह की नीतियां जिम्मेदार थीं। जिन परिस्थितियों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की तैनाती की जाती है वहां किसी प्रकार की व्यवस्था जवानों के लिए नहीं रहती। जवानों के ऊपर मानसिक दबाव रहता था। हमारी सरकार ने जवानों के मानसिक तनाव को कम करने की दृष्टि से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात पुलिसकर्मियों को तीन महीने के ड्यूटी के बाद 8 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान किया और मैदानी क्षेत्रों में साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय किया। कंपनी के कमांडर, इंस्पेक्टर और विभिन्न पुलिस कंपनियों के कांस्टेबल को भी साप्ताहिक अवकाश प्रणाली का लाभ मिल रहा है। भाजपा शासनकाल में चोरी, डकैती, लूट के आंकड़े मैंने पहले ही बता दिया है। आज कहीं न कहीं हमारी सरकार की नीतियां और बातें हैं मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं । आज प्रदेश के नागरिकों के जीवन को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण देने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्रदेश देश में नक्सल राज्य के रूप में कुख्यात था उस प्रदेश में आज खेती किसानी के लिए देश में चर्चा होती है तो ये निश्चित तौर पर राहत देने वाली बात है। आज हमारी सरकार के लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर जो प्रतिबद्धता दिखाई गई है उसका परिणाम है कि आज हम शांति की ओर सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रदेश की राजधानी में पिछली सरकार के राज में महिला कांस्टेबल तक सुरक्षित नहीं थी, जिस प्रदेश की राजधानी में साहूकार के गुर्गे कर्जदार की पत्नि को सरेराह अपहरण कर उसकी ईज्जत से खेलने का दुर्साहस करते थे उस प्रदेश में आज महिलाएं बच्चियां, रात को 12.00 बजे तक बेखौफ घूमती हैं। राजधानी की सड़कों पर आ-जा सकती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय गृहमंत्री जी और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को दिल से धन्यवाद् देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के शासनकाल में सरकारी आश्रमों में मासूम बच्चियों के साथ भी दुराचार किये जाते थे चाहे झलियामारी की घटना हो, चाहे नारायणपुर की घटना हो, बीजापुर हो, बलोद की घटना हो सरकारी कन्या आश्रमों में

हमारी 6 साल से 14 साल की बच्चियों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दुराचार होते थे।

माननीय सभापति महोदय, वह घटना यादकर के हमारा कलेजा अभी भी सिहर उठता है। तात्कालीन सरकार ने लोगों के साथ विश्वासघात किया।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। आपको आधे घण्टे का समय हो गया। आप संक्षेप में कहिए। आश्रमों में बालिकाएं सुरक्षित नहीं थी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहला वक्ता हूँ मुझे 10 मिनट का समय और दीजिए। मैं 10 मिनट में दो विभागों की बात कहता हूँ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मरकाम जी, मंत्री जी भी नहीं सुन रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, वह सुन रहे हैं बैठे हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मरकाम जी, जिनको विपक्ष बोल रहे हैं, वह लोग भी नहीं है। आप जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं और पुलिस और एस.पी. के विरूद्ध में आप ही बयान देते हैं और पुलिस की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, पूरा छत्तीसगढ़ सुन रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने शासकीय कन्या आश्रमों में बच्चियों की सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड के 2हजार 200 नये पदों की स्वीकृति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और उनके वायदों को निभाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की पुलिस को नागरिक सुरक्षा और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के रक्षा के लिए जवाब देह बनाया है। आज छत्तीसगढ़ पुलिस "परित्राणाय साधुनामं विनाशाय च दुष्कृताम्" के अपने सूत्रवाक्य को चरितार्थ कर रही है। आज कहीं न कहीं पुलिस राज्य में जवाबदेह और विश्वसनीय पुलिस देने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। राहत इंदौरी साहब की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ कि

"मेरी तहरीर है जज्बा मेरी पेशानी पर,
जब जुबा जिल्लत ये इजहार की मोहताज नहीं,
लोग होठों पर सजाए हुए फिरते हैं मुझे
मेरी सोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं।"

माननीय सभापति महोदय, जो धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मैं केवल 10 मिनट में अपनी बात कहूंगा। छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परम्परा रीति, नीति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम हमारी सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल साहब ने किया है और जो हमारे

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू साहब ने किया है जो हमारी 100 सालों से अधिक जो माघी पुन्नी मेला है उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयागराज राजिम जहां सोंढूर, पैरी महानदी इन तीनों नदियों के संगम स्थल पर बसा राजिम प्राचीन काल से छत्तीसगढ़ का तीर्थस्थल रहा है। वैदिक काल में भी जो अंग्रेजों के समय में जो गजेटियर थाउसमें भी उसका उल्लेख है। उसको पुनर्जीवित करने का काम हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार और आदरणीय मंत्री ताम्रध्वज साहू साहब ने किया है। कहीं न कहीं उसके लिए बजट में भी प्रावधान किया है ताकि भव्य रूप से राजिम माघी पुन्नी मेला चले। गिरौधपुरी धाम पूज्य गुरूघासीदास की तपोभूमि पुन्य भूमि के लिए जो मेला हर साल लगता है विद्युत, पेयजल व्यवस्था के लिए भी 10 लाख का आवंटन किया गया है। उसके साथ-साथ दामाखेड़ा मेला जो कबीर पंथ, जो विश्व के लोग, कबीरपंथी लोग, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, देश के कबीरपंथी लोग आते हैं। संत कबीर जी ने सत्य का रास्ता दिखाया है। बलौदाबाजार के ग्राम दामाखेड़ा के दामाखेड़ा मेले लिए भी 25 लाख रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। जशपुर दहशरा के लिए 10 लाख रुपये, लालपुर मेले के लिए 10 लाख रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। बस्तर जहां से मैं आता हूं, बस्तर का ऐतिहासिक दशहरा पर्व छठवीं, सातवीं सदी से लेकर लगातार चल रहा है और जो बस्तर की पहचान है। दशहरा पर्व मनाते हैं। बस्तर दशहरा पर्व के लिए 2020-21 के बजट में 25 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार ने मांझियों का मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है, चालकियों के लिए मानदेय 1500 रुपये दिया है, मेम्बरीनों के लिए 1100 रुपये के मानदेय की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। हमारी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के हितों के लिए काम कर रही है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारे आदरणीय साथी जेल विभाग के बारे में जो बातें कह रहे थे। हमारे जेल के कैदियों की सुरक्षा से लेकर, उनके हितों की रक्षा के लिए, बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं व्यवस्थापन, बंदियों का स्वास्थ्य एवं शिक्षा, बंदियों को विविध सहायता उपलब्ध कराना, स्वस्थ मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं बंदी पुनर्वास के लिए भी हमारी सरकार लगातार काम रही है। इसलिए माननीय गृह मंत्री के तौर माननीय गृह विभाग की जो अनुदान मांगे प्रस्तुत की हैं, मै उन अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, मुझे कितना वक्त देंगे, कृपा करके आप जरा बता दें। मैं उसके हिसाब से कोशिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, मेरे इस छोटे से राजनीतिक जीवन में यह पहला अवसर है जब मैं किसी मंत्री जी के विभाग में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और

उन्हीं विभाग के माननीय मंत्री यहां पर किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हैं। मुझे आपत्ति नहीं है, मैं उसके बावजूद बोलूंगा।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- वह बोलकर गये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं समझ गया, मैं भी 17 साल से देख रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को जिक्र करना था, इसलिए मैंने किया। भारतवर्ष के 6 प्रदेशों से घिरे हुए छत्तीसगढ़ में हमारे पुलिस की चुनौती बहुत ज्यादा गंभीर है। हम यह समझ सकते हैं कि 6 राज्यों से घिरे हुए प्रदेश में भांति-भांति की समस्या इस प्रदेश में आना ही है और उसका मुकाबला या उससे निपटना हमारी पुलिस का काम है। मैं जब यहां खड़े होकर बोल रहा हूं तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पुलिस खराब है। हमारे पुलिस के जवान बेहद बहादुर हैं, अच्छे हैं। लेकिन अगर व्यवस्था ठीक न हो, अगर उनके पास संसाधन ठीक न हों, अगर उनके ऊपर राजनीतिक दबाव न हो तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। आज की स्थिति में असुरक्षा और भय के वातावरण में लोगों को रहना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी से दो-तीन चीजों को जानना चाहता हूं जिसका वह जवाब जरूर देंगे। छत्तीसगढ़ के पुलिस थानों में जितने बल की स्थापना होनी, उतने पुलिस के बल वहां पर्याप्त मात्रा में तैनात हैं या नहीं हैं? जब कोई घटना घटती है और जब पुलिस का बल किसी को पकड़ने उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, यूपी, बिहार कहीं पर भी भेजा जाये तो उनके भेजने के लिये जो खर्चे की व्यवस्था होती है तो आप यह बताईये कि वह आपके पास प्रावधानित है कि नहीं है ?

माननीय सभापति महोदय, मेरी जानकारी में कोई भी बड़ी घटना में जब पुलिस के अफसर, सिपाही, हवलदार जाते हैं तो लोकल टी.आई. जो उस जगह का होता है वह बेचारा इंतजाम करके उनको पैसा देता है । आप मुझे बताईए, आप इस बात का जिक्र जरूर करियेगा कि आपके पास किस हेड में कितना पैसा है और आप उसमें से पैसे देते हैं या नहीं देते हैं ? मैं यहां यह कह रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं कि अगर किसी बच्चे का अपहरण हो गया और उसको पकड़ने के लिये कोई पुलिस जा रही है, मान लीजिये रायपुर से जा रही है तो यहां का टी.आई. इंतजाम करके पैसा देता है इसलिए माननीय मंत्री जी एक व्यवस्था रखिए अगर इंवेस्टीगेशन के लिये, अगर किसी अपराधी को पकडने के लिये, अगर किसी की पतासाजी करने के लिये आपका कोई जवान जाये तो उसको आर्थिक रूप से इतनी व्यवस्था करके भेजिए कि वह वहां पर जाकर भूखे-प्यासे परेशान मत रहे । मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि सिपाहियों ने जो मार खाते हैं, लड़ते हैं, अपराधियों से झगड़ते हैं, पकड़कर लाते हैं, उनकी तन्ख्वाह को जो 2800 रूपये पे-स्केल की मांग कर रहे हैं, आप उसे करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं ? मैं होमगार्डस की स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश में होमगार्डस की स्थिति बहुत ही तकलीफदायक है । बेचारे दिन-रात अपना जीवन खपाते हैं लेकिन उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई शेफ्टी नहीं है, कोई तन्ख्वाह नहीं है, बंधुवा मजदूर से भी बद्तर आप उसको तन्ख्वाह देते हैं, उसके बारे

में आपको विचार करना होगा । अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको सुरक्षा देनी होगी, आपको उनको व्यवस्था देनी होगी, उन्हें संसाधन देना होगा । अगर आप प्रदेश में शांति चाहते हैं तभी विकास होगा । जिस प्रदेश में शांति का वातावरण न हो तब तक कोई भी प्रदेश विकास नहीं कर सकता । चाहे आप जितना भी इंवेस्ट कर लें, चाहे आप जितने करोड़ का बजट रख लें, चाहे आप जितने किस्म का यहां पर भाषण दे लें । माननीय मोहन मरकाम जी की तो आदत है, यहां भाषण देते हैं और चले जाते हैं और दूसरों की सुनने के लिये बैठते नहीं हैं । आप 2 साल से बार-बार भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगुली दिखा रहे हैं लेकिन तीन उंग्लियां तो आपकी तरफ भी ईशारा कर रही हैं कि आप जरा अपने 2 साल के गिरेहबान में झांककर देखिए । आप अपने किसी भी दायित्व से उंगुली दिखाकर नहीं बच सकते । भाजपा ने क्या किया, क्या नहीं किया उसका परिणाम जनता ने दिया लेकिन अगर भाजपा ने ऐसा किया है तो वैसा ही हम करने की सोचेंगे तो मैंने कल ही कहा था कि फर्श से उठाकर जनता अर्स तक पहुंचाती है, वही जनता अर्श से उतारकर के फर्श में पटक देती है इसलिए आप आलोचना किसी एक पार्टी की मत करिये, आप समालोचना करिए कि सरकार को हम अच्छे सुझाव दें, हमारी पुलिस अच्छा काम करे, यहां अपराध न घटे । जब हम किसी को बुलाते हैं तो जब हम यह बोलते हैं कि बस्तर घूमने चलना है तो बैंगलोर वाले बोलते हैं कि वहां तो बहुत नक्सली हैं, अब उनको कौन समझाये कि जगदलपुर शहर तक तो नक्सली नहीं हैं लेकिन यह हल्ला, बदनामी, जो दुष्प्रचार हुआ है उससे भी हमारे प्रदेश को बहुत नुकसान होता है इसलिए हमें अपने फोर्स को पॉवरफुल बनाने के लिये काम करना चाहिए ।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि बिलासपुर के सांसद, बिलासपुर के जनप्रतिनिधि, बिलासपुर के मेयर, मैं बिलासपुर का एमएलए नहीं हूं लेकिन वहां रहता हूं इसलिए नागरिक की हैसियत से मैं भी यह चाहता हूं कि सिटी कोतवाली बिलासपुर को वहां से हटाकर एक पशु औषधालय जो एक बहुत बड़े कैंपस में है, वहां पर सिटी कोतवाली की आलीशान बिल्डिंग बनाने के बाद उसको वहां से हटवाईए और वहां पर मल्टीस्टोरी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए । बिलासपुर शहर के अंदर बहुत दबाव बढ़ गया है । उसी तरह से हमारा जेल, चूंकि जेल भी छोड़ा पड़ गया है, बीच शहर में है, उसका कुछ और उपयोग करेंगे । एक बड़ा सा जेल बनवाईए । क्षमता वाला जेल बनवाईए और वहां पर हमारे जो कैदी भाई हैं उनके भी रहने के लिये सुव्यवस्थित व्यवस्था हो सके । कल ही हमने पढ़ा कि 8 करोड़ रूपये का नोट एक इंजीनियर ने छापा, वह भी रायपुर की राजधानी के नये रायपुर में, इतना तो पूछने का अधिकार है न कि आपकी पुलिस का खूफिया एजेंसी क्या कर रही थी । कोरापुट में पकड़ाया, कोरापुट की पुलिस यहां आई तक पता चला कि उसने 8 करोड़ का नकली नोट छाप दिया । शराब के बारे में मैंने कल ही कहा था कि यहां के 2-3 होटलों में लॉकडाउन के समय में शराब की ट्रकें खुलेआम आती थीं और बिक्री होती थी । न कोई पुलिस वाला उनको पकड़

सकता था और न ही उनमें हिममत थी। क्योंकि अगर पुलिस के काम में राजनीतिक हस्तक्षेप होगा तो निश्चित रूप से पुलिस बेबस और कमजोर हो जाएगी । सभापति महोदय, शराब की बीमारी से तो पूरा प्रदेश जूझ ही रहा है । ड्रग्स की एक नई बीमारी आ गई है, ड्रग्स के कनेक्शन बड़ी-बड़ी जगहों से यहां जुड़े हुए हैं । गृहमंत्री जी, शराब तक तो ठीक है, आप कृपा करके ड्रग्स से हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी को बचाइए । रेत माफिया, कोल माफिया, अपहरण करने वाले, हत्या करने वाले, बलात्कार करने वालों में पुलिस का ख़ौफ़ पैदा करिये । पुलिस का काम क्या है । डर का नाम ही पुलिस है । अपराधी अगर पुलिस से डर गया तो अपराध नहीं होगा और अपराधी पुलिस से नहीं डर रहा है तो अपराध होगा, इसलिए डर का नाम ही पुलिस है, उनमें जज्बा पैदा करिये । गृहमंत्री जी आप पुलिस को संरक्षण दीजिए । लेकिन यदि रात को फोन जाता है, एस.पी.हटाए गए । फिर फोन जाता है, कलेक्टर हटाए गए । अगर वह कुछ करने का सोचे भी तो उनको संरक्षण कौन देगा । अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा ? यदि रात को उसके ट्रान्सफर की स्थिति रहेगी तो हर अधिकारी सबेरे उठकर अखबार पढ़ता है कि मेरा ट्रान्सफर तो नहीं हुआ । इस तरीके की स्थिति में कोई भी अधिकारी खुलकर काम नहीं कर सकता । मैं चाहता हूं कि पुलिस फोर्स को पूरा पैसा दिया जाए । ज्यादा से ज्यादा राशि दी जाए । आप पुलिस के अफसरों से, जवानों से मीटिंग लें, क्षेत्र में दौरा करें । गृहमंत्री का दरबार लगे, उसमें लोग फरियाद करें । गांवों में बहुत से फरियादी लोग हैं जो बेचारे बहुत तकलीफ में रहते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती । मैं आपसे सिर्फ दो रिपोर्ट का ज़िक्र करना चाहूंगा । मैं स्पेसीफिक दो रिपोर्ट बता रहा हूं। वनग्राम निवासखार में रेंज ऑफिसर ने गांव के लोगों से मारपीट की, उसने आपकी खुड़िया पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया और उसमें आपकी पुलिस ने हमारे 19 लोगों को जेल भेजा । हमने कोर्ट से छुड़वा लिया । छुड़वा भी लिया, वकील भी लगा दिया और सब कुछ कर लिया । वे इसलिए छूट गए कि आपने उन्हें शिकार के अपराध में पकड़ा था । वन विभाग वालों से मारपीट का मनगढंत आरोप लगा था, न तो उन्होंने शिकार किया था और न ही उन्होंने मारपीट की थी, कोर्ट ने जमानत दे दी । लेकिन वही गांव वाले उसी तारीख में खुड़िया में फॉरेस्ट के रेज के अफसरों के खिलाफ जो रिपोर्ट लिखाई, उसमें क्या हुआ । अगर अपने जवाब में बताएंगे तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा । माननीय मंत्री जी, कोतरी में एक डीएवी स्कूल है, वहां के एक शिक्षक ने एक बच्चे और उसके माता-पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, जिसमें बड़े-बड़े हाईजेक एप्रोच से पुलिस ने झूठा फर्जी मुकदमा दर्ज किया । हाईकोर्ट से हमने उसमें जमानत करा दिया । लेकिन उसी घटना में उसी स्कूल के टीचर के खिलाफ वहां के अभिभावकों ने रिपोर्ट लिखवाई, उसमें कौन सी दफ़ा लगी, ज़रा यह ज़रूर बताइएगा । माननीय मंत्री जी, अगर पुलिस, अगर थाना, अगर थानेदार चेहरा देखकर दफा लगाएगा । टेलीफोन से दफा लगाएगा तो न्याय नहीं हो सकता, यह मेरी मान्यता है । माननीय मंत्री जी, आपे पी.डब्ल्यू.डी. में भी बहुत बजट प्रावधान हुआ है, बहुत अच्छी बात है । सड़कें अच्छी बननी चाहिए । हम यह बोल रहे हैं तो आप यह मत समझिए, मैं

तो आपका बड़ा सम्मान करता हूं । आप अनुभवी हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, फिर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी बनने वाले थे, हो सकता है बन भी जाएं। लेकिन 2019-20 के बजट में जो कार्य शामिल हुआ था । एक छोटा सा काम मैंने 2019-20 के बजट में लिखा था कि लोरमी के अंदर ही 800 मीटर रोड को बना दिया जाए, बजट में प्रावधान होने के बाद 2021-22 का बजट आ गया, उसको क्यों नहीं बनना चाहिए था ? आप कृपा कर दीजिएगा, उससे आपका नाम होगा । लोरमी में आपके बारे में लोगों में अच्छी धारणा रहेगी । आपने भी हमें 6 काम दिये हैं। इस 6 काम के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इन सभी कामों में से सबसे ज्यादा जरूरी काम था, जो मैंने सदन में बोला था कि कारीडोंगरी के पास एक पुल बनना चाहिए ताकि खुड़िया डेम की सुरक्षा हो। उसे आपने बजट में रखा, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह शिकायत नहीं करूंगा कि आपने दूसरों को 16 दिया, मुझे क्यों 6 दिया? अगर आप 1 काम भी देते और उस पुल को देते तब भी मैं उतना ही आभार प्रकट करता जितना मैं अभी 6 काम के लिए कर रहा हूं या इसके आगे भी बढ़ता। आपके लिए आभार है, लेकिन माननीय मंत्री जी एक बात को मैं बहुत पीड़ा के संग यहां व्यक्त करना चाहता हूं। आप उसे संज्ञान में जरूर लीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, अचानकमार टाइगर रिजर्व के बीच से एक रास्ता गुजरता है। कोटा के गोबरीपाट से लेकर केवची तक और उसके बाद मध्यप्रदेश लगता है और उसके बाद मध्यप्रदेश लगता है। केवची के आगे अमरकंटक 15 किलोमीटर के बाद। उस रोड को वन्य विभाग के लोगों ने अधिकारियों से मिलकर बंद करा दिया था। मतलब वहां के 30 गांव के लोग पूरी दुनिया से कटऑफ हो गये थे और पूरी दुनिया उनसे कटऑफ थी। मैं हाईकोर्ट गया और उस हाईकोर्ट से उस रोड को मैंने खुलवाया। उस रोड के खुलने के बाद जब हाईकोर्ट ने उस रोड को खोल दिया तो आपके विभाग को उसमें मरम्मत कराने में क्या तकलीफ है? मैं यह जानना चाहता हूं। उसे आप जवाब में बताइएगा और मुझे यह मत बताइएगा कि अचानकमार टाइगर रिजर्व का एरिया है। क्योंकि मैं उटी गया था, उटी से जब मैं मैसूर आ रहा था तो मैंने बीच में बांदीपुर गया, क्या नेशनल पार्क है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- साहब, दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। ज्यादा नहीं है। थोड़ा गरीबों की बात तो कर लेने दीजिए। मैं तो सरकार की आलोचना तो नहीं कर रहा हूं। मैं तो मंत्री की तारीफ कर रहा हूं कि वे वे कुछ देंगे करके। तो यह सड़क बनने से 3 फायदे हैं। टूरिस्ट जायेग। फॉरेस्ट के लोग जायेंगे और मंत्री जी, याद रखिए जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूं, वह पुलिस के रिकॉर्ड में संदिग्ध नक्सली गतिविधियों के लिए भी चिन्हित है। अगर नक्सली वहां बढ़ जायेंगे तो उसके बाद आप सड़क बनाना चाहेंगे न तो सरकार का पसीना बह जायेगा, लेकिन सड़क नहीं बना पायेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उस सड़क को बनाइए। वह मध्यप्रदेश के बॉर्डर से लगने वाली सड़क है और बनाना भी नहीं है,

सिर्फ मरम्मत करना है। बहुत अच्छी सड़क है। थोड़ा सा मरम्मत कर दीजिए। उसके लिए आप नहीं करेंगे तो माननीय मंत्री जी, अब हम क्या कर सकते हैं।

समय :

2.12 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

आपने पर्यटन के लिए सब जगह दिया। भाजपा शासन में बने हुए कामों की फोटो भी लग गई। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। सरकार तो सरकार है चाहे वह कांग्रेस की हो या चाहे वह भाजपा की हो या उसके पहले कांग्रेस की हो या और किसी की हो। सरकार में बैठे हुए लोगों को काम तो करना ही है। खुडिया में 1930 में अंग्रेजों ने एक डेम बनाया है। उस डेम को शायद आपने कभी देखा नहीं है। वह बहुत ही सुंदर बांध है। उससे लाखों एकड़ सिंचाई होती है। वहां का रेस्ट हाउस बहुत बढ़िया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां पर सत्र के बाद जाउंगा। वहां का जो डूबान एरिया है, वहां बैठकर खाना बनवाता हूं। अपने लोगों को खिलाता हूं। खुद भी खाता हूं। तो मुझे लगता है कि पुरी बीच का थोड़ा सा फिलिंग आता है। तो जैसे सतरेंगा आपका है, वैसे ही तो वह है। वहां पर भी तो कुछ 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख खर्चा करो, जब इस सरकार ने दो साल में कुछ नहीं किया तो मैंने मजबूरी में अपने विधायक निधि से एकमुश्त 20 लाख रूपये देकर पर्यटन कुटरी बनाने के लिए प्रोफेसर पी.डी.खेरा के नाम से वहां दिया। आप हमारे यहां भी ख्याल रखिए। जो सुंदर हो, जो पात्र हो, जो बढिया हो, जहां जाने से लोगों की तबीयत खुश हो, आप ऐसी जगह में बनवाइए न। अब आप सारागांव के पास एक ठोक पुरानी सरकार में बना दिये। वहां पर कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू सब घूम रहे हैं। बंद है। अरे, उसी को किन्हीं महिला लोगों को दे दो, वे कम से कम होटल-वोटल चलाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक राजमेरगढ़ है। आप गये हैं या नहीं गये हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो गया हूं। कोटा विधान सभा के पेंड्रा-गौरेला में मंत्री जी आपका एड्रेस उधर ज्यादा रहता है तो आप भी थोड़ी पहल कर देना। राजमेरगढ़ अमरकंटक से 7-8 किलोमीटर दूर हमारे छत्तीसगढ़ में है। चारों तरफ पहाडियों से घिरा है। जोगी जी के शासनकाल में हमने राजमेरगढ़ में अमरकंटक धाम बसाने के लिए इस विधान सभा में प्रस्ताव पास किया था । मैंने ही रखा था। तो वहां पर आप कम से कम अपने अधिकारियों को भेजकर प्रारंभिक प्राक्कलन कराकर देख लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ? छत्तीसगढ़ के लोग अमरकंटक जाते हैं, लेकिन वहां रहने की जगह नहीं है, वहां पर होटल नहीं है, वहां पर व्यवस्था नहीं है । हमारे छत्तीसगढ़ के लोग कम से कम राजमेरगढ़ जाएं, जहां पर चारों तरफ सुरम्यवादी है, प्राकृतिक छटा है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, उसको भी आप दिखवा लीजिएगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्मस्व विभाग में बड़े-बड़े ट्रस्ट हैं और उस ट्रस्ट में बड़े-बड़े लोग बैठे हुए हैं और करोड़ों की जमीन बेच रहे हैं। एक बार उसको भी चेक करा लीजिएगा । अंत में मेरा आपसे

आग्रह है कि लालपुर थाना में पूज्य बाबा घासीदास जी का मेला 1960 से भरता है । आपके विभाग से उसमें पैसा जाता भी है, लेकिन उस पैसे की राशि को ज्यादा बढ़ा दीजिए । वहां पर पूज्य बाबा गुरू घासीदास के नाम से जो मेला भरता है, उसकी सुविधा और बढ़ सके, उसके लिए उस क्षेत्र की जनता आपके प्रति आभार प्रकट करेगी । माननीय वन मंत्री जी आ गए, अच्छा हो गया, मैं बात को फिर से रिवर्स कर लेता हूं । मैं अचानक मार्ग रोड़ की बात कर रहा था । जब मैं आपसे बात कह रहा था तो वन मंत्री जी नहीं थे, संयोग से वे आ गए हैं । उस रोड़ की मरम्मत कराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए । आप प्रस्ताव बना दीजिए और माननीय मंत्री जी, उसमें अधिकारियों को बुलवाकर अगर छोटा-छोटा गड्डा पाट देंगे तो केंवची तक पहुंच हो जाएगा । जब हमारे क्षेत्र के लोग अमरकंटक जाना चाहते हैं तो बोलते हैं कि इस रोड़ से जाएं क्या ? तो मना करते हैं कि मत जाओ, परन्तु उसी रोड़ में जो 70-80 किलोमीटर की सड़क है, दोनों तरफ पहाड़ी है, अचानकमार टाईगर रिजर्व है, घाट है, नदी है, नाला है तो सिर्फ ट्रेफिक जाने देने के लिए उस रोड़ को अच्छा कर दीजिए, बाकी फारेस्ट का कानून लागू रहेगा । वे जैसा नाके में चेक करें, उधर चेक करें, पर सड़क बनने की अनुमति के लिए जहां तक मुझे ख्याल है कि शायद आपके विभाग से उसकी अनुमति हुई भी थी, लेकिन सड़क बनने में वन विभाग की ओर से अडंगा आया था इसलिए आप भी वरिष्ठ मंत्री हैं, वे भी वरिष्ठ मंत्री हैं, आपसे भी हमारे बहुत प्रेम हैं, उनसे भी बहुत प्रेम हैं । दोनों मंत्रिगण मिलकर कृपा करो भैया, हमारे जनता को आने-जाने के लिए रास्ता दिला दो, यही तो मांग कर रहे हैं । उसमें पुलिस भी जाएगी, वन विभाग वाले भी जाएंगे, पब्लिक भी जाएगी, टूरिस्ट भी जाएंगे । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर ध्यान देंगे और जिस तरह से 2019-20 में बजट कागजों में शोभायमान था, उसी तरह से यह बजट शोभायमान नहीं रहेगा । कम से कम आप इस बजट का क्रियान्वयन जरूर कराएंगे, अन्यथा हम यह बजट देखकर खुश होते हैं, अखबार में छपवाते हैं कि माननीय धर्मजीत सिंह, विधायक के बहुत प्रयास से ये-ये काम मंजूर हुए और काम का अता-पता नहीं रहता । फजीता अलग होता है इसलिए हमको बेईज्जती से बचाओ, मदद करो, हमारी रक्षा करो, ईज्जत से बचाओ, आपसे यही फरियाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चन्द्राकर जी, श्री धनेन्द्र साहू जी, श्री संतराम नेताम जी, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग के बजट पर अपने विचार रखूंगी । जब प्रदेश में हीरा उगलता रहे, मोती उगलता रहे और सड़क की खराब स्थिति रहे तो उसकी कल्पना से हम सिहर जाते हैं। जब पुल खराब हो और बाढ़ आ जाए तो इंटरव्यू देने वाले युवाओं की मन की बात सोचो तो दिल सिहर उठता है, लेकिन माननीय लोक निर्माण मंत्री ने चाहे सामान्य क्षेत्र हो, चाहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र हो, चाहे केन्द्रीय सहायता से मद

हो या ए.डी.बी. के द्वारा हो। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत, उस विचारधारा के तहत, उस सपने को साकार करने का अपनी तरफ से बजट के अनुसार पूरा प्रयास किया है। जिला स्तर भी विभिन्न प्रशासनिक भवनों का निर्माण किया है। उन्नयन, विस्तार और जवाहर सेतु के निर्माण पर विशेष ध्यान किया है क्योंकि न केवल शहरी स्तर पर बल्कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में पूरे वर्षभर लोगों को आवागमन की सुविधा मिले। इसके लिये भी ध्यान दिया है। राज्य शासन की योजनाओं, केन्द्रीय योजनाओं कें अंतर्गत मार्गों पुलों, ओव्हरब्रिज, फ्लाईओव्हर, अंडरब्रिज आदि का निर्माण करके अपने दायित्व निभाने का काम कर रहे हैं और विभाग को वर्ष 2020-21 में 6453.23 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है और वर्ष 2020 तक 2099.04 का व्यय कर चुके हैं। लोक निर्माण विभाग राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुसार कार्य को संपादित करते हैं। सामान्य क्षेत्र के लिये वर्ष 2020-21 में 160 सड़क कार्य, 17 पुल निर्माण कार्य पूर्ण कर चुके हैं, 196 सड़क 59 पुल का कार्य प्रगति पर है। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 28 सड़क कार्य, 10 पुल कार्य पूर्ण कर चुके हैं, 85 पुल प्रगति पर है और 201.43 करोड़ बजट दिया गया है। अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत 12 सड़क 5 पुल कार्य किये गये हैं, 35 सड़क 17 पुल का कार्य प्रगति पर है और 2020 तक उन्होंने 58.58 करोड़ व्यय किया है। मेरे सिहावा क्षेत्र के लिये खुशी की बात है, 2 बड़े ए.डी.बी. का सड़क निर्माण किया जा रहा है, नवापारा से मगरलोड तक और मगरलोड से कुकरेल तक है। उसी तरह से पांडुका से मेघा तक का ए.डी.बी. के द्वारा बड़े लंबे चौड़े सड़क का निर्माण किया जा रहा है जिससे मगरलोड की जनता में हर्ष है। मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा। क्योंकि सड़क के माध्यम से क्षेत्र के विकास की गति दिखाई देती है। उनके द्वारा 25 महत्वपूर्ण राज्य कार्य 869 किलोमीटर का कार्य स्वीकृत किया गया है, 24 मार्ग प्रगति पर है और वर्ष 2020-21 में 940 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ए.डी.बी. के द्वारा सड़क बनाया जायेगा तो बहुत ही अच्छा और लंबा चौड़ा सड़क बनाया जायेगा। इससे विकास की झलक दिखाई देती है। राज्य मद के अंतर्गत जवाहर सेतु योजना का कार्य भी संपन्न किया गया है, 48 कार्य में 330 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है, 16 कार्य प्रगति पर है। 41 कार्य निविदा स्तर पर है और नाबार्ड लोन से 22 कार्य हेतु 171.76 करोड़ स्वीकृत किया गया है और 21 कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत वर्ष 2021 में 256 करोड़ रूपये का प्रावधान है और 2157 मार्ग 370 किलोमीटर का है, उसमें 256 करोड़ स्वीकृत है। मैं यहां पर माननीय मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देती हूं कि क्योंकि मेरे क्षेत्र में तीन बड़ा पुल है जिसके कारण आवागमन की बहुत दिक्कत होती थी, एक बिरनासिली का पुल है, एक सिंगनवाही कट्टीगांव का पुल है और एक सिलैर्य नदी पर पुल बनाया जा रहा है, मैं इसके लिये भी हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देती हूं। क्योंकि उनको बरसात में चलना, उनको बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होती थी, वह गांव में ही कैद हो जाते थे। 8 सड़क मरम्मत कार्य के और 8 नवीन सड़क

निर्माण के लिये मिला है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क के 27 कार्यों के लिये 2.41 करोड़ का कार्य मिला है और दुधावा बासीन राजमार्ग भी मिला है, अनेक छोटे-छोटे पुल भी दिए गए हैं। इससे निश्चित तौर से क्षेत्र की समस्या का हल होगा। भवन निर्माण भी किया जा रहा है। भवन निर्माण का कार्य राज्य की योजनाओं एवं केन्द्रीय योजनाओं के द्वारा एस.सी. एस.टी. योजनाओं के माध्यम से इन बाहुल्य वर्ग क्षेत्रों में निर्माण कार्य किया जा रहा है। सामान्य क्षेत्र में 204.90 करोड़ व्यय किया गया है। एस.सी. एरिया में 32.89 करोड़ और एस.टी. एरिया में 1.45 करोड़ व्यय किया गया है। केन्द्रीय सड़क निधि के लिए भी प्रावधान है और 186.51 करोड़ व्यय किया गया है। राष्ट्रीय मार्ग के तहत छत्तीसगढ़ में 20 मार्ग है। इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सड़क सुरक्षा निर्माण योजना, यह एक बहुत ही प्रशसंनीय कार्य है। क्योंकि माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने देखा कि दुर्घटना का मुख्य कारण ब्लेक स्पाट होता है और इस ब्लेक स्पाट को चिन्हांकित किया गया है। साथ ही इसके लिए के बजट भी दिया गया है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देती हूं। साथ ही साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का भी चिन्हांकन किया गया है। क्योंकि वहां आवागमन का अभाव था। वहां के लोग मख्यधारा से दूर थे, वहां चिकित्सीय सुविधा का अभाव रहता था। नागरिक आपूर्ति भी नहीं कर पाते थे और वे मुख्यधारा से टूटे रहते थे। इनको सुधारने के लिए नक्सली क्षेत्रों की सड़कों एवं आवागमन को चिन्हांकित किया गया, उसके लिए भी बजट दिया गया है, जिससे वे मुख्यधारा से जुड़े सकें। साथ ही साथ शासकीय भवनों का भी निर्माण किया गया है। आम जनता और प्रशासन के बीच दूरी न रहे, दूरी कम रहे, इसके लिए शासकीय भवनों को हरियालीयुक्त बनाया गया है। पर्यावरण को भी ध्यान रखा गया है और आधुनिक साजसज्जा से सुसज्जित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवा रायपुर अटल नगर में राजभवन, मुख्यमंत्री, मंत्रीगणों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आवास बनाये जा रहे हैं 5 करोड़ 9 लाख 175 रूपये की स्वीकृति दी गई है। नवा रायपुर के विकास में यह कदम सराहनीय है। क्योंकि यहां से ये सारे भवन वहां जायेंगे तो भीड़ नवा रायपुर की ओर जायेगा यहां की घनी भीड़ कम होगी, भीड़ छटेगी और लोगों को मंत्रालय से काम कराने में सुविधा होगी। इसके अलावा बलौदाबाजर में आडोटोरियम, जांजगीर में फायर स्टेशन, नवा रायपुर में विश्राम गृह, जगदलपुर में सेन्ट्रल लायब्रेरी तथा अनेक शैक्षणिक भवन, बालक-बालिका आवास, विद्यालय, छात्रावास, आई.टी.आईद्व लाइवलीवुड, नर्सिंग, मेडिकल कालेज, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निर्माण किया गया है। इससे निश्चित तौर से रोजगारमुखी शिक्षा प्राप्त होगी, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास दिखाई देगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे लोक निर्माण मंत्री जी की बेरोजगारों के लिए ई-पंजीयन एक अभिनव योजना है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है तथा कार्य की लागत 5 करोड़ से अधिक है। सौ लाख से अधिक पर ग्रेजुएट इंजीनियर, 20 लाख से सौ लाख के लिए एक डिप्लोमा

इंजीनियर तथा आदिवासी एरिये के लिए हायर सेकेण्डरी का पंजीयन किया गया है। निश्चित तौर से 79 बेरोजगार इंजीनियरों को काम मिलेगा। अभी इंजीनयरिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा Recession है। इस Recession को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। इससे बेरोजगार इंजीनियरों में एक उत्साह आयेगा, उनमें आशा का संचार होगा और इंजीनियरिंग के प्रति लोग रूझान दिखायेंगे। माननीय मंत्री जी ने विकास कार्य के तहत जो भी सड़क, पुल-पुलिये दिए हैं, वह अनुकरणीय है। हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य दिया गया है, उसके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी (अनुपस्थित) श्री अशीष कुमार छाबड़ा जी

श्री आशीष कुमार छाबड़ा (बेमेतरा) :- मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की मांग संख्या 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37 के समर्थन में अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले सदन के माध्यम से प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लोक निमा्रण मंत्री जी को अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास की चिंता की है। जो बजट लोक निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें नेशनल हाईवे से लेकर गांव के जो धरसा की भी चिंता इस बजट के माध्यम से की गई है कि किस तरीके से हम गांव के धरसा को पक्का करे ताकि किसानों को आवागमन की सुविधा मिल सके। बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस हाईट की बात की थी, जिसमें i आता है infrastructure के लिए, उस infrastructure को मूर्त रूप देने के लिए मुख्य रूप से इस विभाग में अनेकों नई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। सड़क , पहुंच मार्ग किसी भी प्रदेश के विकास का पैमाना होता है। सड़क को अर्थव्यवस्था की धमनी माना जाता है। अच्छी सड़क उस राज्य के विकास का सूचक होता है। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम द्वारा 5225 करोड़ की लागत से 3900 किलोमीटर लंबी सड़क एवं पुल-पुलियों के निर्माण का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है। आने वाले समय में जब इन रोडों का निर्माण हो जायेगा, तो मैं पूरे विश्वास से सदन में यह कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश पूरे देश में विकास के लिए एक अलग पहचान बनायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र का जो शहर मुख्यालय है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व में 12ए था वह वर्तमान में 30 है वह उस शहर से होकर गुजरता है। पिछले लंबे वर्ष से उस निर्माण में बाईपास की मांग लगातार क्षेत्र और शहर की जनता के द्वारा की जा रही थी। चूंकि वह मार्ग जबलपुर से रायपुर को जोड़ता है वहां लगातार दुर्घटनाएं होती थीं और हम लगातार समाचार पत्रों में पढ़ते थे कि हर एक दो दिन के बाद दुर्घटनाओं में किसी न किसी की मृत्यु हो जाती थी। लोगों ने काफी आंदोलन किया, प्रयास किया और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्व में माननीय मंत्री जी खुद बेमेतरा के

विधायक रहे हैं, उनका भी प्रयास था कि एक बाईपास का निर्माण बेमेतरा शहर में हो लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के जो लोग सरकार में थे उन्होंने कभी बाईपास की चिंता नहीं की, उन्होंने कभी बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र को और शहर को कभी प्राथमिकता में नहीं रखा था। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बार उस बाईपास निर्माण के लिए 49.89 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी और वह बाईपास का निमा्रण तेजी से चल रहा है और ऐसा मानना है कि जल्द से जलद पांच-छः महीने में यदि बाईपास का निर्माण हो जायेगा तो निश्चित रूप से शहर की जो दुर्घटनाएं हैं वह कम होंगी और शहर में आवागमन हेतु जो हैवी ट्रेफिक का जो दबाव होता है वह कम होगा। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक अच्छी सोच के साथ एक परिकल्पना के साथ मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत जितने भी हमारे शासकीय भवन हो, स्कूल हों, आंगनबाड़ी केंद्र हों, अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों जो पहुंचमार्ग विहीन थे, जहां हमारे स्कूल के बच्चों को कीचड़ से गुजरकर स्कूल जाना पड़ता था, निश्चित रूप से इस योजना से एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिला है। ग्रामीणजनों में काफी उत्साह है, बच्चे काफी खुश हैं। जो गांव के लोग हॉस्पिटल जाते थे, जो बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल जाते थे उनको एक अच्छी पहुंच मार्ग की सुविधा आपने दी है उसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 225करोड़ की लागत से 2 हजार 195 सड़क के कार्य की स्वीकृति मिली थी और वर्ष 2021-22 में भी इस योजना के लिए 100 करोड़ रूपये का प्रावधान इस बजट में रखा है उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी मुख्यमंत्री धरसा विकास की जो बात की। जब हमारे किसान बारिश के समय खेत जाते थे तो धरसें कच्चे, बारिश, कीचड़ होने के नाम से वह अपने खेतों तक पहुंच नहीं पाते थे। उनके खेतों तक ट्रेक्टर, गाड़ियां जा नहीं पाता था। यह सोच अगर कोई रख सकता है तो गांव का किसान, जो गांव की वास्तविक समस्या को जानता है वैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो खुद किसान हैं, जो खुद खेत में जाकर हल चलाये हैं और वैसी हमारे गृहमंत्री जी वह भी किसान हैं, वह भी लगातार खेत में जाते थे उन्होंने इस धरसा की चिंता की, लोगों को अच्छा धरसा मिले, पक्के धरसे का निर्माण हो, इस अच्छे उद्देश्य के साथ आपने जो धरसा विकास योजना की शुरूआत की है उसके लिए भी मैं आपको इस सदन के माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाहर सेतु निर्माण योजना के संबंध में कहना चाहूंगा। राज्य में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बरसात के समय पहुंचविहीन हो जाते हैं अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को कुछ दिक्कत हो जाए तो बारिश के समय जो छोटे पुलियों में पानी आ जाता था तो वह एक गांव से दूसरे गांव नहीं आ पाते थे लेकिन जवाहर सेतु निर्माण योजना के माध्यम से जो

बाहरमासी आवागमन रहे, गांव से लोगों का जुड़ाव रहे, इस उद्देश्य के साथ जो जवाहर सेतु निर्माण की चिंता की है उसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि उन्होंने रोड, पुलिया, पुल और पहुंच मार्ग की जो चिंता की। साथ ही साथ किस तरीके से निर्माण में हमारे युवाओं की भागीदारी रहे। किस तरीके से हमारे युवाओं को रोजगार भी मिल सके, हमारे गांव के जो पढ़े-लिखे ब्लॉक स्तर के जो बेरोजगार युवक हैं उनके रोजगार की भी चिंता इस विभाग के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ई-श्रेणी पंजीयन के विषय में कहना चाहूंगा। ई-श्रेणी पंजीयन के माध्यम से जो हमारे गांव के बेरोजगार युवक हैं जो ब्लॉक स्तर के युवक हैं उनको उनके गांव में ही रोजगार देने का काम किया है। उनको उनके गांव में 20 लाख रूपये तक के निर्माण मिल पायेगा, वह अपने गांव में अच्छा काम कर पायेंगे। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, विकास में उनकी भागीदारी भी होगी और आने वाले समय में एक अच्छा निर्माण होगा, चूंकि वह उसी गांव, ब्लॉक में रहते हैं उनकी चिंता रहती है अगर हम कुछ निर्माण कर रहे हैं तो वह लम्बे समय तक रहे, लोग यह याद रखें कि मैं मेरे गांव का काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी चिंता करूंगा कि वह निर्माण की क्वालिटी को भी ध्यान में रखूं। इस उद्देश्य के साथ जो ई-श्रेणी पंजीयन के लिए बजट में चिंता की है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद् देना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अनुबंध में इंजीनियर की नियुक्ति का प्रावधान रखा है। पिछली बार भी अनुबंध होते थे, लेकिन ठेकेदार उस समय इंजीनियरों को रखना आवश्यक नहीं रहता था। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो हमारे डिप्लोमा इंजीनियर हैं, डिग्री इंजीनियर हैं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उन सबकी चिंता करते हुए..

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आप समाप्त करें।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका सरंक्षण चाहता हूँ। उसकी भी माननीय मंत्री जी ने चिंता की। मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद् देना चाहता हूँ। इससे जो हमारे काम की क्वालिटी है उसमें भी सुधार आएगा। जब उस प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स लगेंगे, उसमें देखरेख, मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें उनकी सतत् निगरानी होगी तो काम की क्वालिटी में भी काफी सुधार मिलेगा और उनको उससे वेतन भी मिलेगा। उसके लिए वेतनमान भी तय किया गया है। डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए 15 हजार रूपये प्रतिमाह, डिग्री इंजीनियर के लिए वेतन 25 हजार रूपये प्रतिमाह और प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 50 लाख रूपये प्रतिमाह का वेतन तय किया है जो प्रोजेक्ट के आधार पर होगा 20 लाख से 100 लाख और 5 करोड़ रूपये से अधिक होने पर इन सब की व्यवस्था जो माननीय मंत्री जी ने की है मैं आपको उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद् देना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे विपक्ष के साथी जो वर्तमान में उपस्थित नहीं है। जो चिल्ला-चिल्ला कर कानून व्यवस्था की दुहाई देते आएं हैं। वह आपने 15 सालों के कार्यकाल को देखें कि उनके 15 सालों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था क्या थी ? पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं खुद उसका उदाहरण हूं। हमारे बेमेतरा जिले के बेरला ब्लाक के बारगांव में एक बच्ची, एक महिला के साथ अनाचार होता है। उसके खिलाफ मैं और मेरे पूरे साथी जिसमें तात्कालिक जिला पंचायत के अध्यक्ष समेत 18 लोगों के खिलाफ 307 की धारा लगाई गई थी। हमारा गुनाह यह था कि हम एक बेगुनाह को न्याय दिलाने के लिए अपनी मांग रख रहे थे। उल्टा उस बेगुनाह को तो न्याय नहीं दिया गया, जो हम अपनी आवाज उठा रहे थे, जनता की बातों को वहां रख रहे थे, हमारे खिलाफ ही 307 की धारा लगाई गई थी। ऐसे हमारे विपक्ष के साथी आज कानून व्यवस्था की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आशीष जी, कृपया समाप्त करियेगा।

श्री आशीष कुमार छाबड़ा :- माननीय मंत्री जी, मैं अपने बेमेतरा की पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरे प्रदेश में जी.पी.एस. ट्रेकिंग के माध्यम से एक बड़ी कार्यवाही की है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बेमेतरा जिले में 3 जून 2020 को करीब रात्रि 2.00 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग में एक 7 वर्षीय बच्ची को उठाकर एक ट्रक ड्राइवर के द्वारा उसके साथ अनाचार किया जाता है। चूंकि बच्ची 7 वर्ष की थी, वह पहचान नहीं पाई, रात का समय था। वह यह समझ नहीं पाई कि दोषी कौन है। यह पूरा मामला अंधेरे में था। उसके लिए हमारे बेमेतरा जिला की पुलिस ने जी.पी.एस. ट्रेकिंग के माध्यम से गिरफ्तारी की, यह हमारे प्रदेश का पहला मामला है, झारखंड से गुनाहकार को गिरफ्तार किया गया। उसको न्यायालय में प्रस्तुत भी किया गया और न्यायालय से उसको आजीवन करावास की सजा भी सुनाई गई है। मैं पुलिस विभाग को भी अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। पुलिस विभाग संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था के लिए लगातार काम कर रहा है। और किस तरीके से हम अपनी पुलिस को हाईटेक करें, किस तरीके से उनको सुविधा उपलब्ध करायें, इसकी भी चिंता इस बजट में की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अब चूंकि समय का अभाव है, बातें तो बहुत थीं, और विभाग बचे थे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग संख्या का समर्थन करते हुए अपनी बातों को विराम करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती छन्नी चंदू साहू।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बस्तर में जो टेन्डर होते हैं, उसमें 15 से 20 परसेन्ट बिलों में ठेकेदार टेन्डर तो ले लेते हैं लेकिन वहां काम नहीं करा पाते हैं। उस दिशा में भी आप जरा विचार करिये कि वहां

पर काम कैसे हो। यह बिलो के चक्कर में काम नहीं होता, सेन्सेटिव एरिया में सड़क बननी बहुत कठिन है। उस पर आप जरूर विचार करिये ताकि वहां के लोगों को भी पक्की सड़क की सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू (खुज्जी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मै हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया, हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस कोरोनाकाल की घड़ी में भी पूरे प्रदेश की जनता के हित के लिए चाहे वह निर्माण के लिए हो, जेल विभाग के लिए हो, पर्यटन के लिए हो, यहां महत्वपूर्ण मांग की गई हैं। मैं उनका समर्थन करती हूं। मैं सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री सुमग सड़क योजना के बारे में बताना चाहूंगी, सभी लोग बोल रहे हैं, उसी में मैं भी बोलना चाहती हूं। आज तक कोई भी सरकार बनी लेकिन स्कूलों की, आंगनबाड़ी बच्चों की चिंता कोई भी सरकार ने नहीं की थी। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने बच्चों को स्कूल तक जाने की चिंता की, कीचड़ और दलदली मार्ग से पहुंचकर बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था उसको देखते हुए जो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना लायी गयी है जिसमें शासकीय सेवा केंद्रों तक सामान्य जन की पहुंच सुगमता के साथ हो सकेगी जिसके अंतर्गत इस वर्ष 2157 मार्ग लंबाई-370 किलोमीटर हेतु 256 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह बताना चाहूंगी कि मेरा वनांचल क्षेत्र है और एल.डब्ल्यू.ई. एक महत्वपूर्ण योजना है । नक्सल ईलाकों में जो पहुंच मार्ग जहां न तो एंबुलेंस जा पाती थी, न थाने तक पहुंच मार्ग था उसमें एल.डब्ल्यू.ई. के माध्यम से 53.82 लाख दिये हैं जिसमें 3 काम पूर्ण हो चुके हैं । इसके साथ ही साथ मैं आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो थाना पहुंच मार्ग था और साथ ही वहां हाईस्कूल भी था । आज तक 15 सालों के कार्यकाल में वहां सड़क की स्वीकृति नहीं हुई थी लेकिन मैं माननीय गृहमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने वहां 70-75,000 में वहां काम स्वीकृत किया है, उसके लिये मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी । इसके साथ ही मैं जेल विभाग की बात करना चाहूंगी कि जहां कैदी लोग रहते थे । वहां रहने के साथ-साथ चाहे सिलाई का काम हो, अनेक प्रकार के काम प्रशिक्षण के माध्यम से उन लोगों को करने का अवसर मिलता है जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण हो, अनेक प्रकार से जैसे सिलाई-बुनाई, साबुन एवं वाशिंग पाउडर जो मिलता था उसका पूरा प्रशिक्षण वहां दिया जाता है । इसके साथ ही मैं यह बताना चाहूंगी कि आज हमें कानून की व्यवस्था देखने को मिलती है । मैं अपने विधानसभा का ताजा उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी 15 दिन पहले एक लड़की गायब हुई थी उसमें हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं टी.आई. ने 6 दिन के अंदर उस बच्ची को ढूंढ़कर लाये हैं इसलिए मैं उस क्षेत्र के सभी पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जो बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से काम कर

रहे हैं । मैं बताना चाहूंगी, चूंकि अभी विपक्ष के साथी तो नहीं हैं लेकिन जो लोग इतना चिल्ला-चिल्लाकर बोल रहे थे कि अभी 2 साल के अंदर इतना भ्रष्टाचार घट रहा है लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि पूर्व में इनके कार्यकाल में जब पीडब्ल्यूडी विभाग से काम चल रहा था उसमें प्रधानमंत्री की जो बह गई रोड में जो पुलिया बही थी उसमें रिपेयरिंग करके उनको डाला गया था । मैं बताना चाहूंगी कि पूरी बनी हुई रोड में उसको निकालकर हम लोगों ने पूरा अच्छे से रिपेयरिंग करने की मांग की थी और उनको पुलिया को निकालने के लिये बोला था । मैं माननीय गृहमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही साथ हमारे पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि अपना बहुत महत्वपूर्ण समय देकर हमारे पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी काम कर रहे हैं इसके लिये मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देती हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री जी के द्वारा अनुदान मांग संख्या - 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51 और 37 इन मांगों के संबंध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एडीबी तृतीय लोन में जैजैपुर से मालखरौदा होते हुए गोबरा भाठा मेरी एक सड़क स्वीकृत हुई थी । टेंडर की प्रक्रिया में विलंब था । इसी सदन में माननीय मंत्री जी ने कहा तो तुरंत अधिकारियों से बात करके मुझे अवगत कराये कि वह टेंडर हो गया है और अब उस सड़क का काम प्रारंभ हो चुका है । अभी वर्तमान में बजट में माननीय मंत्री जी ने मेरी अनुशंसा पर मुझे बोराई नदी और सोन नदी में 5 उच्चस्तरीय पुलिया दिये हैं उसके लिये भी धन्यवाद, एक सड़क स्वीकृत किये हैं उसके लिये भी धन्यवाद । लेकिन बहुत सारे गांव जो पहुंचविहीन हैं, कहीं से भी सड़क नहीं थी, इतनी छोटी-छोटी सड़क, एक किलोमीटर, दो किलोमीटर की मैंने मांग की थी । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं उन पर आपकी कृपा जैजैपुर विधानसभा को नहीं मिला । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को हमेशा कागज का पुलिंदा हमेशा बोलता हूं । मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह कागज का पुलिंदा क्यों है ? बजट पर जब कोई काम स्वीकृत होता है तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर होती है लेकिन वह केवल बजट तक सीमित रह जाता है, उन कामों की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलती । 2017-18 में जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में मल्ली से खजुरानी साढ़े तीन किलोमीटर की सड़क का प्रावधान बजट में रखा गया था । 2017-18 में ही अकलसरा से भोथिया 5 किलोमीटर सड़क का भी प्रावधान बजट में रखा गया था । 2018-19 में मलदा से नगारीडीह, 2018-19 में बोरसरा से करमनडीह 1 किलोमीटर की सड़क, यह पहुंचविहीन गांव है, करमनडीह में कहीं कोई सड़क नहीं है, बोडसरा से करमनडीह 1 किलोमीटर जिसकी लागत केवल 1 करोड़ 20 लाख । घोघरी से बरभाठा यह भी 1 मिलोमीटर की लम्बाई, 2018-19 में भी सम्मिलित था, इसकी लागत 3 करोड़ 81 लाख रूपया क्योंकि इसमें एक पुल भी बनना था । धमनी से नरियरा 1

किलोमीटर 2018-19 में 2 करोड़ 95 लाख की, लेकिन आज यह सड़क बजट से बाहर है । इस सड़क की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली । उपाध्यक्ष महोदय, बजट में आने के बाद पहुंचविहीन गांव, जो किसी भी सड़क से नहीं जुड़ा है। ऐसे गांव में एक-एक किलोमीटर की सड़क और इतनी कम लागत की सड़कों की स्वीकृति नहीं मिलती है तो यह निश्चित रूप से हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत् निवेदन करके, व्यक्तिगत् मिलकर दो सड़कें, जब 2013 में मैं पहली बार चुनकर आया था तो 2014-15 में सम्मिलित हुई थीं, बेलादुला से कलमीडीह मार्ग 3 किलोमीटर की सड़क और छीतापंडरिया से खम्हरिया ये भी 3 करोड़ 48 लाख की स्वीकृति 2014-15 के बजट में सम्मिलित हुई, 24.09.2015 और 30.10.2015 को इसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई, टेंडर भी हो गया, अनुबंध भी हो गया, अनुबंध का समय समाप्त हो गया लेकिन केवल मुआवजा के प्रकरण के कारण आज भी काम शुरू नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर ऐसे काम जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति हो गई, जिनका टेंडर हो गया, जब आप विभागीय समीक्षा करते हैं तो इस पर भी कृपया ध्यान दें कि किस कारण से काम रूका हुआ है । हम लोग भटक रहे हैं, पी.डब्ल्यू.डी. जाते हैं तो बोलते हैं कि यह राजस्व वालों की गलती है और राजस्व जाते हैं तो कहते हैं कि विभाग वाले प्रस्ताव नहीं बना रहे हैं । गलती किसी की भी हो, किसान को मुआवजा नहीं मिला है, जिसके कारण यह रूका हुआ है । माननीय मंत्री जी अभी बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें जिंदा हैं । लेकिन जब हम 2022-23 के बजट में आएंगे तो ये भी बजट से बाहर हो जाएंगी । मेरा निवेदन है कि इस एक साल के अंतर में आपके वित्त विभाग में जो समस्या हो, आपके विभाग में जो तकनीकी स्वीकृति देते हैं, यदि उसमें समस्या हो तो मेरा व्यक्तिगत् निवेदन है कि इनको पूरा करवाने की कृपा करेंगे । पिहरीद से पिरदा, बड़ेरबेली होते हुए 7 किलोमीटर की रोड है, 2019-20 के बजट में 5 करोड़ का प्रावधान है । ठठारी से अकलसरा होते हुए केकराभाट 3 किलोमीटर, केवल 2 करोड़ 46 लाख, 2020-21 के बजट में सम्मिलित है । बंसुला से कपिसदा 2.5 किलोमीटर, 3.93 करोड़ की है, यह भी 2020-21 में प्रावधान है । ओंड़ेकेरा से जुनवारी यह 4 किलोमीटर की सड़क, जुनवानी पहुंचविहीन गांव है, यह भी 3 करोड़ 43 लाख की है, 2020-21 में । सेमरिया से मुक्ता के बीच में पुल बन गया है लेकिन पुल के अगल-बगल में कोई सड़क नहीं होने के कारण पुल का उपयोग नहीं हो रहा है । सेमरिया से मुक्ता केवल डेढ़ किलोमीटर की सड़क 2.56 करोड़ की है, यह भी 2020-21 में शामिल है। सोंठी आश्रम से संजय ग्राम दर्राभाठा, माननीय मंत्री जी इसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं, मैंने आपसे व्यक्तिगत् मिला था, चूंकि लम्बी सड़क है इसलिए एक पार्ट में नहीं हो रहा है, आपने तुरंत मेरे निवेदन को स्वीकार किया और आपके विभाग प्रमुख को बुलाकर आपने निर्देश दिया तो दर्राभाठा से झाररौंदा तक एक पार्ट में 9 किलोमीटर स्वीकृत हो गया है, बजट में सम्मिलित हो गई है, स्वीकृति हेतु आया है, बाकी की सड़कों को भी बनवाने की कृपा करेंगे । डभरा-कोसमझर-मांजरकोट-मरघट्टी-मिरौनी

15 किलोमीटर की 28 करोड़ सड़क है। पूर्व में भी बजट में था। बजट से बाहर हुआ। पुन: मेरे निवेदन पर आपने इसे वर्ष 2020-21 में बजट में सम्मिलित किया है। निवेदन है कि आप इसे करवाने की कोशिश करेंगे। तुषार सेवड़ेकेरा को अनुपूरक में आपने वर्ष 2020-21 में शामिल किया। दर्राभाठा से झारओंदा प्रथम अनुपूरक में वर्ष 2020-21 में शामिल किया है। तो माननीय मंत्री जी मेरा निवेदन है कि यह बजट से बाहर मत हो। बजट को मैं कागज की पुलिंदा बोलता हूं तो मेरे विश्वास को आप और ज्यादा मजबूत मत कीजिए, बल्कि आप यह सिद्ध करके बताइए कि जो बजट में आता है वह होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छी चीजों से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैंने अपनी बातों की शुरूआत की थी। मैं ज्यादा आलोचना नहीं करते हुए कुछ चीजों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत बड़ा विभाग है। सड़क बनाते हैं, पुल-पुलिया बनाते हैं। बिल्डिंग बनाते हैं। अधोसंरचना के वे तमाम काम और निश्चित रूप से पुल-पुलिया का काम पी.डब्ल्यू.डी. का बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां भी पुल-पुलिया बना है, वहां ज्यादा शिकायत नहीं आयी है। बिल्डिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन सड़क की गुणवत्ता के लिए मैं माननीय मंत्री जी को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। आपका जो टेंडर हो रहा है, वह बहुत बिलो हो रहा है। 20 से 30 प्रतिशत के बीच पर तो कोई टेंडर स्वीकृत ही नहीं हो रहा है और अगर सड़क कमजोर बन रहा है। प्राक्कलन के अनुरूप नहीं बन रहा है तो उसका प्रमुख कारण टेंडर का बिलो होना है। अब आपके ठेकेदार बिलो में टेंडर लेते हैं। अधिकारी लोग बोलते हैं बिलो का टेंडर है, बिलो का टेंडर है तो ऐसा थोड़े न है कि आप हमें खराब सड़क दोगे। हमने तो ठेकेदार को नहीं बोला कि आप बिलो पर टेंडर लो और टेंडर बिलो होने के कारण हमें खराब मिलता है। माननीय मंत्री जी, जो भी प्राक्कलन में आप जो प्रावधान तय करते हैं। मैं ज्यादा तकनीकी चीजों की नहीं जानता, फिर भी थोड़ा बहुत जो अनुभव सड़क के बारे में है, जो आप प्राक्कलन में जिन चीजों को तय करते हैं, उसका पालन आपके अधिकारी और आपके ठेकेदार नहीं करते। जैसे आप सड़क बनाते हैं, जी.एस.बी., डब्ल्यू.बी.एम. में । आपके मिक्स प्लांट से आना चाहिए, लेकिन किसी भी सड़क का जी.एस.बी. डब्ल्यू.बी.एम. मिक्स प्लांट से नहीं आता । बगल के क्रेशर से मिलाकर डाल देते हैं। ट्रांसपोर्टिंग बचाते हैं। मिक्स प्लांट पर ले जाने पर उन्हें ज्यादा चार्ज आयेगा, इसलिए वे बचाने के लिए बगल के क्रेशर से सस्ते दर पर खरीदकर गुणवत्ताविहीन मटेरियल डालते हैं और किसी भी चीज का उसकी बनावट, उसकी मजबूती इस बात से तय करता है कि आप नींव को कितना मजबूत किये हैं और आपकी सड़क अगर मिट्टी का काम मजबूती से हुआ हो, मिट्टी में आपने सही पानी डाला। रोलर डाला सही compaction आया तो निश्चित रूप से ऊपर तक ठीक रहेगा और कमी यहीं से शुरू होती है। मिट्टी सही गुणवत्ता की नहीं रहती। टेस्ट कुछ भी बताता हो। ठेकेदार का लैब है। ठेकेदार टेस्ट करके बता देता है। आपके अधिकारी लोग उन्हें सहयोग करते हैं, लेकिन अगर मिट्टी पर सही पानी डाल कर सही रोलर डालकर परत दर परत अगर compaction नापा जाये तो निश्चित रूप से

जो सड़क है, वह अच्छा बनेगा। माननीय मंत्री जी, ऊपर जो डामर करते हैं उसमें डामर की कमी है और डामर की कमी के अलावा जो सबसे बड़ी तकनीकी कमी करते हैं, जिस तापमान पर उस मिक्स डामर को डालना चाहिए, यह कभी 70 किलोमीटर कभी 100 किलोमीटर कभी 40 किलीमीटर से लाते हैं तो उस गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते और ठंडा डामर को डाल देते हैं, जिसके कारण आपका सही सड़क बनने के बाद डामर उखड़ता है। मेरा निवेदन है कि इन पर थोड़ा सुधार करने की कृपा करेंगे और जहां भी सीमेंट का काम हो रहा है, आप सीमेंट की मात्रा तय कर देते हैं। आप गिट्टी की मात्रा तय कर देते हैं। आप छड़ की मात्रा तय कर देते हैं। आप रेत की मात्रा तय कर देते हैं और बिना पानी के सीमेंट, मिट्टी है। इसलिए जहां भी सीमेंट कांक्रेटिंग का कार्य हो, उसमें आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी की तराई सही ढंग से हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ए.डी.बी. का काम अभी आपके तृतीय लोन पर 24 सड़क पर चल रही है। आपने चौथे फेस के लिए सर्वे करा लिया है, लेकिन आपके प्रदेश में ए.डी.बी. का कोई स्टॉफ नहीं है ।

समय :

3:00 बजे

आपने वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. के कुछ अधिकारियों को पदस्थ किया है, पर एक सड़क के हिसाब से आपके पास एक सब इंजीनियर नहीं है और उनकी देख-रेख, गुणवत्ता की जांच करने के लिए आपने कंसलटेंट नियुक्त किया है, लेकिन आपका कंसलटेंट ईमानदारी के साथ काम नहीं करता, बल्कि ठेकेदार से मिलकर, ठेकेदार से कमीशन लेकर काम करते हैं, वह न कभी प्लान को फालो करते हैं, न कभी देखरेख करते हैं। मैं यह बात इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मैंने जिस सड़क का जिक्र किया, जिस सड़क के लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया, मैंने उसके बारे में चार बार शिकायत की है । आपके विभाग के एस.ई. साहब जांच करने के लिए गए थे, पर कोई कंसलटेंट मौके पर नहीं मिलते, वहां सड़क और क्रेशर से लाया हुआ मटेरियल मिला । जो नाली बन रहा है, वह टूटा मिला । हालांकि सही समय पर अधिकारी पहुंच गए, उन्होंने सुधार करने का आश्वासन दिया है । आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वह सड़क 84 करोड़, 100 करोड़ की है तो गुणवत्तायुक्त बने, ताकि उस सड़क में हम कल भी चल सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, कितना समय लेंगे ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- एक मिनट । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में ऐसे कुछ गांव है जैसे सेमराडीह, डोमाडीह, कर्मणडीह, वरभांठा, झीर्राडीह, इन गांवों में किसी भी तरह से रास्ता नहीं है । जितना हम आपके पास प्रयास कर रहे हैं, उतना ही प्रयास मुख्यमंत्री सड़क योजना में माननीय पंचायत मंत्री जी के पास भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क में तो अब नई सड़क नहीं बन रही है, उनका भी फेस टू, थ्री चालू हो गया, चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कर रहे हैं । आपसे निवेदन है कि इसमें कुछ ऐसे

गांव हैं, जिसमें निजी जमीन है। वहां धरसा भी नहीं है । मुख्यमंत्री सड़क योजना वाले यह सड़क नहीं बनाएंगे, केवल आप ही बना सकते हैं । कम से कम उस गांव के लोगों को सुविधा दे दीजिए, इसलिए पॉड़ाहरदी से सेमराडीह होते हुए कलमीडीह, घिवरा से डोमाडीह, बोरसरा से कर्मणडीह, घोघरी से से वरभांठा, टूटराबोर से झीराडीह इन सड़कों की मैं आपसे मांग करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात गृह विभाग पर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा । निश्चित रूप से कोई भी विभाग केवल आलोचना करने वाले ही नहीं होते, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन अच्छा काम तब दब जाता है, जब कुछ बुरा काम करने वाले लोग उस विभाग को बदनाम करते हैं । माननीय मंत्री जी, यह आपके पुलिस विभाग में होता है । जितने भी साईबर क्राईम हो रहे हैं, साईबर क्राईम को पकड़ने में विलम्ब कर रहे हैं क्योंकि जो साईबर क्राईम हो रहा है, उसमें अगर तत्काल कार्यवाही नहीं होगी तो आप क्राईम करने वालों को नहीं पकड़ सकते । लोग थाना जाते हैं, थाने वाले बोलते हैं कि हम इसको जिले में भेज देंगे, जिले से जानकारी मंगाएंगे, तब तक वह मामला खतम हो जाता है । पुलिस को संवेदनशील बनना बहुत जरूरी है । जो पीड़ित हैं, जो शिकायतकर्ता हैं, वे सम्मान के साथ थाना जा सके । आज जो पीड़ित व्यक्ति भी है, वह थाना जाने से डर रहे हैं । इसलिए डर रहे हैं कि दलाल की व्यवस्था हो गई है । आपकी रिपोर्ट तब लिखी जाएगी, जब उस मुंशी से सेटिंग करने वाले, उस थाना प्रभारी से सेटिंग करने वाले व्यक्ति से आप मिलकर जाएंगे, नहीं तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी । अगर आपकी सेटिंग उन दलालों के माध्यम से हुई हो और आप अपराधी हैं, तब भी आप बच जाएंगे, मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को बदलिए । अवैध शराब के कारोबार में, अवैध रेत के परिवहन में पुलिस की जो संलिप्तता हैं, निश्चित रूप से मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको इसको स्वीकार करके इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने शून्यकाल में जिला जांजगीर-चांपा के थाना हसौद का एक मुद्दा उठाया था । मैंने निवेदन किया था, उस समय माननीय मंत्री जी सदन में नहीं थे । रात को 12 बजे भातमाहुल से दो महिला एवं 2 पुरूष को हसौद पुलिस उठाकर ले गई, उनको रात भर थाना में रखा गया । उनके परिजन को कुछ नहीं बताया गया। सुबह होते-होते भातमाहुल के अन्य 7 लोगों को लेकर आ गए। पता चला कि इनके ऊपर अपराध क्रमांक 20, 221 की धारा 120, 387, 115, 34 ए का अपराध कायम किया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण सत्ता पक्ष के कुछ नेता के दबाव में किया गया है, जिनके ऊपर यह आरोप है कि इनको सुपारी दी गयी है। जिनसे 2 लाख 40 हजार रूपये की जब्ती की गयी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, समाप्त करें। आप एक मिनट समय लिये थे।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी, यह बात खत्म करके समाप्त कर रहा हूं। रणधीर कश्यप पिता लखन लाल कश्यप से 2 लाख 40 हजार रूपये की जब्ती की गयी। उन्होंने कल खुले रूप से अदालत के

सामने, मीडिया के सामने बयान दिया। इनके कहने पर, इनके दबाव पर मैंने पुलिस में बयान दिया है। रातभर मेरे को फोटो को दिखा-दिखाकर पहचानकर्ता बनाये हैं। माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपके ब्लाक अध्यक्ष का नाम भी इसमें शामिल है, उन्होंने दबाव दिया, थाने में बैठाया रखा, आपके पूर्व ब्लाक अध्यक्ष का नाम भी शामिल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अपराध हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको जेल में डाल दें, सजा दे दें लेकिन अगर अपराध नहीं हुआ होगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि सत्ता पक्ष के विरोध में कोई व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। ऐसे निर्दोष व्यक्ति के दबाव पर थाने के लोग काम करें, यह न पुलिस विभाग को अधिकार बनता है न आपको अधिकार बनता है। मैं आपसे निवेदन करता चाहता हूं, चूंकि एस.पी. के निर्देश पर हुआ है। एस.डी.ओ.पी. मौजूद रहकर किये, अगर यह गलत है, जिस ढंग से वह अपराधी बयान दे रहा है तो इसमें निश्चित रूप से एस.पी. एस.डी.ओ.पी. आपके थाना प्रभारी सब के सब संलग्न है। आप जो-जो पेपर और बयान बोलेंगे मैं उनकी कापी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन एस.पी. से उपर स्तर के किसी अधिकारी से जांच करवा दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। आप लिखित में बोलेंगे तो लिखित में दे दूंगा लेकिन पारदर्शिता के साथ जांच हो जाये। माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में जैजेपुर विकासखंड में भोथिया गांव है जो न आपके बारहद्वार थाना से कवर हो पाता है, न जैजेपुर से कवर हो पाता है तो भोथिया में पुलिस थाना या चौकी खोल देते तो वहां के लोगों को सुविधा होगी। उसी प्रकार से डभराथाना, छपोराथाना और हसौद थाना के बीच में छपोरा ग्राम है जो मालखरौंदा विकासखंड में है, अगर वहां पुलिस थाना या चौकी खोल देंगे तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को सुविधा होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद और हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करत हंव, हसौद वाले प्रकरण में आप जांच करा दीजिए। क्योंकि अगर यह संदेश चला जायेगा कि निर्दोष लोगों को इस तरह से फिरौती, हत्या में फंसा देंगे तो लोगों के बीच में गलत संदेश जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत तीसरे बजट की मांग संख्या 24, 67, 76 ,3, 4, 5, 51, 37 के प्रावधानों का समर्थन और स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, उसमें मैं सबसे पहले जवाहर सेतु योजना के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। ऐसे कई नदी और नाले थे जिसमें पुल-पुलियों का निर्माण नहीं हुआ था, आम लोगों को आने-जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, कनेक्टिविटी खत्म थी और बहुत से किसान अपने फसल को लेकर मंडियों में आना जाना करते थे, वहां भी नहीं पहुंच पा रहे थे, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, इसी तरह से वहां रोजगार के लिये लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। माननीय मंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जो प्रावधान किया है, उसके

लिये मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2020-21 में विभिन्न योजनाओं के तहत 25 वृहद पुल पूर्ण हुए तथा 148 वृहत पुल का निर्माण प्रगति पर हैं। यह एक नया कीर्तिमान लोक निर्माण विभाग ने किया है। वर्ष 2021-22 में 62 पुल निर्माण 260.25 करोड़ हेतु, 26 करोड़ 92 लाख रूपये की मांग की गयी है। मांग संख्या 42 में 86 पुल निर्माण अनुमानित लगभग 273.14 करोड़ हेतु, 40 करोड़ 27 लाख रूपये तथा आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. में 16 पुल लागत रूपये 100 करोड़ हेतु, 11 करोड़ 70 लाख रूपये की मांग की गयी है। मांग संख्या 64 में 3 पुल निर्माण, अनुमानित लागत 6 करोड़ रूपये हेतु 60 लाख की मांग की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 नये रेल्वे ओव्हर ब्रिज, 151 नवीन पुल और 585 सड़कों के लिए कुल 504 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान किया गया है। नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़कें एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसरंचना विकास निगम को सड़कों के निर्माण के लिए 5,225 एवं पुलों के निर्माण के लिए 940 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ए.डी.बी. परियोजना में सड़कों के लिए 940 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इन सभी कार्यों से आम जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक सुगम मार्ग मिलेगा। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग और स्कूलों के बिल्डिंगों का निर्माण, कालेज भवनों के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इससे आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एवं शिक्षा के संसाधनों में वृद्धि होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने 15 सालों के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वह कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से सफल हुए हैं। राज्य शासन ने जनघोषणा-पत्र के अनुरूप पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का नवीन पर्यटन नीति 2020 का छत्तीसगढ़ राजपत्र में 16 अप्रैल, 2020 को प्रकाशित कर अधिसूचना जारी की गई है, यह अपने आप में अभिवन प्रयोग है। इसी के साथ-साथ राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास के लिए जो योजना तैयार की गई है। यह पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से हुई है। इसका सभी प्रदेशवासियों ने स्वागत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, होटल प्रबंधन संस्थान का भारत सरकार से मान्यता प्राप्त दोनों कोर्स प्रारंभ किये गये हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार योजना संचालन से राज्य में समृद्ध जलाशयों में जल पर्यटन को विकसित करने से स्थानीय निवासियों में रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त होंगे। राज्य में होम स्टे एण्ड ब्रेड ब्रेक फास्ट योजना हेतु गाइड लाईन तैयार की गई है। इसी तरह से

मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थानों आदि के निर्माण हेतु अनुदान देने की योजना माननीय मंत्री जी ने बनाई है। प्रदेश में मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया जा सके। इसके निर्माण हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा अनेक प्रस्ताव माननीय लोक निर्माण मंत्री को भेजे गये हैं। इसके फलस्वरूप मांग संख्या-51 के अन्तर्गत निर्माण मद खोला गया, जिसके तहत 2020-21 के बजट में 450 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे आज दिनांक तक 320 लाख रूपये का अनुदान आवंटन किया गया है ।

समय :

3:14 बजे **(सभापति महोदय(श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण में लाभांडी से कचना, खम्हारडीह कबीर नगर से भनपुरी नगर, पालिका निगम बीरगांव मेन रोड, रावांभाठा से निमोरा, बोरियाकला-दतरेंगा मार्ग के सुदृढीकरण, दलदल सिवनी रानी लक्ष्मीबाई वार्ड से व्ही.आई.पी. सिटी, कचना रेल्वे क्रासिंग से व्ही.आई.पी. सिटी मार्ग, माना कैंप, माना बस्ती, भटगांव, धरमपुरा, टेमरी, सेजबहार, मुजगहन, कांदुल, धनेली, दतरेंगा, काठाडीह, हथबंद, डोमा, बोरियाकला, कामरेड सुशील मुखर्जी वार्ड में गोंदवारा जगहों में सड़क डामरीकरण, सुदृढ़ीकरण-चौड़ीकरण, नाली निर्माण इत्यादि के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। गोगांव, फुंडहर, उरला, भनपुरी, दतरेंगा में स्कूल भवन निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। बीरगांव में शासकीय महाविद्यालय भवन के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत फुंडहर पटवारी हल्का नंबर 68, तहसील व जिला रायपुर निवासी रामा साहू, पिता- स्व. सुकालू साहू के द्वारा जो भूमि खसरा नंबर 183/2, रकबा 0.142 हेक्टेयर धारित की जा रही है, माननीय मंत्री जी, उसमें कुछ हिस्सा 0.044 हेक्टेयर फुंडहर की सड़क की सीमा में ले लिया गया है जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है और विभाग इसे अपनी सीमा में लेने से इंकार कर रहा है। जबकि अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा सीमांकन कराये जाने पर सीमांकन प्रकरण क्रमांक 22ए/12, वर्ष 2017-18 में राजस्व निरीक्षक रायपुर-10 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 25.01-2018 के अनुसार आवेदन की भूमि 0.044 हेक्टेयर सड़क सीमा में सम्मिलित पाया गया। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के छोटे-छोटे किसान हैं, बेचारे गरीब लोग हैं उनकी भूमि यदि सड़क सीमा में आई है तो उसका मुआवजा निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। आपके विभाग ने गलत जानकारी दी है कि भूमि सड़क सीमा में नहीं आई। मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थानीय उद्योग खुले हैं और स्थानीय उद्योगों के जो प्रोडक्ट हैं उनका आपके विभाग में जैसे नवा रायपुर और सब जगह जहां भवन बन रहे हैं उसमें उसका उपयोग होना चाहिए

अन्यथा हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के उद्योग नीति का पालन नहीं होगा और स्थानीय स्तर के जो उद्योग हैं वह जिस आईटम का निर्माण करते हैं, उसका उपयोग नहीं होगा। आपके बड़े-बड़े कंसल्टेंट बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलौर की फर्मों के आईटम्स को उसमें इन्क्लूड करते हैं जिससे हमारे स्थानीय लोगों के उद्योगों मे उत्पादित चीजों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि पी.व्ही.सी. के खिड़की, दरवाजे, पाईप तथा और भी बहुत से आईटम इतने अच्छे हैं जो कि हमारे स्थानीय उद्योगों द्वारा उत्पादित हैं किन्तु उनके आईटमों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नवा रायपुर में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, हाऊसिंग बोर्ड और आर.डी.ए. के निर्माण कार्य हैं उन सभी में स्थानीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग होना चाहिए, यह मेरी आपस प्रार्थना है। कृपया इस दिशा की ओर आप देखें। बाकी की बातें हमारे साथियों ने कही हैं, उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आपने समय दिया इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह (बलरामपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। विपक्ष में थे तब ओपनिंग करने का मौका मिलता था, अब हम लोगों को नौवे, दसवें नंबर पर बोलने का मौका मिलता है। आज हमारे विपक्ष के साथी नहीं रहते तो शायद नंबर भी नहीं लगता।

सभापति महोदय, आज हमारे लोक निर्माण, पुलिस विभाग, गृह विभाग, जेल विभाग, धार्मिक न्यास और पर्यटन विभाग की अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे बाकी साथी बोल चुके हैं मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि हमारे यहां ऐसी रेल्वे क्रासिंग थी जहां आयेदिन दुर्घटना होती थी। 12 ऐसे रेल्वे ओव्हरबिज हैं जिसका नाम बता दूं। रेल्वे ओव्हर-अंडरब्रिज के जो कार्य हैं जिला रायगढ़ खरसिया के पास ओव्हरब्रिज, जिला कोरबा के छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल चौक के पास, जिला कोरबा के चांपा-गोबरा रेललाईन ओव्हरब्रिज, जिला बिलासपुर में बिल्हा के पास रेल्वे अंडरब्रिज, जिला बिलासपुर के कटनी रेलमार्ग में ओव्हरब्रिज, जिला जांजगीर-चांपा के नैला यार्ड में ओव्हरब्रिज, जिला जांजगीर चांपा के बाराद्वार रेल्वे ओव्हरब्रिज, दुर्ग के कुकदा गेट के पास रेल्वे ओव्हरब्रिज, जिला दुर्ग के रायपुर नाका दुर्ग के पास रेल्वे ओव्हरब्रिज, , दुर्ग के कुगदा गेट के पास रेलवे ओव्हर ब्रीज, जिला दुर्ग के रायपुर नाका दुर्ग के पास रेलवे ओव्हर ब्रीज, जिला बलौदा बाजार के फाटक के पास रेलवे ओव्हर ब्रीज, इस तरह से यह जो ब्रीज के लिए 34 करोड़, 60 लाख रूपये का माननीय मंत्री जी ने प्रावधान किया है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी को इस बजट में राशि देने के लिए हम लोग समर्थन में निवेदन करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह ओव्हर ब्रीज, हमारे 15 सालों तक विपक्ष के साथी सरकार में रहें, लेकिन उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि आये दिन ट्रेन में हादसें होते थें, वहां पर ट्रेन

आती थी तो अचानक कई लोगों के साथ घटनाएं होती थीं माननीय मंत्री जी ने इसकी चिंता की इसलिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और मैं इस बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में एक निवेदन है कि हमारे इस विभाग से ही उप जेल का संबंध है कि हमारे बलरामपुर जिले में कई सालों पहले उप जेल सेंशन की बात आयी, यह जमीन के कारण लटका रहा । अब इसके लिए जमीन भी मिल गई है, उसकी शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर दी जाये क्योंकि हमारे रामानुजगंज का जेल बहुत ओव्हर हो जाता है आपने उप जेल की स्वीकृति के लिए रखा है, वह लंबित है, उसको करवा दीजिए, मेरा ऐसा अनुरोध था। दूसरा एक पी.डब्ल्यू.डी. के संबंध में निवेदन करूंगा कि हमारे पहले के साथियों ने भी कहा है कि टेण्डर इतना उटपटांग बिलो जा रहा है, 30 प्रितशत, 40 प्रतिशत बिलो जाता है और ठेकेदार और अधिकारी बाद में पता नहीं, उस बचे हुए पैसे को भी समायोजन कैसे कर लेते हैं और वह बड़ा टेण्डर-टेण्डर का खेल चल रहा है उसमें मेरा अनुरोध है कि उसमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह की गुणवत्ता के साथ समझौता न हो। माननीय मंत्री जी, उस संबंध में एक और निवेदन करूंगा कि हमारा जो एन.एच. 343 जो है यह गड्ढों में तब्दील हो गया है जब से वह पी.डब्ल्यू.डी. विभाग से एन.एच. में वह सड़क गई है तब से ऐसा है इसमें आपने पैसा भी दिया है राज्य के जनता के हित को देखते हुए माननीय मंत्री जी आपको धन्यवाद् देता हूँ कि आप खुद उस क्षेत्र में गये थे, मुख्यमंत्री जी भी गये थे और आपने पैसा भी दे दिया, उसका टेण्डर भी हो गया लेकिन वह ठेकेदार पता नहीं, कितना पॉवरफुल है जो गड्ढा तक नहीं भर पा रहा है उसमें थोड़ा निवेदन है कि यह उस क्षेत्र की है, उसमें काम किया जाये। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात का और साधुवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छी सोच लायी है कि जो अभी तक ठेकेदार, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास बहुत टेण्डर उल्टा सीधा भरकर करते थे और जो गांवों में हमारी सरकारी बिल्डिंग हैं , भवन है, पंचायत भवन, स्कूल हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां जाने का कोई रास्ता नहीं होता था कई बार बहुत दिक्कत होती थी। माननीय मंत्री जी आपने बहुत अच्छी सोच रखी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आपको बहुत बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री सुगम योजना के माध्यम से लाने का प्रयास किया है और 20-20 लाख तक के काम को स्थानीय लोगों को उसी ब्लॉक के लोगों को ई- टेण्डर देकर, ठेका देने का काम किया है माननीय मंत्री जी, आपकी इस सोच, विचारधारा के लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। कम से कम गांव की सड़कें जो आंगनबाड़ी है, स्कूल है, सरकारी भवन है, पंचायत भवन हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं गांव का आयुर्वेदिक अस्पताल है, सोसायटी है आपने वहां तक जाने के लिए रास्ता बनाने का निर्णय लिया है इसके लिए आप हर विधान सभा में मुख्यमंत्री जी की सुगम योजना के तहत पैसा देने का काम किया है इससे बहुत ज्यादा नौजवान जो बेरोजगार थे, नौकरी के लिए दर-दर भटकते थे, उनको कुछ काम नहीं मिलता था, उनको एक सुनहरा मौका मिलेगा और जो लगातार बातें आ रही थीं कि जो पढ़े-लिखे बेरोजगार इंजीनियर दर-दर भटक रहे थे आपने इस बार उनको भी व्यवस्था दी है

जिससे जो हमारे बड़े जो ठेकेदार होंगे, जो उनको बनता होगा, उनसे ही पैसा काटकर उनको सैलेरी देने का प्रावधान किया है इसमें माननीय मंत्री जी, आपका बहुत अच्छा निर्णय आया है। मैं आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद् देता हूँ। दूसरा, मैं जेल के संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ मैंने आपने कहा कि उप जेल बनाए जाएं। मेरा निवेदन है कि जेल और पुलिस विभाग का एक और मामला है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब प्रवास में गये थे तो उन्होंने 2 पुलिस चौकी के लिए घोषणा की थी जो तातापानी और चारों तरफ के बीच में पड़ता है, चारों तरफ सेंटर पड़ता है जहां दूसरे राज्य से नक्सली घुसते हैं और आये दिन अशांति फैलाने का प्रयास करेंगे और हमारा दूसरा एक है रनहत, जहां दूसरे राज्य के बड़े वाले जंगल जो हमारा बाढ़ क्षेत्र है, वहां से जुड़ता है वहां अशांति होने की संभावना रहती है जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। यह बजट में नहीं दिख रहा है मेरा अनुरोध है कि उसको भी समावेश कर लिया जाये। क्योंकि हमारा वह क्षेत्र जिला बहुत जल रहा था, उस जिले में आये दिन बड़ी घटनाएं होती थीं, नक्सलियों का आतंक फैला हुआ था, वहां की जनता और पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर, लड़ाई लड़े हैं पुलिस और जनता ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि हम जिस पुलिस के डर से भागते थे वहां की पुलिस और जनता ने मिलकर लड़ाई लड़ी और हम अमन चैन पाने में कामयाब हुए हैं। हमारा वह अमन चैन बरकरार रह जाये, मेरी ऐसी प्रार्थना है। यह दो पुलिस चौकी कर देने से हमारे उस जिले में हमेशा अमन चैन रहेगा। हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं और जेल, उप जेल खुलने से बढ़ भी जाएगा । माननीय मंत्री जी पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में सारे लोगों ने कहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। पूरे हिन्दुस्तान में बहुत राम-राम चिल्लाते थे, आज राम भक्त दिख नहीं रहे हैं। यह राम की बड़ी कहानी कहते थे। रामायण में भी कहा जाता है कि भगवान राम का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बीता, उनका यहां ननिहाल भी रहा है। उसकी बहुत अच्छी चिंता की है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैं आप सबको शत-शत प्रणाम करता हूं। भगवान राम के नाम पर सिर्फ इन लोगों ने चंदा वसूली का काम किया, राजनीति की। लेकिन आपने उसका सही में प्रयोग करते हुए राम वन गमन पथ पर्यटन स्थल बना रहे हैं। उसके लिए भी आपने बजट में व्यवस्था की है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी आपने कई जगहों को धार्मिक आस्था का प्रतीक बनाने का निर्णय लिया है, जैसे चंदखुरी और कई जगह आपने किया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने बजट में प्रावधान किया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ज्यादा नहीं कहते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो धार्मिक मंजीरे हैं, हर जिले में जो प्राचीन मंदिर हैं, उनको चिन्हांकित करने की आवश्यकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि हमारे यहां बहुत चर्चित तातापानी है जहां रामायण के इतिहास में मिलता है कि जब माता सीता की अग्निपरीक्षा हो रही थी जिसमें वह मारी गयीं और धीं छिड़क कर गया, जहां से गर्म पानी की उत्पत्ति हुई, वहां बहुत लोग आते हैं, वह बहुत प्राचीन मंदिर है। उस धर्मस्थल पर धर्मशाला की स्थापना

के लिए आग्रह कर रहा था। आपने बजट में बहुत सारा प्रावधान किया है। 450 लाख का बजट में प्रावधान किया है और 2020-21 में भी बजट में प्रावधान किया है। आपने 320 लाख का आवंटन मांगा है इसलिए इसका समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपने बहुत अच्छा निर्माण किया है, आपने हमारे क्षेत्र में बजट में भी बहुत सारा दिया है। समय-सीमा में सड़क, पुलिया बन जाये और मैं चाहूंगा कि दो साल के अंदर निर्माण हो जाये। आप जितना बजट में प्रावधानित किये हैं, उसकी प्रशासकीय स्वीकृति शीघ्र जारी हो जाये। मेरे क्षेत्र का आपसे एक और आग्रह करूंगा। रामानुजगंज विधानसभा के रामानुजगंज शहर में लोक निर्माण विभाग से स्वीकृति दिया था और शहर के 90 प्रतिशत काम पूरे हो गये हैं, 10 प्रतिशत की राशि बच गई है। उसमें लगभग 88 लाख के लगभग के काम बच गये हैं, वहां के लोगों ने 88 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया है, विभाग ने पुर्नस्वीकृति के लिए विभाग ने भेजा है। वह आपके विभाग में शासन स्तर पर लंबित है। वहां का पैसा हम फिर से 31 मार्च को सरेंडर करेंगे और फिर स्वीकृति करके भेजेंगे। इससे अच्छा शेष बचे हुए पैसा को वही अनुमति दे देंगे। वहीं स्वीकृति आदेश जारी हो जायेगा। आपसे ऐसा अनुरोध था कि उसकी स्वीकृति कर दें तो वह हमारे जेल रोड की सड़क है जो बनने के लिए बच गई है, उसकी भी स्वीकृति जारी कर दी जाती। राम भक्तों को भी शत-शत प्रणाम करता हूं। भगवान राम के बारे में चर्चा होनी थी जिस चर्चा में भाग न लेकर वह चले गये हैं। वह रावण भक्त हैं जो राम भक्त के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते थे। इनको मैं शत-शत नमन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत समस्त अनुदान मांगों का समर्थन करते सबसे अनुरोध करता हूं कि अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा (संजारी बालोद) :- माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। गृह मंत्री जी के विभागों से संबंधित अनुदान मांग संख्या 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 37 के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूं। हमारे सभी साथियों ने सभी विभागों में अपनी बात रखी हैं। मैं लोक निर्माण विभाग से अपनी बात रखनी चाहती हूं। मेरी जो सोच है सड़क किसी भी राज्य की दर्पण होती है। अगर हम किसी भी राज्य में जाते हैं तो सबसे पहले सड़क से उस राज्य की पहचान होती है। अगर हम राज्य में जाते हैं और हमको बहुत सुंदर सड़क दिखाई देती है तो हमको उस राज्य का जो शासक होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, उसकी पहचान हो जाती है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बहुत ही सुंदर बजट पेश किया है, साथ में माननीय गृहमंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने बजट में हमारे लिये बहुत अच्छा प्रावधान लाया । मैं इसका समर्थन करती हूं ।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे सामने आज हमारे विपक्ष के साथी नहीं हैं । मैं 15 सालों से जो सड़क व्यवस्था है उसके बारे में अपनी बात रखना चाहती हूं । मेरा विधान सभा क्षेत्र संजारी-बालौद में 15 सालों से सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर थी, बड़ी सड़कों की बात तो दूर जो डेढ़ किलोमीटर सड़क है, उसमें भी कोई कार्य नहीं किया गया था । हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सड़क-बिजली से ही वोट मांगते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो यह बात रखते हैं कि आपकी सड़क को बहुत अच्छे से बना दिया जायेगा । इसके साथ ही प्रदेश के ग्रामीण मार्गों के उन्नयन हेतु वर्ष 2020-21 में नाबार्ड के 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें चरण के अंतर्गत 163 सड़क कार्यों एवं 21 पुल के लिये 963 करोड़ की स्वीकृति की गई है । योजनाओं में अब तक 133 कार्य पूर्ण, 42 कार्य प्रगति पर, 3 कार्य निविदा स्तर पर, 4 कार्य निरस्त एवं 2 भू-अर्जन स्तर पर है । इन योजनाओं में 476 करोड़ रूपए व्यय हो चुके हैं । अभी मांग संख्या- 24 में 43 मार्ग, लंबाई-222 किलोमीटर हेतु 25 करोड़ 76 लाख का प्रावधान किया गया है । मांग संख्या-42 में 71 मार्ग, लंबाई 520 किलोमीटर एवं पुल हेतु 66 करोड़ 62 लाख का प्रावधान किया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है ।

समय :
3:33 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारी सड़क की आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सड़क, हमारे पुल-पुलिया के निर्माण में जो बजट दिया है । छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम में 5222 करोड़ की लागत से 3900 किलोमीटर लंबी सड़क एवं पुल-पुलिया के लिये निर्माण कार्य किया जायेगा इसके लिये बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके लिये मैं माननीय गृहमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं । मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत 225 करोड़ की लागत से 2195 सडक कार्य स्वीकृत किये गये हैं इनके लिये 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । एशियन डवलपमेंट बैंक की सहायता से पेज-थ्री परियोजना में 826 किलोमीटर लंबाई के 24 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । साथ में पेज-चार परियोजना के अंतर्गत 1275 किलोमीटर लंबाई के 21 मार्गों का सर्वेक्षण किया जा रहा है । एडीबी सहायता वाली इन परियोजनाओं के लिये बजट में 940 करोड़ का प्रावधान किया है जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस बजट में 12 नये रेल्वे ओव्हरब्रिज एवं अंडरब्रिज तथा जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिये 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है । साथ में 6 मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग और 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है । नाबार्ड के ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 निर्माण मार्गों का निर्माण, 92 करोड़ का प्रावधान किया है । साथ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिये 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहती हूं कि जो 15 सालों में दुरूपयोग हुआ है । मेरे विधानसभा क्षेत्र संजारी-बालौद से जब मैं रायपुर आती हूं तो बीच में माननीय अजय चंद्राकर जी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि पिछले 15 सालों में जो भेदभाव हुआ है, वह भेदभाव दिखा है । हमारे क्षेत्रों में तो डेढ़ किलोमीटर की रोड के लिए राशि नहीं दी जाती थी और दूसरी तरफ अजय चन्द्राकर जी के विधान सभा क्षेत्र में जाकर देखिए, वहां पर सी.सी.रोड तो बना है साथ में नहरों के बगल में पगडंडी रोड का भी कांक्रीटीकरण किया गया है । जबकि हम लोग तरसते रहते थे । हमारे क्षेत्रों में गांव में पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण के लिए हम लोग तरसते रहे । लम्बी सड़कें तो दूर की बात है, हम लोग डेढ़ से दो किलोमीटर की सड़कों के लिए तरसे हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनी सबसे पहले मैंने उस मांग को गृहमंत्री जी के समक्ष रखी, कि मेरी सुर्रा से तमोरा की डेढ़ किलोमीटर की रोड बनाई जाए, उस मांग पर गृहमंत्री जी ने तुरंत पूरी की, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद् देती हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक मांग रखना चाहती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालोद मुख्यालय से राजनांदगांव मुख्यालय में पाररस रेल्वे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज निर्माण की मांग करती हूं । बालोद जिले को राजनांदगांव से जोड़ने वाला पाररस रेल्वे क्रासिंग, बिलासपुर रेल्वे जोन के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे लाईन पाररस से गुजरती है । वहां पर प्रतिदिन 36 बार रेल का आना-जाना होता है । मालगाड़ी का 15 बार जाना, 15 बार आना, एक बार में आधा-आधा घंटा तक बंद रहता है, सप्ताह में 3 बार एक्सप्रेस भी गुजरती है । मैं गृहमंत्री जी से मांग करती हूं कि जल्द से जल्द ओवर ब्रिज का निर्माण करें और संजारी बालोद को खुश होने का मौका दें ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी ने जो हमारे क्षेत्र को सड़कें दी हैं वे सड़कें बहुत आवश्यक थीं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद् देती हूं । साथ में मैं जेल विभाग के बारे में कहना चाहती हूं । हमारे विपक्ष के साथी ने चिल्ला चिल्लाकर अपनी बात रखी । इस पर मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे गृहमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पांच केन्द्रीय जेलों में जेल के अंदर अस्पताल है, जहां बंदियों को भर्ती किया जाता है, अभी वे अस्पताल कोरोनाकाल में बहुत उपयोगी साबित हुए हैं । साथ में मैं 2012-2018 के आंकड़े रखना चाहती हूं । हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, लूट, बलात्कार, शीलभंग, दहेज उत्पीड़न, दहेज मृत्यु, दहेज प्रताड़ना, आत्महत्या के लिए प्रेरित, इनमें सबसे बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं । जो महिलाओं के साथ होती रही । ये घटनाएं 239 तक जा पहुंची, जो बहुत ही शर्म की बात है । महिलाएं तो सुरक्षित नहीं थीं, हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं थीं । मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि जब से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तब से महिलाएं भी सुरक्षित है, हर बच्ची सुरक्षित है, हर वर्ग सुरक्षित है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं, धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार यादव । प्रकाश नायक । पांच मिनट में समाप्त करें ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने गढ़बो नया छत्तीसगढ़ की विचारधारा से प्रेरित होकर इस योजना और कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। इसमें प्रमुख जो योजनाएं हैं, जवाहर सेतु योजना, जिसमें बहुत सारे पहुंच मार्ग पर पुलों को निर्माण हुआ है। ये बहुत जरूरी थे। मुख्यमंत्री सुगम योजना तो एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जहां-जहां हमारे शासकीय भवनों में पहुंच मार्ग नहीं था, वहां आज उन्हें पहुंच मार्ग से जोड़ा जा रहा है। खासकर हमारे जो मुक्तिधाम थे, हमारे जो धान खरीदी केन्द्र थे, वे पहुंच मार्ग से दूर थे। उनको जोड़ने का काम किया है और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बस्तर में जो बेहतर काम किया है। बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आवागमन के लिए बेहतर काम किया और इसके तहत 312 कार्यों को स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास के काम तो हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे। विकास एक सतत् प्रक्रिया है जो चलती रही है और चलती रहेगी, लेकिन हमारी सरकार ने जो गुणवत्ता पर ध्यान दिया है और गुणवत्ता के लिए जो थर्ड पार्टी का गठन किया है, इससे जो हमारे निर्माण कार्य हैं, उसमें बहुत ही गुणवत्ता आयेगी। खासकर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की जो एक अभिनव योजना है कि हमारे जो 1 करोड़ से जो अधिक के काम हैं, उसमें ग्रेज्यूएट इंजीनियर और जो 20 लाख से 1 करोड़ के काम हैं, उसमें डिप्लोमा इंजीनियर की इन्होंने नियुक्ति करने का फैसला किया है, यह एक बहुत बड़ा काम है। इसमें हमारे जो बेरोजगार इंजीनियर हैं, उन्हें काम मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ गुणवत्ता में भी कसावट आयेगी और अभी जो ई श्रेणी के पंजीयन में हमारे जो बेरोजगार भाई हैं चाहे वे स्नातक हों या अनुसूचित जनजाति के या हायर सेकेण्डरी के हों, उनके लिए पंजीयन का उन्होंने रखा है, वह भी एक बड़ा काम है। इसमें जो छोटे-छोटे काम हैं, उसमें हमारे बेरोजगार भाई जो अभी बेरोजगार हैं, उन्हें काम मिलेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सड़कों की हालत पिछले दो वर्षों में बहुत सुधरी है और सड़कों की जो गुणवत्ता है, उसमें भी सुधार आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सदन में एक सड़क का जिक्र करना चाहूंगा। एक सराईपाली से सारंगढ़ रायगढ़ एन.एच. बहुत समय से निर्माणाधीन है और उसमें लंबे से वह काम पूरा नहीं हुआ है। दूसरा यह कि उसकी गुणवत्ता बहुत खराब भी है, उस पर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं हमारा जो पर्यटन विभाग है, उसमें भी मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राम वनगमन परिपथ के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए एक बड़ी राशि उन्होंने स्वीकृत की है। राम भगवान हमारे जीवन से जुड़े हैं। हमारी भावना से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़ और भारत

के लिए राम भगवान का विशेष स्थान है और छत्तीसगढ़ में राम भगवान यहां से गुजरे थे, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को थी। मेरे रायगढ़ जिले में एक रामझरना है, जहां से राम भगवान गुजरे थे। ऐसे राम भगवान के लिए, जोकि जहां-जहां से गुजरे हैं, उन्हें पर्यटन में स्थान देना बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे छततीसगढ़ में मुरूमसिल्ली, सतरेंगा, संजय गांधी जलाशय, गंगरेल, सरोदा बांध, समोदा बैराज, खोगराड डेम और मलेनिया, दूधावा जिला कांकेर को पर्यटन के लिए..।

(माननीय सदस्य श्री कृष्णमूर्ति बांधी द्वारा सदन में अपने आसन से अपना सामान लेने आने पर)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब बैठिए, आपका स्वागत है। आइए-आइए। बैठिए। आप बैठिए। आपका स्वागत है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल पर्यटन के लिए चिह्नांकित किया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि रायगढ़ जिले में केलो डेम है और रायगढ़ एक बड़ा जिला है, बड़ा शहर है। आप उसको भी शामिल करें । साथ ही रायगढ़ जिले में पोरथधाम है, अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से आप भी वहां गए हैं । वहां पर आजकल सभी काम होते हैं । उड़ीसा में जो हीराकुंड डेम है, उसका बैक वॉटर वहां हमेशा जमा रहता है, वह पर्यटन स्थल भी है, दर्शनीय स्थल भी है, धार्मिक स्थल भी है । उसको भी इसमें शामिल करें तो बहुत कृपा होगी ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ मांग रखना चाहूंगा । रायगढ़ के पास कोड़ातराई है, कोड़ातराई से सदिया, बरमकेला से सुहैला सीमा तक एक सड़क है, जो अभी जिला मार्ग है । माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसको राजमार्ग में शामिल करें, ताकि वह अच्छी सड़क बन सके । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पुसौर ब्लॉक में रायगढ़ जिला के गोतमा से सिंहा तक बहुत पहले सड़क बनी थी, अभी तक वह बहुत जर्जर हालत में है । मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि बरमकेला ब्लॉक में जगदीशपुर से महासमुंद सीमा तक भगतसराईपाली सड़क है, जिसकी दूरी 12 किलोमीटर है । अगर वह सड़क बन जाएगी तो दोनों जिले जुड़ भी जाएंगे और रायपुर से दूरी कम हो जाएगी । यह सड़क माननीय विधायक सरायपाली और माननीय विधायक सारंगढ़ के विधान सभा क्षेत्र में लगती हैं । अगर वह सड़क बनती है तो दो सीमा जुड़ जाएगी । यह भी इनके विधान सभा क्षेत्र की सड़क है । उड़ीसा से झाल तक सड़क बनी है, वह मात्र एक किलोमीटर की सड़क है और हमारे राज्य की सीमा की सड़क नहीं बनी है । लोग उड़ीसा से आते हैं, अच्छी गाड़ी में स्पीड से चलाते हुए आते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे प्रदेश की सीमा में पहुंचते हैं, वह जर्जर स्थिति में है । वह मात्र एक किलोमीटर की सड़क अधूरी है । अगर उस सड़क को बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं या आप उसे मांग बोल लीजिए । जब हम लोग रायगढ़ से चलते हैं और रायगढ़ की सीमा में पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही रायगढ़ की सीमा से हम लोग सराईपाली की सीमा में घुसते हैं, यह माननीय विधायक सराईपाली का एरिया आता है, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माणाधीन है, वहां पर कुछ काम भी नहीं हुआ है । वह सड़क बहुत खराब है । उसके कारण हमको बहुत विलंब होता है, हमें ही नहीं, सभी को विलंब होता है, उसमें भी सुधार करवा लेंगे तो अच्छा होगा । अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-24, 67, 76, 3, 4, 5, 51 एवं 37 के लिए मैंने राशि की मांग की है, बजट प्रस्तुत किया है । उसमें माननीय शिवरतन शर्मा जी, मोहन मरकाम जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, आदरणीय आशीष छाबड़ा जी, आदरणीय छन्नी चंदू साहू जी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, माननीय धर्मजीत सिंह जी, माननीय बृहस्पत सिंह जी, आदरणीया संगीता सिन्हा जी, प्रकाश नायक जी, केशव चंद्रा जी, 10-11 सदस्यों ने अपनी बातें रखीं और काफी अच्छे सुझाव भी दिये, उसके लिए मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। निश्चित तौर पर आपके सुझाव से आने वाले समय में हमारे विभाग को काम करने में काफी सुविधा मिलेगी ।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सोच एवं मार्गदर्शन के अनुरूप हमने सभी विभागों में योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया । हम लोगों ने विगत दो वर्षों में हमारे विभागों में काफी उपलब्धियां भी हासिल की हैं । सरकार बनने के बाद मैंने यह तीसरा विभागीय बजट प्रस्तुत किया है। मैं अपने प्रभार के विभाग का बजट भाषण सबसे छोटा, किन्तु महत्वपूर्ण विभाग धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व से शुरूआत करता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तक धर्मस्व और धार्मिक न्यास एक शब्द है लेकिन न इनका संचालनालय रहा, न इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी रहे। इसके अंदर बहुत सीमित काम रखा गया था। लेकिन इस विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद इसके विस्तार को देखकर, इनके कामों को देखकर हम लोगों ने निर्णय किया कि अभी तक मंदिरों के छोटे-मोटे काम जीर्णोद्धार, निर्माण, रख रखाव, इसमें इस प्रकार के काम किये जाते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने इस बार बजट प्रावधान के लिये निवेदन किया, विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 12 प्रतिशत से अधिक राशि का प्रावधान बजट में किया गया। वर्ष 2017-18 में 14 करोड़ रूपये और वर्ष 2018-19, 2019-20 में 17 करोड़ और 19 करोड़ का बजट प्रावधान करके हम लोगों ने राशि मांगी और इस साल प्रदान करने के लिये निवेदन किया। उसका बजट प्रावधान किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मस्व विभाग के द्वारा राजिम माघी पुन्नी मेला हमारा एक बड़ा आयोजन होता है। पहले उसमें 14 करोड़ रूपये तक लगाया जाता था। हम लोगों ने उसमें पहले साल 6

करोड, 4 करोड़ और 3 करोड़ रूपये तक लाया। काम वही हुआ लेकिन हम लोगों ने 14 करोड़ के काम को 3 करोड़ में किया और राजिम महाकुंभ नाम को पुराने स्वरूप में राजिम माघी पुन्नी मेला में लाया। आपकी उपस्थिति में इसी विधानसभा में सबसे पहला विधेयक नाम परिवर्तन का प्रस्तुत किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्मस्व विभाग में बस्तर दशहरा आयोजन के लिये 25 लाख रूपये का प्रावधान किया जाता है, जशपुर दशहरा के लिये 10 लाख रूपये का प्रावधान किया जाता है, गिरौदपुरी मेले में भी 10 लाख रूपये की राशि दी जाती है, दामाखेड़ा में भी 25 लाख रूपये की राशि इस विभाग के द्वारा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि धर्मस्व और धार्मिक न्यास के काम को हम कैसे बढ़ाना चाहते हैं। धर्मस्व विभाग के द्वारा जितने धार्मिक आयोजन है, वह किया जाता है। धर्मस्व विभाग के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार, रख-रखाव, नव-निर्माण किया जाना, यह हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। नया संचालनालय बनाने का हम लोग बड़ा काम हाथ में लेना चाह रहे हैं ताकि इसका काम बढ़े। पिछले बजट में हमें संचालनायल की स्वीकृति मिल गयी, हम लोग इसका एक्ट भी बनाने जा रहे हैं। धार्मिक न्यास जो शब्द है, जब मध्यप्रदेश में थे तब भी कोई काम नहीं हुआ और यहां आने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ। हम लोग पहली बार शुरूआत कर रहे हैं क्योंकि आप सबको मालूम है कि मंदिरों में इतनी ट्रस्ट और समितियां हैं, सैंकड़ों हजारों एकड़ दान दिया हुआ है। लोग उसको बर्बाद कर रहे हैं, संपत्ति का रख-रखाव नहीं कर पा रहे हैं। धार्मिक न्यास के द्वारा सारे ट्रस्ट और समितियां जो निजी क्षेत्र के हों, चाहे सार्वजनिक हों, सब आयेगा। अध्यक्ष महोदय, कई हजार एकड़ जमीन इस प्रदेश के अंदर आयेगा। हम लोग आने वाले समय में संचालनालय के गठन के माध्यम से यह करना चाहते हैं। इस बार जो हम लोगों ने बजट प्रावधान मांगा है, सेवादारों के मानदेय में वृद्धि करने के लिये 30 लाख रूपयं, मंदिर आदि का पोषण के लिये 30 लाख 50 हजार रूपये, समाधियों, मंदिरों का रखरखाव, अन्य विविध भत्ते 25 लाख रूपये, राजिम, गिरौदपुरी, लालपुर जनसुविधा उपलब्ध कराने के लिये 9 करोड़ रूपये, सिंधु दर्शन कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये 1 करोड़ 30 लाख रूपये, अन्य संस्थाओं का अनुदान 1 करोड़ रूपये, मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला आदि के निर्माण के लिये 50 लाख, शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार 50 लाख, संचालनालय धर्मस्व तथा अधीनस्थ कार्यालयों की स्थापना 1 करोड़, मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशाला आदि का निर्माण 19 करोड़ 73 लाख, धर्मशाला आदि का निर्माण साढ़े 4 करोड़, कुल 19 करोड़ 73 लाख 50 हजार रूपये है। अध्यक्ष महोदय, यह धर्मस्व और धार्मिक न्यास विभाग की बजट चर्चा है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पर्यटन विभाग की बात करना चाहता हूं। किसी भी प्रदेश की पहचान उनकी पर्यटन स्थलों से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अब तक हमारे राज्य में 139 पर्यटन स्थल चिन्हांकित किये गये हैं। विगत 15 वर्षों में इसके विकास और पर्यटकों की सुविधाओं में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। केवल होटल और मोटल बनाया जा रहा था जो आज जर्जर होकर

गिर चुका है। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हमें पर्यटन क्षेत्र के विकास में सर्वाधिक ध्यान देने के निर्देश दिए। जिसके फलस्वरूप हमारे प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों जैसे कुरदर, सरोदर दाधर, कोण्डागांव, जशपुर, नथियानवागांव, सतरेंगा के विकास कार्यों से राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक समृद्ध पर्यटन राज्य है। छत्तीसगढ़ एक वर्जिन स्टेट है। यहां वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, वाटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म की आपार संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित पारम्परिक मेले में छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बहुरंगी झलक मिलती है। बस्तर का दशहरा पर्व जनजातियों की परम्पराओं का विलक्षण उत्सव है। महानदी, पैरी तथा सोंढुर नदी के संगम स्थल पर माघ-पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाला मेला विशाल जनआस्था के फलस्वरूप प्रतिवर्ष होने वाले भव्य माघी-पुन्नी मेला के रूप में देश भर में जाना जाता है। रतनपुर, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी हमारा स्थापित ऐतिहासिक काल के शक्तिपीठों के कारण छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन विभाग का विगत 2 वर्षों के पूर्व के बजट से इस वर्ष 90 प्रतिशत अधिक की वृद्धि की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राम वनगमन पर्यटन परिपथ हमारा एक बड़ा कार्यक्रम बनाया गया है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। भगवान राम अपने वनवास काल में यहां अधिकांश समय, लगभग 10 साल गुजारे हैं। वह 75 स्थानों पर रहे हैं, गुजरे हैं। उनमें से 9 स्थलों को सीतामढ़ी हरचौका कोरिया, रामगढ़ सरगुजा, शिवरीनारायण जांजगीर-चाम्पा, तुरतुरिया बलौदाबाजार, चन्द्रखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तऋषि आश्रम धमतरी, जगदलपुर, बस्तर एवं रामाराम सुकमा को चिन्हांकित करके 137 करोड़ की कार्ययोजना तैयार कर हमारे टूरिज्म बोर्ड ने दो स्थानों चन्द्रखुरी एवं शिवरीनारायण पर काम चालू कर दिया है। बाकी के लिए भी एजेंसी तय हो गई है। एक-एक एजेंसी को तीन-तीन स्थान देकर 9 स्थानों का विकास कर रहे हैं।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, डोंगरगढ़ को राष्ट्रीय, अन्तराष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाने के लिए प्रसाद योजना के तहत 43 करोड़ 33 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसका अभी दो दिन पहले भूमिपूजन किया गया। डोंगरगढ़ में माता बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, वहां पहाड़ी, प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर विकसित किया जायेगा। जैन, बौद्ध और हमारे दंतेश्वरी मन्दिर तीनों जगह विकसित होंगे तथा भारत के नक्शे में अपना स्थान बनायेंगे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रायबल टूरिज्म की बहुत ज्यादा संभावना है। देश दर्शन योजना के तहत ट्रायबल टूरिज्म में 96 करोड की परियोजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। टूरिस्ट सर्किट में जशपुर, कुनकुरी, मैनपाट, कमलेश्वर, महेशपुर, कुरदा, सरोदादाधर, गंगरेल, कोण्डगांव, नथियानवागांव, जगदलपुर, चित्रकोट, तीरथगढ़ स्थल इसमें शामिल है। इस सर्किट में राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के समीप पर्यटकों के लिए मार्ग सुविधा का विकास, इको इथनिक डेस्टीनेशन, नेचर ट्रेस,

साइनेजर, कैफेटेरिया, ला घर, सोलर प्रकाशीकरण इत्यादि का काम इसके तहत किया जा रहा है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बहुत संभावनाओं को देखते हुए जल पर्यटन का भी विकास करने जा रहे हैं। पहली बार योजनाबद्ध तरीके से जलाशयों को चिन्हांकित कर रहे हैं। इसके लिए इसमें अभी 9 जलाशयों को चिन्हांकित किया है। माडमसिल्ली जिला धमतरी, सतरेंगा हसदेव बांगो जिला कोरबा, संजय गांधी जलाशय खूटाघाट, गंगरेल जिला धमतरी, सरोदा बांध कवर्धा, समोदा बैराज रायपुर, कोडार डेम रायपुर, मलेनिया जिला गौरेला, दुधावा जिला कांकेर, हम लोग यहां वाटर स्पोर्टस को चिन्हांकित करके काम शुरू कर रहे हैं। डी.पी.आर. तैयार करने की दिशा में हमारा काम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाईयां, हमारी 15 इकाईयां संचालित हैं। जिसमें 188 कक्ष तथा 110 व्यक्तियों के डारमेट्री सुविधा है, पर्यटन सूचना केन्द्र है, कॉल सेन्टर है, माह जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 16 हजार पर्यटक लाभान्वित भी हुए। इस दौरान कोरोना काल था। जिसमें 2 करोड़ 97 लाख रूपये की राजस्व प्राप्ति भी हुई। टूरिज्म बोर्ड द्वारा बंद इकाई को चयनित कर 13 इकाई को निविदा के माध्यम से प्रबंधकीय अनुबंध पर दिये जाने की कार्यवाही चालू कर दी गई है। अध्यक्ष जी, पर्यटन में सबसे बड़ा काम कि हमने पर्यटन नीति बनाई। अब तक पर्यटन नीति नहीं थी। पर्यटन नीति बन जाने से पीपीपी मोड में जो व्यक्तिगत काम करने वाले लोग हैं, होटल व्यवसाय के लोग हैं सभी के लिए इसमें प्रावधान किया गया है और काम होगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन का प्रचार, प्रसार पर्याप्त मात्रा में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, टीवी सबके माध्यम से किया जा रहा है। एक बड़ा होटल प्रबंधन संस्थान था, जो बड़े-बड़े फाईव स्टार, सेवन स्टार होटलों में कुक रहते हैं, बैरा रहते हैं उसके लिए हमने ट्रेनिंग सेंटर चालू किया है। हास्पिटालिटी के क्षेत्र में, फुड प्रोडक्सन, हाऊस कीपिंग, रूम अटेंडेंट, फ्रंट आफिस इत्यादि पर शोध और अनुसंधान कार्य को संपादित करना है। ये कई वर्ष से बना हुआ रखा था, ये चालू नहीं हो पा रहा था, हम लोगों ने भारत सरकार से इसकी मान्यता ले ली है, उसमें वर्ष 2020-21 से एक डिग्री और तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रम इस साल हम लोगों ने चालू कर दिया है। होटल मैनेजमेंट डिग्री बी.एस.सी. इन हॉस्पिटालिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फुड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन हाऊस कीपिंग ऑपरेशन्स, डिप्लोमा इन फुड एंड बेवरेज सर्विसेज। इस पाठ्यक्रम में इस वर्ष छत्तीसगढ़ के 53 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। जो बजट हमने मांग किया है उसका विवरण हमने पहले दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने दूसरे विभागों की ओर आता हूं। हमारे गृह और जेल विभाग से जुड़ा हमारा एक छोटा सा एस.जी.आर.एफ. और नगर सेना है। यह बहुत छोटा है लेकिन यह बाढ़ के समय बचाव दल का कार्य खूब करते हैं। इस वर्ष जो भीषण बाढ़ आई थी, नगर सेना और बाढ़ बचाव दल के द्वारा बलौदाबाजार, बेमेतरा, कबीरधाम, नारायणपुर, बीजापुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ में जवानों द्वारा बाढ़ में घिरे हजारों व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया। बहुतों को टापू बने कई गांवों से

सफलतापूर्वक निकाला गया। इसी प्रकार हमारा एक छोटा सा फायर विभाग है जो कि आग आदि लगने के समय आपातकालीन सेवायें देता है। इसका नया गठन किए हैं। इसको 27 जिलों में इसको नगरीय निकायों से आधिपत्य लेकर हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में जगदलपुर, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, अंबिकापुर, राजनांदगांव, बिलासपुर में मॉडल फायर स्टेशन निर्माण कार्य प्रगति पर है। रायगढ़ के फायर स्टेशन का माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। पिछले एक वर्ष में 48 बड़ी आग की घटनाओं में हमारे विभाग अग्निशमन सेवाओं ने जानमाल के नुकसान को बचाया है। वर्तमान में विभाग अस्पताल, स्कूल, कालेज, हॉटल अन्य प्रतिष्ठानों को ऑनलाईन इसकी जानकारी और प्रशिक्षण हम दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जेल विभाग पर चर्चा करना चाहता हूं। वर्ष 2021-22 के बजट अनुदान मांग पर चर्चा करता हूं। जेल विभाग का जो हमारा मुख्य उद्देश्य और काम है वह है बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा और व्यवस्थापन, बंदियों का स्वास्थ्य, बंदियों की शिक्षा, स्वस्थ मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं बंदी पुनर्वास, विधिक सहायता उपलब्ध कराना। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी जो क्षमता है और हमारे जेलों की जो स्थिति है उसके विषय में कुछ बात रखना चाहता हूं। हमारे पास राज्य में कुल 33 जेल हैं, जिसमें 5 केंद्रीय जेल, 12 जिला जेल और 16 उपजेल हैं। राज्य की जेलों की बंदी आवास क्षमता 13704 है लेकिन हमारे पास इस समय 19519 बंदी हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में हम लोगों ने मांग की, इसके अंदर हमको 195 करोड़ 85 लाख 85 हजार बजट प्रावधान किया गया है। विगत वर्ष के बजट प्रावधान 191 करोड़ था और इस साल इसमें सवा दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। नवीन मद के अंतर्गत उप जेल नारायणपुर, उपजेल बीजापुर का जिला जेल में उन्नयन करके 9 पदों का श्रृजन करके 34 लाख का प्रावधान, उपजेल भाटापारा के 39 पद का प्रावधान एवं 108 लाख की वित्तीय स्थिति का प्रावधान, नवीन जेल निर्माण के विषय में बंदी क्षमता ज्यादा होने के कारण क्षमता बढ़ाने के लिए नया जेल निर्माण, पिछले वर्ष के बजट में हम लोग रखे थे बिलासपुर, रायपुर और खुला जेल बेमेतरा। बिलासपुर के लिए ग्राम बैमानगोई में 50 एकड़ आबंटित भूमि पर विशेष जेल निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग से 127 करोड़, 21 लाख के विस्तृत प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही जारी है। जिला बेमेतरा के ग्राम पथर्रा में 25 एकड़ जमीन लोक निर्माण विभाग से प्राप्त 23 करोड़ 41 लाख, विस्तृत प्राक्कलन, प्रशासकीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है। जिला रायपुर के ग्राम गोढ़ी में आवंटित 85 एकड़ भूमि पर विशेष जेल निर्माण कार्य का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर लोक निर्माण विभाग द्वारा कंसलटेंट नियुक्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है इनके बन जाने से बंदी जो अतिरिक्त हैं उसके लिए हमारे पास जगह हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को इसके लिए साढ़े 7 करोड़ रूपये बजट प्रावधान मिला है। संचालित उद्योग की जानकारी बजट प्रावधान, उत्पादन आय की। जेल में बजट प्रावधान वर्ष 2016-17 में 6 करोड़ रूपये था, उत्पादन 6 करोड़ 97 लाख रूपये

मिला। इसी क्रम में वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 में इस साल हमारा साढ़े 7 करोड़ रूपये का प्रावधान है और अभी तक दो करोड़ 95 लाख का उद्योगों से जेल में आय भी हो चुकी है। मैं जेल विभाग की उपलब्धियां थोड़ा सा बताना चाहूंगा। प्रदेश की जेलों में कुल 226 बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, उसमें 15 हजार बंदी लाभांवित हुए, प्रदेश की जेलों में 26 बार योगा शिविर आयोजन हुआ, उसमें 5 हजार 298 बंदी लाभांवित हुए, जेलों में बंदियों को विधिक परामर्श देने के लिए लिगल एण्ड क्लिनिक की स्थापना की गई। इसमें भी शिविरों का आयोजन किया। हम लोगों ने जेल विभाग में कुछ अलग उपलब्धियां भी हासिल कीं। हमने विडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम लगाया, कोरोना काल में बंदियों से मिलने नहीं दिया जा रहा था तो विडियो कॉन्फ्रेसिंग और टेलीफोन के माध्यम से उनके परिवार से हम लोग चर्चा कराते थे और उनके द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम किया गया। शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। हमने जेलों में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की भी शुरूआत की और उनको सुविधा दिलायी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद गृह विभाग की चर्चा करना चाहता हूँ। पुलिस विभाग की मांग संख्या 3 गृह विभाग से संबंधित वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में प्रावधानित राशि के संबंध में हुई अनुदान मांगों की चर्चा का जवाब दूंगा। माननीय सदस्यों ने इन अनुदान मांगों के पक्ष-विपक्ष में अपने विचार व्यक्त किये हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने, प्रदेश के विकास के लिए बजट प्रावधान किया गया है। खासकर माओवाद प्रभावित क्षेत्र में बिना सुरक्षा के कोई काम नहीं हो सकता। इसके लिए हमारी सरकार प्रदेश में पुलिसिंग व्यवस्था में सुधार करने, बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दृढ संकल्पित है। इसको दृष्टिगत रखते हुए, गृह विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 4 हजार, 972 करोड़, 39 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के फ्रंट लाईन कोरोना वॉरियर के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि कोरोना का एक संकटकाल था और इसमें मैं संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहता हूँ कि

"कायर को ही दहलाती है
सच है विपत्ति जब आती है
कायर को ही दहलाती है।
सूरमा नहीं विचलित होते,
क्षण एक नहीं धीरज खोते,
विघ्नों को गले लगाते हैं
कांटों में राह बनाते हैं।"

पुलिस के फ्रंट लाईन कोरोना वॉरियर द्वारा इसका उदाहरण प्रस्तुत किया । जब कोरोना-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ हमारा पुलिस विभाग चौबीसों घण्टे ड्यूटी

दिया। जान की बाजी लगाकर चाहे वह मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो, सुरक्षा की बात हो, हमारे लॉक डाऊन को सफल करने की बात हो, कई अधिकारी, कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए, कई ने अपनी जान भी गंवाई उसके बावजूद हमारे कर्मचारियों का मनोबल बना रहा और इस पर काम किये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब पुलिस बल की कमी की बात बहुत सारी आती है। बस्तर में यहां से जो भर्ती हुए हैं वह ट्रांसफर की भी बहुत बात आती है। वह इधर वापस लौटना चाहते हैं। नक्सली मूवमेंट में इधर के लोगों से ज्यादा अपेक्षा, मदद नहीं मिलती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन बातों को सोचकर बस्तर फाईटर नाम से एक विशेष दल बल गठन का निर्णय लिया और इसके तहत अभी हम लोगों को सी.आर.पी.एफ. के 5 अतिरिक्त बटालियन मिली है और जब हम लोग बस्तर फाईटर का गठन कर रहे हैं तो इसके लिए भी 2800 नये पद सृजित किया जायेगा। इसकी विशेषता यह होगी कि बस्तर अंचल के ही बच्चों को वहां पर नौकरी दी जायेगी तो स्थानीय रास्ता, पहाड़, नदी, नाले वहां की बोली के जानकार होंगे तो हमें वहां ज्यादा से ज्यादा काम करने और नक्सली मूवमेंट की सभी चीजों के विषय में हमको बहुत बेहतर जानकारी मिलेगी। हमें काम करने में सुविधा मिलेगी। इसलिए इसको किया गया। साइबर फोरेंसिक लैब का सुदृढ़ीकरण, अभी एक साइबर घटना की भी बात आई थी। साइबर पोर्टल के माध्यम से अपराधों की सूचना दी जा रही है। साइबर क्राईम के लिए जैसा कि आदरणीय चन्द्रा जी ने भी कहा, हमारी सरकार ने 20 नवीन पदों के सृजन भी कर दिये हैं, इसमें 1 करोड़ 32 लाख रुपये व्यय संभावित भी है। हमारे अधिकारी, कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि तत्काल कार्यवाही हो सके। जैसा कि आपने कहा कि कई दिन नहीं, उसमें तत्काल निर्णय लेना होता है और तत्काल काम करना होता है। यह हमारा प्रयास है। इसके अलावा बजट में साईबर लैब हेतु क्लाउंड एनालिसिस एण्ड नेटवर्क फोरेंसिक के लिए भी आवश्यक साफ्टवेयर भी क्रय करने का हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। इसके लिए जितना ज्यादा हो रहा है, उसमें हम लोग आधुनिक से आधुनिक काम कर रहे हैं। थानों में बल वृद्धि की बात आई। पिछले बार से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। पहले से जो हमारे थाने चौकी स्वीकृत हैं लेकिन वहां बल में वृद्धि नहीं हो पाई थी। अब भी हम लोग थाने चौकी स्वीकृत कर रहे हैं, पर उसकी बल वृद्धि का नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में कई थाने ऐसे हैं, पहले का जो आंकड़ा रहता था, जिनका स्वीकृत बल 12, 13 या 14 है। हमारी सरकार ने ऐसे 19 पुलिस थानों का बल बढ़ाकर 45 करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार 608 नये पदों का सृजन करने पर 21 करोड़ 39 लाख रुपये का व्यय संभावित है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नये पदों का सृजन। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, थाना और चौकी बढ़ रही है, क्राईम बढ़ रहा है तो उसके लिए वहां जिम्मेदार अधिकारियों की भी आवश्यकता होती है। इस बजट में हम लोगों ने प्रावधान किया है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नये पदों का सृजन, पुलिस मुख्यालय की शाखाओं का सुदृढ़ीकरण। इसके अतिरिक्त इसमें

हम लोगों ने पद की आवश्यकता के साथ जैसे रायपुर बडा शहर है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, इस प्रकार अतिरिक्त पुलिस रायपुर पश्चिम, राजनांदगांव मानपुर, जांजगीर चांपा, बीजापुर नक्सल ऑपरेशन, कांकेर, भानुप्रतापुर के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 5 पद, सहायक अमले सहित 30 पदों के लिए 1 करोड़ 24 लाख का व्यय हम लोगों ने प्रस्तावित किया है, संभावित है। पुलिस मुख्यालय में यातयात, दूरसंचार, महानिदेशक, आर्म सुरक्षित भंडार के लिए 8-12 और 9 पद के सृजन का प्रावधान रखा गया है। गौरेला-पेण्ड्रा और मरवाही के लिए एक सहायक विधि अधिकारी, एक रक्षित निरीक्षक 15 यातायात के पदों का सृजन बजट में सम्मिलित है। बलरामपुर में तातापानी और रनहत में जिसकी ओर अभी जिसकी ओर हमारे बृहस्पत सिंह जी ने उल्लेख किया। उसका प्रावधान हम लोगों ने कर दिया है। 66 नवीन पदों की स्थापना के लिए 2 करोड़ 4 लाख का व्यय भी हम लोगों ने रख लिया है जो आपने बात कही थी। सी.टी.टी.एन.एस. का क्रियान्वयन मजबूती से करने के लिए भारत सरकार का क्राईम क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क है, उसको भी हम लोग 24 से 72 घंटों के बीच एफ.आई.आर. को पुलिस की वेवसाईट पर देखा जा सकता है। शिकायतें किसी भी समय ऑनलाईन माध्यम से घर बैठे की जा सकती हैं। थानों में परस्पर स्टेट डाटा सेंटर से कनेक्टीविटी को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने बजट में 3 करोड़ रुपये और थाना चौकी में नये कम्पयूटर देने के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर वातावरण बनेगा। थानों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की स्थापना की जा रही है। चार-चार सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित हैं। उसको और भी बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। पुलिस अनुसंधान में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को महत्व दिया गया है। क्योंकि आजकल क्राईम जो होता है उस नेचर से हमको साक्ष्य जुटाने में सुविधा हो। उसके लिए भी यह जरूरी है कि घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्य बिना छेडछाड़ के संकलित हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों के अनुसंधान में वीडियोग्राफी को अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश है। इसके लिए भी हम लोगों ने काम चालू किया है। थानों के संसाधन की बेहतरी, पुलिस की अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में हमारे गृह विभाग में हम लोगों ने काफी इस काम को बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के आत्महत्या की बहुत बातें आती हैं। मैं कुछ आंकडे देना चाहता हूं कि वर्ष 2015 में 854 किसानों ने आत्महत्या की थी, वर्ष 2016 में 585 किसानों ने आत्महत्या की थी, वर्ष 2017 में 285 किसानों ने आत्महत्या की थी, वर्ष 2018 में 182 किसानों ने आत्महत्या की थी, वर्ष 2019 में 233 किसानों ने आत्महत्या की थी और वर्ष 2020 में 200 प्रकरण दर्ज किये गये हैं । वर्ष 2015 में 854 यह आंकड़े किसानों की आत्महत्या के हैं, जिसके बारे में लगातार कहा जाता है । नक्सल क्षेत्र की बात आती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्रकार कई बार अलग-अलग पूछते हैं कि नक्सली क्षेत्र के लिये, नक्सली मूवमेंट को समाप्त करने के लिये आपकी क्या रणनीति है ?माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच बहुत

स्पष्ट है कि हम बस्तर क्षेत्र के युवकों को, वहां रहने वालों को हल पकड़ायें या बंदूक ? इन दोनों में से एक हमको तय करना होगा । हमारी सरकार की मान्यता है, प्राथमिकता है कि हम बंदूक की बजाय हल पकड़ायें इसलिए बस्तर अंचल के लिये लगातार विकास के काम स्वीकृत किये जा रहे हैं और योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं । हमारा हर काम बस्तर के विकास से संबंधित है, चाहे हम लघु वनोपज समर्थन मूल्य में खरीदी की बात करें, चाहे हम 50 लाख तक के काम को मैनुअल टेंडर में वहां देने की बात करें, चाहे ई-श्रेणी पंजीयन में इधर ग्रेजुएट की बात को वहां सरलीकृत करके बारहवीं पास बच्चों की बात करें । चाहे बस्तर अंचल में सड़क, पुल-पुलिया के निर्माण की बात करें इन सारी चीजों में, चाहे वहां फूड प्रोसेसिंग प्लांट के स्थापना की बात करें, चाहे वन पट्टे देने की बात करें । बस्तर क्षेत्र में जितने भी काम हों, हम लोगों ने नक्सल मूवमेंट को खत्म करने के लिये एक अलग रास्ते का अख्तियार किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया है - विश्वास विकास सुरक्षा और उसके तहत् हम लोग वहां पर काम करते जा रहे हैं । चाहे वह शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अभी हाट बाजार स्वास्थ्य क्लिनिक वहां शुरू किया गया है । खाद्यान्न सुपोषण योजना शुरू की है, मनवा नवानार योजना के तहत् कैम्पों में समग्रित विकास केंद्र शुरू किया गया है, बड़ी संख्या में पुल-पुलिया, सड़क का निर्माण शुरू किया गया है । नक्सली क्षेत्रों में सुरक्षा बल, बहादुरी से जो काम करते हैं, अंदरूनी ईलाकों में नवीन कैंप की स्थापना है । हम सर्वाधिक नक्सली मूवमेंट में जिसकी बहुत ज्यादा बात करते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन दो वर्षों में और पहले की कहीं पर भी एक भी फर्जी मुठभेड़ की शिकायत इन दो वर्षों में नहीं आयी है । इन दो वर्षों में कहीं पर भी मुठभेड़ में किसी आदिवासी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है । सर्वाधिक नक्सली मारे गये हैं, सर्वाधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, सर्वाधिक नक्सली अरेस्ट किये गये हैं । आप इन दो वर्षों में देखेंगे तो कहीं पर भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई हैं । एस.टी. आदिवासियों के प्रकरण जो कई सालों से जेलों में बंद हैं, जस्टिस पटनायक की कमेटी बनायी गयी और उनको छोड़ने का काम चालू हो गया । काफी आदिवासियों को जेलों से छोड़ भी दिया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिटफंड कंपनी की बात । किसी प्रदेश में यह बात नहीं है लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है । चूंकि कंपनी बाहर की है, यहां आये हैं और भाजपा के नेता लोग उनके दुकानों का, शोरूम का और कार्यालय का उद्घाटन किये हैं, यहां का करोड़ों-अरबों रूपये लेकर भाग गये हैं, एजेंटों के लिए एफआईआर हुआ है, एजेंट तो हमारे अपने हैं, छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं, बेरोजगार लड़के हैं । चिटफण्ड कंपनियों में हमारा अलग सेल बना है और वह लगातार काम कर रहा है । कलेक्टर, एस.पी., हमारा सेल, काफी राशि वापस कर दी गई, काफी जमीन कुर्की कर दी गई, कोर्ट में प्रकरण पेश कर दिया गया, कलेक्टरों को निर्देश दे दिया गया, नीलामी करके राशि जप्त करके वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के

रहवासियों के प्रकरणों के बारे में बोल रहा था कि 622 प्रकरणों के वापस लिये जाने से इन मामलों में 726 लोगों को जेल से रिहा करा चुके हैं, जो आदिवासी काफी लंबे समय से जेल में थे । मादक पदार्थ की बात करते हैं कि यहां अपराधगढ़ बन गया है और नशे का कारोबार फैल गया है । यदि 15 साल कार्यवाही की गयी होती तो यह समाप्त हो गया होता । इन्होंने 15 साल तो इसे फलने-फूलने दिया । हम लोग तो पकड़ रहे हैं इसलिए यह सामने आ रहा है । यह अभी फैला ऐसी बात नहीं है । 15 सालों तक इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की इसलिये यह पूरा फैल गया । यह अपनी जड़ें जमा चुका, हम लोग पकड़ रहे हैं इसलिए इतने प्रकरण सामने आ रहे हैं । आप अपहरण वाली बातों पर लगातार यह देखेंगे कि हर बड़े घटनाक्रम को हम लोगों ने हमारे पुलिस विभाग में हत्या, चौरी, डकैती, बलात्कार सबकी बात करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आंकड़ा दे दिया है इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है । हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, किडनैपिंग, छुरा-चाकू के जितने भी हैं, 99 परसेंट केसेस में रिकवर किया गया है, यह हमारे पुलिस विभाग के सबसे बड़ी विशेषता है । एकाध परसेंट है जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है । बाकी 95 से 99 परसेंट में 24 घंटे से 3 दिन के अंदर अनेक प्रकरणों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है । एक महीने के अंदर न्यायलय में चालान पेश हुआ है और बहुतों में एक महीने के अंदर कारावास की सजा हुई, यह हमारे विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है । एकाध परसेंट प्रकरण होगा जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई हो पाई है । 9 वर्षीय प्रियांशु नायक, रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी, बिलासपुर के विराट, कबीरधाम के नाबालिक बालक अनेक प्रकरण हैं, सबकी जानकारी में है । महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा की बात लगातार महिला डेस्क की स्थापना, महिला थाने की स्थापना, हर थाने में महिलाओं की नियुक्ति हम लोग करते जा रहे हैं । कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं कर रहे हैं । हमारे पुलिस जवानों की आत्महत्या की बात आती है । हमारे पुलिस मुख्यालय में डी.जी.पी. के द्वारा स्पंदन कार्यक्रम, समाधान कार्यक्रम चलाया जाता है । जिसके तहत कोई भी कर्मचारी वहां जाकर अपनी बात रख सकता है, चाहे वह अनुकंपा नियुक्ति की बात हो, प्रमोशन की बात हो, ट्रान्सफर की बात हो । हमारे यहां इन बातों पर खुले रूप से ध्यान दिया जा रहा है । अध्यक्ष जी, बहुत छोटा सा आंकड़ा, हालांकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है । हत्या में 2004 में 924 प्रकरण थे, 2005 में 1013, 2006 में 10084 अभी 900 है । आंकड़े से ही पता चलता है कि उस समय कितने प्रकरण थे, इस समय कितने प्रकरण हैं और किस प्रकार से यह हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पी.डब्ल्यू.डी. की चर्चा करूंगा । इस सदी की भीषण त्रासदि कोरोना महामारी से उबरने के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गढबो नवा छत्तीसगढ़ का बजट । इस त्रासदि पर विभाग ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इस घड़ी का मुकाबला किया तथा कार्यों की अपनी गति बनाते हुए अनेक कार्य किये गये हैं । गांव, गरीब के विकास हेतु नये आयाम स्थापित किए हैं । प्रदेश के बेरोजगारों की समस्या को देखते हुए कई निर्णय लिए हैं । अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ राज्य में 27 राष्ट्रीय

राजमार्ग हैं जिनकी लम्बाई 4137 किलोमीटर है, इसका संधारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन यहां पर हम लोग जैसा कि पिछले सत्रों में भी बातें आईं । अपनी ओर से भी कोशिश करते हैं चाहे वह एडीबी का हो, एनएचआई का हो या एनएच का हो, अगर विलम्ब हो रहा है या नहीं कर पातें तो चूंकि जनता हमारे यहां की है, जैसा कि सम्मानित धर्मजीत जी ने पिछली बार कहा था तो हम लोगों ने अपनी ओर से अब शुरूआत कर दी है । कहीं भी इस प्रकार से हो तो हम लोग आगे बढ़कर उस पर काम करते हैं । रायपुर-बिलासपुर, बिलासपुर-कटघोरा, रायपुर-धमतरी मार्ग का निर्माण कार्य एच.एच.आई. के द्वारा किया जा रहा है । शेष राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के पर्यवेक्षण में हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वक्ताओं ने कह दिया है, जयादा विस्तार नहीं दूंगा। नौकरी और रोज़गार, दो बातें हैं । हम बहुतों को नौकरी देंगे, बहुतों को रोज़गार देंगे । सबको नौकरी नहीं दी जा सकती । माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे हर टेंडर में एक इंजीनियर अनिवार्य। मान लीजिए हमारी 2 हजार सड़कों का टेंडर हुआ तो हमको 2 हजार इंजीनियर्स लगेंगे । हर टेंडर में 1 इंजीनियर। यदि छोटी सड़कें हैं तो डिप्लोमाधारी इंजीनियर को 15 हजार मानदेय देंगे, बड़ी सड़कों में डिग्रीधारी इंजीनियर्स को 25 हजार और मास्टर डिग्री वाले में 50 हजार मासिक । हम ठेकेदार के टेंडर से काटकर उनको पैसा देंगे और ठेकेदार नहीं रखता तो हम रखेंगे और उसका वेतन, उसमें से काटकर देंगे । लेकिन हर टेंडर पर एक इंजीनियर अनिवार्य । और न केवल पी.डब्ल्यू.डी. के बल्कि हर विभाग के टेंडर में ये इंजीनियर अनिवार्य होंगे तो 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार इंजीनियर्स को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा काम दिया जाएगा । अध्यक्ष महोदय, ई श्रेणी पंजीयन की बात हमारे पूर्व साथियों ने कह दी है। यह विशेष इसलिए लगाया गया कि ए, बी, सी, डी चार श्रेणी के पंजीयन हैं और यह बड़े-बड़े ठेकेदार ऑनलाइन करते हैं। हमारे छोटे बेरोजगारों, नवयुवकों को काम नहीं मिलता। तो तय यह किया गया कि ब्लॉक लेवल पर पंजीयन होगा। ई-श्रेणी में पंजीयन होगा। उसके लिए कोई राशि, कोई शुल्क नहीं, नि:शुल्क होगा और मैदानी इलाकों में ग्रेज्यूएट, फॉरेस्ट इलाके में 12वीं पास वहां 50 लाख तक के काम, यहां 20 लाख तक के काम। 50 लाख तक का अधिकतम काम हम उन्हें देंगे, यह तय किया गया और उन्हें ऑनलाइन नहीं, मैनुअल टेंडर पर देंगे, यह तय किया गया और ए,बी,सी,डी वाले इसमें नहीं डाल पायेंगे, यह भी तय किया गया। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के विषय में चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुख्य सड़क है और जाने-आने का रास्ता नहीं होता तो इसमें भी जवाहर सेतु योजना की भी चर्चा हो चुकी है। इसके माध्यम से 48 कार्य के लिए 330 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। कार्य प्रगति पर है। नाबार्ड लोन के अंतर्गत जवाहर सेतु योजना की भी चर्चा की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 6362 करोड़ 88 लाख 5 हजार का है। इसमें नये कार्यों के लिए 4 हजार 875 करोड़ के 869 कार्य का है, 10 रेलवे ओव्हर अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 342 करोड़ का प्रावधान है। 34 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। अनुसूचित जनजाति उप योजना के

86 पुल निर्माण के लिए भी इसमें बात की गई है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ सदस्यों ने शंका जाहिर की कि पिछले वर्ष के बजट में जो प्रावधान थे, वह दो साल में लैप्स हो जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले वर्ष के बजट में हमारे जितने सड़क थे, उसे सभी सड़कों को हम लोगों ने रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को हस्तांतरित कर दिया है। जितना साढ़े सात सौ सड़क जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जानकारी दी थी। लगभग साढ़े सात सौ सड़क हैं जो वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के हैं, उसे रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन को दे दिया गया है, उसके तहत सारे सड़कों का निर्माण करेंगे और जितनी राशि हमारे पास सुलभ होगी। धरसा विकास योजना की भी चर्चा हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर भी कह दिया है। बिलो टेंडर की एक बात आ रही है। चाहे वह फॉरेस्ट इलाके का हो या नीचे का। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जब मैंने यह विभाग देखा, 4-6 महीने में अनुभव किया। बिलो टेंडर और सड़कों का खराब होना। पहले हर साल रोज पेपर में यह छपता था कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, पानी-पानी दिख रहा है। कहीं पर सड़क नहीं दिख रहा है, ऐसा। मैं एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि पिछले एक साल में कहीं पर भी समाचार पत्रों में यह बात नहीं छपी कि सड़क में गड्ढे हैं, क्योंकि हम लगातार सड़कों की मरम्मत, गड्ढों की मरम्मत साल में दो बार कर रहे हैं। बारिश के पहले और बारिश के बाद लगातार कर रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- एक साल में माननीय मंत्री जी यातायात भी तो नहीं हुआ है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हो सकता है, उसके कारण हो। पर उपलब्धि तो हम मानेंगे क्योंकि ये सब पेपर में नहीं छपा है और यातायात नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। आप कह रहे हैं तो मैं उसके लिए कोई..।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- नहीं, मंत्री जी, मरम्मत अच्छी हुई है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- खैर, यह बहस का विषय नहीं है। जो हम लोग किये हैं उसे कह रहे हैं। यातायात हो या न हो। उसके लिए हम लोगों ने ध्यान दिया। कारण क्या है, यह जानना तो पहले टेंडर में पी.जी. 3 वर्ष का होता था। पी.जी. माने performance guarantee. ठेकेदार ठेका लेता था। पूरा करता था। 3 साल तक उसकी मरम्मत करता था। इसलिए वह बिलो में लेता था। कमजोर बनाता था। 3 साल तक चले, ऐसा वह छोड़कर चलता था। उसको देखने के बाद मैंने परिवर्तन किया और उसमें पी.जी. अब 5 साल कर दिया। performance guarantee में अब ठेकेदार के लिए 5 साल मरम्मत करना अनिवार्य कर दिया और तब तक उसकी राशि हमारे पास रहेगी। इसलिए अब बिलो कम हो गया है। पहले 25-30 प्रतिशत बिलो था और अभी के ठेकेदारों में अब 15-20 प्रतिशत आ गया है। आप देखेंगे कि अभी जो टेंडर हो रहा है, वह 25-30 प्रतिशत के बजाय 15-20 प्रतिशत हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसे बदल दिया है। थर्ड पार्टी गुणवत्ता भी कर दी है कि हमारा थर्ड पार्टी गुणवत्ता लगातार सड़कों की चेकिंग करेगा, उसके बाद भी जहां कहीं भी कोई कमियां नजर आती है तो आप लोग

जो जानकारी देते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पदोन्नति की मैं एक बात कहना चाहूंगा। 15-20 साल पदोन्नति हमारे विभाग में नहीं हुआ था। अध्यक्ष जी, एस.ई. से चीफ इंजीनियर का आठ पदों में एक तो आखिरी दिन में पदोन्नति हुई है। कल उन्हें रिटायरमेंट होना था, आज रात को पदोन्नति हुई है। वैसी ई.ई. से एस.ई. की पदोन्नति भी इस साल हम लोगों ने की है । इस साल ए.ई. का ई.ई. में पदोन्नति और सब इंजीनियर का ए.ई. में पदोन्नति की प्रक्रियाधीन है, हम इसको भी करेंगे । उसके बाद जब रिक्त पदों की जानकारी हमारे पास आएगी तो रिक्त पदों को भरने की दिशा में आगे बढ़ेंगे । नियमित पदों के फलस्वरूप जो रिक्त पद होंगे, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि उसको भरने की कार्यवाही की जाये । मैं ए.डी.बी. की बात बताना चाहूंगा । हमारे थर्ड फेस का काम चालू हो गया, फोर्थ फेस का काम भी हो गया, प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है । हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उसको भी कर लें, वह भी काफी अच्छे ढंग से हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 291 सड़कों की लंबाई 2479 किलोमीटर के उन्नयन, निर्माण, 25 पुलों के निर्माण के लिए भी हमारा प्रावधान है। सरगुजा के लूण्ड्रा, धौरपुर में 2 करोड़ का विश्राम भवन, रायगढ़ के सर्किट हाऊस के कमरों के दुरूस्तीकरण के लिए डेढ़ करोड़, बस्तर के बास्तानार, दरभा में विश्राम भवन के लिए दो करोड़, दुर्ग शहर में चीफ इंजीनियर के कार्यालय के लिए 3 करोड़, जिला सरगुजा पी.डब्ल्यू.डी., रतनपुर विश्राम गृह, जांजगीर-चांपा के बारद्वार विश्राम गृह में एक कमरा, जिला जांजगीर-चांपा विश्राम गृह में एक कमरा, बालोद जिला के अर्जुंदा, देवरी, दुर्ग, पाटन के तरीघाट में समस्त जगहों पर हम लोगों ने इसके लिए प्रावधान किया है । देवरबीजा में हमने प्रावधान किया है । मैं दो-चार छोटी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, खुडिया जलाशय की बात आई है । सिंचाई विभाग के रेस्ट हाऊस को लेकर, इसका उन्नयन कराकर 1.8.81 को प्रबंधकीय अनुबंध पर दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- बार-बार पर्ची आ रही है । आप कितना समय लेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- बस यह आखरी है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हम लोगों ने भी आपके समक्ष आग्रह किया है । आप उसमें भी विचार व्यक्त कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, कोविड लॉक डाऊन के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. विभाग ने बहुत काम किया । आई.सी.यू. निर्माण, ऑक्सीजन पाईप निर्माण, सारी चीजों को किया है । सड़क पुल-पुलिया के निर्माण के भी काम हमने पूरा किया है । धर्मजीत जी ने 800 मीटर सड़क निर्माण के लिए कहा है तो उसको हम करा लेंगे, यह मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं । उन्होंने अचानकपुर सड़क की बात की है । मैं विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर लेता हूं कि उस सड़क को चालू किया गया था तो क्यों बंद किया गया एवं उसकी मरम्मत करने में क्या तकलीफ है ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बता देता हूं । मैंने माननीय मंत्री जी से बात कर लिया है, वे भी उपस्थित हैं । आप करा दीजिए, वे करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मरम्मत के लिए घोषणा थोड़ी होती है, मरम्मत तो सतत् प्रक्रिया है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह मरम्मत ही है, लेकिन मरम्मत से ही सड़क बनेगी न।

श्री ताम्रध्वज साहू :- अभी ए.डी.बी. कंसलटेंट की बात आई थी । स्काई वॉक प्रक्रियाधीन है, एक्सप्रेस वे के लिए हमने एक करोड़ रूपया फाईन किया है, जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित किया है, ठेकेदार अपने खर्चे पर बना रहा है । ए.डी.बी. की बात आई तो उसमें कंसलटेंट लगातार निरीक्षण कर रहे हैं । मैंने बलरामपुर के तातापानी की बात बता दी, बस्तर परिक्षेत्र वाली बात भी मैंने बता दी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिर्फ खुड़िया की बात आपने नहीं की ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैंने खुड़िया की बात बतायी । आपने राजमेरगढ़ की बात कही है । परसों हम लोग डोंगरगढ़ में माननीय प्रहलाद पटेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डोंगरगढ़ में उद्घाटन किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर उनसे कहा कि आप नर्मदा का विकास करेंगे तो हमारा राजमेर कबीर चौरा पर्यटन से जुड़ा है । दोनों को मिलाकर प्रोजेक्ट बनाईए, दोनों का एक साथ प्रोजेक्ट बनाईए। उनसे परसों निवेदन कर लिया गया है, प्रोजेक्ट बनाकर भेज देंगे ।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के निर्देशन में मैंने मेरे विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ की जनता के हित में इन दो वर्षों में काफी अच्छा काम किया है । आगामी वर्ष में भी हम और अच्छा काम कर सकें, इसके लिए हमें राशि की आवश्यकता है । सभी विभागों के सभी मांगों का सर्वसम्मति से समर्थन करने का निवेदन करते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं पहले कटौती प्रस्ताव पर मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या- 24, 67, 3, 4 ,5 ,51 एवं 37 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जायें।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं, मांगों पर मत लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- दिनांक 31 मार्च, 20222 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य में की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को :-

मांग संख्या - 24 लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल के लिये- दो हजार छः सौ अट्ठाईस करोड़, चवालीस लाख, अड़तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 67 लोक निर्माण कार्य- भवन के लिये - एक हजार चार सौ चौरानबे करोड़, पन्द्रह लाख, चौंसठ हजार रूपये,

मांग संख्या - 76 लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए- नौ सौ चालीस करोड़, पन्द्रह लाख, तीन हजार रूपये,

मांग संख्या - 3 पुलिस के लिये- पांच हजार दो सौ चार करोड़, दो लाख, बत्तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय के लिये- एक सौ दस करोड़, उनचास लाख, बयासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 5 जेल के लिये- एक सौ पंचानबे करोड़, पचासी लाख, पचासी हजार रूपये,

मांग संख्या - 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व के लिये- उन्नीस करोड़, तिहत्तर लाख, पचास हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 37 पर्यटन के लिये- एक सौ सोलह करोड़, पांच लाख, चालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. शिव डहरिया जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, एक मिनट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक छोटा सा गतिरोध आया हुआ है। आप हमारे सबके संरक्षक हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बिना विपक्ष के चर्चा में बहुत रस नहीं रहता है और आप तो विपक्ष के संरक्षक भी हैं। मेरा विनम्र आग्रह यह है कि शिव डहरिया जी से यह प्रस्ताव पेश करा लिया जाये और इसमें कल चर्चा करिये। कल आपके चेंबर में निश्चित रूप से कुछ न कुछ समाधान निकल जायेगा। अगर चर्चा खाली विपक्ष के बगैर होगी तो ठेस भी पहुंचेगी, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, कल देख ले जाही, मोर वाला ला तो आज कर ले जाये।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप पेश कर लीजिए ना। मैं आपके प्रस्ताव पेश करने में आपत्ति नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, चर्चा कल करा लीजिए। आपसे विनती करता हूं। इस पर विचार कर लीजिए। आज चर्चा मत कराईये। विपक्ष को आने दीजिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) **मांग संख्या 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय**
मांग संख्या 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
मांग संख्या 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
मांग संख्या 18 श्रम

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्य पाल महोदया को :-

मांग संख्या - 22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये तेरह करोड़, सड़सठ लाख, पचहत्तर हजार रूपये,

मांग संख्या - 69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये- आठ सौ पंचानबे करोड़, बारह लाख, बत्तीस हजार रूपये,

मांग संख्या - 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - दो हजार तीन सौ चालीस करोड़, तिरालीस लाख, अट्ठासी हजार रूपये तथा

मांग संख्या - 18 श्रम के लिये - दो सौ पंद्रह करोड, पचहत्तर लाख, पैंतालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इन मांगो पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे। कटौती प्रस्तावों की सूची पृथकत: वितरित की जा चुकी है। प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव किये जाने हेतु सहमति देंगे, उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

<u>मांग संख्या - 22</u>
<u>नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये</u>

1. श्री धर्मजीत सिंह - 2

<u>मांग संख्या- 81</u>
<u>नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये</u>

1. श्री धर्मजीत सिंह - 1

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मांग संख्या-18

श्रम के लिए

1. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा - 1

अध्यक्ष महोदय :- उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। अब मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री धर्मजीत सिंह।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :-अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्थानीय प्रशासन मंत्री जी के अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसलिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि बिलासपुर नगर निगम, जहां मैं रहता हूं, वहां सीवरेज के नाम से बड़े-बड़े गडढे थे। जब वह गड्ढा हुआ करता था तो आप ही लोग, जो उस वक्त विपक्ष में थे, जाकर खोदापुर का दर्जा दिये थे। मैं उम्मीद करता था कि इन दो वर्षों में बिलासपुर की स्थिति को सुधार कर खोदापुर से चमचमाती हुई सड़क बनाने का काम करेंगे। लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज भी बिलासपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बिलासपुर गड्ढे से भरा हुआ, आज धूल और धुंये से भरा हुआ बिलासपुर जी रहा है। वहां कोई भी सड़क ऐसा बाकी नहीं है, जहां गड्ढा न हो। मैंने पहले ही कहा था कि सीवरेज में पानी जायेगा नहीं और अमृत मिशन में पानी आयेगा नहीं। क्योंकि आपका नियंत्रण नहीं है। मैंने यह कहा था कि वहां पर जो बाबू है वह सुपरीटेन्डेंट हो चुका है। जो सब इंजीनियर थे वहां पर ई.ई. हो गये हैं। जो ए.ई. थे, वह एस.ई. हो गये हैं और जो ई.ई. थे, वे सी.ई. हो गये हैं। मेरे कहने का मतलब बिलकुल साफ है कि 38-38 साल से जो अधिकारी कार्यरत हैं, वे अभी भी वहां कार्यरत हैं। आपने एक-दो साल पहले मेरे ही प्रश्न के उत्तर में मुझे सदन में यह कहा था कि मैं उनको वहां से हटा दूंगा। माननीय मंत्री जी मैं जानना चाहूंगा कि जब आप जवाब देंगे तो इन दो वर्षों के अंदर आपने वहां के किस अधिकारी को कब और कहां हटाया, आप एक भी उदाहरण बताईयेगा फिर मैं खड़े होकर आपकी तारीफ करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह अमृत मिशन का पानी कहां से आयेगा ?
आपसे भी पूछूंगा तो कहेंगे कि खूंटाघाट से आयेगा। खूंटाघाट में पानी कहां से आयेगा तो अहिरन नदी से आयेगा। अब ये सब वही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसी बात है। अहिरन नदी से पानी आयेगा। अचानकमार के रोड का गड्ढा पटवाने के लिए पसीना निकल गया, वन मंत्री भी हमारे दोस्त हैं और पी.डब्यलू.डी. मंत्री भी दोस्त हैं। लेकिन अहिरन नदी की पानी के लिए कितना जंगल कटेगा और झाड़ कटेगा, फारेस्ट का क्लीयरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा ? महानदी के नाम से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच वाटर कमीशन में झगड़ा चल रहा है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है कि आगामी दो, चार, पांच, दस साल तक वहां से पानी ला सकेंगे। खूंटाघाट मे पानी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वहां का पानी अमृत मिशन के तहत मिलना मुश्किल है। अगर आप दिला सकेंगे तो मैं आपकी बहुत तारीफ

करूंगा। वहां पर नगर निगम को बनाने के लिए आजू-बाजू के जिस-जिस गांव को पटवारी हल्का, खसरा देकर कलेक्टर के साथ बैठकर सबको मिला दिए। सकरी अच्छा खासा नगर पालिका था, आपने उसे मिला दिया। आपने तिफरा को मिला दिया। सरगांव को मिला दिया। जो कई ग्राम पंचायतें थीं उनको मिला दिया। भैय्या, वह लोग अपने-अपने इलाके में भूटान के राजा तो थे, जैसे हमारे पड़ोस में भूटान है ना, वहां का जो राजा है यदि वह आता है तो उसे तोप की सलामी मिलती है, इज्जत मिलती है, अब उसको आप भूटान के राजा से प्रजा बना दिये और वहां आपका विभाग एक ढेले का काम नहीं कर रहा है, एक भी नल नहीं खोद रहा है, एक भी सड़क नहीं बना रहा है, एक नाली नहीं बना रहा है, एक भी बल्व नहीं बदल रहा है तो क्यों उनको नारकीय जीवन जीने के लिए नगर निगम बनाकर आप बैठा दिये। वहां सामंजस्य है नहीं। नगर निगम में पैसा है नहीं। विभाग से आप नगर निगम के पास पैसा भेजते नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं रायपुर में जो एड पढ़ता हूं उसके हिसाब से लगता है कि आप रायपुर में जो पैसा देते हैं जरा तुलनात्मक बताईयेगा कि बिलासपुर में कितना पैसा दिये। आखिर रायपुर में इतना पैसा क्यों और बिलासपुर में इतना पैसा क्यों नहीं? यहां यदि राजधानी है तो वहां न्यायधानी है, तो दोनों में आपको व्यवस्था देखनी चाहिए। आपसे हम लोग मांग कर रहे हैं। मरवाही का चुनाव हुआ तो आपने फटाफट पेंड़ा-गौरेला को नगरपालिका बना दिया। अब तो हमारे यहां चुनाव नहीं हो रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोरमी रिसायत के राजा हैं, बिलासपुर में क्यों रहते हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- ये कोई बात है? वहां की प्रजा में से एक प्रजा मैं भी हूं। राजा तो आप लोग हैं इसीलिए यहां से फरियाद करते हैं कि माई बाप हमारी जनता के ऊपर कृपा करो। तो आपसे मेरा यह निवेदन है कि जब आप पेंड्रा, गौरेला और सब जगह नगर पालिका बना सकते हैं तो हमारे लोरमी को भी नगर पालिका का दर्जा दे दीजिए। हमको भी बड़े पद में वहां हमारे लोगों को देखने और बैठाने का शौक है तो आप कृपा करके उसमें जरूर विचार कीजिए। दर्जा ही तो देना है और तो कुछ देना नहीं है। उसमें कोई खर्च आदि तो ज्यादा लगना नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- अपने रियासत में एकाध बार माननीय मंत्री जी को बुलाईये तब तो वहां से घोषणा आदि हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी दो बार हो आये हैं। सबसे ज्यादा यही गये हैं। लालपुर में 18 दिसंबर को मंत्री बनने के पहले गये थे और अभी यही 18 दिसंबर को फिर से माननीय मंत्री जी गये थे और वहां की जनता ने इनका भव्य स्वागत किया था। वह लालपुर को तहसील का दर्जा भी दिये हैं। कुछ किए हैं इसीलिए उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ कर देंगे। लेकिन बिलासपुर की हालत बहुत खराब है। आपको रूपये देना चाहिए और नगरीय निकायों में आपको पैसा देना चाहिए। अभी अभी मुझे लग रहा है कि नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और यदि आप उसे देंगे तो अच्छा लगेगा। तीसरा- अभी आपके नगरीय निकाय लोरमी में 13 करोड़ रूपये का एक पानी का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। टेंडर हो

गया है, ठेकेदार भी काम करना चाहते हैं, सब कुछ वैधानिक तरीके से हो गया है अब एक एन.ओ.सी. आप नहीं लिखवा सके। अभी आप मुझे इशारा करके बता रहे हैं कि वहां चौबे जी अहिरन नदी का पानी देंगे और मैं बोलता हूं कि लोरमी में मनियारी नदी बह रही है उसके पानी में दो-दो एनीकट बना हुआ है। एन.ओ.सी., में एन के बाद बिन्दु लगा देना, ओ के बाद बिन्दु और सी लिखकर देना है कि काम कर सकते हो इसी को नो आब्जेक्सन सर्टिफिकेट कहेंगे, पानी पूरा है, बांध में 70 फिट पानी भरा हुआ है। जब चाहोगे तब खारून टाईप पानी खोल देंगे। तो उसको करा दीजिए, गरीबों का भला होगा। जब सब मंजूर है और अगर थोड़े से के लिए आप नहीं करेंगे, डिले करेंगे, क्योंकि देखिए डिले पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। डिले का काम ठीक नहीं होता है। मैं अभी केजरीवाल जी का एक विज्ञापन पढ़ रहा था। उन्होंने समय पर फ्लाईओव्हर बनवाया तो 400 करोड़ रूपये बच गया । अब एक साल से तो मैं ही जान रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है, इसको शुरू क्यों नहीं करवाते हैं भैय्या? आपको शुरू करवाने में क्या तकलीफ है? तो इन सब छोटी-छोटी चीजों की ओर माननीय मंत्री जी आप जरूर ध्यान दीजिए और हमारे क्षेत्र खास करके बिलासपुर के लिए आप जरूर रूपये देने की कृपा करेंगे, यही आपसे आग्रह है। धन्यवाद।

श्री शैलेश पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के नगरीय प्रशासन एवं विकास और श्रम विभाग के बजट में मांग संख्या 22, 59, 69, 81 और 18 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज गुरूवार का दिन है। हमारे देश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। गुरूवार का दिन देव गुरू भगवान बृहस्पति जी की भी पूजा होती है। हमारी छत्तीसगढ़ की भूमि एक बहुत पवित्र स्थली है और यह बाबा गुरू घासीदास की जन्मस्थली है। मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, बृहस्पति देवता और बाबा गुरू घासीदास को नमन करता हूँ उनसे आर्शीवाद चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में जो 2 करोड़ 75, 80 लाख हमारी जनता है उसमें हमारा जो नगरीय प्रशासन, श्रम विभाग है वह बहुत अच्छे से काम करे, प्रदेश में खुशहाली रहे, समृद्धि रहे, सुविधा रहे, सुख और शांति रहे। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जो मानव सभ्यता है अगर हम आज भगवान नारायण का भी नाम लेते हैं तो नारायण भगवान जो हैं, जो नार शब्द जल से पैदा हुआ है यानी जल। जिससे नारायण का नाम बना है जो उत्तपत्ति हुई जो शक्ति थी, वह जल की ही शक्ति थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं डारविन जो वैज्ञानिक थे उनके विचारों से अवगत करना चाहता हूँ कि उनकी जो अवधारणा थी वह अवधारणा यह थी कि सघन जल प्रदेशों में सूर्य के उप्ताप से और जल में उसके विकरण के प्रभाव से कुछ कोशिशकाओं के समूह से प्राणियों की रचना का जाल हुआ। मैं इसके अलावा आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि यूनान के दर्शन में प्रारंभ में हेज़ जो वैज्ञानिक थे

उनका भी यही मानना था कि जल की श्रृष्टि ही मानव का मूल तत्व है । आपने ध्यान दिया होगा। हम सब लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि जो मानव सभ्यता थी वह मानव सभ्यता नदियों के पास रहती थी और जल ही जीवन था। जो जल था उसके पास सभ्यता थी वहीं मानव जीवन रहता था क्योंकि जल ही सबसे महत्वपूर्ण अंग था। मैं इस बात को जोड़कर इसलिए सदन में कहना चाहता हूँ कि हमारे सदन के सभी साथी बहुत विद्वान हैं, सभी अधिकारी जो बैठे हैं वह भी बहुत विद्वान है। हम हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि आज विश्व में तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है और मानव सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति धीरे-धीरे शहरों की ओर जाने की होती जा रही है। हम जल से बने, हम धीरे-धीरे सभ्य हुएं, हम नदियों के पास रहना शुरू किये, तालाबों के पास रहना शुरू किये, फिर धीरे-धीरे सभ्यता आगे बढ़ी, हम गांवों में गये, हमने गांवों से रोजगार ढूंढा, कुछ काम किया और उसके बाद हम धीरे-धीरे शहरों की तरफ चलते गये। ये मानव की प्रवृत्ति है।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम पिछले 5 दशकों की बात लेते हैं तो 5 दशकों में जो हमारे प्रदेश में शहरों की आबादी थी, वह केवल कुल आबादी का 4.88 प्रतिशत थी। यानी कि जो हमारी आबादी थी उसकी केवल 5 प्रतिशत से भी कम लोग शहरों में रहते थे मैं 50 सालों के भीतर की ही बात बता रहा हूँ। यह बहुत बात नहीं है। इन 50 वर्षों में आज कुल आबादी के 26-27 प्रतिशत लोग शहर में रहने लगे हैं मेरे ख्याल से जब आज हमारी आबादी लगभग 2 करोड़ 60-70 लाख होगी, हर 10 साल में 25 लाख बढ़ रही है, एवरेज में 25 लाख लाख बढ़ रही है, 2011 का सेन्सेक्स 2 करोड़ 55 लाख मान लें, 25 लाख जोड़ते हैं तो अंदाजन 2 करोड़ 80 लाख होनी चाहिए, 75 लाख भी सकती है। ऊपर नीचे होता रहता है। यह आबादी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। यानि कि 50 साल पहले शहरों में 3 लाख 44 हजार लोग रहते थे, आज प्रदेश में शहरों में 60 लाख, 70 लाख, 76 लाख लोग रहने लगे हैं।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- माननीय सदस्यों के लिए स्वाल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करें।

वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि आज 60 से 75 लाख लोग शहरों में रहने लगे हैं। अगर हम भारत की ओर से जारी पूरे देश का आंकड़ा देखते हैं तो 50 साल पहले हमारे देश के पूरे शहरों में केवल 17 प्रतिशत लोग ही रहते थे। लेकिन आज 50 साल बाद भारत देश की जो जनसंख्या है, 31 प्रतिशत लोग शहरों में रहने लगे हैं। धीरे-धीरे शहरीकृत होता जा रहा है। मुझे

बड़ा अच्छा लग रहा है, आज नगरीय प्रशासन विभाग का बजट पेश हुआ है और उसमें मुझे बोलने का अवसर मिला है। यह मेरा सौभाग्य है। यह विभाग नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है और आने वाले भविष्य की, मानव सभ्यता की बात हम करते हैं तो वह शहरों, नगरों का ही बड़ा भविष्य है। हमारी यही छत्तीसगढ़ की विधानसभा हो, हो सकता है कि आज से 100 साल बाद कुछ और आंकड़े हमारे सामने आयें। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम, 43-44 नगर पालिका परिषद, 112 के आसपास नगर पंचायत है। इन तीनों स्थानों पर नगरीय प्रशासन विभाग देखता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और बिना कविता के अभी पूरी बात नहीं जुड़ी है। अब जुड़ेगी। हमारी सरकार की जो सोच है -

अच्छे दिन चाहते हैं, अच्छी सुकुन की रातें चाहते हैं,
ये जो ला सके हम ऐसी सरकार चाहते हैं,
शिक्षित आवाम चाहते हैं और समझदार हुक्मरान चाहते हैं,
भ्रष्टाचार मिटा सके, हम ऐसा सुशासन चाहते हैं।
पक्की सड़कें चाहते हैं, बहती नहरे चाहते हैं,
आवाम को जो दिखे, हम ऐसा विकास चाहते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने ही लिखा है।

श्री शैलेश पांडे :- नहीं। माननीय सभापति महोदय, आज शहरों, नगरों की जनता क्या चाहती है? वहां पर साफ-सफाई हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छे हॉस्पिटल हों। हमारे आदरणीय बड़े भाई, बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, संरक्षक, हम सबके गुरू, हम जिनके चेले हैं, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया। पानी की व्यवस्था अच्छी हो, बिजली की व्यवस्था हो, पार्किंग, मनोरंजन की सुविधायें हों, बाजार हो, दुरसंचार हो, रेल, बस हो, हवाई सुविधा हो। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपक्ष के साथी नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनकी यहां 15 साल सरकार थी, एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि इनके पास भी बजट रहता था। ये 2 हजार, ढ़ाई हजार के आसपास का बजट बनाते थे । इनके पास बजट रहता था, केंद्र से भी योजनाएं लाते थे लेकिन इनकी नीयत अच्छी नहीं थी, इनके मन काले थे । यह लोग काले मन के थे । ये योजनाएं बनाते थे केवल किसके लिये...।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- इसीलिये तो आपने उनको हरा दिया ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, कबीर दास जी का एक दोहा है कि -

मलमल धोये शरीर को, धोये न मन का मैल

मलमल धोये शरीर को, धोये न मन का मैल,
नहाय गंगा-गोमती, रहे बैल के बैल । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, जो लाईट लगेगी तो उसमें भी भ्रष्टाचार करेंगे, उसमें भी अपना एंगल बनायेंगे । यह बातें जब मैं विधायक नहीं था तो ऐसा लगता था कि आरोप लग रहे हैं, लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैंने जाना, समझा और देखा कि यह लोग क्या करते थे । इन्होंने 15 सालों तक छत्तीसगढ़ को मुंगेरीलाल के सपने दिखाये । बड़ी-बड़ी बातें करते हैं । वर्ष 2003 का अगर इनका संकल्प पत्र उठाया जाये तो उसमें कांग्रेस की सरकार के लिये इतना काला-काला लिखा है, वर्ष 2003 में जब आप कांग्रेस में थे । तानाशाहों की सरकार थी, भ्रष्टाचारों की वह सरकार थी और इन्होंने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं दिया, बहुत सारी बातें हैं, अब मैं क्या-क्या बताउं ? आप स्वयं बहुत वरिष्ठ हैं, आसंदी पर हैं, आप सब जानते हैं कि वे भ्रष्टाचार करने के लिये योजनाएं बनाते थे लेकिन इनको जनता से कोई लेना-देना नहीं रहता था । शहर की जनता राशन की दुकानों में खड़ी नहीं रहती है कि मुझे दाल-चावल या शक्कर मिल जायेगा, आज हम उनको राशन दे रहे हैं, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है, मंत्री जी की कृपा है । वे अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं और सरकार को टैक्स देते हैं । इज्जतदार लोग कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि उनके शहर में बर्बादी की जाये, जनता के सामने बड़ी-बड़ी वायदे करते हैं, घोषणा पत्र बनाते हैं, संकल्प पत्र बनाते हैं, केवल चुनाव जीतने के लिये यह सब करते हैं फिर सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद वे वही भ्रष्टाचार करते हैं जिसको वे करना चाहते हैं । क्यों ? क्योंकि इनके मन मैले थे ।

माननीय सभापति महोदय, आज शहरों में ड्रैनेज सिस्टम जीरो है । मैं माननीय मंत्री जी को भी बताना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय इन्होंने 15 सालों में कोई योजना ही नहीं बनायी । ये भारत सरकार से भी पैसा लाते थे तो उसमें भ्रष्टाचार करते थे, आज शहरों में ड्रैनेज जीरो है । माननीय धर्मजीत भैया, पानी गिरता है तो घरों में पानी घुस जाता है । आप उसी बिलासपुर में रहते हैं, आप हमारे क्षेत्र में रहते हैं, आप बहुत सम्मानित सदस्य हैं । आप हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी पूंजी हैं, संरक्षक हैं । हमारे सामने इतने योग्य अधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे योजनाएं बनायें, पैसा लायें और कितना पैसा लगेगा ? हजार करोड़ में हम आधे छत्तीसगढ़ का ड्रैनेज सिस्टम ठीक कर लेंगे और 4-5 सालों में 4-5 हजार करोड़ लाये तो पूरा छत्तीसगढ़ ठीक कर लेंगे । यह कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया । पूरे छत्तीसगढ़ में बरसात होती है, पानी भर जाता है, हर घर में पानी भर जाता है, यहां-वहांपानी भर जाता है । जाईए, विधायक जी और वहां खड़े रहिए, वहां पानी निकलवाईये, पंप लगाईये, पुराने कमिश्नर साहब सामने बैठे हुए हैं, ये वहां बैठकर बरसात में मंत्री जी के आदेश से पानी निकालने का काम करते थे । आज शहर का ड्रैनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए । पानी पीने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए । माननीय सभापति महोदय, अमृत मिशन योजना लाये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय पाण्डे जी, विपक्ष नहीं है न तो इसलिए आप अपनी बात कीजिए । विपक्ष की बात मत कीजिये, वे क्या सुनेंगे ?

श्री शैलेश पाण्डे :- विपक्ष नहीं है इसलिए भी उनकी बात रखने वाला कोई होना चाहिए । मैं उनका महत्व बनाए रखे हुए हूं ताकि बात सबको समझ में आए, आप निश्चिंत रहिए । सभापति महोदय, अमृत मिशन योजना लाए । हम घर-घर में पानी देंगे, हम खूंटाघाट से पानी लाएंगे, हम खूंटाघाट में अहिरन नदी से पानी लाएंगे। सभापति महोदय, खूंटाघाट से पानी लाने के लिए 2018 के विधान सभा चुनाव के पहले जो नेताजी थे, जो सेठजी थे, जो इस विभाग के मंत्री थी, उन्होंने पाईप तो फटाफट खरीद डाले । उन्होंने बहुत जल्दी पाईप खरीद लिया । खरीदने का काम चुनाव के पहले कर लिया और खरीदकर क्या किया ? खरीदकर सड़कों के बगल-बगल में रखवा दिया । क्योंकि ग्यारह साल से तो वे शहर को खोद ही रहे थे । खोद-खोदकर खोदापुर बना दिया । अब बदमाशी देखिये, उसके बाद अमृत मिशन के पाईप खरीद लिए, उसमे भी तो खोदना पड़ेगा ना, नीचे पाईप डालोगे तब तो पानी दोगे । खुदवाया नहीं, खरीददारी पहले कर डाली । माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान चाहता हूं । खरीददारी पहले कर डाली, सारी जगहों पर सड़कों में बिछा दिया और उसके बाद क्या किया ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मंत्री जी, आप इधर-उधर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए । पाण्डे जी आपको कई रहस्य की बात बता रहे हैं । आप उधर नहीं देखेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा । इसलिए इधर-उधर ध्यान देने के बजाय पाण्डे जी को देखो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- गुरूवार से शुरू हुआ है, लक्ष्मी पूजा से ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, उसके बाद चुनाव आया, शहर खोदना था, यह जिम्मेदारी थी मंत्री की, यह जिम्मेदारी थी सरकार की, अमृत मिशन का पाईप डालना था । लेकिन उन्होंने क्या किया, 26 करोड़ रूपए दिये और कहा कि सड़कें बनवा दो, चकाचक कर दो, थूक पॉलिश जैसी सड़कें बनवा दी । देखिये, मैंने तो पूरे शहर का बहुत विकास किया, उनका ध्यान दारू, गुड़ाखू, गड्ढा, भ्रष्टाचार यही सब करते रहते थे । खैर छोड़िये, ज्यादा नहीं बोलता । धर्मजीत भइया गुस्सा हो जाएंगे, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां ये बात सच है, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं । मैं इस वक्त इसलिए बोल दिया क्योंकि आपने कोट किया । मैंने सोचा कि विधान सभा से ही बता दूं कि वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं । हम विपक्ष के लोग हैं, हमको आपकी आलोचना सुनने का भी जज्बा हमारे पास है, आप बढ़िया बोलिए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- हम लोग आपके छोटे भाई हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- वह भी हो ।

श्री शैलेश पाण्डे :- आपसे पक्ष-विपक्ष का रिश्ता नहीं है, बड़े भाई-छोटे भाई का रिश्ता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बिल्कुल ठीक ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप धर्मजीत जी के चक्कर में मत पड़ो, अपनी बात रखो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हम तो आपका भाषण पूरी तन्मयता से सुन रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- लेकिन धर्मजीत भइया, अपने मित्र लोगों को तो सही सलाह देना चाहिए, आप कभी सलाह नहीं देते थे क्या ।

श्री धर्मजीत सिंह :- भइया देखो, आप भी मित्र हो, आपको सलाह देते हैं तो मानते हो क्या । आप भी तो मित्र हो, आपको सलाह देते हैं तो एकाध मानते हो क्या ।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सिखोय बुद्धि, पलोय पानी। वो काम नइ आए ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, अमृत मिशन का हाल खराब करके गए। ब्रिज का भूमि पूजन किया, डेढ़ साल तक ब्रिज को बनने नहीं दिया । माननीय मंत्री जी, तिफरा का ब्रिज बिलासपुर और रायपुर दो बड़े शहरों को जोड़ने वाला ब्रिज है, नयायाधानी और राजधानी के बीच का ब्रिज है, अपने निजी स्वार्थों के कारण उसको बनने नहीं दिया । बिलासपुर छोड़, दुर्ग के महापौर के चक्कर में वहां का विकास ज्यादा करने जाते थे ।

द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- अभी बहुत सही जगह पहुंचे हैं आप । अगर उन्होंने छत्तीसगढ़ में विकास कराया है तो केवल और केवल दुर्ग में । धर्मजीत भइया इस बात को समय से पहले आपको बताना था । बिलासपुर की जनता ने मतदान किया है । केवल और केवल दुर्ग ।

श्री शैलेश पाण्डे :- सबसे ज्यादा शर्म की बात कि जब हम लोग विधायक बने तो बोर करवाने के लिए ज़ीरो पैसा था । भीषण गर्मी थी, पूरे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची थी । नगर निगम में पैसा नहीं है, बोर कहां से कराएंगे, ये स्थिति थी । इतना चूसा, इतना चूसा । उस ब्रिज बनाने वाले ठेकेदार को पहले ही इतना चूस डाला कि वह ठंडा हो गया, फिर वह बैठकर धीरे-धीरे ब्रिज बना रहा है । यह स्थिति थी, यह सच्चाई है । सभापति महोदय, हमारी सोच, हमारी सरकार की सोच, हमारे माननीय मंत्री जी की सोच, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन विभाग अच्छा काम कर रहा है। आज हमें खुशी इस बात की है कि इतने कोरोनाकाल में भी जहां पिछले 1 साल में धंधा बंद था, नौकरी बंद था, कहां से टैक्स आता, क्या आता, उसके बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय मंत्री जी ने 3591.91 करोड़ रूपये का बजट इस विभाग को दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। यह बहुत ऐतिहासिक बात है। टेबल ठोको। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्ष भी माननीय मंत्री जी ने 3592 करोड़ का बजट दिया था। इस साल 3591 करोड़ का बजट है। उससे ज्यादा है। जबकि पैसा नहीं है। केन्द्र सरकार ने 23 प्रतिशत कटौती की है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे माननीय मंत्री जी ने एक रूपये की भी कटौती इस प्रदेश की जनता के हितों के लिए नहीं की है, यह बहुत बड़ी बात है। (मेजों की थपथपाहट) इनके राज में जो बजट हुआ करता था, 3397 करोड़

का, उससे पहले और कम रहता था। उससे पहले और कम रहता था। माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बजट के लिए बहुत-बहुत आभार देता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि बी.जे.पी. केवल घोषणा पत्र तक ही योजनाओं को सीमित रखती थी। इनकी वादे के बारे में तो यहां का किसान, यहां का मजदूर, यहां का नौजवान, यहां की महिलाएं, यहां के बच्चे, यहां का नौकरी करने वाला आदमी, यहां का इज्जतदार आदमी जानता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको आज इस सदन में आदरणीय आपके सामने एक बात बताता हूं। रायपुर का एक उद्योगपति है। वह मुझे मिला। आप सब लोग उसे जानते हैं। मैं नाम नहीं बताउंगा। बोलते हैं कि ये जो तुम्हारा सेठ था न बहुत अच्छा हुआ हार गया। बोले क्यों ऐसा क्यों? वे बोले इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर 170 करोड़ रूपये का दुश्मनी करने के लिए टैक्स लगा दिया था, क्योंकि मेरा और उसका धंधा एक ही था।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- सर, आधे घंटे तो वैसे था, पर 15 मिनट और बस।

श्री धर्मजीत सिंह :- पाण्डे जी, एक मिनट। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन विधान सभा की यह एक अपनी मर्यादा है कि जो व्यक्ति सदन में न हो, उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एकाक के रिफरेंस में बोल दिये ठीक है, अच्छी बात है। आप और भी काम करिए। किसी पार्टी का विरोध करिए। किसी दल का विरोध करिए। उनकी नीतियों का विरोध करिए। बहुत अच्छी बात है। मैं उसमें आपको कहीं नहीं टोक रहा हूं। जो व्यक्ति यहां अपना जवाब देने के लिए नहीं है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- चूंकि आप बड़े भाई हैं, इसलिए आपकी बात का पूरा सम्मान है। यहां विपक्ष के जैसे इस बात को नहीं लूंगा। पर यह सच भी है। आज इस सदन में मैं एक नैतिक जिम्मेदारी से आया हूं। मेरी नैतिकता है। मेरी जनता के प्रति मेरी नैतिकता है। इस सदन के प्रति मेरी नैतिकता है। अपनी सरकार के प्रति मेरी नैतिकता है और हर किसी के प्रति मेरी नैतिकता है। अगर मैं अपनी नैतिकता खो दूंगा..।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप नैतिकता करिए न। मैं कहां मना कर रहा हूं। पाण्डे जी, आप अन्यथा मत लीजिए न।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, मैं कोई अन्यथा नहीं ले रहा हूं। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं यहां की परंपरा बता रहा हूं। अगर मेरी बात का यकीन न हो तो मोहम्मद अकबर साहब भी हैं और अमरजीत जी भी हैं, शिव डहरिया जी भी हैं। जो व्यक्ति इस सदन में न हो, उसका बहुत ज्यादा उल्लेख करना उचित नहीं है। मैं तो आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूं। अब उसके बाद भी आपको बोलना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शैलेश पाण्डे :- नहीं, आपकी बात का सम्मान है। मैंने कहा न। माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात, सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो गरीब लोग थे, जिनके पास न सिर छिपाने के लिए छत थी और न ही उनकी अपनी कोई जमीन थी, लेकिन वे वहां पर कब्जा करके बैठे हुए थे। वर्षों से पूरे छत्तीसगढ़ में यह हाल है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारत देश में जितनी झुग्गियां हैं, उसकी 18 प्रतिशत झुग्गियां हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन पर दया की, उनके लिए प्रयास किया ताकि उनका उन्नयन हो सके, उनका जीवन-स्तर बढ़े, उसके लिए उन्होंने permanent पट्टा उन्हें दिया। जो लोग 19 नवंबर, 2018 से पहले के काबिज हैं, उन्हें स्थायी पट्टा देने का निर्णय अगर किया तो वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी ने किया। यह बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा जरूरत है कि आज नगरों की जनता सरकार से अपेक्षा करती है कि हमारे आसपास का क्षेत्र साफ-सुथरा रहे, हमारे आसपास की सड़कें साफ होती रहे, हमारी नालियां, हमारे ईलाके साफ होते रहें । उसके लिए हमारे प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग को सफाई के लिए भारत सरकार के द्वारा लगातार दो वर्षों से पुरस्कार दिया जा रहा है । यह हमारे सरकार की, हमारे नगरीय प्रशासन विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि है । मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और सबसे ज्यादा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से भी ज्यादा धन्यवाद उनकी दीदीयों को, उनके विभाग की सफाई दीदीयों को देता हूं, जिनके कंधों पर हमारे प्रदेश की सफाई रहती थी । मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं । उनके लिए 5 हजार रूपए से 6 हजार रूपए का मानदेय किया गया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 14 निकायों में सबसे बढ़िया काम हो रहा है । आज शहर के लोग क्या चाहते हैं, क्या शहरों में गरीब जनता नहीं रहती ? शहरों में गरीब जनता भी रहती है, नगरों में गरीब जनता भी रहती है, जो अपना ईलाज नहीं करवा सकते, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एम्बुलेंस दिया और उनके लिए दाई दीदी क्लीनिक दिया, जो उसके अंदर उसका नि:शुल्क परीक्षण होता है, उपचार किया जाता है, उनको दवाई दी जाती है । लाखों लोगों को इसमें लाभ मिला है । मैं आपको बताना चाहता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग के द्वारा स्मार्ट सिटी में रायपुर और बिलासपुर को लिया गया है, जिसमें लगभग 4-4 हजार करोड़ रूपए दोनों शहरों में है और हजारों करोड़ के काम स्मार्ट सिटी में किये जा रहे हैं । आज बिलासपुर की बात करें या रायपुर की बात करें, माननीय धर्मजीत भैया ने भी उल्लेख किया कि इन दोनों शहरों को यहां की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित किया जा

रहा है, चौक-चौराहें सुन्दर बनाए जा रहे हैं । यहां पर अरपा नदी भी है, अरपा नदी के दोनों ओर हजारों करोड़ रूपए की बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं, अरपा नदी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है । इनकी सरकार में तो केवल, केवल और केवल जुमलेबाजी होती थी, मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाते थे, मगर आजतक कुछ नहीं हुआ । ऊपर से जमीनों को बंधक बना दिया गया था । हमारी सरकार सत्ता में आई तो हमने उन जमीनों को बंधनमुक्त किया ।

माननीय सभापति महोदय, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है । इसमें भी काफी बजट रखा गया है । इसके अलावा जो हमारा श्रम विभाग है, श्रम विभाग का सबसे बड़ा काम अगर इन्होंने किया तो कोरोना काल में जो श्रमिक थे, उन श्रमिकों को जीवित रखा, उनको सुरक्षित रखा, यह सबसे बड़ा काम था । उस कोरोना काल में करोड़ों रूपए खर्च किए गए, हमने छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को लाने के लिए 5 करोड़ रूपये से ज्यादा ट्रेनों और बसों के लिए दिये गए, जिससे हमारे प्रदेश के मजदूर जो छत्तीसगढ़ के बाहर थे, वे हमारे प्रदेश में आ पाये । हमने अपने प्रदेश के मजदूरों को भी कोरोना काल में इतना भोजन दिया, राशन दिया और उनके बच्चों के हितों की रक्षा भी की । स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग को लेकर श्रम विभाग के द्वारा उनको मुआवजा मिले, उनको राहत मिले और हमारे क्षेत्र का औद्योगिक विकास भी हो सके, इसके लिए श्रम विभाग बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही है । मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद देता हूं । विशेष रूप से कोरोना काल में आपने बहुत अच्छा काम किया ।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लूंगा । मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा चूंकि मैंने कई बार प्रश्न लगाया था और प्रश्न चर्चा में नहीं आ पाया क्योंकि विपक्ष प्रश्नकाल में ज्यादा समय ले लेता है । सिवरेज और तिफरा ब्रीज में सिवरेज में आवश्यकता है । ऐसा लगता है कि इस योजना को पुरानी सरकार ने फेल कर दिया है और इसका निराकरण वे जल्दी करें । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो तिफरा का ब्रीज है, वह लगभग चार साल हो गया है, आप उसमें तेज गति से काम करवाएंगे तो वहां की जनता को बहुत आसानी हो जाएगी और हमारा शहर रायपुर से और अच्छे बेहतर तरीके से कनेक्ट हो जायेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया और मैंने अगर कुछ गलत कहा है, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमाप्रार्थी हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जी के मांग संख्या, 22, 69, 81 और 18 इस पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

नगरीय प्रशासन विकास विभाग और श्रम यह दो महत्वपूर्ण विभाग उनके पास हैं। लगभग 30 प्रतिशत आबादी छत्तीसगढ़ का शहर में बसता है और 70 प्रतिशत आबादी गांव में रहती है। लेकिन मैं

विगत लंबे समय से देखते आ रहा हूं जो बजट का आबंटन होता है, वह आबादी के हिसाब से नहीं होता है, बजट का आबंटन उल्टा होता । शहर में 70 प्रतिशत और गांव में 30 प्रतिशत होता है। शहर का विकास होना तो स्वाभाविक बात है, आवश्यकता भी है, शहर है, राजधानी है, न्यायधानी है, नगर निगम है, नगरपालिका है, नगरपंचायत है, शहर जैसे दिखना चाहिए। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा में एक ही नगर पंचायत है। मुझको शहरों से ज्यादा रूचि इसलिए भी नहीं है कि मैं गांव का रहने वाला, खेती किसानी करने वाला हूं। गांव में रहा हूं, गांव में पला-बढ़ा हूं। गांव में खेती किया हूं। मैं शहर के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक नगर पंचायत के लिये निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी जैजेपुर नगर पंचायत पूर्ण रूप से ओ.डी.एफ. घोषित हो गया है, लेकिन वहां अभी भी शौचालय की संपूर्ण भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। मैं पिछले कई समय से विधानसभा में प्रश्न लगा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वहां शौचालय का भुगतान करवा दें। दूसरी चीज, ओ.डी.एफ. तो घोषित हो गया है लेकिन एक भी नगर पंचायत में सुलभ शौचालय या सार्वजनिक शौचालय नहीं है। सभापति महोदय, कैसा नगर है। गांवों में सार्वजनिक शौचालय बन रहा है। मैं अनेकों गांवों में देखा हूं। भले ही कम बजट का है, पांच लाख का है, तीन लाख, चार लाख का है। लेकिन गांव में सार्वजनिक शौचालय बन रहा है। आपने शहर घोषित किया और वहां कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है, कोई सुलभ शौचालय नहीं है, पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है, आप कैसा शहर बसाना चाहते हैं। मंत्री जी एक शौचालय बन भी रहा है, थोड़ा बहुत दीवाल का काम हुआ है तो उसमें तहसीलदार स्टे लगाया है। सरकार का काम शासकीय जमीन पर नहीं होगा तो कहां होगा ? अगर तहसीलदार जनहित के कामों में, सार्वजनिक हित के कामों में व्यवधान डालें और बार-बार स्टे लगाये और दबाव डालें। आपके सी.एम.ओ., अध्यक्ष, और ठेकेदार के उपर उन्होंने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिये तहसीलदार ने थानेदार को पत्र लिखा है। मेरा कहना नहीं मानते इनको 151 धारा के अंतर्गत जेल में डालिये। मेरा निवेदन है, जो भी स्थिति परिस्थिति होगी, आपको जगह बदलना होगा, जगह बदल दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लोगों के हित के लिये सुलभ शौचालय बना दीजिए, कहीं भी बना दीजिए ? तहसीलदार ही बता दें कि यहां जगह उपलब्ध है, वहीं बनवा देंगे। वे तो पूरे राजस्व का काम देखते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, लंबे समय की बात है, जब आपके पहले मंत्री थे। नगर पंचायत चुनाव के पहले गये थे तो मंच पर घोषणा किये थे कि हमारे दल के लोगों को आप लोग अध्यक्ष बना दोगे तो हम जैजेपुर नगर पंचायत में इंडोर स्टेडियम देंगे। बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य है। उस समय जिस दल के अध्यक्ष थे, उनके दल के अध्यक्ष बन गये तो वह मंत्री नहीं रहे। तो आपसे निवेदन है कि लोगों के हित में इन्डोर स्टेडियम की घोषणा कर दीजिये। पार्टी और दल अलग जगह है। लोग वही हैं, वे आपके भी लोग हैं, हमारे भी लोग हैं। वहां एक इन्डोर स्टेडियम हो जायेगा तो शहर जैसा लगेगा। आप लोग वहां 75 लाख की लागत से एक बड़ा सामुदायिक भवन बनाने वाले थे। बहुत बढ़िया योजना है। शहर में एक

ही भवन में शादी हो जायेगा, विभिन्न कार्यक्रम, सामाजिक, धार्मिक तमाम कार्यक्रम का आयोजन हो जायेगा। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसको प्रारंभ करवाने का कष्ट करें। जैजेपुर भले ही नगरीय निकाय, नगर पंचायत में आता है। लेकिन आज भी मूल रूप से ग्रामीण अंचल है। वार्ड नं. 1 अलग बसाहट के रूप में बसा है। वार्ड नं. 5 और 6 एक अलग बसाहट बसा है, अभी भी एक अलग गांव के नाम जाना जाता है। तो ऐसी जगह पर सामुदायिक भवन दे देते, तो वहां के वार्ड के लोगों को सुविधा हो जाती। भले ही आप अधोसरंचना से दें या किसी भी मद से दें। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां सामुदायिक भवन दे दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, जो प्लेसमेंट के कर्मचारी हैं, वे लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। जब से नगर पंचायत बना है, तब से कार्य कर रहे हैं। जिस ढंग से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसको आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। इनका जो पेमेन्ट है, मैं समझता हूं कि उनका परिवार चलाने के लायक नहीं है। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दे सकें, बेहतर जीवन जी सके, इसके लायक नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप इस पर भी विचार करें, मैं आपको अलग से पत्र लिखा हूं। जैजेपुर नगर पंचायत जल आवर्द्धन योजना स्वीकृत है, लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। वहां पर पेयजल की गंभीर समस्या है। वहां पुराने पंचायत का एक टंकी है और उस एक टंकी में मुश्किल से 15 वार्ड में से 4-5 वार्ड में पानी की सप्लाई हो पाता है। अभी भी बाकी जगह हैण्ड पम्प या टैंकर के भरोसे रह रहे हैं। तो इस जल आवर्द्धन योजना को भी जितना शीघ्र हो सके, करवाने का कष्ट करें। चूंकि एक ही नगर पंचायत है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आपने उसको शहर बनाया है तो वह नगर पंचायत शहर स्वरूप दिखना चाहिए। मैं प्रापर जैजेपुर में रहता हूं, फिर भी मैंने कहा कि मैं गांव में रहता हूं। इसलिए कि अभी भी गांव से शहर के स्वरूप की तरफ नहीं गया है। वहां किसी प्रकार की लायब्रेरी है, वहां पुराना भवन है, यदि आप उनको उपलब्ध करा दें तो हम अपने विधायक निधि से ही वहां लायब्रेरी प्रारंभ करा दें। इस तरह कुछ रचनात्मक काम, जिसमें आने वाले युवा पीढ़ी को कुछ सीखने को मिल जाये, वहां इन्डोर स्टेडियम हो जाये, वहां कुछ खेल के लिए भी कुछ हो जाये, तो मैं इसके लिए निवेदन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा श्रम विभाग है, जहां विभिन्न तरह की योजनाएं हैं। पाण्डेय जी ने भी कहा, कोरोना काल में आपके विभाग के लोगों ने बहुत मेहनत की है। क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर मेरे विधानसभा क्षेत्र से गये थे। वे लोग बाहर थे और उन लोगों ने जब-जब भी फोन आया तो मैं आपके विभाग के कर्मचारियों से फोन से सम्पर्क किया तो कम से कम 70 से 75 प्रतिशत उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं। चाहे जम्मू रहे, हरियाणा रहे, चाहे पंजाब रहे, चाहे उत्तरप्रदेश रहे, निश्चित रूप से आपके विभाग ने बेहतर कार्य किया है। लेकिन अभी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि हम उन्हें एकाएक नहीं रोक सकते। क्योंकि कुछ मजदूर ऐसे हैं, जो शौकियां जैसे हैं, उनको जाना है।

लेकिन मेरा निवेदन है कि कम से कम एक आकड़ा होना चाहिए कि हमारे कितने मजदूर बाहर गये हैं, कितने मजदूर गांव से पलायन किये हैं।

सदन को सूचना

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सभा सहमत है।

(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)

वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय मंत्री जी, आप भले ही पंचायत विभाग से समन्वय कर लें।

सभापति महोदय :- चन्द्रा जी, समय का ख्याल रखें। 10 मिनट हो चुके हैं।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- सभापति महोदय, एक मिनट। जो पलायन कर रहे हैं, कम से कम उनकी सूची हो कि वे कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। क्यों कि हम लोग कोरोनाकाल में देखे हैं, इस विषम परिस्थिति में पता नहीं चल रहा था कि ये लोग कहां गये हैं, क्या है, आज तक पता नहीं है। तो एक रिकार्ड रहे हैं कि वे कहां जा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय एक सबसे बड़ी परेशानी आप भी झेलते होंगे, हम लोग भी झेलते हैं कि वे किसी के माध्यम से चले जाते हैं, कौन ठेकेदार, कौन दलाल करके उनको भेज देते हैं और उनको मजदूरी नहीं मिलती है और हम लोगों के पास आकर गुहार लगाते हैं कि हमको बंधक बना दिया गया, हमारी मजदूरी दी नहीं गई। हम उनके लिए निरंतर लड़ें, प्रशासन के पास भी जाते हैं तो उनकी भी मजबूरी कि पुलिस का कर्मचारी जायेगा, आपके विभाग का कर्मचारी जायेगा, जनपद का कर्मचारी जायेगा, राजस्व विभाग का कर्मचारी जायेगा और फिर उसके रिश्तेदार जायेंगे और इतने लोग एक साथ जायेंगे तो वहां क्या हो रहा है कि वह मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो इन परेशानियों से आप भी बचें, प्रशासन भी बचे और मजदूर लोग भी बचें इसके लिए मेरा निवेदन है कि कम से कम ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर रखें। ग्राम पंचायत में कम से कम राजस्व विभाग का एक सेवा देने वाला कोटवार रहता है, उनको राजस्व विभाग से तालमेल बैठाकर सख्त निर्देश दें कि कोई भी बाहर जाता है तो उसकी एंट्री हो जाए। आपके ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, आपके ग्राम पंचायत में सचिव हैं, मनरेगा में काम करने वाले रोजगार गारंटी के ग्राम सहायक हैं और इन लोगों को यदि संयुक्त जवाबदारी दे देंगे तो कम से कम मजदूरों का आंकड़ा सरकार के पास और आम लोगों के पास रहेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, सदन की चर्चा, सदन की गरिमा यह है कि पक्ष- विपक्ष दोनों तरफ से जब उनकी बातें आती हैं तो उस पर विचार होता है और यहां से विचार-विमर्श करके हमारे प्रदेश के लिए, यहां की जनता के लिए नियम कायदे-कानून और प्रावधान बनाये जाते हैं। आज मुझे इस बात का बेहद दुख है कि हमारे सम्मानित विपक्ष के साथियों ने चर्चा में भाग लेना सही नहीं समझा। निश्चित रूप से हम सभी जनप्रतिनिधियों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि किसी भी आवेश में आकर या किसी राजनीतिक परिस्थिति में आकर कोई भी समस्या को मानकर हमें हमारी जनता के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात का दुख है और मैं इसके लिए विपक्ष के साथियों की निंदा करता हूं कि जो वे इस चर्चा में अपनी सहभागिता नहीं दे रहे हैं। इससे निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है और यह प्रदर्शित होता है कि उनको छत्तीसगढ़ की जनता के विकास में, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कहीं कोई चिंता नहीं है। वह केवल नाटकीय प्रक्रिया का पालन करते हैं और पूर्ति करते हैं। माननीय सभापति महोदय, पिछले समय में हमारी सरकार ने हर उस विषय में काम करने का प्रयास किया है जिसे छत्तीसगढ़ की जनता सोचती थी और चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार का जो बजट पेश किया है उन्होंने इसमें हाईट शब्द का इस्तेमाल किया है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जब मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया जी के नगरीय प्रशासन विभाग के बजट को पढ़ता हूं तो उसमें ये दिखता है कि उस हाईट शब्द का समावेश हर स्तर पर है। पिछली सरकार की कार्यप्रणाली के कुछ अंतर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। मैं महापौर के रूप में कार्य कर रहा था, पिछले समय मेरा कार्यकाल पूरा हुआ। मैंने पिछली सरकार में बतौर महापौर के रूप में तीन साल कार्य किया है। एक विषय था जिसको बहुत ही शुरूआत में हमने उठाया उस विषय का डिटेल मैं आपको बताता हूं। बांबे आवास, अटल आवास, आई.एच.एस.डी.पी. आवास ये ऐसे मकान हैं जो बी.पी.एल. या गरीब की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों के लिए बनाये जाते हैं। मैं महापौर बना, मैंने सबसे पहले ये विषय उठाया। जब मैं महापौर बनकर पहुंचा तो मुझे लगा कि हम महापौर हैं, जो-जो विषय चाहेंगे, उसकी पूर्ति कर लेंगे। हमने ये विषय उठाया कि उसमें जिन लोगों को अधिकार बनता है उनको वह मकान मिलने चाहिए। मेरे खुद के नगरीय निकाय क्षेत्र में 3645 मकानों में लगभग 1800 मकान सही तरीके से लोगों को दिये गये थे और बाकी 1800 मकानों में अवैध कब्जे थे और कब्जेदारों ने 5-5, 7-7, 8-8 मकान कब्जा करके लोगों को किराये पर देकर रखा था और किराए पर किनको दे रखा था? उन्हीं गरीब साथियों को, परिवारों को जो कि बी.पी.एल. श्रेणी में आते हैं या गरीब की श्रेणी में आते हैं। मैं कार्यप्रणाली का अंतर बताना चाहता हूँ। मैं तीन सालों तक कहता रहा। मैंने महापौर परिषद में इसका संकल्प पारित किया। मैंने इसको सामान्य सभा में उठाया। मैंने सामान्य सभा में संकल्प पारित किया। लेकिन 3 सालों तक उस विषय में कुछ भी नहीं हुआ। हमारी सरकार बनी। माननीय डॉ. शिवकुमार डहरिया जी मंत्री बने, हमने एक बार उस प्रस्ताव को भेजा और इनकी यह सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए,

न्याय होना चाहिए और मुझे आपको और सदन को इस बात को बताने में बेहद खुशी है कि आज उन 1800 मकानों में लगभग 600 मकान जो हितग्राही हैं उनको वहां पर जाकर, उनकी फोटो खींचकर, उनका विडियो बनाकर, तत्काल रूप से अभी तक दे दिया गया है और बाकी की भी कार्यवाही चालू है। यह कार्यप्रणाणी होती है। यह कार्यक्षमता होती है। इस तरीके से शासन चलता है। शासन करने के लिए शासन है क्या ? शासन में सुशासन होना चाहिए। उस पर सोच होनी चाहिए कि हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सर्वोदय, अंत्योदय की भावना होनी चाहिए। जो कहीं न कहीं पिछली सरकार में हमें देखने को नहीं मिलती। आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम एक ऐसे नेतृत्व के अंदर काम कर रहे हैं माननीय हमारे नगरीय निकाय मंत्री इन्होंने जितने बड़े-बड़े फैसले लिएं, यह किसी के बस की बात नहीं है इन्होंने जो बड़े फैसले लिएं हैं। मेरे साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि पट्टा यह एक राजनीतिक विषय था। जैसे लोग किसानों का केवल राजनीति के लिए उपयोग होता था कहते हैं कि किसान का नाम राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने यह दिखाया कि किसान के साथ न्याय कैसे होता है? वैसे ही पट्टा का उपयोग शहरी सरकार में केवल राजनीति के लिए आज तक किया जा रहा था। इसके साथ अगर किसी ने न्याय किया है तो हमारे मंत्री माननीय शिवकुमार डहरिया जी ने किया है। पट्टा वितरण का काम जो इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, उससे बहुत सारे लोगों, हजारों परिवारों, लाखों लोगों को फायदा हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 सालों में हम लोगों ने शहरीकरण, ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें क्या किया है जो इन्होंने कर दिया है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमने पिछले समय में हमारे शहर में सबसे पहले एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया, फिर एक और क्रिकेट स्टेडियम बनाया, एक फुटबाल स्टेडियम बनाया, एक हमने खेल सुविधा के लिए एक हम लोग ऑडिटोरियम बनायें, स्पोर्टस् ऑडिटोरियम बनायें। इसके अलावा हमारे अभी तीन स्टेडियम बनने जा रहे हैं और हम लोगों ने शहर के अंदर बहुत सारी जगहों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बैडमिंटन कोर्ट बनायें, वॉलिवॉल कोर्ट बनायें, हमने यह सब कुछ किया। इस तरीके से हमारे जो बच्चें हैं जो खिलाड़ी हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना है उस पर हमारी सरकार, नगरीय निकाय विभाग ने विशेष ध्यान दिया, जिसके कारण आज शहरीकरण की जो बात होती है उसको यर्थाथ् करने का प्रयास किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, तालाबों के सौन्दर्यीकरण की बात होती है। यह हमारी सरकार तालाबों के संरक्षण पर काम कर रही है। केवल तालाबों के सौन्दर्यीकरण पर काम नहीं कर रही है। तालाबों के माध्यम से हम लोग शहर के बच्चों, वहां के युवाओं, वरिष्ठों को एक ऐसा स्थान देने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर शिक्षा, सोच भी मिले और अच्छा वातावरण भी मिले। मैं कहूंगा कि रायपुर का बूढ़ा तालाब आज कोई भी रायपुर आता है तो वह सोचता है कि मैं एक बार अपने परिवार के आदमी को बूढ़ा तालाब जरूर दिखा दूं। वैसे ही हम भिलाई की बात करें । भिलाई में शहीद पार्क में माननीय मुख्यमंत्री जी आये

थे, माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी आये थे। वहां पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी भगत सिंह की प्रतिमा लगी है। हमारे शहीद जवान जितने भी छत्तीसगढ़ में शहीद हुए हैं या देश में कहीं शहीद हुए हैं वहां पर उनकी स्मृतियां हैं और वहां पर वॉल ऑफ ऑनर है। इससे क्या होता है ? एक अच्छा वातावरण मिलता है और तालाब का संरक्षण होता है और हमारे बच्चे, हमारे लोग कुछ उस जगह पर जाकर सीखकर भी आते हैं। हम लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। यह देश कह रहा है, यह देश की सरकार कह रही है कि अगर देश के अंदर कोई प्रदेश हैजो सबसे स्वच्छ साफ, सुथरा और पूरी कार्यप्रणाली को पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है तो वह हमारे नगरीय निकाय मंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाला नगरीय निकाय विभाग हमारा छत्तीसगढ़ है। मैं हमारे अधिकारियों को बहुत धन्यवाद् करूंगा, उनकी कार्यप्रणाली को बहुत शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने निरंतरता के साथ हर एक विषय को उठाया और उस पर उन्होंने ध्यान दिया। स्वच्छता सर्वेक्षण में आज हम देश में नंबर वन आते हैं। यह छत्तीसगढ़ियों के लिए गर्व का विषय है। यह शहरीकरण की बात करते हैं। अगर शहरीकरण देखना है तो हमारी सरकार में देखिये। देखिये शहरीकरण के लिए समय लगता है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए समय लगता है। लेकिन पिछले दो वर्षों में जिस गति से हमारी सरकार काम रही है, मैं इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी को खूब सारी शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। प्रधानमंत्री आवास हो, मोर जमीन-मोर मकान की बात हो, HEIGHT शब्द में एक T for transfarmation की बात करते हैं, transfarmation होता क्या है? उस पर भी मैं कहूंगा। पहले इनकी सरकार में जनता दफ्तर जाती थी।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षेप में करें।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा। मुझे बोलने का अवसर बहुत कम मिलता है। चूंकि मैं महापौर भी हूं और ये विषय भी है तो कुछ समय आपसे संरक्षण चाहूंगा। मैं बहुत जल्द ही अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, बिल्कुल भी लंबा नहीं करूंगा। हम लोग transfarmation की बात करते हैं, transfarmation होता क्या है? आज हमारी सरकार मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से transfarmation कर रही है। लोगों को उनके घर के पास नगरीय निकाय का कार्यालय मिल रहा है, जहां पर अधिकारी उपलब्ध हैं और वह अपनी बातें, अपनी समस्यायें वहां पर पूरी तरह रख पा रहे हैं। शहरी गोठान, गोबर योजना को देखिये, हर विषय पर काम हो रहा है। हम लोग अपनी संस्कृति की बात करें तो हमारी संस्कृति में जो रोजगार थे, उन रोजगार को भी वापिस लाने का प्रयास हमारे माननीय मंत्री जी विभिन्न योजनाओं के तहत कर रहे हैं। 1100 निदान में हमारी स्टेट में जो परफारमेन्स है, उस पर आप भी देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही बेहतर परफारमेन्स हमारे स्टेट का चल रहा है। मैं आपको एक और विषय बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के विशेष सहयोग से हमारे शहर में "भिलाई मदर्स मार्केट" बन रहा है। भिलाई मदर्स मार्केट से आशय क्या है? वह सभी

बहनें, महिलायें, मातायें जो एन.यू.एल.एम. (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) के जरिये एक समूह बनाकर अपने लिए नये रोजगार का अवसर ढूंढती हैं। उसमें उन बहनों को मदर्स मार्केट में अवसर मिल रहा है। एक ऐसा प्रांगण बन रहा है जो आपको एक माल जैसा दिखेगा। लेकिन वह दुकानें किसी को बेची नहीं जायेंगी, वहां पर एन.यू.एल.एम. के जरिये जो स्वसहायता समूह की बहनें हैं, उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए स्थान दिया जायेगा। ऐसा काम हमारी सरकार में हो रहा है। पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली को आप सब समझते हैं, जानते हैं। मैं एक विषय में बोलूंगा, बोलना आवश्यक है क्योंकि पिछले समय भी विपक्ष के साथी इस बात को कह रहे थे। यह कह रहे थे कि भिलाई में 100 दिनों तक कांट्रेक्टर्स को पेमेन्ट नहीं मिला। उस विषय को मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह हुआ कि जब 2018 का चुनाव आया, यह चुनाव को देखकर ऐसे घबराते हैं, इन्होंने एक महीने पहले कागजों में 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी। उसके पैसे का ध्यान नहीं दिया। हमारे अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर बोला कि नगरीय निकाय में, नगर निगम में जहां 5 करोड़ रुपये है, वहां आप 60 करोड़ रुपये की नगर निगम निधि से स्वीकृति दे दो। पैसा कहां से आयेगा ? यह तो विचार होते हैं न कि हमको कैसे कार्य प्रणाली करनी है। इस विचार के हमारे सम्मानित विपक्ष के साथी हैं जो आज मौजूद भी नहीं हैं। मैं चाहता था कि इस विषय में वह हमारी बात सुनें। लेकिन आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरीके से काम करते हैं। कोरोना का जो समय था, मैं कहूंगा कि अगर सबसे बड़ी लड़ाई किसी ने लड़ी है तो हमारे नगरीय निकाय के साथियों ने लड़ी है, जो हमारे फ्रंट वारियर्स थे। हमारे स्वच्छता के लोग थे। मैं माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने महापौर निधि से, पार्षद निधि से, विधायक निधि से हम लोगों को राशन और भी सामग्री खरीदने की स्वीकृति दिया। उससे लोगों की कितनी सेवा हुई है। हम नहीं बोलते हैं, आज यह लोग बोलते हैं। मैं और बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय मंत्री जी बस यही कहूंगा कि आपके नेतृत्व में इस प्रदेश का शहरीकरण हो रहा है और शहरों में जो आवश्यक है, वैसा डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर ऐसा डेवलपमेंट नही हो रहा है, जिस पर बजट पर पहले की सरकार देखती थी, भाई-भतीजावाद करती थी कि मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे दामाद के लिए क्या होगा, वह विचार से नहीं हो रहा है। लोगों के विचार से काम हो रहा है। इस बात की आपको बधाई दूंगा कि आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस प्रदेश को हम टैंकरमुक्त प्रदेश बनायेंगे और उसमें हम आगे भी बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से यह काम हर शहर में हो रहा है । मैं अंत में माननीय मंत्री जी के समक्ष मेरे विधानसभा का एक विषय रखूंगा, जो अतिआवश्यक है और मैं जानता हूं कि हमारे ताकतवर, दमदार, मजबूत, निर्णय लेने की क्षमता लेने वाले मंत्री जी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं । माननीय मंत्री जी, हमारे यहां पट्टे का वितरण हो रहा है और उससे काफी लोगों को बहुत ही सहयोग मिल रहा है, सहायता मिल रही है और लोग बहुत ही खुश हैं और आनंदित हैं । विषय ऐसा है कि सीएसआईडीसी की जमीन पर और बीएसपी की उस जमीन

पर बहुत समय से मतलब दशकों से, चालीसों साल से लोग बसे हुए हैं, वे लोग वहां पर रह रहे हैं और वह बस्तियां अब हटाई भी नहीं जा सकतीं, उस पर आप हस्तक्षेप करके इस विषय को अपने ध्यान में रखकर आने वाले समय में इसका निर्णय निकाल देंगे उनके लिये भी आप पट्टे का कर देंगे तो भिलाई की जनता वैसे भी आपके लिये अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ी है, आपके कामों को देखकर, आपकी स्वीकृतियों को देखकर, आपके भिलाई के प्रति प्यार और रूझान को देखकर और नगरीय निकाय, शहरीकरण के रूझान को देखकर हम लोग और आनंदित हो जायेंगे । मैं इस बात को रखते हुए और इस बजट का पूर्णत: समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आज नगरीय प्रशासन मंत्री जी की मांग संख्या- 22, 69, 81, 18 के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । पिछला एक साल कोरोना से गुजरा है और कोरोना काल में हमारे निगम में और पूरे राज्य में श्रमिकों की हालत दुदर्शा से भरी रही है । उस समय हमारे माननीय मंत्री जी ने जो श्रमिकों के पक्ष में काम किया, वह नि:संदेह बहुत सराहनीय है । जब कोरोनाकाल में श्रमिक वापस लौट रहे थे तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य था, जहां सीमा में पहुंचने पर उनको आवागमन की सुविधा मिल जाती थी । अगर वे यह बोलते थे कि हमें उड़ीसा तक जाना है तो छत्तीसगढ़ की ही सरकार थी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, हमारे माननीय श्रम मंत्री थे, जिन्होंने उनको यह सुविधा उपलब्ध करायी कि वह उनको छत्तीसगढ़ की सीमा से, महाराष्ट्र की सीमा से जहां से वे घुसते हैं, वहां से उड़ीसा की सीमा तक पहुंचाया । यही नही कोरोना काल में हमारी सरकार ने सभी मजूदरों के लिये बहुत सारे काम किये, उनको रोजगार भी दिलाया और मैं तो हमारे माननीय भूपेश बघेल जी को और हमारे माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि कोरोना काल में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, जब लोगों में इतना भय व्याप्त था तब हमारी स्वच्छता दीदीयों ने घर से बाहर निकलकर पूरे शहर की साफ-सफाई का बीड़ा उठाया था और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनका वेतन बढ़ाया है । उसे 5000 से 6000 रूपये किया है इसके लिये मैं उनकी ओर से हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, नगरीय प्रशासन विभाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं । उनमें से कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं शहरी गौठान और शहर में चलने वाले गौधन न्याय योजना का उल्लेख करना चाहता हूं । हमारे राज्य में एक-तरफ गांव-गांव में गौठान खुले हैं, दूसरी तरफ शहरों में भी गौठान खुले हैं । शहर में हमारे जो गौधन हैं, हमारे जो पशु, मवेशी हैं उनसे न केवल आवागमन में दिक्कत होती थी बल्कि जो पशुपालक हैं उनके पास कोई चारागाह नहीं था, वे रोड में छोड़ते थे लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी ने जो शहरी गौठान की व्यवस्था की इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आपने न केवल हमारे

जो गौवंश है उनका ध्यान रखा बल्कि आपने गौपालकों का भी ध्यान रखा और साथ ही साथ आपने उनको नयी आमदनी का जरिया दिया है । मैं इसके लिए हमारे माननीय मंत्रीजी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं । सभापति महोदय, मैं आज पौनी पसारी योजना की बात करूंगा । इसे बजट में स्थान दिया गया है । सभी नगरीय क्षेत्रों में परम्परागत व्यवसाय करने वालों को न केवल स्थान दिया बल्कि उनको चबूतरा भी दिया है । प्राचीनकाल में लोहे का व्यवसाय करते थे, कोई तवा बनाता था, कोई कढ़ाई बनाता था । उनको भी एक स्थान मिला है । साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन, कपड़े धुलाई, जूते-चप्प्ल तैयार करना, ऐसे प्राचीन रोजगार के साधनों को इस योजना में स्थान दिया है और मैं मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं कि पौनी पसारी योजना एक बड़ी योजना है, कहने को तो लगता है छोटी योजना होगी । लेकिन जिन लोगों को इस योजना के तहत लाभ मिला है, जिन्हें व्यापार करने की जगह मिली है, उनकी खुशी क्या है, ये वही व्यक्ति जानता है जिसे योजना का लाभ मिला है । सभापति महोदय, समस्त निकायों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की स्थापना की गई है । हम जानते हैं कि शहर और गांव में अलग प्रकार की स्थिति रहती है । शहर के लोग कामकाजी होते हैं, सुबह निकलते हैं तो रात को आते हैं और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना बहुत लाभदायी है । लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए निगम के दफ्तर जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था । वही सुविधा उन्हें वार्ड कार्यालय में उपलब्ध है । इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं । सभापति महोदय, न सिर्फ पौनी पसारी योजना बल्कि नवीन सरोहर धरोहर योजना एक बड़ी योजना है । हमारे प्रदेश में, बल्कि यह कहना चाहिए कि हमारे देश में आज तालाबों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है । तालाबों की स्थिति लगातार ऐसी होती जा रही है कि तालाब एक गड्ढे में और डस्टबिन के रूप में उपयोग होने लगे थे । ऐसे में नवीन सरोहर धरोहर योजना लाभदायक है । अभी भाई देवेन्द्र यादव ने कहा कि तालाब की महत्ता हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा है । आज भी जब भी हमारे घर परिवार में कुछ होता है तो तालाब की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है । ऐसे में नवीन सरोहर धरोहर योजना बहुत लाभदायी है । इससे हमारे समाज के लोग बहुत खुश है, इससे हमें धार्मिक कार्यों में भी फायदा होता है साथ ही साथ निस्तारी भी होती है ।

सभापति महोदय, आज मैं पुष्प वाटिका उद्यान योजना, उन्मुक्त खेल मैदान योजना का भी उल्लेख करना चाहूंगा । मैं दोनों का उल्लेख एक साथ कर रहा हूं । ये दोनों योजनाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं । जब हमारे बच्चों को एक खेल मैदान मिलता है तो वे स्वस्थ होते हैं और साथ ही साथ पुष्ट वाटिका उद्यान योजना, ऐसी योजना है जहां हमारे सभी लोग सुबह शाम जाते हैं, हमारे वृद्धजनों के लिए भी लाभकारी है। हाट-बाजार योजना तो बहुत अच्छी योजना है । मैं पेयजल आवर्धन योजना का उल्लेख करना चाहूंगा । हमारी सरकार ने 4 नगर निगम और 23 नगर पालिका को टैंकर मुक्त कर लिया गया है । सभापति जी, टैंकर मुक्त होने का अभिप्राय है कि हमारी जनता तो हम उनके घरों तक

शुद्ध पानी पहुंचा रहे हैं । यह एक बड़ी उपलब्धि है मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं। सभापति जी, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, मंत्री जी से रायगढ़ के संबंध में कुछ मांग भी रखना चाहूंगा । सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रायगढ़ एक बड़ा बड़ा नगर निगम है, लेकिन आज तक वहां स्लॉटर हाउस नहीं है, जिसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि इधर-उधर हर जगह मांस कटते हैं तो उसके लिए आपसे निवेदन है, क्योंकि एक स्लॉटर हाउस की वहां अत्यधिक जरूरत है। दूसरी चीज, बिलासपुर नगर-निगम के तर्ज में वहां भी आप एक लाइब्रेरी की स्थापना कीजिए। तो हमें बहुत ही प्रसन्नता होगी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय :- संक्षिप्त करें नायक जी।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- महोदय, आखिरी है। मैं एक-दो लाइन बोलता हूं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक योजना सांस्कृतिक भवन निर्माण योजना है। इसके तहत् सांस्कृतिक तथा मांगलिक व अन्य कार्यों के लिए भवन मिलता है और उसमें नगर-पालिक निगम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा को उन्हें 1 करोड़ की राशि मिलती है, लेकिन रायगढ़ बड़ा नगर-निगम है और वह 72 लाख की श्रेणी में है, उसे भी आप 1 करोड़ की श्रेणी में ले आयेंगे तो कृपा होगी। सभापति महोदय, आपके आदेशानुसार आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके कार्यकाल में लगातार जनहित के काम हो रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र आगे बढ़े और अंत में एक लाइन की बात और रखूंगा। मेरे क्षेत्र में पुसौर एक नगर पंचायत है, वहां पर आप एक गौरव पथ दे दें तो वह भी लगे कि वह एक शहर है। पुसौर नगर पंचायत में एक गौरव पथ दे दें ताकि वह भी एक शहर लगे और अभी तक वहां पंचायत ही है।आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय :- डॉ. विनय जायसवाल।

डॉ. विनय जायसवाल (चिरमिरी) :- माननीय सभापति महोदय, मैं डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के विभागों से संबंधित मांग संख्या 22, 69, 81, 18 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर भी एक चिरमिरी नगर-निगम क्षेत्र है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बार वहां दौरा था। तत्कालीन उस समय के मंत्री राजेश मूणत जी, जिनका वीडियो उस समय बहुत वायरल हुआ था कि ये नगर-निगम है। ये नगर-निगम कैसे हो सकता है? यहां की सड़कों की हालत क्या है? यहां पानी की व्यवस्था क्या है? माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत ही ऊर्जावान हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी के इस विभाग को संभालने के बाद मात्र दो सालों में आज चिरमिरी के सड़कों की जो स्थिति है, आज लोग यह बोलते हैं कि 15 साल में सड़क की जो स्थिति थी और आज सड़क की जो

स्थिति है, निश्चित रूप से उसमें लगभग 100 गुने की वृद्धि है। चिरमिरी एक ऐसा नगर निगम था, जहां 50 प्रतिशत आबादी को पानी नहीं मिलता था। हमारे बहुत ही ऊर्जावान माननीय मंत्री जी के इस विभाग का नेतृत्व संभालने के बाद आज स्थिति यह है कि वहां का जो अपूर्ण जल आवर्धन योजना था, वह दो सालों में पूर्ण हो गया। लगभग 70 प्रतिशत जो जनता है, आज उससे पानी मिल रहा है और लोग खुश हैं। माननीय सभापति महोदय, नगरीय निकाय के एक-दो योजना है, उनके बारे में बात करना चाहूंगा। खासकर के मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए जो 10 करोड़ का प्रावधान है, निश्चित रूप से जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पेंशन का मामला हो या बहुत सारी जो सरकारी योजनाओं का जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए, वह केवल दफ्तर तक नहीं जाने के कारण योजनाओं का लाभ उठाने में उन्हें देरी होती है या फिर वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते थे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री मितान योजना के लागू होने से ये जो समस्याएं हैं, उन्हें हमारी सरकार दूर करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं पेशे से चिकित्सक हूं, डॉक्टर हूं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के बारे में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। इसके पहले जो पी.एच.सी. और सी.एच.सी. हैं और जो शहर की डिस्पेंसरी हैं, उनकी क्या हालत थी, यह बताने की जरूरत नहीं है । सभापति महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा । अभी मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के तहत हमारे यहां भी जो दो सुसज्जिति बस हैं, जिसमें एक डॉक्टर और उसमें पैथालॉजी की पूरी जांच और दवाई के वितरण करने की व्यवस्था है । साथ ही साथ वे जिस वार्ड में भी जाते हैं, वहां लोगों का श्रम पंजीयन भी होता है । यह इतना आसान हो गया है । इसके पहले दिक्कत थी कि 4-5 किलोमीटर दूर ईलाज कराने के लिए कैसे जाएं । इस योजना से हमने स्वास्थ्य को घर-घर तक पहुंचाने का काम किया है । सभापति महोदय, मैं अपने नगर निगम के आंकड़ों को बताना चाहूंगा कि जब से यह योजना चालू हुई है, इससे हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं । इसका एक बड़ा फायदा यह भी हुआ है कि जो बड़ी बीमारियों से पीड़ित थे और जो डायग्नोसिस नहीं करवा पा रहे थे, उसको भी हमने घर में जाकर डायग्नोसिस किया और उनका ईलाज बड़े अस्पतालों में भी कराने की व्यवस्था की । निश्चित रूप से यह नवाचार योजना हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नगरीय प्रशासन मंत्री ने किया है, इस योजना का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, मोर जमीन मोर मकान, मोर मकान, मोर चिह्नारी। निश्चित रूप से जब गरीब आदमी को रहने का ठिकाना मिल जाता है तो उससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए कुछ नहीं है । पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में जिस तरह से लोगों को पट्टा देने का काम किया गया, उनके लिए आवास की योजना लागू करने का काम किया गया है, वह निश्चित रूप से हमारे गरीब छत्तीसगढ़ की जनता है और जो शहर की जनता है, उनको इसका लाभ मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एस.एल.आर.एम. सेन्टर्स का जो उन्नयन है और 377 गोधन न्याय और सह गोबर क्रय केन्द्रों की स्थापना की गई है, निश्चित रूप से उसमें लाखों रूपये का भुगतान हमारे गौ पालकों को किया गया है या जो गौ पालक नहीं हैं, वे भी गोठानों में गोबर बेचकर उनकी इंकम हुई है, आय का साधन बढ़ा है, आप उस योजना की कितनी भी बुराई कर लीजिए, कितनी भी आलोचना कर लीजिए, लेकिन मैं तीन दिन पहले की बात आपको बताना चाहूंगा । हमारे नगर निगम, चिरमिरी में दो गौठानों में गोबर खरीदी का काम हो रहा है । शहरी एरिया में गोबर खरीदी इतनी हो रही है, गांव में तो गोबर खरीदी हो ही रही है, शहरी एरिया में गोबर की खरीदी इतनी हो रही है कि उसको रखने की जो व्यवस्था है, उसमें थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, हम उसको नहीं रख पाये, उसके कारण हमको तीन-चार दिन गोबर खरीदी बंद करनी पड़ी । माननीय सभापति महोदय, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो पशुपालकों ने नगर निगम में जाकर कहा कि गोबर खरीदी क्यों बंद हो गई ? मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जिस गोबर खरीदी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, राज्य चिह्न के रूप में गोबर को दर्शाते हैं, हमारे विपक्ष के साथी इस तरह से विरोध करते हैं, मैं उदाहरण सहित बताना चाहता हूं कि गोबर खरीदी का लाभ केवल ग्रामीण जनता को ही नहीं, बल्कि शहरी जनता को भी मिल रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री निश्चित रूप से बहुत ही ऊर्जावान मंत्री हैं और इनका जो निर्णय है, इनका आशीर्वाद हम लोगों को बहुत ज्यादा मिलता है क्योंकि मैं नगरीय निकाय क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और मेरी पत्नी भी महापौर है तो मुझे पता है कि भैया का आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिलता है । मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने नगर निगम के लिए आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो जल आवर्धन योजना है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लाईन की कमी रह गई है । अगर आप उस को पूरा करने की घोषणा कर देंगे तो निश्चित रूप से चिरमिरी की जनता आपको बहुत साधुवाद देगी । माननीय सभापति महोदय, भैया, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश में 14 नगर निगम हैं, चिरमिरी में पिछले 15 सालों में पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया । चिरमिरी पहला नगर निगम होगा, जिसमें इंडोर स्टेडियम नहीं है । यह दुर्भाग्य है । निश्चित रूप से चिरमिरी के लिए आप एक इंडोर स्टेडियम की भी घोषणा करेंगे । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस एडवेंचर पार्क की सौगात दी थी, उसका भी क्रियान्वयन जल्दी से करेंगे । माननीय मंत्री जी, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, हम जब इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो नगरीय व्यवस्था में सिंधु घाटी की सभ्यता को जाने बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सिंधु घाटी की सभ्यता में नगर व्यवस्था कितनी व्यवस्थित थी, किस चीज को कहां पर होना चाहिए ? व्यवस्था की गयी थी। आज जब हम नगरीय व्यवस्था की कल्पना करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या का दबाव शहरों की ओर बढ़ता गया और जनसंख्या के

दबाव के कारण उनको हर प्रकार की सुविधा देने की बात वर्तमान सरकार करती आ रही है, घोषणा भी की है, बनाई भी है, निर्माण भी किये हैं और उन सुविधाओं का उपभोग भी जनता कर रही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी समस्या है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, मैं नगरीय जाति हूं, वहां की हवा और यहां की हवा में बहुत अंतर है। मैं माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री से यही कहूंगी कि वायु जीवन के लिये बहुत जरूरी है तो सबसे पहले पर्यावरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां हैं, नगरीय प्रशासन के तहत बनाया गया है। चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे पौनी पसारी योजना हो, जिसमें धन और स्वाभिमान को जागृत किया है। अंबेडकर सर्व मांगलिक समाज है। सभी को शादी ब्याह की आवश्यकता होती है। इसको भी ध्यान में रखकर स्थान दिया गया है। नवीन सरोवर धरोहर योजना है, शहरों में पानी की आवश्यकता है। संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। ज्ञान स्थली योजना के तहत टूटे-फूटे स्कूलों को भी अच्छा बनाया जा रहा है। 243 लाख रूपये का बजट दिया गया है। उन्मुक्त खेल मैदान, शहर में बहुत भीड़ होती है, बच्चों को खेलने की बहुत जरूरत है। आज की संचार क्रांति युग में बच्चे मोबाईल और टी.वी. में बैठे रहते हैं। उनको खेलना बहुत जरूरी है और स्वस्थ शरीर के लिये खेल को प्रोत्साहन देना भी बहुत जरूरी है। उन्मुक्त खेल मैदान योजना के तहत यह व्यवस्था भी की गयी है। पुष्प वाटिका उद्यान, शहरों को सुंदर भी बनाना है। क्योंकि जनसंख्या का दबाव ज्यादा है। मन को प्रसन्न रखने के लिये वाटिका का होना भी जरूरी है। राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के तहत ठेला और गुमटियों के जो व्यवसायी हैं, उनको भी प्रोत्साहन दिया है, उधर भी ध्यान दिया गया है। राजीव गांधी योजना के अंतर्गत हर वर्ग के लिये ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने का काम किया है, शहरों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके रोजगार के लिये भी ध्यान दिया गया है। बस स्टैंड आवागमन के लिये पर्याप्त जगह की जरूरत है। उसके लिये भी 3,553.80 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। मुक्तिधाम निर्माण, यहां भी हर मौसम में नागरिकों को काम करना पड़ता है, इसके लिये भी व्यवस्था की गयी है। हाट बाजार समृद्धि योजना के लिये 52.70 लाख रूपये दिया गया है। सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिये राशि दी गयी है, क्योंकि विविधता में एकता है। छत्तीसगढ़ भी वैसा है। इसलिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिये देना बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर योजना, डेयरी उद्योग के लिये यह भी जरूरी है। भागीरथी नल जल योजना है, पानी सबके लिये जरूरी है। तंग बस्तियों को भी दिया जा रहा है। सरकार ने इसका ख्याल रखा है। सबसे ज्यादा रैप पीकर्स के लिए ध्यान रखा है, उनके कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। जो सुबह से शाम तक दर-दर फेंके हुए सामनों को खोजते रहते हैं। उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसमें 318.64 लाख स्वीकृत किया गया है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें, 5 मिनट हो गये हैं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ये सारी तमाम योजनाएं हैं। चाहे स्वच्छ भारत की योजना हो, चाहे क्लीन सिटी मिशन की योजना हो, स्मार्ट सिटी की योजना हो, सभी पर ध्यान दिया गया है। सबको सुविधा देने का प्रयास किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम विभाग के बारे में केवल यह कहना चाहूंगी कि पहले "सत्यमेव जयते" लिखते थे, आजकल श्रममेव जयते लिखते हैं। सबको श्रम की जरूरत है। संविधान में भी उनके हित की बात कही गई है। अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 43 तक उनके सरंक्षण की बात कही गई है। उसके आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य के लिए सारी व्यवस्था की गई है। हाइजेनिक लैब की भी स्थापना की गई है। ताकि हमारे श्रमिक काम कर सकें और सेवा प्रदान कर सकें और उनको आमदनी भी हो सके, इसका भी ख्याल रखा गया है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। श्रीमती अनिता शर्मा जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति महोदय, दो मिनट। मैं अपने क्षेत्र के बारे में मांग कर लेती हूं। सिहावा मेरी विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र लायक दिखना चाहिए, यह मेरी कल्पना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि डिवाइडर के लिए बजट दे दिया जाये। वहां एक बड़ा तालाब है, वहां लोग घूम सके, बोटिंग कर सके, उसके लिए भी बजट देने की सख्त आवश्यकता है। मधुबन धाम के पास 55 एकड़ का एक तालाब है, वहां भी सबके हित के लिए काम करना जरूरी है, वहां सौन्द्रर्यीकरण और बोटिंग के लिए राशि दे दिया जायेगा, तो बहुत अच्छा होगा और वहां विकास दिखाई देगा। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा (धरसींवा) :- माननीय सभापति महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के विभाग की वर्ष 2021-22 की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय सभापति महोदय, विभाग द्वारा नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण हेतु एक स्थान पर नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ नगर की सुव्यवस्थित विकास तथा रोजगार के सम्बन्ध में वृद्धि करने के उद्देश्य से कामर्शियल काम्पलेक्स के विकास निर्माण हेतु मुख्यमंत्री पालिका बाजार योजना प्रारंभ की गई है। इससे नगरीय निकाय की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। साथ ही आय अर्जित कर आर्थिक रूप से सक्षम होंगे। शासन द्वारा नगरीय निकाय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सामुदायिक प्रसाधन निर्माण के लिए महिला सार्वजनिक प्रसाधन योजना प्रारंभ की गई है। योजना के अन्तर्गत नगरीय निकाय में ऐसे स्थल जहां महिलाओं की क्रियाशील जनसंख्या अधिक रहती हैं, जैसे बाजार, अस्पताल, बस स्टैण्ड, कन्या छात्रावास, महाविद्यालय एवं शासकीय कार्यालयों के आसपास पृथक से महिला सामुदायिक प्रसाधन निर्माण कार्य किया जाना है। योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों में शत-प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक परियोजना हेतु 9 करोड़ 86 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे ही "पौनी पसारी योजना" सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वह बहुत ही सराहनीय है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन, यह एक ऐसा भवन है, जिसके बनने से लोगों में काफी उत्साह है। क्षेत्र में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, शादी, बर-ब्याह हो, ऐसे अवसर पर यह भवन गांव और नगर पंचायत में, जैसा कि मेरा क्षेत्र नगर पंचायत है, अगर उस क्षेत्र में इस तरीके का भवन बना है, तो वह अपने आप में एक गौरव की बात है। क्षेत्र के लोग काफी उत्साहित हैं। शहर क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के लिए नये कलेवर में मुख्यमंत्री शहर स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। इसमें प्रथम चरण में सभी 14 नगर निगमों में 60 मोबाईल मेडिकल यूनिट, एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर की सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसी योजना में नागरिकों को मोबाईल मेडिकल यूनिट के द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से मुफ्त परामर्श, उपचार, दवाईयां एवं टेस्ट की सुविधा प्रदान की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लीनिक भी इस योजना की कड़ी है। इसमें संपूर्ण महिला स्टाफ के साथ, गरीब बस्तियों की महिलाओं के इलाज हेतु कार्य किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी कि मेरा एक क्षेत्र नगर पंचायत कूंरा है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। वहां का भवन बहुत ही जर्जर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे उस क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था हो क्योंकि गांव वालों को अस्पताल की बहुत आवश्यकता होती है और वहां अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि नगर पंचायत कूंरा जो मुख्य मार्ग में स्थित है उसका चौंड़ीकरण, सौंदर्यीकरण हो, वहां गौरवपथ का निर्माण हो। नगर पंचायत कूंरा और खरोरा में तालाब की स्थिति बहुत खराब है। जिस प्रकार से आज हर नगर निगम, नगर पंचायत में तालाबों का सौंदर्यीकरण हो रहा है तो उसी प्रकार मैं चाहूंगी कि कम से कम मेरे दोनों नगर पंचायत क्षेत्रों में जो दो तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण आपके द्वारा हो जाए, तो बड़ी कृपा होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धनयवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं, धन्यवाद।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग की अनुदान मांगों पर हमारे सम्माननीय सदस्यगण सर्वश्री धर्मजीत सिंह जी, केशव प्रसाद चंद्रा जी, शैलेश पाण्डेय जी, देवेंद्र यादव जी, डॉ. विनय जायसवाल जी, डॉ (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव जी, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा जी ने भाग लिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारा राज्य बना उस समय नगरीय निकाय विभाग में मात्र 1250 करोड़ रूपये का बजट हुआ करता था और आज ये बजट बढ़कर 3591.91 करोड़ रूपये है। इससे एक बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से नगरीय निकाय के कार्यों में हमारे

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमारी सरकार जनता की आकांक्षाओं से चुनी गई है तथा हमारा कर्तव्य भी है कि हम उसके अनुरूप नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में जनआकांक्षाओं के अनुरूप परिणाममूलक कार्य करें। हमारी सरकार इस दिशा में नगरीय निकायों को ज्यादा स्वावलंबी तथा सक्षम बनाने हेतु प्रयास कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारे माननीय सदस्यों ने उसमें अपनी बातें रखी हैं, मैं चर्चा करूंगा तो और बहुत समय लगेगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार की नगरीय निकायों के लिए जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो रहा है और उसमें हमारे नगरों के विकास के काम हो रहे हैं।

सभापति महोदय, हमारे श्रम विभाग के लिए इस वर्ष बजट में 215 करोड़, 75 लाख 45 हजार रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है और हमारे श्रम विभाग में हमारे तीन निगम मंडल है उसके माध्यम से और श्रम विभाग की श्रमिकों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारा श्रम विभाग वह काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और कोविड के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो प्रदेश के बाहर के श्रमिक वापस आये थे या प्रदेश के बाहर से हमारे प्रदेश में आएं और जो यहां दूसरे प्रदेश के श्रमिक रहते थे उन श्रमिकों के लिए जो काम किया है। वह पूरे देश भर में जो अच्छा काम हुआ, वह हमारे प्रदेश में ही हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन भी हमारी सरकार पूरी तरह से कर रही है ताकि श्रमिकों के कल्याण और उनके हितों का ध्यान रखा जा सके। दूसरी बात मैं हमारे नगरीय निकायों के वीर कर्मचारियों को साधुवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना में अपनी जान की परवाह किये बिना, शहर की साफ-सफाई पेयजल एवं अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलने में अपना योगदान दिया है। लॉकडाऊन की अवधि में जब पूरा देश अपने घर में था। हमारे ये वीर कर्मचारी घर-घर जाकर, जरूरतमंदों को राशनकार्ड, दवाई आदि बांट रहे थे। हमारे अनेक कर्मचारी खुद संक्रमित हुए, कुछ ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये, परंतु हमेशा अपने कर्त्तव्य को अपने आप से ऊपर रखा। उनकी कर्त्तव्य परायणता के कारण राज्य को स्वच्छतम राज्य होने का पुरस्कार लगातार दो सालों से मिला।

माननीय सभापति महोदय, हमारे विभाग के सभी सचिव, सचिव से लेकर हमारे सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने अच्छा काम किया। जिसके परिणामस्वरूप हमारे विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में हमारे श्रम विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे जिन सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, उन लोगों ने अपनी-अपनी बातें रखीं और कुछ मांगे भी रखी हैं निश्चित रूप से हम उनको दिखवा लेंगे और यह बजट पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- मैं पहले कटौती प्रस्तावों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22, 69, 81 एवं 18 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव स्वीकृत किये जाएं।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय :- अब मैं मांगों पर मत लूंगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को :-

मांग संख्या	-	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिये तेरह करोड़, सड़सठ लाख, पचहत्तर हजार रूपये,
मांग संख्या	-	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण के लिये- आठ सौ पंचानबे करोड़, बारह लाख, बत्तीस हजार रूपये,
मांग संख्या	-	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिये - दो हजार तीन सौ चालीस करोड़, तिरालीस लाख, अट्ठासी हजार रूपये तथा
मांग संख्या	-	18	श्रम के लिये - दो सौ पंद्रह करोड, पचहत्तर लाख, पैंतालीस हजार रूपये तक की राशि दी जाये।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 5 मार्च, 2021 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(सायं 6 बजकर 24 मिनट पर विधान सभा शुक्रवार दिनांक 05 मार्च, 2021 (फाल्गुन 14, शक् संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े

रायपुर (छ.ग.) **प्रमुख सचिव**

दिनांक 04 मार्च, 2021 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं